अष्टम माला, खण्ड 4, अंक 30

बुधवार, 24 अप्रैल, 1985

4 वैशाख, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(खण्ड 4 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय सूची

अष्टम माला, खण्ड 4, दूसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 30, बुधवार, 24 अप्रैल, 1985/4 वैशाख, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	**1—2**
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	**2—19**
*तारांकित प्रश्न संख्या : 567 से 569, 571, 572 और 574	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	**20—114**
तारांकित प्रश्न संख्या : 570, 573 और 575 से 587	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4146 से 4159, 4161 से 4175, 4177 से 4219, 4221 से 4233 और 4235 से 4282	
अहमदाबाद की स्थिति के बारे में प्रस्ताव (अस्वीकृति)	**114—175**
श्री एस० बी० चव्हाण	114
श्री वी० तुलसीराम	115
प्रो० के० के० तिवारी	116
प्रो० मधु दण्डवते	124
श्री नरसिंह मकवाना	133
श्री सैफुद्दीन चौधरी	136
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	138
श्रीमती गीता मुखर्जी	143
श्री बी० के० गढवी	146
श्री आर० अन्नानम्बी	148
श्री जैनुल बशर	150
श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव	153
श्री जी० जी० स्वैल	157
डा० ए० के० पटेल	160

*किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
श्री अमर राय प्रधान	163
सभा पटल पर रखे गये पत्र	**175—177**
नियम 377 के अधीन मामले :	**177—179**
(एक) सभी किस्म के कपड़ों पर प्रत्येक मीटर पर खुदरा मूल्य छापने की आवश्यकता	
श्री शान्ति धारीवाल	177
(दो) अकबरपुर-टांडा रेल लाइन का विस्तार करने तथा उन रेलवे स्टेशनों पर शैडों वाले दूसरे प्लेटफार्म बनाने की आवश्यकता	
श्री रामप्यारे सुमन	177
(तीन) वायुदूत/इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की विमान सेवाएं पूर्णिया तक चलाने की आवश्यकता	
श्रीमती माधुरी सिंह	178
(चार) केरल और खाड़ी के देशों के बीच यातायात की मात्रा में हो रही वृद्धि को देखते हुए त्रिवेन्द्रम को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने तथा कालीकट और कोचीन हवाई अड्डों पर काम पूरा करने की आवश्यकता	
श्री के० मोहनदास	178
(पांच) पटना जिले में सोन सिंचाई नहर में से धाना से परेब तक उसकी एक शाखा बनाने की आवश्यकता	
श्री सी० पी० ठाकुर	179
अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1985-86	**179—205**
रक्षा मंत्रालय	
श्री ई० अय्यापु रेड्डी	179
श्री मोहम्मद अयूब खां	186
श्री राजेश पायलट	189
श्री प्रियरंजन दास मुंशी	195
श्री अमल दत्त	199
अन्तर्राष्ट्रीय महिला दशक में सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, तथा आर्थिक क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की प्रगति के बारे में चर्चा	**205—244**
श्रीमती गीता मुखर्जी	205
प्रो० एन० जी० रंगा	210
श्रीमती कृष्णा साही	212
श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी	216
श्री बी० सोभनाद्रीसवरा राव	218
श्रीमती जयंती पटनायक	219

विषय	पृष्ठ
श्री हन्नान मोल्लाह	223
श्रीमती किशोरी सिंह	226
श्रीमती इन्दुमती भट्टाचार्य	228
प्रो० चन्द्र भानु देवी	229
श्रीमती फूल रेणु गुहा	231
कुमारी ममता बनर्जी	233
श्रीमती प्रेमलाबाई चव्हाण	237
श्री ए० चार्ल्स	238
श्रीमती एम० चन्द्रशेखर	239

लोक सभा

बुधवार, 24 अप्रैल, 1985/4 वैशाख, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय···(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं निधन संबंधी उल्लेख शुरू कर रहा हूं।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग क्यों खड़े हैं और क्यों चीख रहे हैं? कृपया बैठ जाइये, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। इस समय कुछ भी कहने नहीं दिया जायेगा। प्रश्न काल के पूरा होने के बाद आप शून्य काल में इसे उठा सकते है। इस समय नहीं।

(व्यवधान)*

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब निधन सम्बन्धी उल्लेख होंगे।

मुझे सदन को हमारे जो भूतपूर्व साथी श्री जयवन्त घनश्याम मोरे और फादर एन्थोनी मुर्मु के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है।

श्री जयवन्त घनश्याम मोरे1957-62 के दौरान दूसरी लोक सभा के सदस्य थे जिन्होंने बम्बई राज्य के शोलापुर चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। इससे पहले 1930-35 के दौरान वह बम्बई विधान परिषद के, और उसके बाद 1937-42 और पुन: 1952-57 के दौरान विधान सभा के सदस्य रहे।

व्यवसाय से वह एक कृषक थे, कृषि और सहकारिता में उन्होंने सक्रिय योगदान दिया। वह जिला विकास बोर्ड, शोलापुर के सदस्य थे।

श्री जे० जी मोरे का निधन 88 वर्ष की उम्र में 27 फरवरी 1985 को पंढारपुर में हुआ।

फादर एन्थोनी मुर्मु 1977-79 के दौरान छठी लोकसभा के सदस्य थे जिन्होंने बिहार के राजमहल चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था।

व्यवसाय से वह पादरी और किसान थे, सामाजिक कार्यों में उनकी गहरी रुचि थी और आदिवासी लोगों के कल्याण और उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए उन्होंने निरन्तर कार्य किया।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

वह अत्यन्त धार्मिक व्यक्ति थे और संगीत और सामाजिक सत्संगों में उनकी रुचि थी।

फादर एन्थोनी मुर्मु का निधन 55 वर्ष की उम्र में 19 अप्रैल 1985 को दुखद परिस्थितियों में हुआ।

इन मित्रों के निधन पर हम गहरा दुख व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवारों को संवेदना भेजते हुए यह सदन मेरे साथ है। अब सदस्यगण शोक व्यक्त करने के लिए कुछ समय के लिए मौन खड़े होंगे।

इसके पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है मैंने आपसे कहा था कि इसे आप प्रश्न काल के बाद उठायें, श्री मोहन लाल पटेल।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन उपकरण

*567. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन उपकरणों का देश में निर्माण प्रारम्भ कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं और उनके क्या परिणाम उपलब्ध हुए हैं; और

(ग) क्या इस दिशा में कोई विदेशी सहायता प्राप्त की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग). इलेक्ट्रानिक टेलीफोन उपकरणों की प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए सरकार ने निम्नलिखित विदेशी कम्पनियों को चुना है :

(i) मेसर्स सीमेंस ए० जी० (पश्चिम जर्मनी);

(ii) मेसर्स एरिक्सन (स्वीडन); तथा

(iii) मेसर्स आई० टी० टी० फेस (इटली)।

केन्द्रीय, राज्य स्तरीय तथा निजी क्षेत्र की अनेक इकाइयों को भी इलेक्ट्रानिक टेलीफोन उपकरणों के विनिर्माण के लिए आशय-पत्र जारी किए गए हैं, जो उत्पाद का विनिर्माण उपर्युक्त चुनी गई प्रौद्योगिकियों के आधार पर मानकीकृत संघटक-पुर्जों का प्रयोग करते हुए करेंगी।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मोहन भाई पटेल : आज इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन उपकरणों के क्षेत्र में अनेक नयी प्रौद्योगिकियों का विकास हो गया है। मूल अन्तर के अनुसार सरकार ने पश्चिम जर्मनी, स्वीडन और इटली से प्रौद्योगिकी का आयात करने का निर्णय किया है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए में जानना चाहता हूं कि जिन एककों के माध्यम से जिन मदों के लिए आशय पत्र जारी किये गये हैं, उनके नाम क्या हैं और उपर्युक्त उत्पाद कब तक आने की सम्भावना है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : उत्पादन 1986 की पहले तिमाही में शुरू हो जाने की सम्भावना है, हमें संगठित क्षेत्र से लगभग 81 आवेदन पत्र और लघुउद्योगों 20 से आवेदन पत्र मिले थे। जिन एककों की सिफारिश की गयी थी उनकी संख्या 39 थी और 34 को आशय पत्र दिये गए थे, लघु-उद्योग के क्षेत्र में 5 उद्योगों को आशय पत्र दिये गए हैं। कम्पनियों के नाम माननीय सदस्य को दिए जा सकते हैं, कुछ नाम मुझे मालूम हैं लेकिन 34 नाम पढ़ने में समय लगेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे सभापटल पर रखा जाय।

श्री मोहन भाई पटेल : इस समय हमारी टेलीफोन प्रणाली पुरानी प्रौद्योगिकी पर आधारित है। विश्व आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ रहा है और हम बहुत पीछे हैं। आज देश में हमारे पास केवल 14 इलेक्ट्रोनिक ऐक्सचेंज हैं। क्या सरकार ने केवल उन स्थानों पर इलेक्ट्रोनिक ऐक्सचेंज स्थापित करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किये हैं जहाँ पर कि निर्धारित संख्या से अधिक लाइनें हैं। क्या अगामी दस वर्षों में इलक्ट्रोनिक टेलीफोन उपकरणों की मांग के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ? यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, इस मांग को पूरा करने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

श्री शिवराज वी०पाटिल : वर्ष 1990 तक एककों की संख्या सम्बन्धी मांग30लाख के आस-पास होगी। इस समय हमने क्षमता स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिये हैं और वह क्षमता 47 लाख यूनिट की है। संगठित क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र द्वारा और गैर सरकारी क्षेत्र स्थापित की जाने वाली कुल क्षमता 104 लाख यूनिट के आस-पास होगी।

जहाँ तक इलेक्ट्रोनिक ऐक्सचेंजों को स्थापित करने और अन्य बातों के लिए समय सीमा का सम्बन्ध है, यह विषय संचार मन्त्रालय का है कि वे कब योजना तैयार करते हैं। इस समय मेरे पास उस समय सीमा के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है जिसके अन्तर्गत यह सब काम पूरे किये जायेंगे। इलेक्ट्रोनिक्स विभाग का सम्बन्ध इसके प्रौद्योगिकी के पहलू से है और प्रौद्योगिकी के अन्तरण के पहलू से है। अनुसंधान और विकास के द्वारा हम देश में उपकरणों का उत्पादन करने के लिए क्षमता स्थापित कर रहे हैं। हम बाहर से प्रौद्योगिक प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं और हम उस प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का भी प्रयत्न कर रहे हैं जो यहीं पर उपलब्ध हैं।

श्री पी० कुलनदईवेलू : तमिलनाडु में पर्याप्त टेक्नीशियन उपलब्ध हैं, तमिलनाडु में भी विदेशी सहायता वाले इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों की कमी है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इलेक्ट्रोनिक्स की चर्चा कर रहे हैं प्रश्न टेलीफोनों के बारे में है।

श्री पी० कुलइनदईवेलू : मैं इसी पर आ रहा हूं, क्या तमिलनाडु में इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन उद्योग शुरू किया जायेगा क्योंकि तमिलनाडु किसी भी उद्योग को शुरू करने के लिए राजनैतिक आर्थिक और मौसम के हिसाब से उपयुक्त है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : हमारी नीति में यह तय किया गया है कि गैर सरकारी क्षेत्र,

संयुक्त क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र को इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन और संचार उपकरणों को तैयार करने की मंजूरी दी जाए। यदि कोई क्षेत्र व्यक्ति इस काम में रुचि रखते हैं और उनके पास क्षमता उपलब्ध है तो ऐसे व्यक्ति आगे आ सकते हैं और उन चीजों के निर्माण की स्वीकृति ले सकते हैं। तथापि मद्रास में और उसके आस-पास इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग प्रगति कर रहा है। इस बारे में कि दूर-संचार से संबंधित इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग बढ़ रहा है अथवा नहीं, तो यदि इस सम्बन्ध में लोगों की रुचि है तो वे निश्चय ही आगे बढ़ सकते हैं।

पर्यावरण में कार्बन डाइआक्साइड

*568. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण में कार्बन डाइ आक्साइड की मात्रा धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है,

(ख) क्या इस बात की आशंका है कि अगली शताब्दी के आरम्भ तक पर्यावरण में कार्बन डाइआक्साइड की मात्रा खतरनाक स्तर तक पहुंच जाएगी, और

(ग) पर्यावरण को कार्बन डाइआक्साइड के प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) यदि वायुमंडल में इस रफ्तार से कार्बन डाई-आक्साइड का निरस्सरण जारी रहा तो यह अगली शताब्दी के आरम्भ तक 380 पी० पी० एम० वी० (पार्टस पर मिलियन बाई वाल्यूम) तक पहुंच सकती है। प्रारम्भिक खतरों के स्तर के बारे में वैज्ञानिक जांच की जा रही है।

(ग) विश्व के सभी भागों में गतिविधियों के कारण वायुमण्डल में कार्बन-डाई-अक्साइड स्तर में वृद्धि हुई है। विश्व मौसम-विज्ञान संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने कार्बन-डाई-आक्साइड के विभिन्न पहलुओं तथा पर्यावरण पर इसके परिणामों के बारे में विस्तृत जांच-पड़ताल आरम्भ की है। इन अध्ययनों का लक्ष्य विभिन्न राज्यों के बीच सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। बहरहाल, वायुमण्डल में कार्बन डाइ-आक्साइड को कम करने के लिए निम्नलिखित उपायों की आवश्यकता है :

—सी ओ2 निस्सरण का स्रोत पर ही नियंत्रण,

—व्यापक वृक्षारोपण,

—प्रदूषण रहित परिवहन पद्धतियां,

—गैर-प्रदूषक ऊर्जा पद्धतियां।

श्री चिन्तामणि जेना : मैं माननीय प्रधान मंत्री और उनके मंत्रालय का आभारी हूं कि वे पर्यावरण प्रदूषण के मूल कारण का का पता लगा पाये हैं। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि कार्बन डाइ आक्साइड के इस अत्यन्त खतरनाक स्तर तक बढ़ जाने तथा इस प्रदूषण को रोकने के लिए उन्होंने अभी तक पर्याप्त उपाय नहीं किए हैं। मेरे प्रश्न के भाग (ख)के उत्तर में मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि "कार्बन डाई आक्साइड के खतरनाक स्तर के बारे में अभी वैज्ञानिक जांच कर रहे हैं, वैज्ञानिकों ने ये जांच कब शुरू की थी और क्या इन जांचों के निष्कर्ष हमें उपलब्ध कराए जायेंगे।" मेरे प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि "प्रदूषण रहित परिवहन पद्धतियां, गैर-प्रदूषण ऊर्जा पद्धतियां" जैसे कुछ उपाय इस प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए हैं।

उक्त दो पहलुओं के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है। दूसरी तरफ केन्द्रीय राजधानी दिल्ली में वाहनों द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण का पता लगाने के लिए दिल्ली प्रशासन ने एक अध्ययन कराया था। अध्ययन दल ने अपने प्रारम्भिक प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया था कि उन सभी आठ मुद्दों से जिनके सम्बन्ध में अध्ययन किया गया था, पता लगा है कि प्रदूषण निर्धारित सीमा से बहुत अधिक बढ़ गया है, इसलिए कलकत्ता, बम्बई, और मद्रास आदि जैसे अन्य शहरों में, जहां पर दिल्ली की अपेक्षा अधिक वाहन विशेष रूप से भारी वाहन चल रहे हैं, काफी अधिक प्रदूषण होगा। इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है?

श्री वीर सेन : यह एक प्रश्न नहीं है, ये अनेक प्रश्न हैं। लेकिन मैं इनमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जहां तक अध्ययन का सवाल है विश्व के किसी भी भाग में इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन नहीं किया गया है। इस प्रकार के अध्ययन के लिए आधुनिकतम उपकरणों की आवश्यकता होती है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमारा विचार एक संचालन केन्द्र स्थापित करने का भी है। माननीय सदस्य ने अनेक प्रश्न पूछे हैं, सबसे पहले उन्होंने दिल्ली में परिवहन से होने वाले प्रदूषण के प्रश्न पर ध्यान केन्द्रित किया है। वास्तव में हम आइटोमोबाइल्स को सप्लाई किए जाने वाले पेट्रोलियम से लेड की मात्रा कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे अनेक प्रश्न पूछे गए हैं और हम गैर-प्रदूषण कारी ईंधन के माध्यम में मोटर वाहनों में बैटरी चालित मोटरों आदि के प्रयोग से कार्बन-डाइ आक्साइड की मात्रा कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : प्रश्न और उत्तर दोनों जबर्दस्त हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह देखना हमारा काम है,

श्री वीर सेन : इन्होंने इतने प्रश्न पूछे हैं कि सभी प्रश्न याद रख पाना कठिन है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शाही

श्री चिन्तामणि जेना : मैं दूसरा पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने पहले ही एक व्यापक प्रश्न पूछ लिया है अब पूरक प्रश्न क्या है? खैर, ठीक है, पूछिए?

श्री चिन्तामणि जेना : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि मौसम विज्ञान सम्बन्धी प्रतिष्ठान और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने एक विस्तृत जांच चलायी थी। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वर्ष 1972 में स्टाकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने इस प्रदूषण के बारे में एक विधान बनाने का संकल्प पारित किया था? क्या मुझे बता सकते हैं कि इस बारे में कितनी प्रगति हुई है?

उपाध्यक्ष महोदय : इतना काफी है। आप पहले ही दो पूरक प्रश्न पूछ चुके हैं।

श्री चिन्तामणि जेना : यह मेरे प्रश्न का अन्तिम भाग है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह कार्बन डाइआक्साइड का संसदीय संस्करण है।

श्री चिन्तामणि जेना : संयुक्त राष्ट्र संघ के वैज्ञानिकों की यह राय है कि कृषि और कुछ कृषि सम्बन्धी उद्योगों से बहुत अधिक मात्रा में विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं इसी प्रकार डी० डी० टी० और अन्य कीट नाशकों के प्रयोग से भी वायु-प्रदूषण होता है। क्या वह मुझे बता सकते हैं कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है और इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री बीर सेन : माननीय सदस्य ने 1972 में हुए सम्मेलन का उल्लेख किया है। उस सम्मेलन में कार्बन डाइआक्साइड के प्रश्न पर विचार नहीं हुआ था।

श्री ललितेश्वर शाही : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कोयले को साफ्टकोक में बदलने के लिए खुले में जलाया जा रहा है, क्या सरकार कोयले को साफ्ट कोक में परिवर्तित करने और कोयला पट्टी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण कम करने तथा इससे दूसरी गैसें निकालने के लिए वैज्ञानिक संयंत्र स्थापित कर रही है।

श्री बीर सेन : इस प्रश्न का सम्बन्ध वास्तव में कार्बन डाइआक्साइड से नहीं है और इसका संबंध उद्योग मंत्रालय से है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रधान।

[हिन्दी]

श्री के० एन० प्रधान : उपाध्यक्ष महोदय, कार्बनडाइआक्साइड और आक्सीजन का संतुलन बना रहे, उसके लिए जो चार तरीके मंत्री जी ने बताये हैं, उसमें सबसे ज्यादा प्रभावकारी जो तरीका है वह है वृक्षारोपण का। वृक्ष कार्बन डाइआक्साइड को ऑबजर्व करते हैं और आक्सीजन को छोड़ते हैं। वृक्षारोपण को आगे बढ़ाने के लिए हमने अनेक कार्यक्रम अपनाये हैं। क्या इसका भी मूल्यांकन हुआ है कि हम जितना खर्च करते हैं, उसमें से कितना वृक्षारोपण करने में सफल हो सके हैं।

श्री बीर सेन : उपाध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्य को जानकारी है कि 5 हजार मिलियन हैक्टर का प्रोग्राम हमारे वृक्षारोपण का है और इससे भी पहले हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं जो कि सोशल एफारस्टेशन के मातहत चल रहे हैं। इस तरीके से वृक्षारोपण के प्रोग्राम में काफी प्रगति हो रही है, लेकिन इस वक्त आपने जो डिटेल्स मांगे हैं, मैं पहले किसी प्रश्न के उत्तर में बता भी चुका हूं।

[अनुवाद]

श्री अजय मुशरान : कल दूरदर्शन के समाचारों में उन्होंने कार्बन डाइआक्साइड के प्रयोग में वायु प्रदूषण रोकने के कुछ उपाय दिखाये थे। क्या सरकार दिल्ली की सड़कों में चलने वाले वाहनों के कारण हो रहे प्रदूषण के प्रभावों को कम करने के लिए दिल्ली में इस योजना को पाइलट कार्यक्रम के रूप में क्रियान्वित करने पर विचार कर रही है? चूंकि परीक्षण कई वर्षों तक चलते रहते हैं क्या आप किसी सुनिश्चित कार्यक्रम पर विचार कर रहे हैं? क्या सरकार के पास उन्हें चलाने के लिए कोई योजना है?

श्री बीर सेन : वाहनों से होने वाले प्रदूषण नियन्त्रित करने के लिए हम अनेक उपाय कर रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : क्या आपने टी० वी० पर इस समाचार को देखा है?

श्री बीर सेन : मैंने नहीं देखा।

उपाध्यक्ष महोदय : वह आपकी मदद के लिए जानकारी दे रहे हैं।

श्री बीर सेन : इसका सम्बन्ध कार्बन डाइआक्साइड से होने वाले प्रदूषण से नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, प्रदूषण रोकने के लिए साइंटिफिक तरीके अपनाए गए हैं और उसके साथ साथ जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है, वृक्षारोपण इसके लिए बहुत कारगर साबित हो रहा है और वृक्षारोपण के मामले में हमारे ऋषियों-मुनियों ने जो पीपल का वृक्ष है उसको पवित्र भी माना है क्योंकि वह कार्बन को ज्यादा लेता है और आक्सीजन ज्यादा देता है। अतः मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगी कि जहां जहां वृक्षारोपण किया जाए उसमें क्या इस बात को ध्यान में रखा जायेगा कि पीपल के वृक्ष अधिक से अधिक संख्या में लगाए जायें ताकि वायु तथा वातावरण शुद्ध हो सके ?

श्री वीर सेन : माननीय सदस्या की सूचना से मैं अवगत हूं, ऐसा कहा गया है कि पीपल का वृक्ष 60 हजार की आबादी के लिए आक्सीजन देने में समर्थ होता है। माननीय सदस्या के सुझाव के ऊपर हम विचार करेंगे।

आदिवासी उप-योजनाओं को नया रूप देना

*569. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग सातवीं योजना में संघटक योजनाओं के नमूने पर आदिवासी उप-योजनाओं को नया रूप देने के लिए सहमत हो गया है और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी संघटक योजनाएं, जिनसे व्यक्तियों और परिवारों को सीधा लाभ पहुंचता है, उन्हें आदिवासी उप-योजनाओं के अधीन भी बनाया जाएगा ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) सातवीं योजना के लिए योजना आयोग द्वारा आदिवासी विकास के लिए स्थापित किए गए कार्य दल ने वर्तमान आदिवासी उप-योजना नीति को चालू रखने का सुझाव दिया है। आदिवासी उप-योजना नीति विशिष्ट क्षेत्र के लिए है जिसमें अधिक ध्यान अनुसूचित जन जाति जनसंख्या पर दिया गया है। ऐसे क्षेत्रों को आई० टी० डी० पी०, एम० ए० डी० ए० क्षेत्रों और आदिम जनजाति परियोजनाओं के अन्तर्गत लाया गया है।

(ख) संघटक योजना के समान ऐसी योजनाएं जिनसे व्यक्तियों और परिवारों को सीधा लाभ पहुंचता है, आदिवासी उप-योजना के अधीन पहले ही आरंभ की जा रही हैं।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति के लिए तो कांपोनेन्ट प्लान बनाया गया है और अनुसूचित जन जाति के लिए ट्राइबल सब-प्लान बनाया गया है लेकिन अनुसूचित जाति वाले ऐसा महसूस करते हैं कि जो कांपोनेन्ट प्लान बना है उससे इंडिवीजुअल्स और फेमिलीज को अधिक लाभ पहुंचता है, डायरेक्ट लाभ पहुंचता है लेकिन वैसी स्थिति ट्राइबल सब-प्लान में नहीं है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में कांपोनेन्ट प्लान की तरह से इंडिवीजुअल्स और फेमिलीज को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए ट्राइबल सब-प्लान में भी उसी प्रकार के प्रावधान रखे जायेंगे ताकि अनुसूचित जन जाति वालों को भी अधिक लाभ मिल सके ?

[अनुवाद]

श्री एस० बी० चव्हाण : मेरे उत्तर के दूसरे भाग में यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी गयी है कि कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों को जो लाभ दिए गए हैं वही लाभ ट्राइबल सब-प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों को भी उपलब्ध हैं। इसलिए इस बारे में कोई दिक्कत नहीं है। लगता है कुछ गलतफहमी हो गयी है। उनकी यह धारणा ही आप में सही नहीं है।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार की सुविधाएं कांपोनेन्ट प्लान में हैं वह ट्राइबल सब-प्लान में नहीं हैं, कम्पेरीजन में उतनी सुविधाएं नहीं हैं। अत: क्या जनजाति वालों के लिए भी उसी के बराबर समकक्ष सुविधायें प्रदान की जायेंगी ?

श्री एस० बी० चव्हाण : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की यह सूचना मुझे सही नहीं लगती है। कांपोनेन्ट प्लान के तहत शेड्यूल्ड कास्ट्स को जो सुविधाएं मिलती हैं वह सुविधाएं ट्राइबल सब-प्लान के तहत नहीं मिलती हैं—माननीय सदस्य की इस राय से मैं मुत्तफिक नहीं हूं। जो भी सहूलियतें कांपोनेन्ट प्लान में हैं वह सारी की सारी ट्राइबल सब-प्लान में भी मिलती हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सोचना मुझे मुनासिब नहीं लगता है कि शेड्युल्ड कास्ट्स कम्पोनेन्ट प्लान के तहत जो सहूलियतें मिलती हैं वह ट्राइबल सब-प्लान के तहत नहीं मिलती हैं। इस राय से गवर्नमेंट मुत्तफिक नहीं है। सारी सहूलियतें जो कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत हैं वे सारी की सारी इसमें भी मिलती हैं।

श्री रामस्वरूप राम : उपाध्यक्ष महोदय, देश में हरिजन और आदिवासियों की संख्या 20 करोड़ के लगभग है और उनके लिए एनुअल प्लान में हमने 42 करोड़ रुपया आवंटित किया है। इतना रुपया हमने उनके डवलमेंट के लिए रखा है। मैं समझता हूं कि प्रति व्यक्ति यह दो रुपये से ज्यादा नहीं आता है। उनके विकास की हमारी जो मंशा है उसको ध्यान में रखते हुए माननीय मन्त्री जी यह जो दो रुपये प्रति व्यक्ति डवलपमेंट के लिए रखा गया है और उनकी जैसी आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए क्या इस फण्ड में कोई बढ़ोत्तरी करने का आपका प्रस्ताव है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : यह जो आपने बात कही है पावर्टी अलीवियेशन प्रोग्राम आई० आर० डी० पी० के तहत और दूसरे प्रोग्राम के तहत लिया जाता है। कितने फेमिलीज को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, उसके अन्दर उसका नम्बर फिक्स किया जाता है। उसके बेसिस पर किन लोगों को कनसेशन देना है, वह चाहे फाइनेंशियल इंस्टीच्यूशन की तरफ से हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हो, या जो सेन्टर से स्पेशल असिसटेंश मिलती है उसमें से हो, यह इस पर निर्भर करता है। सिक्सथ प्लान में हमको जो तजुर्बा हुआ है, उसके हिसाब से पावर्टी अलीवियेशन प्रोग्राम के लिए शेड्युल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब्स के लिए ज्यादा रकम रखी जाए, यह हमारी कोशिश है।

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, इस समय समन्वित आदिवासी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल में केवल उन्हीं गांवों को शामिल किया गया है जिनकी जनसंख्या की 50 प्रतिशत से अधिक आदिवासी हैं और इसलिए उन्हीं को समन्वित आदिवासी विकास कार्यक्रम का लाभ मिल रहा है। इस कारण अधिकांश आदिवासियों को इस कार्यक्रम का लाभ नहीं मिल रहा है। इस दृष्टि से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार समन्वित आदिवासी विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में इस नीति पर पुनर्विचार करेगी ताकि जिन गांवों में आदिवासी जनसंख्या 50 प्रतिशत से कम है उन्हें भी ट्राइबल

सब-प्लान के अन्तर्गत लाभ देने के लिए शामिल किया जा सके।

श्री एस० बी० चव्हाण : समन्वित आदिवासी विकास कार्यक्रम और एम० ए० डी० पी० कार्यक्रमों को जहां आदिवासी लोगों की जनसंख्या 50 प्रतिशत से कम है सरकार बिखरे हुए क्षेत्रों में चला रही है वहां पर समन्वित आदिवासी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मिलने वाले सभी लाभ उन लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सातवीं योजना में हमारा विचार इन क्षेत्रों के लिए 'कलस्टर एप्रोच' की धारणा को शुरू करने का है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ब्रह्मदत्त

श्री ब्रह्मदत्त : मेरे मित्र पहले ही यह प्रश्न पूछ चुके हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं माननीय मंत्री से केवल यह जानना चाहता था कि क्या उपर्युक्त उप-योजना (सब प्लान) कार्यक्रमों को चलाने के लिए कोई निगरानी व्यवस्था है और क्या इन कार्यक्रमों की परिवीक्षा चलाने के बाद यह पाया गया है कि राज्यों को छठी योजना के दौरान जो भी धन राशि आवंटित की गयी थी उसका पूरा और समुचित उपयोग नहीं किया गया है। उपयोजना (सब-प्लान) के अन्तर्गत भारत सरकार ने आदिवासी लोगों के लिए जो पेय जल की सप्लाई का कार्यक्रम शुरू किया था, वह बहुत महत्वपूर्ण था परन्तु हाल में आपने कुछ ऐसे रिपोर्टों को देखा होगा कि उड़ीसा के कोरापुर और गंजाम जिलों में पानी की कमी के कारण, हजारों आदिवासी लोग अपने घरों को छोड़ रहे हैं और पानी की तलाश में मैदानों में आ रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह समस्या मंत्री महोदय और भारत सरकार के ध्यान में लायी गयी है और क्या इन कार्यक्रमों की परिवीक्षा करके वे छठी योजना में सामने आयी उन सभी कठिनाइयों को दूर करने के इच्छुक हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण : सभी राज्य सरकारों के पास राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और यहां तक कि परियोजना स्तर पर मॉनिटरिंग के लिए एक तन्त्र उपलब्ध है। उनसे वहां निगरानी तंत्र रखने की अपेक्षा की जाती है वे योजना की क्रियान्विति की समीक्षा करते हैं और उसके बाद उनसे सुधारात्मक कार्यवाही करने की अपेक्षा की जाती है। मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि विभिन्न राज्यों को जो धनराशि दी गयी थी, राज्य सरकारें उसका पूरा उपयोग करने में असमर्थ रहीं, हो सकता है कुल आवंटित धनराशि का 90 से 95 प्रतिशत उन्होंने उपयोग किया हो।

पेयजल के सम्बन्ध में मुझे पता लगाना पड़ेगा। इस बारे में मेरे पास तत्काल जानकारी उपलब्ध नहीं है, परन्तु हमने देखा है कि कुछ वर्ष पूर्व हमने जिस स्रोत से पेय जल की सप्लाई ली थी वह अपने आप सूख गया है कुछ कुछ क्षेत्रों में इससे समस्या पैदा हो गयी है, यदि माननीय सदस्य की जानकारी में ऐसी कोई समस्या है तो वह मुझे बताएं। हम निश्चित रूप से इन पर विचार करेंगे परन्तु इस समय मेरे पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए राज्यों को धन देना

*571. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ख) क्या सरकार का विचार राजस्थान जैसे पिछड़े राज्यों के लिए वर्ष 1985-86 में राशि

बढ़ाने का है ?

[अनुवाद]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) एक विवरण तथा पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार आवंटन एक फार्मूले के आधार पर किए जाते हैं जिसमें प्रत्येक राज्य में छोटी जोत वाले किसानों और खेतिहर मजदूरों की आबादी और गरीबी के सूचकांक को ध्यान में रखा जाता है । वर्ष 1985-86 के लिए कोई विशेष वितरण नहीं किया गया है ।

विवरण

1983-84 और 1984-85 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता के आवंटन को दर्शाने वाला विवरण ।

(लाख रु०)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता का आवंटन 1983-84	1984-85
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1990:00	2270.00
2.	असम	438.00	498.00
3.	बिहार	2872.00	3274.00
4.	गुजरात	650.00	740.00
5.	हरियाणा	170.00	196.00
6.	हिमाचल प्रदेश	120.00	138.00
7.	जम्मू और कश्मीर	150.00	170.00
8.	कर्नाटक	950.00	1080.00
9.	केरल	930.00	1060.00
10.	मध्य प्रदेश	1470.00	1676.00
11.	महाराष्ट्र	1600.00	1826.00
12-	मणिपुर	22.00	25.00
13.	मेघालय	30.00	34.00
14.	नागालैंड	20.00	24.00

1	2	3	4
15.	उड़ीसा	910.00	1036.00
16.	पंजाब	275.00	316.00
17.	राजस्थान	480.00	550.00
18.	सिक्किम	16.00	18.00
19.	तमिलनाडु	1800.00	2050.00
20.	त्रिपुरा	66.00	76.00
21.	उत्तर प्रदेश	3440.00	3922.00
22.	पश्चिम बंगाल	1555.00	1774.00
23.	अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह	32.00	36.00
24.	अरुणाचल प्रदेश	32.00	36.00
25.	चंडीगढ़	8.00	10.00
26.	दादर तथा नगर हवेली	16.00	18.00
27.	दिल्ली	13.80	16.00
28.	गोवा, दमन और दीव	36.90	42.00
29.	लक्षद्वीप	8.00	10.00
30.	मिजोरम	32.00	36.00
31.	पांडिचेरी	32.00	36.00
	पूरे भारत वर्ष के लिए	20,164.60	22,993.00

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसके अनुसार यह प्रतीत होता है कि आपने जो भी एन० आर० ई० पी० के अन्तर्गत आवंटन किया है उसमें राजस्थान की बहुत उपेक्षा हुई है। आपने सबसे प्रथम उत्तर-प्रदेश को, दूसरे नम्बर पर बिहार को, फिर आंध्र, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु को रखा है जबकि राजस्थान की स्थिति को देखते हुए उसके लिए आपने 1983-84 में 480 लाख रुपये और 1984-85 में 550 लाख रुपये रखे हैं। मैं यह जानना चाहती हूं कि राजस्थान की जैसी भौगोलिक स्थिति है वह देश के अन्य राज्यों से बहुत ही विपरीत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान इस देश में दूसरा प्रांत है। इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है जहां आदिवासी बहुत अधिक तादात में हैं और वहां हर आल्टरनेटिव साल में सूखा भी पड़ता है। मंत्री महोदय, क्या राजस्थान की स्थिति को देखते हुए अपने इस फार्मूले में कोई परिवर्तन लायेंगे ?

[अनुवाद]

श्री के० आर० नारायणन : वस्तुतः राजस्थान को किए गए आवंटन का पूरी तरह उपयोग

नहीं किया गया है। मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। 1980-81 में 34.32 करोड़ रुपये आवंटित किए गए जिसमें से 28.05 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया था, 1981-82 में 15.6 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे जिनमें से 11.62 करोड़ रु० का उपयोग किया गया, 1982-83 में 13.34 करोड़ रुपये आवंटित किए गए जिनमें से 9.35 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया, 1983-84 में 13.98 करोड़ रुपये आवंटित किए गए जिनमें से 10.40 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया और 1984-85 में 19.8 करोड़ रुपये आवंटित किए गए जिनमें से 10.60 करोड़ रुपये उपयोग किए गए।

मैं यह बात और कहना चाहूंगा कि आवंटन के मामले में अपनाये जाने वाला मानदण्ड यह है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का 75 प्रतिशत आवंटन सीमांत किसानों और भूमिहीन श्रमिकों की जनसंख्या के आधार पर और 75 प्रतिशत गरीबी के प्रभाव के आधार पर किया जाता है। खासतौर पर राजस्थान के लिए इस बात पर विचार करते हुए कि वहां रेगिस्तानी क्षेत्र है और वहां जनसंख्या का केन्द्रीयकरण कम है। आवंटन पद्धति को बदलने की मांग के बारे में माननीय सदस्य अवगत को कराना चाहूंगा कि ऐसे भी कुछ प्रस्ताव हैं जिनकी जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि राजस्थान 20 सूत्री कार्यक्रम में प्रथम आया है। यहां पर सारी धनराशि उपयोग न करने का कारण यह है कि राजस्थान की फाइनेन्शियल कण्डीशन बहुत अच्छी नहीं है। जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया है कि सूखा और ओवर-ड्राफ्ट की वजह से राज्य सरकार इसमें अपना शेअर नहीं दे पाती है जिसका परिणाम यह होता है कि जो धनराशि उसे दी जाती है उसका उपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि राजस्थान की विशेष परिस्थिति को देखते हुए क्या केन्द्रीय सरकार 75 प्रतिशत के अतिरिक्त धनराशि देने पर विचार करेगी ?

[अनुवाद]

श्री के० आर० नारायणन : यह विशेष रूप से राजस्थान के लिए है अथवा समस्त देश के लिए ?

उपाध्यक्ष महोदय : राजस्थान के लिए।

श्री वी० सोभनाद्रीसवरा राव : यह सभी राज्यों के लिए है। तमिलनाडु के लिए भी।

श्री के० आर० नारायणन : राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त सूखोन्मुख क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम और मरुस्थल विकास कार्यक्रम भी चल रहे हैं। हाल ही में हमने सदन में मरुस्थल विकास कार्यक्रम की विस्तार चर्चा की थी। ये सभी कार्यक्रम गरीबी-विरोधी कार्यक्रम के अतिरिक्त हैं। सरकार का इरादा इन सभी कार्यक्रमों को मजबूत बनाने का है।

श्री वी० सोभनाद्रीसवरा राव : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार से राज्यों को ऐसे निर्देश हैं कि किसी राज्य विशेष को आवंटित इस धनराशि का कुछ प्रतिशत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के उत्थान के सम्बद्ध कार्यक्रमों के लिए खर्च किया जाए। यदि हां, तो उसी तरह मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार आवंटित धनराशि का कुछ भाग छोटे और सीमांत किसानों और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए भी आवंटित करने के लिए निर्देश देने पर विचार करेगी।

श्री के० आर० नारायणन : जैसा कि मैंने कहा धनराशि आवंटित करने के फार्मूले, के अंतर्गत···

श्री बी० सोभनाद्रीसवरा राव : आवंटन नहीं, मैं किसी राज्य विशेष को आवंटित धनराशि के खर्च करने के बारे में बात कर रहा हूं।

श्री के० आर० नारायणन : ठीक है, यह विशेष रूप से नियत नहीं किया गया है, लेकिन ऐसे निर्देश हैं कि छोटे और सीमांत किसानों को खासतौर पर रोजगार देने के मामले में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

श्री बी० सोभनाद्रीसवरा राव : आपने मेरी बात समझी नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्यों को ऐसे निर्देश हैं कि किसी राज्य विशेष को राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम के लिए आवंटित कुल धनराशि का कुछ प्रतिशत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए खर्च किया जाए। यदि हां, तो क्या इसी तरह भारत सरकार राज्यों को पिछड़े वर्गों के उत्थान से सम्बद्ध कार्यक्रमों के लिए कुछ प्रतिशत आवंटित करने हेतु निर्देश देगी।

श्री के० आर० नारायणन : इन निर्देशों के अंतर्गत इस श्रेणी के लिए कोई विशेष धनराशि नियत नहीं है।

कुमारी ममता बनर्जी : 20 सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना है लेकिन पश्चिम बंगाल में गरीब व्यक्तियों को इस राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की योजना की सुविधा नहीं मिल रही है। सभी धनराशि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और इसके केडर फंड में जा रही है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगी कि क्या केन्द्र सरकार इस बात की जांच करेगी कि पश्चिम बंगाल राज्य के लिए वास्तव में कितनी धनराशि आवंटित की गयी और गत दो वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने कितनी धनराशि राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम की योजना लिए के खर्च की है। मैं यह भी जानना चाहूंगी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम योजना से कितने व्यक्तियों को सहायता मिली है और कौन है वे लोग जो इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। वास्तव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता ही इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम सरकार का उत्तर चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसका एक पूरक प्रश्न के रूप में उत्तर चाहते हैं अथवा आप कोई पृथक प्रश्न करना चाहते हैं।

श्री के० आर० नारायणन : मैं समझता हूं यह एक पृथक प्रश्न है।

कुमारी ममता बनर्जी : कितने व्यक्तियों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम से लाभ मिला है क्योंकि पश्चिम बंगाल में सारे धन को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ले जाती है? पश्चिम बंगाल में यह एक गम्भीर समस्या है। सारी की सारी धनराशि पार्टी कार्यालयों को जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : महोदय, आप कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही कुछ तत्व बता दिए हैं जो सदन के पटल पर रख दिए गए हैं यथा गत दो वर्षों के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गयी है। मैं समझता हूं, अन्य प्रश्न मुख्य

प्रश्न के क्षेत्र से बाहर हैं। राजस्थान राज्य के लिए यह अपेक्षाकृत अधिक प्रासंगिक है। यदि आप पश्चिम बंगाल के बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पृथक प्रश्न रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि डी पी ए पी प्रोग्राम जो पहले राजस्थान में चलता था, वह अब बंद हो गया है, उसके तहत कोई फण्ड्स एवलेबल नहीं हो रहे हैं। एन आर ई पी के तहत जो आंकड़े बताए गए हैं कि इन-इन सालों में इस तरह से खर्च नहीं हुआ है। हमने शुरू से ही कहा है कि राजस्थान की फाइनांशियल हालत ऐसी नहीं है कि इतना कंट्रीब्यूशन, जितना कि भारत सरकार देती है, उतना राजस्थान सरकार दे सके, इस वजह से पूरा खर्च नहीं हो सका। इसलिए हमारी यही मांग रही है कि आप इस पिछड़े प्रांत में जहां पर आधे से ज्यादा एरिया रेगिस्तानी है और चौथाई हिस्सा पहाड़ी क्षेत्र है, जिसमें ट्राइबल रहते हैं, 75 परसेंट पोपूलेशन ऐसी है जो कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रही है, इनमें मार्जिनल फार्मर्स और स्माल फार्मर्स भी बहुत बड़ी संख्या में हैं, इनकी ओर सरकार ध्यान दे। आंकड़ा जो बताया गया है कि 75 प्रतिशत स्माल और मार्जिनल फार्मस के लिए और 25 प्रतिशत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वालों के लिए पैसा खर्च किया जाएगा तो इन चीजों का समावेश भी वहां पर है। इन दोनों मामलों में राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ है। इसलिए क्या भारत सरकार यह तय करेगी कि राजस्थान की स्पेशल हालत को देखते हुए, हर दूसरे साल वहां फेमिन पड़ता है, इसको देखते हुए पूरा का पूरा एन० आर० ई० पी० कंट्रीब्यूशन भारत सरकार देगी ?

[अनुवाद]

श्री के० आर० नारायणन : राजस्थान सरकार से मिले प्रस्ताव योजना आयोग के समक्ष हैं और वे विचाराधीन हैं। जहां तक शत प्रतिशत अनुदान का सम्बन्ध है, हम इस पर मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले ही चर्चा कर चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : क्या माननीय मन्त्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों को विभागीय तौर यह कार्यान्वित किया जाना होता है ! लेकिन अधिकांश राज्यों में अधिकांश मस्टररोल जाली होते हैं और केवल ठेकेदारों द्वारा इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है। सप्लाई किए गए खाद्यान्न ठेकेदारों को बेच दिए जाते हैं। ठेकेदार अपने मनपसन्द के व्यक्तियों को कार्य में लगाते हैं। यदि हां तो क्या सरकार इन कार्यक्रमों के तरीके में संशोधन करेगी ?

श्री राजेश पायलट : आपके मुख्यालय में एक निगरानी सैल है।

श्री के० आर० नारायणन : यह कहना सही नहीं है कि ये कार्यक्रम ठेकेदारों के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं।

श्री राजेश पायलट : यह सही है।

श्री के० आर० नारायणन : यदि कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी स्कूल का निर्माण किया जाना है तो निश्चित ही कुछ ठेकेदार सामने आएंगे। जो व्यक्ति वहां कार्य करने जाते हैं वे सीधे ठेकेदार से अपनी मजूरी लेते हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : यहां तक कि सड़कों का निर्माण भी ठेकेदारों के माध्यम से किया जा

रहा है। आप भी यह जानते हैं और हम भी।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने यह बात पहले ही बता दी है। मंत्री महोदय ने उसका उत्तर दे दिया है।

श्री के० आर० नारायणन : ऐसे मार्ग निर्देश हैं कि इस काम में कोई ठेकेदार बिलकुल नहीं होना चाहिए। इस सम्बन्ध में निर्देश हैं।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : महोदय, कुछ क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के माध्यम से कुछ परिसम्पतियां बनायी गयी हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के माध्यम से बनाए गए भवनों जैसी परिसम्पत्तियों के रखरखाव के लिए कोई धनराशि आवंटित की है।

श्री के० आर० नारायणन : बनाई गई परिसम्पतियों के बारे में हमें जानकारी है···

श्री सत्यगोपाल मिश्र : हम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत बनायी गई परिसम्पत्तियों के लिए धन चाहते हैं।

श्री के० आर० नारायणन : इसमें उसकी राशि भी शामिल है। ठीक-ठीक मैं नहीं कह सकता कि उस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी है। इस कार्य में ठेकेदारों को लगाये जाने और ठेकेदारों द्वारा विशेषाधिकारों का दुरुपयोग किए जाने के सम्बन्ध में पिछले प्रश्न के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यदि कोई उदाहरण विशेष सरकारी की जानकारी में लाए जाते हैं तो हम कार्यवाही करने के लिए तैयार हैं।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : आप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत बनाई गई परिसम्पत्तियों के रख रखाव के लिए क्या कर रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : वह एक दम ठीक से यह नहीं बता सकते कि इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है।

श्री सोमनाथ रथ : क्या सरकार से ऐसा कोई निर्देश है कि सभी योजनाएं ग्रामवासियों द्वारा बनाई गई ग्राम समितियों द्वारा कार्यान्वित की जाएंगी?

श्री के० आर० नारायणन : रखरखाव के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि रखरखाव राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। क्योंकि राज्य प्रशासन किसी न किसी रूप में प्रत्येक गांव में कार्य कर रहा है, रखरखाव करना राज्य सरकार का कर्त्तव्य है।

ग्राम समितियों के संघ के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि प्राय: समस्त गरीबी निरोधी कार्यक्रम में सरकारी, गैर-सरकारी, स्वैच्छिक संगठनों आदि के जुड़ने की कल्पना की गयी है। सरकार इस कार्यक्रम से स्वैच्छिक एजेंसियों और ग्राम समितियों के जुड़ने का स्वागत करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि इस प्रश्न पर और अधिक सदस्य पूरक प्रश्न पूछना चाहें तो आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दे सकता हूं।

सौर ऊर्जा का अनुसंधान और विकास

*572. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में सौर ऊर्जा के अनुसंधान और विकास हेतु कितनी प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं और उनकी अब तक क्या उपलब्धि रही है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : सदन के पटल पर एक विवरण रखा गया है।

विवरण

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा सहायता प्राप्त सौर ऊर्जा में इस समय अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को 39 प्रयोगशालाएं और शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थाएं चला रही हैं। सौर ऊर्जा प्रयोग के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान और अध्ययन करने वाली देश में 38 संस्थाएं विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में अन्य कई औद्योगिक उपक्रमों ने अनुसंधान क्रियाकलापों को अपनाया है।

अनुसंधान और विकास प्रयत्नों ने अब तक महत्व पूर्ण आंकड़ों को उपलब्ध कराया है और सौर विकिरण, विभिन्न प्रौद्यागिकियों के विकास और प्रणालियों और क्षेत्रीय दशाओं के अधीन उनके निष्पादन सम्बन्धी अनुभवों को बताया है। जिन प्रणालियों का देश में विकास किया गया है तथा जिनको क्षेत्रीय प्रयोग के स्तर पर लाया गया है, उन प्रणालियों में सौर जल तापन प्रणाणियां, सौर शुष्ककों, टिम्बर भट्टियों, सौर कुकर, सौर स्टिल्स, (प्रकाशवोल्टीय) जल पम्पन प्रणालियां, सामुदायिक और सड़क रोशनी एकक, सामुदायिक रेडियो और दूरदर्शन सेटों आदि जैसी प्रणालियां सम्मिलित हैं। देशी प्रयत्नों के माध्यम से देश में सौर सेलों के निर्माण, मापदण्ड और तापीय संग्राहकों के लिए प्रौद्योगिकी का भी विकास किया गया है। इसके अतिरिक्त बायोमास, बायोगैस, वायु ऊर्जा और जल विद्युत जैसी सौर ऊर्जा के अप्रत्यक्ष रूपों के विकास और उपयोग के सम्बन्ध में पर्याप्त कार्य किया गया है।

[हिन्दी]

श्री अमर सिंह राठवा : उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सौर और ऊर्जा की जो प्रयोगशालाएं चल रही हैं, वे आजकल ठीक तरह से नहीं चल रही हैं, उनके सुधार के लिए क्या-क्या योजनाएं बनाई गई है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : हमने जो यहां पर निवेदन किया है, उसके अन्दर बताया गया कि कहां-कहां पर इसके सम्बन्ध में शोध कार्य चल रहा है और किस प्रकार के शोध किए जा रहे हैं। हमारे पास 45 लेबोरेट्रीज, एकेडेमिक इंस्टीच्युशन्स वगैरह में इसके सम्बन्ध में शोध कार्य चल रहा है। सौर ऊर्जा का उपयोग उष्णता, विद्युत और बायोमास वगैरह तैयार करने के लिए किस प्रकार से हो सकता है, उसके बारे में प्रयोग किए जा रहे हैं। सौर ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए जो एपलायेन्सेज हमको बनाने हैं, वह किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं और किस प्रकार का मैटीरियल उसके लिए जरूरी है, उस पर भी संशोधन किया जा रहा है। मैटीरियल बनाने के सम्बन्ध में हमारे पास संशोधन चल रहा है जैसे कि सिलिकोन मैटीरियल चाहिए वह क्रिस्टेलाइन फार्म, एमारफस फार्म या किसी दूसरे फार्म में होना है। उसके बाद यूटेन्सिल्स बनाए जाने में किस प्रकार के धातु का उपयोग हो सकता है, उसके ऊपर किस प्रकार का रंग लगाने से उसका उपयोग किया जाता है, किस आकार के किस ढांचे या किस रूप के एपलायेन्सेज बनाने से थर्मल एनर्जी उसके अन्दर स्टोर हो सकती है, स्टीम एनर्जी किस प्रकार से बनायी जाती है और दूसरे के लिए उपयोग में लायी जाती है, इस सारे क्षेत्र के अन्दर संशोधन चल रहा है। और छठी पंच वर्षीय योजना में 23 करोड़ रुपये तक उसके लिए उपयोग किए जाएंगे। ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई, इससे ज्यादा जानकारी भी इसके बारे

में दी जा सकती है क्योंकि हमारा प्लान इतना बड़ा है कि हमें इससे ज्यादा भी बहुत कुछ करना जरूरी है।

श्री अमर सिंह राठवा : उपाध्यक्ष जी, मैं दूसरा प्रश्न यह जानना चाहता हूं कि देश में सौर ऊर्जा की बहुत मांग है, सातवीं पंचवर्षीय योजना में अधिक से अधिक सौर ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है या किया जाना है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : छठी पंचवर्षीय योजना में सौर ऊर्जा हेतु किए गए प्रावधान के बारे में मैंने आपको पहले बताया परन्तु सातवीं योजना अभी पूरी होने को है और पूरी होने के बाद ही सौर ऊर्जा हेतु किये गए प्रावधान की जानकारी हम आपको दे सकते हैं। इस समय तो इतना ही कहा जा सकता है कि छठी पंचवर्षीय योजना में जितना धन रखा गया था, उससे थोड़ा ज्यादा होगा।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : मैं खासतौर पर प्रधान मंत्री से एक पायलट के रूप में-सदन के पायलट के रूप में नहीं-अपितु विमान के पायलट के रूप में-उनके अनुभव के आधार पर एक प्रश्न पूछना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : सौर ऊर्जा उससे सम्बन्धित है।

प्रो० मधु दंडवते : जी हां। यह उससे सम्बन्धित है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि 1981 में, पूरी तरह सौर ऊर्जा के ईंधन से संचालित एक विमान सफलता पूर्वक इंगलिश चेनल को उसके ऊपर उड़कर पार किया और यदि ऐसा हुआ है तो क्या उस अनुभव के आधार पर सरकार विमानों की उड़ान के लिए सौर ऊर्जा का सफलता पूर्वक प्रयोग की संभावनाओं का पता लगाएगी ?

(व्यवधान)

प्रधानमंत्री (श्री राजीव गांधी) : मैं नहीं जानता कि प्रो० मधु दंडवते जिस वर्ष का उल्लेख कर रहे हैं वह ठीक है लेकिन एक विमान ने इंगलिस चैनल पार की थी।

प्रो० मधु दंडवते : 21 नवम्बर, 1981।

श्री राजीव गांधी : मैं इसके लिए आपकी बात पर ध्यान दूंगा। हम निश्चय ही इस ओर ध्यान देंगे लेकिन सौर ऊर्जा एकदम नया विज्ञान है। आज सौर ऊर्जा की जो मात्रा एकत्र की जा सकती है वह अत्यन्त कम है और हम सौर ऊर्जा विकसित करने के प्रत्येक पहलू पर ध्यान दे रहे हैं। हम पहले दूसरे उन पहलुओं की ओर ध्यान दे रहे हैं जिनसे हमें ग्रामीण क्षेत्रों में सहायता मिलेगी। हम इससे पहले किसानों को लाभ मिले, इस ओर ध्यान देंगे।

प्रो० मधु दंडवते : सौर ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि समूची सरकार को सौर ऊर्जा से चलाया जा सकता है।

श्री राजीव गांधी : हम सौर ऊर्जा से विपक्ष की भी सहायता कर सकते हैं। वे बाहर जाकर बैठ सकते हैं।

श्री विजय एन० पाटिल : मैंने साइप्रिस में प्रत्येक घर में एक सौर हीटर देखा है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या एक गांव को यूनिट मानकर, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र की ठंडी जलवायु में पानी को गर्म करने के लिए सौर हीटर भारत में भी प्रयोग किए जाएंगे। बंगलौर में मैट्टूर इंडस्ट्रीज ने सिलकन क्रिस्टलों का विकास किया है लेकिन वे केवल 70 प्रतिशत शुद्ध थे।

मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूँगा कि देश में विकसित किए गए सिलकन क्रिस्टलों की शुद्धता का प्रतिशत कितना है और सौर बैटरी से चलने वाली कार के उस प्रयोग का व्यय हुआ जिसके लिए कुछ समय पूर्व अहमद नगर के एक इंजीनियर को लगभग पांच लाख रुपये की धनराशि दी गयी थी।

श्री शिवराज वी० पाटिल : जहां तक सौर ऊर्जा से चलाए जा सकने वाले वाहन का सम्बन्ध है, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि अहमदनगर में वह इंजीनियर वाहन का निर्माण करने में सफल हुआ अथवा नहीं। लेकिन सी० ई० एल० प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे तिपहिया वाहन का निर्माण करने में सफलता पाई है जिसे सौर ऊर्जा से चलाया जा सकता है। सेलों में जो ऊर्जा उपलब्ध है और जो सामग्री हमारे पास उपलब्ध है वह इतनी सीमित है कि इसे अनेक व्यक्तियों के प्रयोग में लाने के लिए कुछ अधिक कार्य करना होगा। जहां तक स्थानीय तौर पर निर्मित सामग्री का सम्बन्ध है, उसकी जांच की जा रही है और इस समय मेरे लिये यह कहना संभव नहीं है कि उस सामग्री से कितने प्रतिशत ऊर्जा उपलब्ध है।

श्री जी० जी० स्वैल : सूर्य की रोशनी को ऊर्जा में बदलने का एक साधन सौर-तालाब है। मैं समझता हूं कि हमारे तटवर्ती क्षेत्रों में इसकी अच्छी संभावनाएं हैं।

मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपने उस तरीके से कुछ किया है और आपने क्या किया है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : सौर ऊर्जा का विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जाता है। हम इसका प्रयोग ताप बिजली बनाने के लिए कर सकते हैं, बिजली बनाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ तक तालाब बनाकर सौर ऊर्जा का उपयोग करने का सम्बन्ध है, यह कार्य किया जा रहा है।

श्री जी० जी० स्वैल : कहां पर ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : तटवर्ती क्षेत्रों में प्रयोग किए जा रहे हैं लेकिन उनके वाणिज्यिक स्तर पर वास्तव में उपयोगी होने से पूर्व हमें बहुत सी बातें करनी हैं। इस तरह हम अभी प्रयोगात्मक चरण में हैं। हम सभी क्षेत्रों में प्रयोगात्मक चरण में हैं और हम प्रयोग किए जा रहे उपकरणों तथा सामग्री की लागत घटाने में भी सक्षम होंगे। भाव नगर प्रयोगशाला में भी तालाबों पर प्रयोग किए जा रहे हैं और कुछ ऐसे उपकरण बनाए जा रहे हैं जिन्हें इस प्रयोजन के लिये प्रयोग में लाया जा सके।

[हिन्दी]

पूर्वी उत्तर प्रदेश में रंगीन टी० वी० के कारखाने की स्थापना

***574. डॉ० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वी उत्तर प्रदेश में शीघ्र ही रंगीन टी० वी० बनाने का एक कारखाना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो कारखाना किस स्थान पर स्थापित करने का विचार है तथा किस यूनिट को लाइसेंस दिया गया है तथा इस फैक्टरी के कब तक लगाए जाने की सम्भावना है; और

(ग) कारखाने की अनुमानित उत्पादन क्षमता क्या होगी तथा उसमें कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की सम्भावना है ?

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) केन्द्रीय सरकार का पूर्वी उत्तर

प्रदेश में रंगीन दूरदर्शन विनिर्माण इकाई स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि 2 अप्रैल, 1984 को भारत सरकार के इलैक्ट्रोनिक्स, खाद्य एवं रसद उपमंत्री डा० एम० एस० संजीवीराव ने भारत सरकार के टी० वी० विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश में टी० वी० कारखाना शीघ्र लगाने की जो घोषणा की थी और यह भी कहा था कि कलर टी० वी० पिक्चर ट्यूब बनाने के लिए जो लाइसेंस जारी किए गये हैं, उसमें उत्तर प्रदेश को भी एक लाइसेंस मिला है और 180 करोड़ की लागत का यह कारखाना शीघ्र लगाया जायेगा, तो यह कारखाना कहां लगाया गया है और इसकी उत्पादन क्षमता क्या है?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैंने केन्द्रीय शासन के संबंध में उत्तर दिया है। जहां तक कलर टी० वी०ट्यूब कारखाना लगाने का सवाल है, वह स्टेट गवर्नमेंट से सम्बन्धित है। तत्कालीन उपमन्त्री डा०संजीवी राव के स्टेटमैंट के बारे में मैं पूरी जानकारी नहीं रखता हूं, परन्तु आज यहाँ पर परिस्थिति इस प्रकार है कि हमने एक दो सेंट्रल गवर्नमेंट के कारखानों में टी० वी० बनाने की इजाजत दी है। स्टेट गवर्नमेंट की पबलिक अंडरटेकिंग्ज को भी हमने बहुत बड़े पैमाने पर टी० वी० बनाने की इजाजत दी है। ये ज्वायन्ट सैक्टर में भी बनाए जा सकते हैं और प्राइवेट सैक्टर में भी बनाए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर टी० वी० बनाए जा रहे हैं। अपदान की तरफ से 50,000 टी० वी० सैटस बनाए जा रहे हैं और दूसरे प्राइवेट सैक्टर की ओर से भी टी० वी० बनाये जा रहे हैं।

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : मैं यह भी जानना चाहता हूं, जैसे कि एक्सपर्टस ओपीनियन है कि ब्लैक एंड व्हाइट टी० वी० की तुलना में कलर टी० वी० से जो लैसर रेज फैलती हैं, उनका देखने वालों पर घातक प्रभाव पड़ता है, जैसे डी-कम्पोजीशन आफ बाडी, लीकोमिया और ब्लाइन्डनैस।

अगर यह बात सही है तो फिर कलर टी० वी० को क्यों इतना प्रोत्साहित किया जा रहा है? यदि किया जा रहा है तो सरकार द्वारा सुरक्षा के क्या उपाय किए जा रहे हैं?

श्री शिवराज वी० पाटिल : यहाँ पर जो वैज्ञानिक रूप का सवाल उपस्थित किया गया है, उस बारे में पूरी तरह से जांच-पड़ताल करने के बाद ही बताया जा सकता है कि मनुष्य की आंखों और उसके शरीर को उसकी वजह से हानि हो सकती है या नहीं। जब तक उसके बारे में पूरी तरह जानकारी न हो।

इस सम्बन्ध का भय समाज में फैला रहे। कलर टी० वी० जो हमारे हैं, उसके बहुत सारे फायदे हैं। काश्तकारों को पौधे के सम्बन्ध में बताना होता है तो ब्लैक एंड व्हाइट टी०वी० में बताने से ज्यादा अच्छी तरह हम कलर टी० वी० में बता सकते हैं। इस प्रकार की अनेक जो दूसरी चीजें हैं, जिसको कलर टी० वी० के माध्यम से हम बतला सकते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा पेंशन भोगियों को राहत की किश्त का भुगतान

*570 **श्री थम्पन थामस** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के कर्मचारियों को 320 सूचकांक तक मंहगाई भत्ता जोड़कर पेंशन मंजूर की गई है;

(ख) क्या प्रशासन ने 1 मई, 1980 से पेंशन भोगियों को राहत-किश्त के रूप में दी जाने वाली यह राहत चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सेवा-निवृत्ति कर्मचारियों को नहीं दी है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ). चण्डीगढ़ संघ शासित क्षेत्र के पेंशनभोगियों को 1-9-1980 से पेंशन में राहत मंजूरी 9-5-1984 को दी गयी थी। 1-8-1983 से पेंशन में अगली राहत भी 19-4-1985 को मंजूरी कर दी गई है।

हिन्द महासागर में अमरीकी सेना के अड्डे

*573. **श्री आर० एम० भोये** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने अपने हितों की रक्षा करने के बहाने हिन्द महासागर में 30 सैनिक अड्डों, 1500 युद्ध-विमानों, 80 युद्ध पोतों और तीन परमाणु पनडुब्बियों के एक बेड़े की व्यवस्था की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत और अन्य देशों ने इस सम्बन्ध में इस प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं जिनसे इस क्षेत्र में तथा विश्व में भी शांति बनाए रखने में सहायता मिलेगी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) अमरीका की सरकार तो यह नहीं बताती कि किसी समय विशेष में हिन्द महासागर में उसके कितने जंगी जहाज, विमान अथवा पनडुब्बियां मौजूद होती हैं लेकिन हमें जो सूचना मिली है उससे इस बात की पुष्टि होती है कि हिन्द महासागर में अमरीका की बहुत बड़ी सैनिक उपस्थिति है।

(ख) बहुत से देशों ने खासतौर पर उन्होंने जो गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के सदस्य हैं, हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों की सैनिक उपस्थिति में वृद्धि पर बार-बार अपनी चिन्ता व्यक्त की है। भारत ने हिन्द महासागर में शांति क्षेत्र स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में और अन्य मंचों पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

पेंशन पाने वालों के लिए नया विभाग

*575. **श्री नारायण चौबे** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पेंशन पाने वालों के लिए एक नया विभाग खोलने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस विभाग का क्या काम होगा; और

(ग) उक्त विभाग किस मंत्रालय के आधीन कार्य करेगा ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण के लिए एक नया विभाग पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है।

(ख) यह एक नाडल विभाग होगा जिसे सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के उपरान्त दी जाने वाली प्रसुविधाओं तथा स्वतंत्रता सेनानी पेंशन भोगियों से सम्बन्धित मामलों के शीघ्र/समय पर निपटान के लिए नीति तथा अन्य सम्बद्ध बातों के निर्धारण का काम सौंपा गया है।

(ग) कार्मिक और प्रशिक्षण प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय।

सातवीं योजना के लिए संसाधन जुटाना

***576. श्री चित्त महाता** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए साधन जुटाने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख). सभी राज्य सरकारों को पत्र भेजे गए थे जिनमें उनसे सातवीं योजना 1985-90 के लिए वित्तीय संसाधनों के अनुमान भेजने के लिए कहा गया था। इस संदर्भ में रख-रखाव के लिए पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित करने की आवश्यकता और अतिरिक्त संसाधन जुटाने की क्षमता और संभावनाओं की जांच करने के बारे में उल्लेख किया गया था।

पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा गैर-कानूनी रूप से घुसपैठ

***577. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद** :

डा० जी० विजय रामा राव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान में पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा बड़ी संख्या में गैर-कानूनी रूप से घुसपैठ के कारण राजस्थान में भी असम जैसी स्थिति पैदा होती जा रही है ;

(ख) क्या हाल के महीनों में पाकिस्तान से बहुत से उग्रवादी पंजाब और जम्मू और काश्मीर में भी आ गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या रक्षात्मक उपाय किये गए हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) इस बात की कोई सूचनाएं नहीं हैं कि पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा राजस्थान में, बड़ी संख्या में घुसपैठ की जा रही है।

(ख) संभवत: पाकिस्तान से कुछ व्यक्तियों ने चोरी-छिपे प्रवेश किया है। तथापि सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान में अगस्त, 1984 में दो उग्रवादियों और पंजाब में मार्च, 1985 में एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया गया। सभी को स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया था।

(ग) सीमा सुरक्षा बल द्वारा सीमा पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है। सीमा सुरक्षा बल

द्वारा स्थानीय पुलिस और अन्य निवारक एजेंसियों के साथ संयुक्त रूप से घात लगाई जाती है, छापे मारे जाते हैं और गश्त लगाई जाती है। अवैध रूप से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को रोकने और पकड़ने के लिए श्वान दस्तों और ऊँटों पर सवार गश्त कार्य का भी उपयोग किया गया है। घुसपैठियों के आने जाने पर नजर रखने के लिए निरीक्षण बुर्जों का भी निर्माण किया गया है।

वानिकी कार्यों के लिए ठेकेदार एजेंसी प्रणाली

*578. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीति के आधार पर यह निर्णय किया गया है कि सभी वानिकी कार्यों से ठेकेदार एजेंसी प्रणाली समाप्त कर दी जाये;

(ख) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में 'परिवहन ठेकेदार' अभी भी वन उत्पादों की ढुलाई का कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार को उक्त ठेकेदारों के स्थान पर बैलगाड़ियों से काम लेने की सलाह दी गई है; और

(घ) क्या सरकार का विचार जनजातियों के लोगों के साथ मिलकर परिवहन कार्य का समन्वयन करने के लिए एक शीर्ष संघ बनाने का है ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : (क) केन्द्रीय वानिकी बोर्ड ने सिफारिश की थी कि वानिकी कार्यों में सभी प्रकार की ठेके की पद्धति आगामी तीन वर्षों के भीतर निश्चित रूप से समाप्त की जानी चाहिए। इसे राज्यों की जानकारी तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए परिचालित किया गया है।

(ख) मध्य प्रदेश में वन उत्पाद की ढुलाई का कुछ कार्य परिवहन ठेकेदारों के माध्यम से किया जा रहा है।

(ग) सभी राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वन उत्पादन की ढुलाई के कार्य में बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।

(घ) केन्द्रीय सरकार इस प्रकार के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को गैर-कानूनी अतिक्रमण से खतरा

*579. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अवैध अतिक्रमणों से कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को भारी खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अतिक्रमणों को हटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : (क) कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के भीतर कोई अतिक्रमण नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए केरल को परिव्यय

*580. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना (1980-85) में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए केरल को कितना परिव्यय स्वीकृत किया गया था;

(ख) उस अवधि के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें, प्रारम्भिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण जलपूर्ति, ग्रामीण आवास, स्थल एवं मकान निर्माण, गंदी बस्तियों के सुधार और पोषण आदि जैसे विभिन्न शीर्षों पर कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ग) सातवीं योजना के लिए इस प्रयोजन हेतु कितना परिव्यय है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख). छठी योजना के लिए परिव्यय और केरल में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के भाग पर व्यय के प्रत्याशित स्तर से सम्बन्धित एक विवरण संलग्न है।

(ग) सातवीं योजना के परिव्ययों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

विवरण

केरल में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (1980-85)

लाख रु०

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का भाग	छठी योजना परिव्यय	व्यय (1980-84)	प्रत्याशित व्यय (1984-85)	जोड़
1. प्रारम्भिक शिक्षा	1600	1075	228	1303
2. प्रौढ़ शिक्षा	50	5	4	11
3. ग्रामीण स्वास्थ्य	954	745	714	959
4. ग्रामीण जल आपूर्ति	4500	2343	762	3105
5. ग्रमीण सड़कें	1300	1854	360	2214
6. ग्रामीण विद्युतीकरण*	—	—	—	—
7. ग्रामीण आवास-आवास स्थल एवं निर्माण सहायता	1200	691	239	930
8. शहरी गंदी बस्तियों के पर्यावरण में सुधार	600	236	75	311
9. पोषाहार	1400	1343	336	1679
जोड़	11604	8294	2218	10512

*सभी गांवों में बिजली लगा दी गई है।

असम आन्दोलन के नेताओं के साथ बातचीत

*581. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार विदेशी राष्ट्रिकों की समस्या के समाधान हेतु असम आन्दोलन के नेताओं के साथ बातचीत पुन: प्रारम्भ करने के लिए अपनी ओर से फिर से पहल करने वाली है;

(ख) यदि हां, तो मार्च के तीसरे सप्ताह के पश्चात केन्द्रीय सरकार और आन्दोलनकारियों के बीच कितनी बैठकें हुई हैं :

(ग) क्या असम आन्दोलनकारियों ने केन्द्रीय सरकार के प्रस्तावों को मोटे तौर पर स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार को विदेशी राष्ट्रिकों की समस्या कब तक हल कर लेने की आशा है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (घ). हाल में मेरी शिलांग यात्रा के दौरान, दिनांक 28 मार्च, 1985 को राजभवन में अखिल असम छात्र संघ का एक प्रतिनिधि मंडल मुझ से मिला। इसके बाद गोहाटी में गृह सचिव तथा अखिल असम छात्र संघ के नेताओं में 8 तथा 9 अप्रैल, 1985 को अनौपचारिक बैठक हुई। ये बातचीत लाभदायक रही। सरकार एक न्यायोचित और संतोषजनक हल खोजने के लिए लगातार प्रयत्न कर रही है।

[हिन्दी]

गुजरात में खतरे की चेतावनी देने वाले केन्द्र

*582. **श्री सी० डी० गामित** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार ने तूफान और अत्यधिक वर्षा के बारे में अग्रिम जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्य में खतरे की चेतावनी देने वाले केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, ये केन्द्र किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे तथा उन पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है; और

(ग) उनकी स्थापना के लिए कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, श्रीमान्।

(ख) और (ग). इस समय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडू के तटीय क्षेत्रों में प्रयोगात्मक आधार पर विपत्ति की चेतावनी देने की प्रणाली को कार्यान्वित किया जा रहा है। इन दो राज्यों में इस योजना के सफल परीक्षण के पश्चात्, इस सम्बन्ध में गुजरात सरकार के अनुरोध पर निर्णय लिया जाएगा और तभी विस्तृत विवरणों का निरूपण किया जाएगा।

[अनुवाद]

भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा लिया गया समय

*583. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार के मामलों में उनका पता लगाने की तारीख से न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने तक कितना समय लिया जाता है; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान ऐसे मामलों में जहां तीन महीने से अधिक समय लगा है, इस विलम्ब के क्या कारण रहे ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख). रिश्वत स्वीकार करते समय जिन मामलों में सरकारी कर्मचारी पर जाल बिछाया जाता है उनमें मामले के दायर होने के छः सप्ताह की अवधि के भीतर जांच पूरी करने के पूरे प्रयास किए जाते हैं। अन्य नियमति मामलों में जांच को छः मास की अवधि के भीतर पूरा करने के प्रयास किए जाते हैं। किन्तु, बहुत से मामले में निम्नलिखित कारणों से इस अवधि का अधिक्रमण हो जाता है :

(i) विभिन्न विभागों/बैंकों तथा अन्य लोक उपक्रमों से कागजात को प्राप्त करने में देरी

(ii) प्राप्त कागजात प्रायः भारी भरकम होते हैं तथा उनकी जांच करने में समय लगता है।

(iii) मामले की जांच के दौरान देश के कोने-कोने से बहुत बड़ी संख्या में गवाहों की जांच करनी होती है।

(iv) मूल्यांकन के प्रयोजन से सम्पत्ति की तकनीकी जांच।

(v) विभिन्न क्षेत्रों के सम्बन्ध में विशेषज्ञ राय प्राप्त करना।

(vi) जांच को रोकते हुए न्यायालयों द्वारा कभी-कभी व्यादेश/स्थगन आदेश दे दिए जाते हैं।

(vii) कुछ मामलों में विदेशों में जांच की जानी होती है।

(viii) जांच पूरी होने के पश्चात् भी, अभियोजन के लिए आरोप पत्र दायर करने से पहले सम्बन्धित विभागों से मंजूरी प्राप्त करनी होती है।

सचिवों को उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद उनके कैडर में वापस भेजना

*584. **श्री अमल दत्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि भारत सरकार के किसी भी सचिव अथवा संयुक्त सचिव के सेवा निवृत्ति की उम्र प्राप्त कर लेने पर अथवा कार्यकाल अथवा अनुबन्ध की अवधि पूरी हो जाने पर उसका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जायेगा;

(ख) भारत सरकार के ऐसे कितने सचिव हैं जिनका कार्यकाल/अनुबन्धकाल लोक सभा के चालू सत्र के समाप्त होने से पहले पूरा हो रहा है; और

(ग) क्या उन सभी को उनका कार्यकाल/अनुबन्धकाल पूरा होने के बाद उनके कैडर में वापस भेज दिया जाएगा ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) इस आशय के अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि केन्द्रीय सचिवालय में अधिकारियों का कार्यकाल प्रायः नहीं बढ़ाया जाना चाहिए तथा सेवा-निवृत्ति की उम्र प्राप्त कर लेने पर सरकारी कर्मचारियों की सेवा वृद्धि अथवा उनका पुनर्नियुक्ति किए जाने की प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए। किन्तु, अनुबन्ध पर नियुक्त किए जाते वाले अधिकारियों पर ये अनुदेश लागू नहीं होते हैं।

(ख) तथा (ग). सरकार के सचिव के पद पर कार्यरत एक अधिकारी सेवानिवृत्ति की उम्र प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा तथा अन्य अधिकारी के अनुबन्ध की अवधि लोक सभा के चालू सत्र के समाप्त होने से पहले समाप्त हो जाएगी। ये मामले उक्त विषय पर विद्यमान नीति से शासित होंगे।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों का राज्यों द्वारा कार्यान्वयन

*585. **श्री के० राममूर्ति** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पता लगाने के लिए कि राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा दी गई रिपोर्टों पर राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा विचार किया गया है और उन पर कोई कार्यवाही की गई है, कोई अनुवर्ती कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या हैं जो राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की गई है?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने 3 रिपोर्टें प्रस्तुत कीं। प्रथम रिपोर्ट पर जून, 1979 में नई दिल्ली में हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया और सिफारिशों के कार्यान्वयन पर सामान्य सहमति प्राप्त हुई। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि प्रथम रिपोर्ट पर उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई की गयी है। मुख्य सिफारशें जिन्हें सामान्यत: अधिकांश राज्यों ने कार्यान्वित किया है, निम्नलिखित विषयों से सम्बन्धित है :

(I) पुलिस कर्मियों की कार्य-शर्तें।

(II) पुलिस आवास कार्यक्रम।

(III) कांस्टेबलों का स्तर, भत्तों सहित।

(IV) पुलिस कर्मियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच।

(V) अर्दली प्रणाली की समाप्ति।

(VI) पुलिस कार्मिकों की शिकायतों के समाधान के लिए तंत्र।

आयोग की शेष 7 रिपोर्टों के विषय में, राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त उत्तरों से पता चलता है कि असम, महाराष्ट्र और उड़ीसा सरकारों ने, अधिकांश सिफारिशों पर उपयुक्त कार्रवाई की है। यह भी सूचित किया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी कई सिफारिशों को कार्यान्वित किया है। तथापि सरकार महसूस करती है कि कुछ सिफारशें जिनमें पर्याप्त वित्तीय कठिनाइयां हैं, जैसे सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए आवास का प्रबन्ध राज्य द्वारा चरणबद्ध रूप में कार्यान्वित किया जाएगा। आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, नागालैंड, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दिल्ली, मिजोरम और पाण्डिचेरी ने रिपोर्टों का अध्ययन करने और सिफारिशें देने के लिए समितियों/एककों का गठन किया है।

भारी जल का उत्पादन करने में आत्म-निर्भरता

*586. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2000 ईसवी तक परमाणु बिजलीघरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत देश में भारी जल का उत्पादन करने में आत्मनिर्भर हो जायेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कारगर कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास/परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग). परमाणु बिजलीघरों की भारी पानी सम्बन्धी मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है कि भारी पानी के उत्पादन की स्थापित क्षमता को बढ़ाने के लिए भारी पानी का उत्पादन करने वाले नांगल, बड़ौदा, तूतीकोरिन, कोटा और तलचर स्थित वर्तमान संयंत्रों के अलावा और भी भारी पानी संयंत्र लगाए जाएं। महाराष्ट्र में थाल-वैशट में 110 टन की वार्षिक क्षमता वाले और आंध्र प्रदेश में मानगुरू में 185 टन की वार्षिक क्षमता वाले भारी पानी संयंत्रों पर काम तेजी से चल रहा है। आगे और संयत्रों पर काम उचित समय आने पर शुरू किया जाएगा।

कन्याकुमारी को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करना

*587. **श्री एन० डेनिस** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कन्याकुमारी को पर्यटक केन्द्र के रूप में बनाने और विकसित करने सम्बन्धी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तमिलनाडु सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग). पर्यटन विभाग ने राज्य सरकार के परामर्श से तमिलनाडु राज्य में पर्यटक अभिरुचि के 16 स्थान अभिनिर्धारित किए हैं जिनका केन्द्र, राज्य और प्राइवेट सेक्टर द्वारा अवस्थानुसार विकास किया जाएगा। कन्याकुमारी इन केन्द्रों में से एक है।

तमिलनाडु सरकार ने 16.00 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर कन्याकुमारी का एकीकृत विकास करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार की है जिसे 10 वर्षों की अवधि के दौरान अवस्थानुसार ढंग से कार्यान्वित किया जायेगा। 1982 से 332 लाख रुपये की स्कीमें राज्य की विभिन्न विभागीय एजेंसियों के जरिये पहले ही कार्यान्वित की जा रही हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार ने 1974 में केन्द्रीय निधियों से ली गई मोटर लांच को बदलने के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग से अनुरोध किया है। इस मोटर लांच का कन्याकुमारी और विवेकानन्द शिला स्मारक के बीच यात्रा करने के लिए फेरि के रूप में उपयोग किया जाता है। इस प्रस्ताव पर विभाग ने सिद्धान्त रूप मे अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया है और इस सम्बन्ध में कार्रवाई की जा रही है।

[**अनुवाद**]

खिलाड़ियों के लिए वैज्ञानिक प्रशिक्षण

4146. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **युवा कार्य और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ के खेल विशेषज्ञों, जिन्होंने हाल ही में भारत की यात्रा की थी, ने हमारे खिलाड़ियों के लिए वैज्ञानिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) रूसी विशेषज्ञों ने भारतीय पुरुष और महिला खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ शारीरिक अनुकूलन और जीव-यान्त्रिक के प्रयोग, खेल मनोविज्ञान और सहायक खेल विज्ञान की सिफारिश की है । उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि प्रारम्भिक स्तर से ही खेलों को बढ़ावा देने के लिए यथा ध्यान दिया जाना चाहिए । सरकार उपर्युक्त सिफारिशों से सिद्धान्त रूप से सहमत है ।

बिहार में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की क्रियान्वित

4147. **श्री सी० पी० ठाकुर** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को आवंटित योजनाओं की क्रियान्वित पर निगरानी रखती है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार में वर्ष 1984-85 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की क्रियान्विति नहीं हुई है;

(ग) क्या सरकार का क्रियान्वयन और प्रगति पर निगरानी रखने वाला कोई कक्ष है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का ऐसा कक्ष बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की समीक्षा-निगरानी करने के लिए केन्द्रीय मन्त्रालयों के प्रशासन में कार्यान्वित की जाने वाली केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के या तो निगरानी एकक हैं या अन्य प्रबन्ध हैं । योजना आयोग में एक 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाली सभी स्कीमों की मासिक या त्रैमासिक आधार पर निगरानी करता है जिनमें कुछ केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें शामिल भी हैं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत पर्यटन विकास निगम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों का आरक्षण

4148. **श्री लाल दूहोमा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल कितने पद आरक्षित हैं और वर्ग क, ख, ग, में प्रत्येक वेतनमान में ऐसे कुल कितने पद रिक्त हैं;

(ख) वर्ग क और ख में पदोन्नति द्वारा ऐसे रिक्त पदों को भरने के लिए क्या न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित की गयी हैं;

(ग) वर्ग क और ख के विभिन्न वेतनमानों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के तीन वरिष्ठतम पदाधिकारियों की कुल सेवा कितने वर्षों की है; और

(घ) इस समय रिक्त आरक्षित पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) आपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-एक में दी गई है।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम भर्ती और प्रोन्नति नियमों के अनुसार, एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में प्रोन्नति के लिए पात्र होने के वास्ते न्यूनतम निर्धारित अवधि 3 से 6 वर्ष के बीच है।

(ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-दो में दी गई है।

(घ) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा आरक्षित रिक्त पदों को भरने के हर संभव प्रयास किए जाते हैं। इनमें ये शामिल हैं; (i) यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवार उपलब्ध न हों तो रोजगार कार्यालय से संपर्क करना; (ii) आरक्षित पदों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संघों और ऐसी अन्य एजेंसियों को अधिसूचित करना; (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन देना; (iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों का ही चयन करने के लिए निर्धारित मानदण्ड (योग्यता, अनुभव आदि) में ढील देना और (v) विभिन्न होटल व्यवसायों में शिक्षुओं, कनिष्ठ कार्यपालक प्रशिक्षार्थियों, होटल प्रचालन प्रशिक्षार्थियों, आदि के रूप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों के प्रवेश के माध्यम से उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना।

विवरण-एक

भाग-1

सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पद

क्रम संख्या	पद की श्रेणी	कुल आरक्षित पद		नियुक्त उम्मीदवार		आगे ले जाए गए पद	
		जाति अनु०	अनु० जन-जाति	अनु० जाति	अनु० जनजाति	अनु० जाति	अनु० जन-जाति
1.	ग्रुप "क"	24	8	16	2	8	6
2.	ग्रुप "ख"	—	—	—	—	—	—
3.	ग्रुप "ग"	24	8	19	1	5	7

भाग-2

पदोन्नति द्वारा भरे गए पद

क्रम संख्या	पद की श्रेणी	कुल आरक्षित पद		पदोन्नति उम्मीदवार		आगे ले जाए गए पद	
		अनु० जाति	जन-अनु० जाति	अनु० जाति	अनु० जन-जाति	अनु० जाति	अनु० जनजाति
1.	ग्रुप "क"	2	—	1	—	1	—
2,	ग्रुप "ख"	1	—	1	—	—	—
3.	ग्रुप "ग"	9	—	4	—	5	—

विवरण-दो

पद का नाम	वेतनमान (रुपये)	अनु० जाति व अनु० जन-जाति के वरिष्ठतम अधिकारियों की संख्या		सेवा की अवधि वर्षों में (अनुमानित)
		अनु० जाति	अनु० जन-जाति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. प्रधान प्रबंधक (इंजीनियरिंग)	1800-2250	1	—	$3\frac{1}{2}$
1. स्थानापन्न प्रधान प्रबंधक (एम० एम० एंड डी०)	1500-2000	1	—	1
2. उप प्रधान प्रबन्धक (लेखा)	1500-2000	1	—	1
3. उपप्रधान प्रबंधक (ई० एंड०एम)	1500-2000	1	—	एक वर्ष से कम
1. वरिष्ठ प्रबंधक (जनशक्ति व विकास)	1300-1700	1	—	3
2. वरिष्ठ प्रबंधक (उधार व वसूली)	1300-1700	1	—	3
3. वरिष्ठ प्रबंधक (ई०एंडएम०इंजी०)	1300-1700	1	—	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. वरिष्ठ प्रबंधक (इंजीनियरिंग सिविल)	1300-1700	—	—	5½
1. प्रबंधक (उधार व वसूली)	1100-1600	1	—	3½
2. प्रबंधक (इंजी०-सिविल)	1100-1600	3	—	1—6½
3. प्रबंधक (इंजी०-ई० एंड एम०)	1100-1600	2	1	1-4½
4. प्रबंधक (प्रबंध सेवा)	1100-1600	1	—	4½
1. सहायक प्रबंधक (कार्मिक)	700-1300	—	1	4
2. सहायक प्रबंधक (उधार व वसूली)	700-1300	1	—	5
3. आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी	700-1300	1	—	5
4. सहायक प्रबंधक (लेखा)	700-1300	1	—	5
5. सहायक प्रबंधक (इंजी० सिविल)	700-1300	—	3	5½—9
6. सहायक प्रबंधक (ई० एंड एम०)	700-1300	2	1	5½—6½
7. सहायक निजी सचिव	700-1300	1	—	2
8. प्रबंधक (शुल्क मुक्त दुकान)	700-1300	1	—	1½
1. वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	650-1040	—	1	2
1. वैयक्तिक सहायक	550-900	3	—	1½ से 3
2. वरिष्ठ सहायक	550-900	2	—	2 से 4
3. लेखाकार	550-900	2	—	2 से 5
4. वरिष्ठ स्वागती	550-900	1	—	2

नोट : कुछ क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के तीन अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए उपर्युक्त विवरण में ऐसे क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के तीन से कम अधिकारियों के ब्यौरे दिए गए हैं।

आल इंडिया उर्दू प्रेस कारसपोंडेंटस एसोसिएशन, पटना से ज्ञापन

4149. **श्री अब्दुल हन्नान अंसारी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया उर्दू प्रेस का कारसपोंडेंट्स एसोसिएशन, दानापुर कैंट, पटना, बिहार के प्रेसीडेन्ट ने अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं तथा अन्य मामलों के बारे में 8 मार्च, 1985 को प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया है;

(क) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग). प्रधानमंत्री कार्यालय को अखिल भारतीय उर्दू प्रेस संवाददाता संघ, पटना के अध्यक्ष से 7 मार्च, 1985 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ, जिसमें एक महिला, जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 1982 में 30 वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में बैठी थी और जिसे महिलाओं के लिए आरक्षित पद नहीं दिया गया था, के सन्दर्भ में बिहार लोक सेवा आयोग में भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अभ्यावेदन जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए बिहार सरकार को भेज दिया गया है।

अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा चलाई जा रही संस्थाओं का कार्य निष्पादन

4150. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी शिक्षा संस्थाएं चलाने और उनका प्रबन्ध करने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन संस्थाओं के कार्य निष्पादन से संतुष्ट है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को इन संस्थाओं के मामलों में हस्तक्षेप किए जाने के कुछ मामलों का पता चला है और उसका विचार संविधान में उपर्युक्त संशोधन करके उक्त संस्थाओं की स्थिति में सुधार करने का है; और

(घ) इस बारे में अल्पसंख्यक आयोग ने यदि कोई सिफारिशें की हैं, तो वे क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग). अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के वैधानिक रक्षोपायों के अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 350 (ख) के अनुसार भाषाजात अल्पसंख्यक आयुक्त तथा अल्पसंख्यक आयोग के संगठन को अन्य बातों के साथ-साथ अल्पसंख्यकों के शैक्षिक हितों के रक्षोपाय करने तथा इन संस्थानों के कार्यों में किसी प्रकार के अनुचित हस्तक्षेप को रोकने का कार्य सौंपा गया है। वर्तमान प्रबन्ध, व्यवस्थायें इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं।

(घ) इस संदर्भ में अल्पसंख्यक आयोग ने अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं के कार्यों के बारे में कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की है।

रनगट गोलीकांड के बारे में राय जांच आयोग की रिपोर्ट

4151. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में रनगट गोली कांड के बारे में राय जांच आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद पुलिस ने वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियों सहित अनेक सम्मानीय नागरिकों के विरुद्ध उन्हें परेशान करने के उद्देश्य से मामले दर्ज किए हैं, यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(ख) इन लोगों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट कब दर्ज कराई गई, किस तारिख को आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया तथा इनमें भारतीय दण्ड संहिता/अपराध प्रक्रिया संहिता कौन-कौन सी धारायें लगाई गई हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं, श्रीमान। जांच आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद रनगट गोलीकांड से सम्बन्धित कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

दून घाटी में प्रदूषण

4152. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दून घाटी में प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप लोग अनेक बीमारियों खासतौर पर श्वास तथा चर्म रोगों से पीड़ित हो रहे हैं और 10 वर्ष की आयु से कम के आयु वर्ग के 20 प्रतिशत बच्चे श्वास की परेशानी से पीड़ित हैं।

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं,

(ग) क्या यह भी सच है कि देहरादून से 12 किलोमीटर दूर स्थिति बवावाला डिस्टिलरी के अवशिष्ट पदार्थ सोन नदी में बहाए जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप प्रसिद्ध महसिर मछली की नस्ल लुप्त हो रही है, और

(घ) क्या सरकार का विचार इस डिस्टिलरी को बन्द करने का है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) दून घाटी में वायु प्रदूषण में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। बहरहाल, श्वास एवं चर्म रोगों की घटनाओं के सम्बन्ध में चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल में कुछ समय लगेगा।

(ख) सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :

(I) दून घाटी में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, प्रमुख वायु प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर प्रतिबन्ध लगाकर की जा रही है।

(II) मौजूदा उद्योगों में वायु प्रदूषण का नियंत्रण करने के लिए, वायु (प्रदूषण नियन्त्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की व्यवस्थाओं के अनुसार कदम उठाये जा रहे हैं।

(III) नई औद्योगिक इकाईयों की क्षेत्रीय मास्टर प्लान के अनुसार तितर-बितर किया जा रहा है।

(ग) कबंवाला डिस्टीलरी अउपचारित निस्सरणों को सोन नदी में प्रवाहित कर रही है। महसिर मछली लुप्त नहीं हुई है।

(घ) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 के तहत डिस्टीलरी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर रहा है।

[अनुवाद]

सरदार पटेल भवन की विभागीय कंटीन के लेखा परीक्षा किए गए लेखों को प्रस्तुत करना

4153. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पटेल भवन की विभागीय कंटीन की प्रबंध समिति ने 1978 से लेखा परीक्षा किए गए लेखों को प्रस्तुत नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो उस उल्लंघन के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या उनका मंत्रालय नियमों का घोर उल्लंघन करके इस कंटीन को राज-सहायता देता रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए कोई जांच किए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ङ). सरदार पटेल भवन विभागीय कैन्टीन के वर्ष 1977-78 तक के लेखा-परीक्षित लेखे प्राप्त हो गये हैं। कैन्टीन की प्रबन्ध समिति ने वर्ष 1978-79 और 1979-80 के लेखों को अंतिम रूप दे दिया है जिनकी लेखा-परीक्षण अभी की जानी है। वर्ष 1980-81 के लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका क्योंकि इस बीच कैन्टीन का आन्तरिक लेखा-परीक्षक सेवा-निवृत्त हो गया जो कुछ समय के लिए रोकड़ लेखा-जोखा भी रख रहा था। उक्त लेखा-परीक्षक ने संबंधित अभिलेखों, आदि को कंटीन प्राधिकारियों को नहीं सौंपा है। प्रबन्ध समिति ने वर्ष 1980-81 के लिए दस्तावेजों, आदि को सौंपने के लिए उसको 2.3.1985 को एक अंतिम नोटिस दिया है। इसके बाद के लेखे अद्यतन तैयार हैं परन्तु ये वर्ष 1980-81 के लेखाओं को अंतिम रूप दिये जाने के लिए रुके हुए हैं। तथापि प्रबन्ध समिति ने वर्ष 1980-81 के लिए लेखाओं को अंतिम रूप दिये जाने को छोड़कर बाद के वर्षों के लेखों को अंतिम रूप देने का निर्णय किया है। सरकार कैन्टीन को सहायता देती रही है क्योंकि इसके न दिए जाने पर कैन्टीन का कामकाज चलने में रुकावट आ जाती और इसके कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता।

ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोत

4154. **श्री के० प्रधानी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के आयोग को कितनी धनराशि प्रदान

की गई है;

(ख) अतिरिक्त बिजली पैदा करने के लिए ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के आयोग द्वारा कौन-कौन सी विभिन्न परियोजनाएं कार्यान्वयन की गई हैं; और

(ग) तत्सम्बंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) छठी योजना के दौरान बायोगैस सहित ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोतों के विकास और उपयोग के लिए ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोत आयोग को 152 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. चार 500 कि० वा० के पवन फार्मों को लगाने के लिए एक कार्यक्रम आरम्भ किया गया और पवन विद्युत जनित्रों की मांग के आदेश दे दिए गए हैं। इसके साथ-साथ क्षेत्रीय परीक्षण के लिए कुछ पवन बैटरी चार्जर्स भी स्थापित किए गए।

2. आंध्र प्रदेश के मेडक जिले के सलोर्जीपल्ली गांव में एकीकृत ऊर्जा परियोजना में 7.3 कि० वा० ऊर्जा (अधिकतम) की क्षमता का एक केन्द्रीय सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र लगाया गया तथा 22 कि० वा० ऊर्जा (अधिकतम) की क्षमता की एक सौर तापीय विद्युत उत्पादन प्रणाली पूर्णता के निकट है।

3. विभिन्न ग्रामीण नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों में विकेन्द्रीकृत अनुप्रयोगों के लिए विद्युत की कम मात्रा के उत्पादन के योग्य अन्य बायोमास, बायोगैस, और सौर प्रकाशवोल्टीय आधारित एकक भी लगाए गए हैं, इसमें 25 से 100 कि० वा० के बायोमास आधारित एक शामिल हैं; बड़े आकार के संयंत्रों की भी योजना बनाई गई है।

4. 300 टन शहरी अपशिष्ट का प्रयोग करते हुए तथा उससे 3.74 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने के लिए दिल्ली में एक अपशिष्ट भस्मीकरण संयंत्र किया जा रहा है।

5. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा डिज़ाइन किए गए लाइन फोकसिंग सौर संग्राहक पर आधारित 50 कि० वा० का विद्युत एकक जिसके लिए उपकरणों की अधिप्राप्ति प्रगति पर है।

6. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के अछेजा गांव में ग्रामीण नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों की परियोजना में 900 वाट ऊर्जा (अधिकतम) का एक केन्द्रीय सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र लगाया गया है।

7. हिमाचल प्रदेश में जुब्बल (150 कि० वा०) और मनाली (200 कि० वा०) में दो लघु जलीय परियोजनाएँ पूरी होने को हैं। ये लघु जलीय परियोजनाएं नियमित मानव-शक्ति के बिना कार्य को शक्ति प्रदान करने के लिए विद्युतीय नियंत्रकों के साथ निम्न लागत प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं।

8. तिरुचिरापल्ली में एम० एच० डी० विद्युत उत्पादन के लिए एक प्रायोगिक संयंत्र अभी हाल ही में पूरा किया गया है। संयंत्र की क्षमता 5 मेगावाट (तापीय निवेश) है; यह अभी तक विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है।

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की संख्या

4155. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 जनवरी, 1985 को देश में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की कुल संख्या कितनी थी;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उनमें से कितने अधिकारी अपनी ड्यूटी पर मारे गए तथा किन राज्यों में; और

(ग) तत्संबंधी अपराधियों को पकड़ने तथा दंडित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग). राज्य सरकारों से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने के बाद सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पुष्प विहार, नई दिल्ली में केन्द्रीय भण्डार की शाखा खोलना

4156. श्री राम पूजन पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महा-प्रबन्धक, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली को सैक्टर-चार, पुष्प विहार, नई दिल्ली (केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की कोलोनी) में अपनी सहकारी समिति की एक शाखा अर्थात केन्द्रीय भण्डार खोलने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं;

(ख) क्या समिति के महा-प्रबन्धक को उस क्षेत्र में एक उचित दर दुकान खोलने के लिये भी आवेदन-पत्र प्राप्त हो रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस अभ्यावेदनों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है और उस कालोनी में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को इस समिति का लाभ देने के लिए सरकार का उस क्षेत्र में कब तक केन्द्रीय भण्डार तथा उचित दर दुकान खोलने का विचार है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख). जी, हां। हाल ही में अप्रैल, 85 में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ग) निर्माण तथा आवास मंत्रालय के परमार्श से इस विषय की जांच की जा रही है ताकि केन्द्रीय भण्डार की शाखा तथा एक उचित-दर-दुकान खोलने के लिए उपयुक्त स्थान प्राप्त किया जा सके।

औरंगाबाद हवाई अड्डे पर रात्रि में विमान उतरने की सुविधा

4157. श्री विजय एन० पाटिल : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का औरंगाबाद हवाई अड्डे पर रात्रि में विमान उतरने की सुविधा की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास

4158. श्री जैनुल बशर : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना में पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की ओर कुछ विशेष ध्यान देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) . राज्य के अन्दर किसी क्षेत्र का विकास करने का दायित्व मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार का है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सातवीं योजना में अपने पूर्वी क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए अपनी कार्य-नीति की रूपरेखा योजना आयोग को प्रस्तुत किए गए योजना दस्तावेज के प्रारूप में दी है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

1. लघु और बहुत छोटे खेतों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू करना;

2. पर्याप्त आदानों आदि की व्यवस्था करके चावल और अन्य कृषि उत्पादों की उत्पादकता में वृद्धि करना ;

3. तिलहनों और दालों में अनुसंधान सुविधाओं का विस्तार ;

4. बाढ़ की क्षति को स्थायी आधार पर कम करने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उसे प्रावस्थाभाजित कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वित करना।

5. लघु सिंचाई के कार्यों का बड़ा कार्यक्रम तैयार करना ;

6. उपभोक्ता की भूमि को एकीकृत तरीके से कृषि योग्य बनाना ;

7. सूखा प्रवृत्त क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि और नमी बनाए रखने की प्रौद्योगिकी को अपनाना ;

8. बड़े और मझौले उद्योगों का विकास करके रोजगार के अवसर पैदा करना और ग्रामीण और कुटीर औद्योगिक व्यवसायों को प्रोत्सासन देना ;

9. सड़कों और पुलों का बड़े पैमाने पर निर्माण करना ;

10. गोंडा और मिर्जापुर जिलों की डीनोटिफाइड जनजातियों के लिए जनजाति विकास कार्यक्रम बनाना ;

11. निरक्षरता, विशेष रूप से महिला निरक्षरता उन्मूलन के लिए कार्यक्रम बनाना; और

12. महिलाओं और बच्चों के लिए पोषाहार कार्यक्रम बनाना।

केन्द्रीय सरकार, राज्य में सूखा प्रवृत्त क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों जैसे निर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की भी व्यवस्था करती है। राज्य में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों के औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए निवेश राजसहायता और रियायती दरों पर वित्तीय व्यवस्था भी की जाती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

की गई कार्यवाही रिपोर्ट का संसद के पटल पर रखा जाना

4159. **श्री अनादि चरण दास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आयुक्त द्वारा अब तक प्रस्तुत सभी 27 रिपोर्टों की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही का विवरण नियमित रूप से संसद में रखा जाता रहा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक तैयार किए गए विवरणों को कौन-कौन सी तारीख को संसद के पठल पर रखा गया;

(ग) क्या इससे पूर्व इस प्रकार के कार्यवाही विवरणों को, संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखने की प्रथा थी लेकिन बाद में ये विवरण सदस्यों की सूचना के लिए केवल संसद पुस्तकालय में ही रखे जाने लगे;

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार से परिवर्तन करने के क्या कारण हैं : और

(ङ) क्या सरकार इस प्रकार के किसी दस्तावेज को सभापटल पर रखे जाने से पहले संसद पुस्तकालय में रख सकती है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आयुक्त की 26 वीं रिपोर्ट पर की गयी कारंवाई के विवरण ससद पुस्तकालय में रखे गये हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उटता।

(ग) और (घ). अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की रिपोर्टों पर की गयी कारंवाई के विवरण हमेशा संसद पुस्तकालय में रखे जाते हैं।

(ङ) जी हां, श्रीमान।

दिल्ली में हत्यायें, डकैतियां और लूटमार

4161. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष 1984-85 के दौरान हत्याओं, डकैतियों और लूटमार की घटनाओं के कितने मामलों में उक्त अपराध करने वाले पकड़े गए हैं; और

(ख) आम आदमी के मन में पुलिस की छवि सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) दिल्ली में वर्ष 1984 और 1985 (31-3-1985) तक के दौरान हुई हत्याओं, डकैतियों और लूटमार की घटनाओं की संख्या इस प्रकार है :

	सूचित की गई घटनाएं	हल की गई	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
हत्या	379	237	679
डकैती	37	19	83
लूटमार	302	159	361

(ख) अपराधों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

1. वाकी टाकी सैटों और वायर लैस युक्त मोटर साइकिलों सहित गहने पैदल तथा चलती-फिरती गश्त।

2. बदमाशों और अपराधियों के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की सामान्य निवारक धारा के अधीन कार्रवाई।

3. आसूचना का विकास करके डकैतों, लुटेरों और अन्य बदमाशों का पता लगाने के लिए जिलों के विशेष दस्तों द्वारा निरन्तर अभियान।

4. अपराध करने में जो वाहन अन्तर्ग्रस्त होते हैं उनकी अचानक जांच करना।

5. पुलिस गश्ती टुकड़ियों के सहयोग से स्थानीय निवासियों और निजी चौकीदारों द्वारा ठिकरी पहरा और गश्त का आयोजन।

6. ज्ञात अपराधियों पर निगरानी कड़ी करना।

7. उग्रवादियों तथा अन्य अपराधियों की गतिविधियों से उत्पन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श करने तथा उन्हें हल करने के लिए पड़ोसी राज्यों के पुलिस प्राधिकारियों के साथ समय-समय पर समन्वय बैठकें की जाती हैं।

पर्यटक आकर्षण के प्रमुख स्थान

4162. श्री वी० सोमनाद्रीसवरा राव : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में विदेशी दर्शकों/पर्यटकों के आकर्षण के कौन-कौन से प्रमुख स्थान हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : भारत की यात्रा पर आने वाले अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आंकड़े पर्यटन विभाग द्वारा अखिल भारतीय आधार पर संकलित किए जाते हैं न कि स्थान-वार आधार पर। तथापि, भारतीय सांख्यकीय संस्थान, कलकत्ता द्वारा किए गए "भारत में विदेशी पर्यटक सर्वेक्षण—1982-83" के अनुसार विदेशी पर्यटक 59 प्रमुख स्थानों की यात्रा करते हैं जिसका ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

क्रम संख्या	स्थान का नाम	क्रम संख्या	स्थान का नाम
1	2	3	4
1.	दिल्ली	31.	जयसलमेर
2.	बम्बई	32.	लखनऊ
3.	मद्रास	33.	शिमला
4.	आगरा	34.	महाबलीपुरम
5.	जयपुर	35.	लद्दाख
6.	वाराणासी	36.	हरिद्वार
7.	कलकत्ता	37.	कन्याकुमारी

1	2	3	4
8.	बंगलौर	38.	पुष्कर
9.	श्रीनगर	39.	देहरादून
10.	गोआ	40.	माउंट आबू
11.	मदुरै	41.	भुवनेश्वर
12.	अमृतसर	42.	पुरी
13.	त्रिवेन्द्रम-कोवलम	43.	तनजौर
14.	रामेश्वरम	44.	कोयम्बतूर
15.	हैदराबाद	45.	धर्मशाला
16.	उदयपुर	46.	नागापट्टीनम
17.	तिरूचिरापल्ली	47.	क्विलोन
18.	मैसूर	48.	बड़ोदा
19.	खजुराहो	49.	अल्लीपे
20.	कोचीन	50.	अजमेर
21.	पुणे	51.	गणेशपुरी
22.	औरंगाबाद	52.	मनाली
23.	पटना	53.	मंगलौर
24.	अहमदाबाद	54.	कोडईकनाल
25.	पाँडिचेरी	55.	सूरत
26.	दार्जिलिंग	56.	गया-बोधगया
27.	जोधपुर	57.	रांची
28.	उटकमंड	58.	भोपाल
29.	लेह	59.	गोरखपुर
30.	चण्डीगढ़		

नेहरू युवक केन्द्रों पर विस्तार

4163. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या युवा कार्य और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी जिला मुख्यालयों में नेहरू युवक केन्द्र चल रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे कौन-कौन से जिले हैं, जहां अभी ऐसे केन्द्र नहीं हैं तथा इस वर्ष के अन्त तक देश के प्रत्येक जिला मुख्यालय में किस सम्भावित तारीख तक ऐसे केन्द्रों की स्थापना की

जाएगी;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष में इन केन्द्रों को उदारतापूर्वक धनराशि प्रदान करने का भी विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस वर्ष के दौरान इन केन्द्रों द्वारा शुरू की जाने वाली प्रस्तावित नई गतिविधियों की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) अब तक संलग्न विवरण के अनुसार नेहरू युवक केन्द्रों द्वारा 197 जिले सम्मिलित किए गए हैं। शेष जिलों को सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शामिल करने की सम्भावना है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) नए नेहरू युवक केन्द्रों सहित नेहरू युवक केन्द्रों के कार्यकलापों में, अन्य बातों के साथ-साथ, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, खेल-कूद, भौतिक, संस्कृत, युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम, मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यकलाप, अनौपचारिक शिक्षा समाज सेवा कार्यक्रम, राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना और अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष मनाना शामिल है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	ऐसे जिले जहाँ नेहरू युवक केन्द्र कार्यात्मक हैं	
1	2	3	
1.	आन्ध्र प्रदेश	1. चित्तूर	10. महबूब नगर
		2. कुद्दापाह	11. कुरनूल
		3. काकी नादा	12. खम्माम
		4. करीमनगर	13. अनन्तपुर
		5. निजामाबाद	14. विशाखापटनम
		6. सिद्दीपेट	
		7. श्रीकाकुलम	
		8. कृष्णा	
		9. गुन्टूर	
2.	असम	1. डिब्रूगढ़	6. गोलपाड़ा
		2. गोहाटी	7. कारबी अंगलोंग
		3. सिल्चर	8. उत्तरी लखीमपुर
		4. तेजपुर	
		5. नौगांव	

1	2	3	
3.	बिहार	1. भागलपुर	9. सहरसा
		2. हैहूल (रांची)	10. नालन्दा
		3. मुज्जफ्फरपुर	11. दरभंगा
		4. मुंगेर	12. भोजपुर
		5. पूर्णिया	13. प्लामउ
		6. पटना	
		7. पश्चिमी-चम्पारण	
		8. छपरा	
4.	गुजरात	1. भुज	5. मेहसाना
		2. जूनागढ़	6. हिम्मतनगर
		3. सुरेन्द्रनगर	
		4. नाडियाड	
5.	हरियाणा	1. करनाल	
		2. गुड़गांव	
		3. भिवानी	
		4. रोहतक	
6.	हिमाचल प्रदेश	1. चम्बा	
		2. हमीरपुर	
		3. सोलन	
		4. ऊना	
		5. कुल्लू	
		6. बिलासपुर	
		7. कांगड़ा (धर्मशाला)	
		8. किन्नौर	
7.	जम्मू और काश्मीर	1. कठुआ	
8.	कर्नाटक	1. बेलगांव	
		2. बागलकोट	
		3. चिकमंगलूर	

1	2	3
		4. गुंलबर्गा
		5. हसन
		6. मैसूर
		7. कुर्ग
		8. मांडया
		9. मंगलौर
		10. उत्तरी कनारा (कारवार)
		11. बिदार
		12. रायचुर
9.	केरल	1. त्रिवेन्द्रम
		2. कंन्नानौर
		3. त्रिचूर
		4. एल्लीपे
		5. एड्क्के
		6. मालापुरम
		7. पालघाट
		8. कोंजीकोड
10.	मध्य प्रदेश	1. बेतुल
		2. छत्तरपुर
		3. देवास
		4. ग्वालियर
		5. जबलपुर
		6. जशपुरनगर (रायगढ़)
		7. कांकेर
		8. सिहोर
		9. शाजापुर
		10. दुर्ग
		11. होशंगाबाद

1	2	3
		12. धार
		13. शिवपुरी
		14. इन्दौर
		15. झबुआ
11.	महाराष्ट्र	1. औरंगाबाद
		2. येतमाल
		3. जलगांव
12.	मणिपुर	1. इम्फाल
		2. मणिपुर उत्तरी जिला (सेनापती)
13.	मेघालय	1. तुरा
		2. जयन्तिया हिल्स
14.	नागालैंड	1. मोकोकचुंग
		2. कोहिमा
15.	उड़ीसा	1. बरीपाड़ा
		2. धेंकानाल
		3. कोरापुट
		4. सम्बलपुर
		5. सुन्दर गढ़
		6. गंजम
		7. कलाहान्दी
		8. फुलबानी
		9. केहुनझार
		10. बालनगीर
16.	पंजाब	1. फिरोजपुर
		2. रूपनगर (रोपर)
		2. संगरूर
		4. गुरदासपुर
		5. फरीदकोट

1	2	3
		6. होशियारपुर
		7. अमृतसर
		8. पटियाला
		9. कपूरथला
		10. लुधियाना
17.	राजस्थान	1. बाड़मेर
		2. बून्दी
		3. चुरू
		4. डूंगरपुर
		5. जयपुर
		6. टोंक
		7. चित्तौड़गढ़
		8. जोधपुर
		9. सवाई माधोपुर
		10. अजमेर
		11. भरतपुर
		12. उदयपुर
		13. बांसवाड़ा
		14. बीकानेर
		15. जैसलमेर
		16. भीलवाड़ा
		17. जालौर
18.	सिक्किम	1. गंगटोक
19.	तमिलनाडु	1. कूदालोर
		2. सलेम
		3. तिरुचिरापल्ली
		4. वेलौर
		5. रामनाथपुरम

1	2	3
		6. पुदुदकोटाई
		7. कोयम्बटूर
		8. मदुराई
		9. धरमपुरी
		10. नीलगिरीश
20.	त्रिपुरा	1. अगरतल्ला
		2. धर्मनगर
21.	उत्तर प्रदेश	1. आजमगढ़
		2. बान्दा
		3. देहरादून
		4. देवरिया
		5. झांसी
		6. मथुरा
		7. मिर्जापुर
		8. प्रतापगढ़
		9. पिथौरागढ़
		10. रायबरेली
		11. गोरखपुर
		12. रामपुर
		13 फैजाबाद
		14. अलीगढ़
		15. अल्मोड़ा
		16. बिजनौर
		17. मेरठ
		18. सीतापुर
		19. वाराणसी
		20. इलाहाबाद
		21. फतेहपुर

1	2	3
		22. गाजीपुर
		23. पौड़ी गढ़वाल
		24. सुल्तानपुर
		25. उन्नाव
		26. फर्रुखाबाद
		27. लखीमपुर-खेरी
		28. बदायूं
22.	पश्चिमी बंगाल	1. बारासात
		2. वर्दवान
		3. दार्जिलिंग
		4. मिदनापुर
		5. मुर्शिदाबाद
		6. डायमंड हार्बर
		7. अलीपुर्दआर
		8. पुरुलिया
23.	अरुणाचल प्रदेश	1. अलोंग
		2. जेइरो
24.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1. पोर्ट ब्लेयर
25.	चण्डीगढ़	1. चण्डीगढ़
26.	दिल्ली	1. अलीपुर
		2. महरौली (नई दिल्ली)
		3. नांगलोई ब्लाक (नई दिल्ली)
27.	गोवा, दमण और दीव	1. पणजी
		2. दमण
28.	लक्षद्वीप	1. कवारातती
29.	मिजोरम	1. ऐंजल
30.	पाण्डिचेरी	1. पाण्डिचेरी
33.	दादर और नागर हवेली	1. सिलवासा

अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की दिल्ली नगर निगम में प्रतिनियुक्ति

4164. **श्री राम समुझावन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली नगर निगम में प्रतिनियुक्त पर आये भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय राजस्व सेवाओं जैसी विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के वर्तमान पदनाम और उनके द्वारा लिए जाने वाला वेतन (प्रति नियुक्ति अथवा विशेष वेतन सहित) और अन्य भत्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) शुरू में उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि कितनी थी और किन-किन मामलों में एक, दो और तीन बार वृद्धि की गई है और इसके क्या कारण थे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1093/85]

(ख) दिल्ली नगर निगम के भर्ती कि नियमनों में भिन्न-भिन्न पदों के बारे में 3 वर्ष से 5 वर्षों तक अलग-अलग अवधियों की व्यवस्था है जैसा कि संलग्न विवरण में दिखाया गया है। किसी मामले में निर्धारित अवधि के बाद कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया है।

विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पैकेज-टूर

4165. **श्री एन० डेनिस :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के प्रयास के रूप में इण्डियन टूर आपरेटर्स एसोसियशन द्वारा 'ट्रैवल मार्ट' की स्थापना करके एक नए प्रकार के पैकेज टूर शुरू करने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख). 'ट्रैवल मार्ट' एक ऐसा फोरम है जहां यात्रा व्यापार के क्रेता और विक्रेता/संभरक एक साथ मिलकर यात्रा-पेकेज व्यापार संबंधी बातचीत करते हैं। भारतीय यात्रा प्रचालकों के संघ ने, पर्यटन विभाग की मदद से, नई दिल्ली में, अप्रैल 1985 के पहले सप्ताह में आयोजित किए गए ऐसे ही एक ट्रैवल मार्ट में 40 से अधिक यात्रा-परिचालकों होल-सेलर्ज को आमन्त्रित किया था। इस फोरम में की गई व्यावसायिक बातचीत से भारत अभिमुखी पर्यटक यातायात के अपेक्षाकृत अधिक संख्या में बढ़ने की संभावना है।

समुद्र में खनन के लिए पंजीकरण

4166. **श्री बृज मोहन महन्ती :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने समुद्र में खनन के लिए पंजीकरण करने हेतु एक प्रमुख पूंजी निवेशक के रूप में आवेदन किया है और सागर कानून आयोग से मंजूरी मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में खनन के सभी पहलुओं सहित पूरा ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हाँ, श्रीमान। भारत ने एक प्रमुख पूंजी निवेशक के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण और समुद्र न्यायाधिकरण के कानून के प्रारंभिक आयोग को केन्द्रीय हिन्द महासागर में एक खान स्थल के पंजीकरण के लिए आवेदन किया है। प्रारंभिक आयोग के निर्णय की प्रतीक्षा है।

(ख) हिन्द महासागर में लगभग 4 मिलियन वर्ग किलोमीटर के सर्वेक्षण के पश्चात् दो खनन स्थलों, जिनमें से प्रत्येक स्थल 1,50,000 वर्ग किलोमीटर का है, को अभिज्ञात कर लिया गया है। ये स्थल उन मानकों के पूर्णतया अनुकूल हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय रूप से निर्धारित किये गए हैं, जैसे पिंडों की प्रति वर्ग मीटर सघनता तथा पिंडों की तांबा, निकल, कोबाल्ट धारिता। खनन स्थलों पर अनुसंधान एवं विकास कार्य सुचारू रूप से चल रहा है।

हाथी दांत निकालने के लिए हाथियों को मारना

4167. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथी दांत निकालने के लिए हाथियों को मारा जाता है;

(ख) बड़े पैमाने पर हाथियों की हत्या को रोकने और उनको सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) वर्ष 1983-84 और 1984-85 में कितने हाथियों को मारा गया और कितने रुपये मूल्य के हाथी दांत का नुकसान हुआ ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) और (ख). हाथी दांत के लिए जंगली हाथियों के अनधिकार शिकार के छुटपुट मामले समय-समय पर हुए हैं। जंगली हाथियों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम सलंग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

1. हाथी को वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 में शामिल करके पूर्ण कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है।

2. हाथी को वन्य जीव-जन्तु और वनस्पति को खतरे में पड़ी हुई किस्मों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बन्धित समझौते के परिशिष्ट 1 में भी शामिल किया गया है, जिसके तहत इसके प्रजातियों या इसके उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को पूर्णतः विनियमित किया गया है।

3. हाथियों के वासस्थलों को देश में प्रजातियों के समूचे वितरण रेंज के अनेक राष्ट्रीय उद्यानों और आश्रयस्थलों के रूप में संरक्षण प्रदान किया जा रहा है।

4. स्तर और पारिस्थितिकीय अध्ययन किए जा रहे हैं जो प्रजातियों की दीर्घकालीन संरक्षण नीति के लिए आधार का काम करेंगे।

5. हाथियों के अवस्थित और खंडित वास-स्थलों के बीच बिना बाधा के विचरण के लिए गलियारों को स्थापना का सुझाव सम्बन्धित राज्यों को दिया गया है।

6. सम्बन्धित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर सलाह दी जाती है कि वे अपने संरक्षण और प्रभावी प्रयासों को सुदृढ़ करके अनधिकार शिकार के नियंत्रण के लिए प्रभावी

कदम उठायें। इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता भी दी जा रही है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा स्थायी निवास (होम टाउन) रियायत सुविधा प्राप्त करने के लिए 400 किलोमीटर तक के किराये की अदायगी

4168. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को स्थायी निवास (होम टाउन) रियायत सुविधा प्राप्त करने के लिए प्रथम 400 किलोमीटर तक के गाड़ी के किराए की अदायगी करनी होती है :

(ख) यदि हाँ, तो इसका औचित्य क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस शर्त को समाप्त करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख). छुट्टी यात्रा रियायत योजना मूलत: वर्ष 1956 में ऐसे सरकारी कर्मचारियों को यात्रा प्रसुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई थी जिनके मूल निवास स्थान उसकी तैनाती के स्थान से बहुत दूर स्थित है। अत: यह आवश्यक समझा गया था कि यह रियायत केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाए जो अपनी तैनाती के स्थानों से 250 मील (अब 400 किलोमीटर) (समूह 'घ' कर्मचारियों के मामले में 160 किलोमीटर) से अधिक की दूरी से आते हैं। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि जिन व्यक्तियों के मूल निवास स्थान 250 मील (400 किलोमीटर) के भीतर तथा जिन्हें कोई यात्रा रियायत नहीं दी जाती उनके सम्बन्ध में कोई भेद-भाव न हो, यह व्यवस्था की गई थी कि जिन व्यक्तियों के निवास स्थान उनके मुख्यालय से 400 किलोमीटर से (समूह 'घ' कर्मचारियों के मामले में 160 किलोमीटर) दूर थे, वे कर्मचारी पहले 400 किलोमीटर (समूह 'घ' कर्मचारियों के मामले में 160 किलोमीटर) का किराया स्वयं वहन करेंगे।

(ग) तथा (घ). इस सम्बन्ध में एक सुझाव प्राप्त हुआ है किन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

ब्रिटिश प्रधान मंत्री की भारत यात्रा

4169. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश प्रधान मंत्री की हाल ही की भारत यात्रा के दौरान उग्रवादियों की गतिविधियों के बारे में विचार-विमर्श किया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो वार्ता के क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हाँ।

(ख) ब्रिटेन में आतंकवादी तत्वों की बढ़ती हुई भारत-विरोधी गतिविधियों के सम्बन्ध में भारत की चिन्ता से ब्रिटेन की प्रधान मंत्री श्रीमती मार्ग्रेट थैचर को अवगत करा दिया गया था। उन्होंने भारत की चिन्ता पर अपनी सहमति व्यक्त की थी और यह कहा था कि ब्रिटेन आतंकवादी तत्वों की गतिविधियों को अनुमति नहीं देगा। उन्होंने यह भी बताया था कि ब्रिटेन हिंसा या आतंकवाद के किसी भी रूप का विरोध करता है।

पांच सितारा होटलों को तीन सितारा होटलों में बदलना

4170. श्री बेजवाडा पापी रेड्डी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय पर्यटन विकास निगम के पांच सितारा होटलों को तीन सितारा होटलों में बदलने का है; और

(ख) क्या सरकार का विचार आम आदमी के लिए जनता-टाईप आवास बनाने की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में स्वदेशी यात्रियों के लिए बजटीय होटलों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी। पर्यटन विभाग ने राज्य सरकारों को लिखा है कि वे पर्यटक अभिरुचि के प्रमुख केन्द्रों पर ऐसे होटलों के निर्माण के प्रस्ताव तैयार करें। इन प्रस्तावों को राज्य सरकारों से परामर्श करते हुए अंतिम रूप दिया जाएगा।

आन्ध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में विमान सेवाएं

4171. श्री बी० बी० रमैया : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में पर्यटकों की रुची के स्थानों के लिए विमान सेवाएं शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

व्यावसायिक कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में समानता

4172. श्री पी० पेंचालैया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार वैज्ञानिक कर्मचारियों की तरह चिकित्सीय, इंजीनियरिंग आदि जैसे सभी व्यावसायिक कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में सेवा निवृत्ति की आयु समान बनाने का है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। फिर भी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में चतुर्थ वेतन आयोग विचार कर रहा है जो कि सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु के मामले पर भी गौर करेगा भले ही वे किसी भी प्रवर्ग अथवा सेवा से सम्बन्धित हों।

केरल में शान्त घाटी को सुरक्षित रखने के बारे में पारिस्थितिक वैज्ञानिकों की सिफारिशें

4173. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

सरकार ने केरल स्थित विश्व विख्यात उष्ण कटिबन्धीय वन शान्त घाटी जहां दुर्लभ किस्म के जानवरों और पक्षियों के रूप में एक अमूल्य सम्पदा है को यथावत सुरक्षित रखने के बारे में पारिस्थितिक वैज्ञानिकों, पक्षी वैज्ञानियों और प्रकृति प्रेमियों की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उनके विचारों से सहमत हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : केरल राज्य सरकार ने 23 नवम्बर, 1984 को वन्यप्राणि (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत् शान्त घाटी आरक्षण वन क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित किया है।

फ्रांस से एयरबस/एयरक्राफ्ट की खरीद

4174. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस से एयरबस/एयरक्राफ्ट खरीदने का कोई प्रस्ताव/समझौता सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव/समझौते का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख). एयर इंडिया ने फ्रांस की मैसर्स एयरबस इन्डस्ट्रीज से 541.90 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत पर 6 एयरबस ए 310-300 विमान खरीदने के लिए जिनकी सुपुर्दगी क्रमिक रूप से अप्रैल, 1986 से दिसम्बर, 1986 तक की जानी है, 8 अप्रैल, 1985 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एयरबस इन्डस्ट्रीज ने वर्ष 1988-89 में सुपुर्दगी किये जाने के लिए ए-320 विमान बेचने तथा मध्यवर्ती अवधि में कुछ विमान पट्टे पर देने का प्रस्ताव भी किया है।

[हिन्दी]

बांसवाड़ा, राजस्थान के लिये नियमित विमान सेवा

4175. **श्री प्रभु लाल रावत** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में बांसवाड़ा को नियमित विमान सेवा से जोड़ने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक जोड़ दिया जायेगा;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या बांसवाड़ा में एक कच्ची हवाई पट्टी है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसे पक्की हवाई पट्टी में बदलने का है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं है।

(ग) बांसवाड़ा उन स्टेशनों की सूची में सम्मिलित नहीं है जिन्हें वायुदूत की वर्तमान योजनाओं में विमान सेवा से जोड़े जाने के लिए चुना गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में कैन्टीन चलाना

4177. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कितने कार्यालय और सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रम अपने कर्मचारियों के लिए कैन्टीन चला रहे हैं;

(ख) क्या ऐसी सभी कैन्टीनें, कैंटीन निदेशक के पास विधिवत पंजीकृत हैं;

(ग) क्या ये कैंटीन कर्मचारियों आदि की सुविधाओं, कोष सम्बन्धी नियमों, भर्ती तथा सेवा सम्बन्धी शर्तों के बारे में उच्चतम न्यायालय के 26 सितम्बर, 1983 के आदेशों का पालन कर रहे हैं; और

(घ) उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुपालन की देखरेख और संवीक्षा कौन सी एजेंसी करेगी ?

कार्मिक और प्रशिक्षण प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख). कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग केवल सरकारी कार्यालयों विभागीय कैन्टीनें चलाने से संबंधित है। कैन्टीन निदेशक के पास आज तक केवल 902 (सरकारी उद्यमों की कैन्टीनों को छोड़कर) गैर-सांविधिक विभागीय/सहकारी कैन्टीनें/टिफिन रूम पंजीकृत हैं।

(ग) उच्चतम न्यायालय के दिनांक 26.9.83 के अंतरिम आदेशों के अनुपालन के लिए दिनांक 3.11.1983 को उपयुक्त अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। कैन्टीन कर्मचारियों की भर्ती/सेवा शर्तों को सा० का० नि०-54 में प्रकाशित किया गया है। कैंटीनों के मामले में ट्रेजरी नियम फिलहाल लागू नहीं होते।

(घ) स्थानीय स्तर पर प्रत्येक मंत्रालय/विभाग तथा केन्द्रीय स्तर पर कैन्टीन निदेशक।

नई दिल्ली के पार्सल कार्यालय में निषिद्ध माल की प्राप्ति

4178. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस मुख्यालय दिल्ली और गृह मंत्रालय को, पार्सल कलर्कों और उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन, नई दिल्ली के सदस्यों से फरवरी और मार्च, 1985 में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें जून, 1984 में असम मेल से पार्सल कार्यालय, नई दिल्ली में निषिद्ध माल प्राप्त होने की बात कही गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और यह मामला कब तक ठीक कर लिए जाने

की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां श्रीमान।

(ख) और (ग). नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पार्सल क्लर्क श्री कुलभूषण कुमार जो उत्तरी रेलवे मजदूर संघ का सचिव है, ने कुछ इश्तिहार जारी किये थे, जिनमें उस कार्यालय के कर्मचारियों की मिलीभगत से रेलवे पार्सल कार्यालय के माध्यम से लाखों रुपए की चीन निर्मित टार्चों की तस्करी का आरोप था। सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा तस्करी के आरोपों की जांच की गयी और पुलिस प्राधिकारियों द्वारा कोई कारंवाई करना अपेक्षित नहीं है।

पेंशन अधिनियम 1871 का प्रतिस्थापन

4179. **श्री एन० वी० रत्नम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के सेवा निवृत्त कर्मचारियों की पेंशन के बारे में कौन-सा अधिनियम लागू होता है;

(ख) क्या सरकार का विचार पेंशन अधिनियम, 1871 के स्थान पर नया अधिनियम लाने का है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसरण में उदार पेंशन योजना उन कर्मचारियों पर भी लागू होगी जो 1 अप्रैल, 1979 से पहले सेवानिवृत्त हो गये थे; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इसमें आई विसंगतियां दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) पेंशन अधिनियम, 1871।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह अधिनियम पेंशन भोगियों के हित पर किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता, बल्कि यह एक संरक्षण नियम है। उदाहरण के लिए, इस अधिनियम की धारा 11 पेंशनरों को कुर्की के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करती है तथा इसी की धारा 12 के अधीन भावी पेंशन में किसी भी प्रकार का अभ्यर्पण अमान्य होता है। प्रशासनिक ढांचे, कर्मचारियों की नियुक्ति की स्थिति तथा उनके वेतन के ढांचे में परिवर्तन किए जाने से अधिनियम के उपबन्ध अप्रचलित अथवा पुराने नहीं गए हैं।

पेंशन अधिनियम, 1871 पेंशन की मात्रा, पेंशनभोगियों को राहत की मंजूरी तथा पेंशन मंजूर करने की क्रियाविधि जैसे विषयों को विनियमित नहीं करता। ये विषय केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 तथा इस संबंध में समय पर जारी किए जाने वाले विभिन्न कार्यकारी अनुदेशों द्वारा विनियमित किए जाते हैं। पेंशन नियमों को किसी भी दृष्टि से उदार बनाए जाने के लक्ष्य की पूर्ति केवल पेंशन अधिनियम, 1871 को समाप्त करके नहीं बल्कि इसके लिए नियमों में संशोधन या कार्यकारी अनुदेश जारी करके की जा सकती है।

यद्यपि पेंशन अधिनियम 100 वर्ष से भी अधिक पुराना है फिर भी इसे समाप्त करने या इसके स्थान पर कोई विधि बनाने की आवश्यकता अनुभव नहीं की गई क्योंकि यह अपने उद्देश्यों की पूर्ति

कर रहा है तथा इसके कारण इसे किसी भी प्रकार से उदार बनाने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती।

संयोग से इस अधिनियम के कतिपय उपबन्धों को 1982 में संशोधित किया गया था ताकि किसी पेंशनभोगी की जीवन-पर्यन्त पेंशन की ऐसी बकाया की अदायगी, जिसका भुगतान उसकी मृत्यु के समय तक न किया जा सका हो, नामांकन के माध्यम से सुविधापूर्ण हो सके। नामांकित व्यक्तियों को पेंशनभोगियों की पेंशन का जीवन-पर्यन्त बकाया भुगतान करने के प्रयोजन से नामांकन करने से संबंधित नियम भी जारी कर दिए गए हैं तथा इन्हें संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रख दिया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

इंदिरा गांधी-भंडारनायके समझौता, 1974

4180. **श्री आर० अन्नानाम्बी,** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदिरा गांधी-भंडारनायके समझौता, 1974 की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि भारत के तीर्थयात्री और मछुआरे कच्चाटिवू की यात्रा करने के हकदार हैं और इस प्रयोजन के लिए वीसा की आवश्यकता नहीं है; और

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि श्रीलंका सरकार ने 1974 के समझौते का उल्लंघन किया है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) 1974 में इंदिरा गांधी और भंडारनायके के बीच जो समझौता हुआ था उसका ताल्लुक 1,50,000 ऐसे व्यक्तियों से था जो इससे पहले 1964 में सम्पन्न करार के अंतर्गत नहीं आते थे। इस करार के अनुसार इन डेढ़ लाख व्यक्तियों में 50 प्रतिशत व्यक्तियों को श्रीलंका सरकार द्वारा नागरिकता प्रदान की जानी थी तथा बाकी 50 प्रतिशत को देश प्रत्यावर्तियों के रूप में स्वीकार करके भारत सरकार द्वारा नागरिकता प्रदान की जानी थी।

(ख) जी, हां

(ग) श्रीलंका की सरकार ने कई मौकों पर यह आश्वासन दिया था कि जिन 93,000 राज्य-विहीन व्यक्तियों ने 30 अक्तूबर 1981 से पहले भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन नहीं दिया था। उन्हें शीघ्र श्रीलंका की नागरिकता प्रदान कर दी जायगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषण

4181. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में प्रदूषण गांवों में भी फैल गया है;

(ख) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा सृजनता और पर्यावरण पर आयोजित साहित्यकारों की एक विचारगोष्ठी में प्रदूषकों की संख्या में वृद्धि के विरुद्ध चेतावनी दी गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रदूषण रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) प्रदूषण की मात्रा पर विशेषकर देहातों में कोई प्रलेखित वैज्ञानिक साक्ष्य सुलभ नहीं हैं।

(ख) तथा (ग). साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी में, श्री ओ० एन० वी० कुरूप ने "ए वर्क आफ आर्ट ऐज ए प्रोजक्ट आफ दि क्रीएटिव इमेजिनेशन एण्ड इट्स मीली" नामक शीर्षक से एक निबन्ध प्रस्तुत किया गया था।

(घ) ऊपर (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में उगाडी-तेलुगु नव वर्ष दिवस को सार्वजनिक छुट्टी घोषित करना

4182. **श्री एस० एम० भट्टम** :

श्री अजित कुमार साहा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिये उगाडी-तेलुगु नव वर्ष दिवस को सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने का है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कुछ अन्य राज्यों के नव वर्ष दिवस को सार्वजनिक छुट्टी घोषित की गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश में तेलुगु लोगों के संबंध में ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) तथा (ख). छुट्टी नीति के वर्तमान ढांचे के भीतर और एक वर्ष में घोषित की जा सकने वाली छुट्टियों की सीमित संख्या को देखते हुए इस विषय पर अनुबन्ध [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एस० टी० 1094-85**] में निर्दिष्ट नीति-अनुदेशों में आने वाले अवसरों से इतर अवसर पर सार्वजनिक छुट्टी घोषित किए जाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है।

(ग) तथा (घ). देश के विभिन्न भागों में स्थित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण समन्वय समितियों को, 12 अवसरों की निर्धारित सूची में से 3 छुट्टियां चुनने का विकल्प दिया गया है और किन अवसरों का चुनाव किया जाए-यह निर्णय करना उनका काम है। जहां तक इस विभाग का संबंध है इसने नव वर्ष दिवस पर किसी सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा नहीं की है।

सरकारी कर्मचारियों का राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना

4183. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार प्रदान कर दिया है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : जी, नहीं।

बिजली के संकट से निबटने हेतु गैर-परंपरागत ऊर्जा के स्रोत

4184. **श्री टी० बाला गौड़** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली के संकट से निवटने हेतु सरकार ने, अब तक किन विभिन्न गैर-परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग किया है ; और

(ख) सिंचाई तथा अन्य प्रयोजनों के लिये पानी के पम्पों को चलाने में गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सरकार द्वारा अपनाए गए कार्यक्रमों में-सौर ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, वायु ऊर्जा, लघु जल विद्युत और भू-तापीय ऊर्जा सम्मिलित हैं। इनके अतिरिक्त, ऊर्जा के हाइड्रोजन और रासायनिक स्रोतों से संबंधित अनुसंधान और विकास परियोजनाएं समुद्री ऊर्जा और चुम्बक मापी द्रवगतिकी विद्युत उत्पादन जैसे कार्यक्रमों का भी कार्यान्वियन किया जा रहा है।

(ख) देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित निम्नलिखित जल उठाने की युक्तियों का विकास किया गया है: जल पम्पन पवन चक्कियां, सौर जल पम्पन प्रणालियां, बायोगैस इंजिन और जल योजना प्रदर्शन कार्यक्रम के रूप में, इन प्रणालियों में से कुछ प्रणालियों की स्थापना देश के विभिन्न भागों में की जा रही है। व्यक्तिगत लाभार्थियों को, प्रायोगिक आधार पर, आर्थिक सहायता दर पर पवन चक्कियां और सौर प्रकाशवोल्टीय पम्प भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस प्रकार की युक्तियों की वृद्धि कई राज्य सरकारें भी कर रही हैं।

राज्य इलेक्ट्रॉनिक निगमों को जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंस

4185. **श्री महावीर प्रसाद यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्य इलेक्ट्रॉनिक निगमों को कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये हैं तथा औद्योगिक लाइसेंसों के अंतर्गत प्रत्येक उत्पाद के लिये स्वीकृत किया गया चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रम क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : विभिन्न राज्यों को जारी किए गए आशय-पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। जहां तक चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम का संबंध है, सभी राज्य स्तरीय इलेक्ट्रॉनिकी निगमों के स्थापना काल से लेकर उनके अब तक के उत्पादों के ब्यौरे एकत्रित करने और उनके संकलन करने का कार्य काफी कष्टसाध्य है। किन्तु, यदि किसी विशिष्ट उत्पाद/कम्पनी से संबंधित जानकारी चाहिए तो वह उपलब्ध कराई जा सकेगी।

विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों/आशय-पत्रों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	16
2.	बिहार	10
3.	गोआ दमण और द्वीव	2
4.	गुजरात	20

1	2	3
5.	हरियाणा	4
6.	हिमाचल प्रदेश	5
7.	जम्मू तथा कश्मीर	8
8.	कर्नाटक	20
9.	केरल	48
10.	महाराष्ट्र	21
11.	उड़ीसा	21
12.	पंजाब	41
13.	राजस्थान	13
14.	तमिलनाडु	15
15.	उत्तर प्रदेश	29
16.	पश्चिम बंगाल	22

जल प्रदूषण को समाप्त करने हेतु परिष्करण संयंत्र

4186. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मात्रा की दृष्टि से 75 प्रतिशत से अधिक जल प्रदूषण घर से निकलने वाले कचड़ों से होता है;

(ख) क्या ऐसे प्रदूषण को कम करने हेतु परिष्करण संयंत्र लगाने के लिये नगरपालिकाओं को कम ब्याज पर ऋण देने के लिये एक विशेष एजेन्सी स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है, और

(ग) क्या ऐसी कोई एजेंन्सी स्थापित की गई है, और यदि हां, तो उसके लिये सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

जेलों में विचाराधीन महिलाएं और बच्चे

4187. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 से 1984-85 की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों (राज्यवार) की जेलों में बंदी विचाराधीन महिलाओं और बच्चों की संख्या कितनी रही ; और

(ख) उनमें से उन महिलाओं और बच्चों की संख्या कितनी है जिनके हितों की देखभाल करने के लिए उनके परिवारों में कोई नहीं है और क्या सरकार ने उनको कानूनी सहायता उपलब्ध कराने

के लिए कोई प्रबन्ध किये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख). 'जेलें' राज्य का विषय होने के कारण विभिन्न राज्यों की जेलों में विचारणाधीन महिलाओं और बच्चों तथा उन व्यक्तियों के बारे में जिनके परिवारों में उनके हितों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, आंकड़े अखिल भारतीय आधार पर संकलित नहीं किए जाते हैं।

2. न्यायालय अथवा विवादाभिमुख मामलों में कानूनी सहायता देने के लिये राज्यों में शीर्ष निकायों के रूप में राज्य कानूनी सहायता और सलाह बोर्ड गठित किये गये हैं इन बोर्डों ने जिला और उच्च न्यायालय स्तरों पर और कुछ मामलों में तालुक स्तर पर भी कानूनी सहायता समितियां स्थापित की हैं। तीन राज्यों अर्थात बिहार, कर्नाटक और मध्य प्रदेश ने "गरीबों को कानूनी सहायता" के संबंध में एक विधान भी बनाया है।

3. जैसा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 304 के अधीन अपेक्षित है कि जहां अभियुक्त किसी वकील को प्रस्तुत नहीं करता अथवा उसके पास कोई वकील करने के लिये पर्याप्त साधन नहीं हैं वहां सत्र न्यायालय और मजिस्ट्रेटों के समक्ष मुकदमें में कानूनी सहायता देने के लिये कुछेक राज्य सरकारों ने पहले ही नियम बना दिये हैं।

4. कुछ राज्यों, विशेषतः महाराष्ट्र और तमिलनाडु और संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में कानूनी सहायता वकील कैदियों से साक्षात्कार करने और उनको कानूनी सहायता की आवश्यकता का पता लगाने के लिये जेलों के दौरे भी कर रहे हैं।

"दिल्ली में 500 झुग्गियां स्वाहा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

4188. **श्री बलराम सिंह यादव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 मार्च, 1985 के "जनसत्ता" में "दिल्ली में 500 झुग्गियां स्वाहा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो आग लगने की इस दुर्घटना में कितने व्यक्ति मारे गए तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) आग लगने की इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने का पता लगते ही फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तथा लोगों की सहायता से झुग्गियों के निवासियों को उनके अधिकांश सामान के साथ निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। आग बुझाने के लिए 18 अग्नि शमन टेंडरों को लगाया गया। प्रधान मंत्री राहत निधि से प्रति प्रभावित परिवार 200 रु० की राशि वितरित की गई।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की स्थापना

4189. **श्री बाबा साहिब विखे पाटिल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हमारे देश में महानगरों तथा उनके आस पास ही केन्द्रित होते जा रहे हैं;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप सभी आर्थिक रियायतों के लाभ शहरी जनसंख्या को ही प्राप्त होते हैं;

(ग) क्या इन उद्योगों का ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए कोई विधान बनाया जायेगा; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार का क्या मत है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हाँ; कुछ महानगरों के आसपास के इलाकों में इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग का कुछ हद तक जमघट हो गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) पिछड़े जिलों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों के लिए अनेक रियायतें तथा सुविधाएं दी गई हैं; सरकार ने ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले कुछ एककों के बारे में भी निर्णय लिया है।

(घ) सरकार इस बात के लिए उत्सुक है कि इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग का विकास द्रुतगति से हो और यह पिछड़े एवं पर्वतीय क्षेत्रों में भी पहुंचे, जिसके लिए वित्तीय तथा अन्य रियायतें दी गई हैं।

[हिन्दी]

वर्ष 1984 के दौरान हिन्दी परामर्शदात्री समिति की बैठकें

4190. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 के दौरान उनके मन्त्रालय की हिन्दी परामर्शदात्री समिति की कितनी बैठकें हुई हैं;

(ख) इन बैठकों में कितने प्रस्ताव पारित किए गए; और

(ग) इन प्रस्तावों के कार्यान्वियन के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) इस मन्त्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति के स्थान पर केन्द्रीय हिन्दी समिति की एक उपसमिति काम करती है। वर्ष 1984 के दौरान इस समिति की एक बैठक हुई थी।

(ख) और (ग). इस समिति का स्वरूप परामर्शदायी है और अपनी बैठकों में यह भारत सरकार के राजभाषा अधिनियम और नियमों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सुझाव देती है और इस संबंध में मन्त्रालय में हुई प्रगति की समीक्षा करती है। इसमें संकल्प पारित करने का प्रश्न तो नहीं उठता लेकिन समिति ने विभिन्न सिफारिशें की हैं जिन पर मन्त्रालय अमल करने की पूरी कोशिश करता है।

[अनुवाद]

गैर पारम्परिक ऊर्जा उपकरणों की उपयोगिता

4191. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौर चूल्हे, बायो-गैस, मिलों से निकलने वाली लकड़ी के बुरादे के स्टोवों और धुआं विहीन चूल्हों जैसे गैर-पारंपरिक ऊर्जा उपकरणों से दुर्लभ और महंगे स्रोतों की बचत होती है

और उनसे अनेक बीमारियाँ भी दूर रहती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वैज्ञानिकों द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अनुसन्धान किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग). जी हां। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास और उपयोग के लिये एक देशव्यापी अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में सौर ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, पवन ऊर्जा, लघु पन बिजली, भू-तापीय ऊर्जा, समुद्र ऊर्जा और ऊर्जा के रासायनिक स्रोत आते हैं। इन स्रोतों पर आधारित प्रणालियाँ सामान्यतया प्रदूषण रहित होती हैं तथा पारम्परिक ईंधन की पर्याप्त मात्रा को बचाती हैं। देश में किए गए प्रयत्नों के परिणामस्वरूप ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित कई युक्तियां और प्रणालियां विकसित की गई हैं तथा क्षेत्रीय अनुप्रयोगों के स्तर तक पहुंच गई है। इनमें शामिल हैं सौर जल तापन प्रणालियां, सौर शुष्कक, सौर कुकर, उन्नत काष्ठ स्टोव, परिवार और समुदाय प्रकार के बायोगैस संयंत्र, सौर प्रकाशवोल्टीय जल पंपन प्रणालियां, समुदायिक और गली रोशनी एकक, समुदायिक रेडियो और टी० वी० सेट, जल पंपन पवन चक्कियां, पवन चालित बैटरी चार्जर्स आदि। इनमें से कई युक्तियों का कार्यक्रमों द्वारा अब देश-भर में प्रचार किया जा रहा है जिसमें शामिल हैं वित्तीय प्रोत्साहन और उनके उपयोग में वृद्धि। कई निर्माणकर्ता एकक भी उपलब्ध हो गए हैं जो इन युक्तियों का औद्योगिक रूप से निर्माण करते हैं।

पर्यटन केन्द्रों को जाने वाली सड़कों का निर्माण और वर्तमान सड़कों में सुधार

4192. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटन केन्द्रों को जाने वाली सड़कों के निर्माण करने और वर्तमान सड़कों में सुधार करने के लिए एक विशेष सड़क निधि बनाने का है;

(ख) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में ऐसी कोई नई सड़क निधि बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए इस सड़क निधि के अन्तर्गत कितनी धन-राशि आबंटित की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

इंगलैंड में विदेशी डाक्टरों और दंत चिकित्सकों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध

4193. **श्री राम रतन राम** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 मार्च, 1985 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि ब्रिटिश सरकार ने विदेशी डाक्टरों और चिकित्सकों के इंगलैंड में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इंगलैंड में जाने के इच्छुक अधिकांश भारतीय डाक्टरों पर इसका प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) क्या भारत सरकार ने इस प्रतिबन्ध को हटाने के लिए ब्रिटिश सरकार से अनुरोध किया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां,।

(ख) ब्रिटिश प्राधिकारियों ने 1 अप्रैल 1985 से ब्रिटिश आप्रवासन नियमों में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं :

सामान्य बाजार से बाहर के चिकित्सकों और दन्त चिकित्सकों को ब्रिटेन में बिना कार्य परमिट के या अपनी प्रैक्टिस में निवेश करने के लिए 150,000 पौंड या इस बात का प्रमाण दिए बिना कि उनकी सेवाओं की आवश्यकता है, प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(ग) जो चिकित्सक या दन्त चिकित्सक ब्रिटिश मेडिकल कालेज में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण ले रहे हैं उन्हें बिना कार्य परमिट के 4 वर्ष के लिए ब्रिटेन में अध्ययन करने की अनुमति दी जाएगी और जब तक कि गृहकार्यालय द्वारा उनकी अवधि न बढ़ाई जाए उन्हें 4 वर्ष के बाद ब्रिटेन छोड़कर जाना होगा।

यह प्रतिबन्ध सभी गैर ई०ई०सी० देशों के चिकित्सकों और दन्त चिकित्सकों पर लागू है।

(ग) जी, नहीं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के लिए महाराष्ट्र राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों का चयन

4194. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा पदोन्नति के लिए चयन सूची में शामिल करने हेतु महाराष्ट्र राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों के चयन में महाराष्ट्र संवर्ग के सम्बन्धित सदस्यों की वरिष्ठता को नजरांदाज करके भेदभाव किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र संवर्ग के अधिकारियों को न्याय देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) इस मन्त्रालय को भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के लिए दिसम्बर, 1984 में तैयार की गई महाराष्ट्र राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की चयन सूची के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। सरकार ने उक्त मामले पर सावधानीपूर्वक विचार किया है तथा यह पाया गया है कि चयन सूची सभी पात्र 49 अधिकारियों के रिकार्डों की जांच करने के पश्चात भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के उपबन्धों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए तैयार की गई है।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में पर्यटक केन्द्र

4195. **श्री कम्मोदी लाल जाटव** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित पर्यटक केन्द्रों के नाम क्या हैं ; और

(ख) क्या सियोनिया गांव के पुराने मंदिर (काकन मंदिर) को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का विचार है और यदि हां, तो उसे कब तक विकसित कर दिये जाने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) इस जिले में काकन मठ मंदिर रामेश्वर, गोविन्द तालाब, नालकेश्वर महादेव, पागारा डैम और राह्र के गांव जैसे पुरातत्वीय और प्राकृतिक महत्व के स्थान हैं।

(ख) सियोनिया गांव में काकनमठ मंदिर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा परिरक्षण किया जाता है। फिलहाल, इस मंदिर का पर्यटक अभिरुचि के स्थान के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

केरल में प्रति व्यक्ति आमदनी

4196. **श्री के० मोहनदास** :

प्रो० पी० जे० कुरियन :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में केरल की प्रति व्यक्ति आमदनी में कोई वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो पांचवीं योजना की तुलना में छठी योजना के दौरान कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या केरल की प्रति व्यक्ति आमदनी राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आमदनी से कम है ; और

(घ) यदि हां, तो केरल की प्रति व्यक्ति आमदनी को राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आमदनी के स्तर तक बढ़ाने के लिए क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख). जी, हां। राज्य सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा तैयार किए गएअनुमानों के अनुसार, केरल के प्रति व्यक्ति निवल घरेलू उत्पादन में 1970-71 की कीमतों पर 1983-84 में समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि में वृद्धि हुई है। पाचवीं योजना की 1974-79 की अवधि में लगभग नगण्य वृद्धि के मुकाबले छठी योजना के पहले चार वर्षों अर्थात 1980-84 में वृद्धि 13.8 प्रतिशत बैठती है।

(ग) राज्य के सांख्यिकी ब्यूरो के अनुमान के अनुसार, केरल का वर्ष 1983-84 के लिए 1970-71 की कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल घरेलू उत्पादन, केन्द्रीय सांख्यिकी

संगठन द्वारा देश के लिए तैयार किए गए 749 रु० के प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पादन के अनुमान के मुकाबले 750 रु० था।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

ब्रो आंटलर्ड हिरनों की रक्षा और संरक्षण

4197. **प्रो० कामसन मिजिनलंग** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोबुल लाम्जाओ नेशनल पार्क में ब्रो आंटलर्ड हिरनों की संख्या कम होती जा रही है;

(ख) इस पार्क का कुल क्षेत्रफल कितना है;

(ग) इस पार्क के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए क्या कारंवाई की गई है; और

(घ) ब्रो आंटलर्ड हिरन जोकि भूमि पर अपनी किस्म की अकेली जीवित नस्ल है की रक्षा और संरक्षण के लिए कोई विशेष योजना है ?

पर्यावरण और बन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, नहीं।

(ख) कोबुल लाम्जाओ नेशनल पार्क का कुल क्षेत्र 40 वर्ग किलोमीटर है।

(ग) मणिपुर राज्य सरकार पार्क की परिधि के एक हिस्से के आस-पास मिट्टी का गोला बांध बनाकर उसमें बाड़ लगा रही है और इस काम का कुछ हिस्सा पूरा भी हो चुका है।

(घ) मणिपुर ब्रो आंटलर्ड हिरन की रक्षा और संरक्षण के लिए किए गए उपाए नीचे दिए गए हैं :

1. इस प्रजाति को वन्यप्राणि (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है, जो शिकार से और व्यापार या वाणिज्य से पूर्ण कानूनी संरक्षण प्रदान करता है।

2. यह वन्य जीव-जन्तु और वनस्पति को खतरे में पड़ी हुई किस्मों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बन्धित समझौते के परिशिष्ट 1 में शामिल है, जिसके, तहत इसकी प्रजातियों का इसके उत्पादों को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पूर्णत: गैर-कानूनी है।

3. कोबुल लाम्जाओ राष्ट्रीय पार्क के संरक्षण और प्रबन्ध के विशिष्ट उपाए और अनुसन्धान कार्यक्रम की सिफारिशें मई, 1982 में प्रतिनियुक्त एक विशेष दल ने की थीं। राज्य सरकार सुझाए गए उपायों को अमल में ला रही है।

4. केन्द्रीय सरकार 1974-75 से राष्ट्रीय पार्क के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। अब तक उपस्कर और वाहनों की खरीद सहित वास-स्थल सुधार, संरक्षण-और निर्माण कार्यों के लिए करीब 24.00 लाख रुपए की रकम उपलब्ध कराई गई है।

5. बन्दी अवस्था में प्रजनन दिल्ली, कलकत्ता, इम्फाल और हैदराबाद के चिड़ियाघर में किया जा रहा है। इन चिड़ियाघरों के बीच पशुओं के नियमित आदान-प्रदान से बन्दी अवस्था में इन प्रजातियों की जनन क्षमता को बनाए रखा जा रहा है।

विशिष्ट क्षेत्रों में व्यावसायिक किस्म के क्रियाकलापों की देखरेख

4198. **श्री गोपाल कृष्ण थोटा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सचिवालय और सरकार में व्यावसायिक किस्म के क्रियाकलापों की देखरेख यथा कृषि, स्वास्थ्य दूर संचार, शिक्षा, सांख्यिकी आदि जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के व्यावसायिक अधिकारियों द्वारा की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग

4199. **श्री हरीश रावत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सहित अनेक राज्यों ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण कार्यों के लिए 1983-84 और 1984-85 के दौरान आवंटित की गई समस्त धनराशि का उपयोग नहीं किया है;

(ख) इस प्रकार के राज्यों के क्या नाम हैं और उनमें से प्रत्येक को इन कार्यक्रमों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई, कितनी धनराशि का उपयोग किया; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग). भारत सरकार राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्रों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में धनराशि देती है। वर्ष 1983-84 और 1984-85 में आवंटित की गई समस्त धनराशि का उपयोग किया जा चुका है।

[अनुवाद]

भारत में सट्टा बाजारी

4200. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत में सट्टा बाजारी के बदनाम जाल/घोटाले की गतिविधियों की जानकारी है जिसके द्वारा जनता से प्रतिदिन लाखों रुपए लूटा जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में इस प्रकार के वैध जुए को अभी तक रोकना संभव क्यों नहीं हो पाया है; और

(घ) सट्टे के जुए को रोकने और अथवा सट्टा घोटालों से संबंधित व्यक्तियों को निवारक सजा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ). "सट्टा तथा जुआ खेलना" राज्य विषय है, जैसे कि इसे संविधान में सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में शामिल किया गया है। सार्वजनिक जुआ खेलना तथा जुओं खेलने के अड्डे बनाना एक अपराध है जिस पर विभिन्न राज्यों के सार्वजनिक जुआ अधिनियमों के अन्तर्गत दण्ड दिये जाते हैं। इसलिये जुए की गतिविधियों में ग्रस्त लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करना राज्य सरकारों का कार्य है।

जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उचित कारंवाई के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार को भेज दी जाती है।

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित विशेष कलर्क ग्रेड परीक्षा

4201. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 18 दिसम्बर, 1983 को आयोजित विशेष क्लर्क ग्रेड परीक्षा और टाइप टेस्ट में उत्तीर्ण हुए कुछ उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त परीक्षा के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार को अग्रसारित किए गए कुछ उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी न करने के क्या कारण हैं जबकि वे लिखित परीक्षा और टाइप टेस्ट दोनों में ही उत्तीर्ण हुए थे; और

(ग) इस कार्य में विलम्ब के क्या कारण हैं और उन्हें नियुक्ति पत्र कब तक जारी किए जाने की संभावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) इसका प्रश्न नहीं उठता क्योंकि यह माना गया था कि नियुक्ति के लिए इन्होंने कतिपय शर्तें पूरी नहीं की।

(ग) इस मामले को कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के साथ उठाया गया है।

रवीन्द्र रचनावली का प्रकाशन

4202. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाली में रवीन्द्र रचनावली का कम मूल्य वाला संस्करण प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

पाकिस्तान में अपहरनकर्ताओं पर मुकदमा

4203. **श्री कमल नाथ** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पाकिस्तान में कैद इंडियन एयरलाइंस के विमान अपहरण-कर्त्ताओं पर चलने वाले मुकदमें के सम्बन्ध में कोई गवाह भेजे जाने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख). पाकिस्तान सरकार के अनुरोध पर इंडियन एयर लाइन्स के जिस जहाज को 29 सितम्बर, 1981 को अपहरण करके लाहौर ले जाया गया था, उसके चालक दल के पांच सदस्य 17 अप्रैल, 1985 को पाकिस्तान पहुंच गए ताकि वे लाहौर में इस समय चल रहे विमान अपहरण के मुकदमें में अभियोग पक्ष के गवाह के रूप में उपस्थित हो सकें।

यूकेलिप्टस वृक्षों का रोपण

4204. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 30 मार्च, 1985 के "इकोनामिक टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार को देखा है कि यदि सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत यूकेलिप्टस वृक्ष लगाये जायें, तो भूमि के रेगिस्तान बन जाने का डर रहता है;

(ख) यदि हां, तो उस पर उसकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इस किस्म के पौधों को हटा देने का विचार है और उसके स्थान पर सुबबूल जैसे अन्य वृक्ष बड़े पैमाने पर लगाये जायेंगे ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं कि एकल सस्यन की तुलना में देशी मूल की मिश्रित किस्मों की खेती को तरहजीह दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

हिन्दी पदों के सृजन होने पर संवर्ग नियमों की क्रियान्विति

4205. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा गठित की जा चुकी है और दो उप-निदेशकों को पहले ही पदावनत किया जा चुका है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) संवर्ग नियमों की क्रियान्विति से पूर्व संवर्ग के अनुसार पदों का सृजन न करने के क्या कारण हैं ताकि इस किस्म की पदावनतियां न करनी पड़ें;

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि नियमों और विनियमों के अनुसार अपेक्षित संख्या में हिन्दी के पदों के सृजन के बाद ही संवर्ग नियमों की क्रियान्वित की जाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग). विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उनके सम्बद्ध कार्यालयों में किसी भी सेवा में शामिल हिन्दी पदों को एक संयुक्त केडर के अंतर्गत लाने के उद्देश्य से, मंत्रिमण्डल के अनुमोदन से केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा नाम की सेवा गठित करने का निश्चय किया गया था। तदनुसार भारत के राजपत्र के भाग 2 खण्ड 3 उपखण्ड (1) में सा० का० नि० 696 के अन्तर्गत 24 सितम्बर, 1983 को प्रकाशित केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह 'क' तथा 'ख' पद नियम, 1983 में किए गए प्रावधान के अनुसार सेवा की श्रेणी 1 (निदेशक) और श्रेणी 2 (उप निदेशक) का आरम्भिक गठन पूरा कर लिया गया है और इस सम्बन्ध में आवश्यक अधिसूचना 1 मार्च, 1985 को जारी कर दी गई थी। उपरोक्त सेवा नियमों की अनुसूची 1 में श्रेणी 2 (उप निदेशक) के 25 पद शामिल किए गए हैं। तदनुसार चयन समिति की सिफारिश के अनुसार 25 पात्र विभागीय अभ्यर्थी सेवा में उप निदेशक के रूप में समाहृत कर लिए गए हैं और उन्हें केडर पदों पर नियुक्त किया गया है।

दो व्यक्ति जिन्हें पदावनत किया गया है, तदर्थ आधार पर स्थानापन्न तौर पर कार्य कर रहे थे, यद्यपि नियमों के अनुसार वे सेवा में उप निदेशक के रूप में शामिल किए जाने के पात्र नहीं थे। आरंभिक गठन के पश्चात नियमित रूप से चयन किए गए व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना आवश्यक था और इसलिए जो अधिकारी केवल तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे थे, उन्हें पदावनत करना अनिवार्य हो गया।

[अनुवाद]

नेशनल राइफल एसोसिएशन

4206. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या युवा कार्य और खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में निशानेबाजों का शिखर निकाय नेशनल राइफल एसोसिएशन आफ इण्डिया है;

(ख) क्या यह संगठन अब निष्क्रीय हो गया है; और

(ग) इस संगठन को फिर से चालू करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) शूटिंग के विषय से सम्बन्धित राष्ट्रीय खेल संघ, भारतीय राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन है।

(ख) जी नहीं, परन्तु पदाधिकारियों का चुनाव अविलम्बित है।

(ग) भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन ने सूचित किया है कि भारतीय राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के चुनाव 1-6-1985 को होने निश्चित हुए हैं।

उड़ीसा में 500 किलोवाट वाले पवन फार्म की स्थापना

4207. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग ने उड़ीसा में 500 किलोवाट का एक पवन फार्म लगाने की एक परियोजना को मंजूरी दी है;

(ख) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के लिए इस प्रकार के और अधिक पवन फार्म मंजूर करने का है; और

(ग) वर्ष 1985-86 के दौरान उड़ीसा में पवन फार्म स्थापित करने के सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यक्रम है ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). वर्तमान, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उड़ीसा में पवन फार्मों को लगाने के लिए कोई अन्य विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

पश्चिमी घाट की पारिस्थितिकी का खतरा

4208. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी** :
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य के बारे में किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि (एक) काफी बड़ा भू-भाग नदी घाटी परियोजनाओं के अन्तर्गत जलमग्न हो जाने (दो) वर्षा के कारण होने वाले नुकसान तथा (तीन) औद्योगिक और ईंधन लकड़ी के प्रयोजनों के लिए वनों की कटाई से पश्चिमी घाट की पारिस्थितिकी को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है, और

(ख) यदि हां, तो इन समस्याओं को हल करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) "कर्नाटक-राज्य पर्यावरण रिपोर्ट 1983-84" के अनुसार विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के कारण कुछ पर्यावरणीय निम्नीकरण हुआ है। वन कटाई तथा परिणामिक भूमि कटाव से पश्चिमी घाटों की पारिस्थितिकी के लिए काफी खतरा पैदा होता है।

(ख) केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए या प्रस्तावित कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं :

1. विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों तथा स्वैच्छिक अभिकरणों को शामिल करते हुए इस विभाग द्वारा एक समन्वित पारि-विकास कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।

2. पर्यावरणीय सुरक्षा सुलभ करने के लिए नदी घाटों योजनाओं सहित प्रमुख विकासात्मक परियोजनाओं का पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन किया जा रहा है।

3. ईंधन तथा इमारती लकड़ी की सप्लाई में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा वृक्षारोपण को एक सतत कार्यक्रम के रूप में आरम्भ किया गया है।

4. राज्य सरकार ने भी अनियंत्रित वाणिज्यिक हितों के द्वारा पर्यावरण के निम्नीकरण पर नियंत्रण लगाने के लिए उपाय किए हैं।

5. प्रमुख साधन-सम्पन्न खनिजों के उत्खनन के लिए पर्यावरणीय मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किये गए हैं।

6. राज्य पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण विभाग एक नोडॅल एजेंसी के रूप में सभी क्षेत्रों में पर्यावरणीय निम्नीकरण के कारण तथा परिणामों के अध्ययन तथा नियंत्रण के लिए प्रयत्नशील है, इसमें पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए वैधानिक उपायों का कार्यान्वियन भी शामिल है।

[हिन्दी]

आदिवासियों में गरीबी की रेखा

4209. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं योजना के दौरान कम से कम 40 लाख आदिवासी परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सक्षम बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनुपालन की जाने वाली प्रस्तावित नीति की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सातवीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उप-योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) अपनाई जाने वाली प्रस्तावित नीति की मुख्य बातें हैं—(क) एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना वाले क्षेत्रों, (ख) संशोधित क्षेत्र विकास नीति (माडा) वाले क्षेत्रों, जिनमें आदिवासी घनी आबादी वाले क्षेत्र शामिल हैं और आदिम आदिवासी परियोजना क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले आदिवासियों का पता लगाना है।

(ग) लाभोन्मुख कार्यक्रमों में (1) आई० आर० डी० एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० कार्यक्रमों (2) आई० टी० डी० पी० कार्यक्रमों और (3) राज्य योजना, केन्द्रीय योजना, संस्थागत साधनों के अधीन धनराशि से और गृह मंत्रालय की विशेष केन्द्रीय सहायता से अन्य विभागीय योजनाओं, शुरू की जाने वाली योजनाएं शामिल होंगी।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा कम्प्यूटरों का उपयोग

4210. **श्री राधाकांत डिगाल :**

प्रो० सैफुद्दीन सोज :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स द्वारा टिकट देने और यात्रियों के विमानों में चढ़ने सम्बन्धी जांच करने के लिए कम्प्यूटरों का उपयोग करने के प्रस्ताव को कार्यान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का कार्यक्रम कब से कार्यान्वित किया गया है और इस समय जिन हवाई-अड्डों पर यह सुविधा उपलब्ध है, उनके नाम क्या हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप इंडियन एयरलाइन्स में कर्मचारियों को अपदस्थ होना पड़ेगा; और

(घ) क्या ट्रेवल एजेंसियां पर्यटकों के लिए सामूहिक रूप से सीटें बुक करने का काम करती रहेंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं। तथापि इंडियन एयरलाइन्स ने अपनी वास्तविक समय अभिकलित आरक्षण प्रणाली चालू कर दी है।

(ख) प्रश्न नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, हां।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण कोटा

4211. **श्री एम० एल० झिकराम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता क्या है;

(ख) क्या दिनांक 1 जनवरी, 1983, 1 जनवरी, 1984 और 1 जनवरी, 1985 को उक्त प्रतिशतता के अनुसार प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों संबंधी आरक्षण कोटा पूरा था; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं तथा क्या दिनांक 1 जनवरी, 1986 तक कोटा पूरा कर दिया जाएगा ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) विभिन्न केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ख) केन्द्रीय सेवाओं में 1. 1. 1983 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रवर्गवार प्रतिनिधित्व संलग्न विवरण-दो में दर्शाया गया है। दिनांक 1. 1. 1984 तथा 1. 1. 1985 की स्थिति से सम्बन्धित संगत आंकड़ों का संकलन अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

(ग) सीधी भर्ती के मामले में इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए आयु, शुल्क, यात्रा भत्ता, उपयुक्तता के स्तर में विभिन्न रियायतें, अनुभव सम्बन्धी अर्हता में रियायत दी गई है और इन समुदायों के उम्मीदवारों का अलग से साक्षात्कार निर्धारित किया गया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की स्थिति में, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संगत अनुदेशों के अनुसार आरक्षण को अग्रेनीत किए जाने के तथा रिक्तियों की अदला बदली के सिद्धान्तों की व्यवस्था है। आरक्षित रिक्तियों को, समाचार पत्रों, आकाशवाणी, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की स्वैच्छिक एसोसिएशनों तथा राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण या समाज कल्याण निदेशकों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित भी किया जाता है। कुछ मामलों में केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए ही विशेष सीमित विभागीय परीक्षाएं भी आयोजित की जाती हैं। परीक्षा केन्द्र भी ऐसे स्थानों पर स्थापित किए गए हैं जहां अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का जमाव है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण केन्द्र भी प्रारम्भ किए गए हैं। आशा है कि इन सभी उपायों से, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व और बेहतर होगा हालांकि, प्रतिनिधित्व कब तक लक्षित प्रतिशतता तक पहुंचेगा इसके बारे में कोई वचन देना सम्भव नहीं है।

विवरण-एक

नियुक्ति की विभिन्न पद्धतियों के लिये निर्धारित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता निम्न प्रकार है :

		अनु० जा०	अनु० ज० जा०
(I)	खुली प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा सभी नियुक्तियां, जहां कहीं आरक्षण लागू होता है।	15 प्रतिशत	7½ प्रतिशत
(II)	खुली प्रतियोगिता से इतर माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती।	16⅔ प्रतिशत	7½ प्रतिशत
(III)	सामान्यतः किसी इलाके या क्षेत्र से उम्मीदवार को आकर्षित करते हुए समूह 'ग' तथा समूह 'घ' के पदों पर सीधी भर्ती।	सम्बन्धित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में प्रतिशतताएं निर्धारित की जाती हैं।	

विवरण-दो

क्रम संख्या	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	प्रतिशतता	अनुसूचित जन जाति	प्रतिशतता
1.	समूह-क	53,165	3574	6.72	761	1.43
2.	समूह-ख	62,600	6368	10.17	922	1.47
3.	समूह-ग	21,28,746	3,11,070	14.61	88,149	4.14
4.	समूह-घ (सफाई वालों को छोड़कर)	13,03,005	2,55,053	19.57	71,812	5.51
	कुल	35,47,516	5,76,065	16.24	1,61,644	4.56

[अनुवाद]

नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों की संख्या

4212. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1984-85 में नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों की निर्धारित संख्या के बारे में लक्ष्य प्राप्त किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या भर्ती किए गए सभी नागरिक सुरक्षा सेवकों को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित किया जा चुका है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं, श्रीमान। 5.7 लाख के लक्ष्य की तुलना में 1984-85 तक 3.97 लाख की भर्ती की गई है।

(ख) नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों की भर्ती संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। चूंकि नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों की भर्ती स्वयं सेवी आधार पर की जाती है इसलिए लक्षित संख्या और भर्ती की गई संख्या में सामान्यत: अन्तर होता है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान। भर्ती किए गए 3.97 लाख में से 3.68 लाख को प्रशिक्षित किया गया है।

भारतीय मछुओं को श्रीलंका की सीमा रेखा के क्षेत्र में जाने की अनुमति

4213. **श्री पी० चिदम्बरम** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत और श्रीलंका के बीच 26 जून, 1974 को हुए समझौते के अनुसार क्या भारतीय मछली पकड़ने की नौकाओं और भारतीय मछुओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के पार श्रीलंका के क्षेत्र में मछली पकड़ने की अनुमति है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समुद्र

में सीमा तथा संबंधित मामलों के बारे में श्रीलंका और भारत के बीच 1974 में हुए करार के अनुसार श्रीलंका और भारत के जहाजों को एक-दूसरे के समुद्री क्षेत्रों में उसी प्रकार के अधिकार प्राप्त होंगे जैसे कि उन्हें उसमें परम्परागत रूप से प्राप्त होते रहे है।

चाय और काफी के निर्यात में कमी

4214. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का अनुमान है कि चाय और काफी के निर्यात में भौतिक रूप से लगातार कमी आएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने अनुमान लगाया है कि चाय का निर्यात 1984-85 में 200 मिलियन किलोग्राम की तुलना में 1989-90 में घटकर 163 मिलियन किलोग्राम रह जाएगा;

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) उक्त स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या प्रयास करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग). अपेक्षित निर्यात प्रयत्न के आकार का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से, योजना आयोग ने अपरिवर्तित निर्यात संवर्धन नीतियों की धारणा पर पिछले उत्पादन तथा घरेलू खपत के रुख के बहिर्वेशन द्वारा चाय और काफी के निर्यात के प्रारम्भिक अनुमान लगाए थे। इस अभ्यास से पता चला है कि विशेष उपायों के बिना चाय और काफी के निर्यात में गिरावट आ सकती है, चाय का निर्यात 1984-85 में 200 मिलियन किलोग्राम के अनुमानित निर्यात से घट कर वर्ष 1989-90 में 163 मिलियन किलोग्राम रह जाने की सम्भावना है।

(घ) निर्यात के विकास की गति सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपायों की परिकल्पना की जा रही है जिससे विश्व के चाय बाजार में भारत का हिस्सा कायम रहेगा, यह कार्य वर्ष 1984-85 में विशिष्टतया अच्छे उत्पादन के निष्पादन द्वारा और भी आसान हो गया है। इस अवधि में उत्पादन में लगभग 70 मिलियन किलोग्राम की वृद्धि हुई जिससे कुल उत्पादन 645 मिलियन किलोग्राम हो गया है। नई पौध लगाने, पौध पुन: लगाने, पौधों के पुनर्युवन से पौधों की कटाई छटाई से तथा जल निकासी, सिंचाई और उन्नत संवर्धन कार्यों से उत्पादन में काफी वृद्धि होने की आशा है। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर की अध्यक्षता में एक कार्य दल चाय उद्योग की संस्थागत वित्तीय आवश्यकताओं पर गौर कर रहा है। 1985-86 के बजट में इस उद्योग को नई मशीनें नए पौधे लगाने और पौधे पुन: लगाने आदि में निवेश के लिए टैक्स में लाभ के 20 प्रतिशत तक की कटौती की छूट दी गई है। जहां तक उत्पादन और निर्यात के विकास का सम्बन्ध है, क्षेत्र विस्तार, उपज में वृद्धि, बाजार और निर्यात संवर्धन बढ़ाकर, अवस्थापना सुविधाओं तथा प्रक्रमण और भंडारण क्षमताओं में वृद्धि से संबंधित कार्यक्रमों के जरिए उत्पादन और निर्यात के विकास को कायम रखा जायेगा।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वन मजदूरों को नियमित करना

4215. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वन विभाग के 662 वन मजदूरों की सेवाएं नियमित करने का मामला उनके मन्त्रालय में काफी समय से लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या भूतपूर्व प्रधान मन्त्री इन वन मजदूरों की सेवाएं नियमित किये जाने के पक्ष में थीं; और

(घ) यदि हां, तो मंजूरी देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह के वन विभाग में कार्य कर रहे 662 वन मजदूरों को सेवाओं को नियमित करने के मामले पर सरकार सितम्बर, 1978 से सक्रिय रूप में विचार कर रही है।

(ख) नियमित करने से सम्बधित निर्णय शीघ्र हो लिए जाने की आशा है।

(ग) भूतपूर्व प्रधान मन्त्री ने यह निर्देश दिया कि नैमिकता कामगारों को नियमित करने के लिए नए पदों का सृजन करने से संबंधित अनुरोध की जांच की जाए।

(घ) पदों के सृजन पर आम प्रतिबन्ध लगा होने की वजह से इस प्रस्तावों को पहले अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

पश्चिम बंगाल, बिहार, आदि के लिए शरणार्थी पुनर्वास कार्यक्रम

4216. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार के शरणार्थी पुनर्वास कार्यक्रम के मामलों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उक्त राज्यों के शरणार्थी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्यों को उनकी कठिनाइयों सुनने के लिए आमन्त्रित करने और राज्य सरकारों को उन्हें हल करने हेतु उपयुक्त सलाह देने का विचार है, और

(ग) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ). इन राज्यों में प्रवासियों का पुनर्वास अधिकांशतः पूरा हो चुका है। कठिनाइयों के व्यक्तिगत मामले जो सीधे अथवा संसद सदस्य द्वारा प्राप्त होते हैं, की जांच-पड़ताल सहानुभूति-पूर्वक की जाती है। अतः प्रश्न के भाग (ख) में किया गया प्रस्ताव आवश्यक नहीं समझा जाता है।

दिल्ली में पुलिस कर्मियों का निलम्बन

4217. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान दिल्ली पुलिस के निलम्बित किए गए कर्मियों की वर्षवार संख्या और ब्योरा क्या है;

(ख) उन्हें किन आरोपों के आधार पर निलम्बित किया गया है; और

(ग) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित पुलिस कर्मियों में से कितने व्यक्तियों को बहाल किया गया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) 1983 में 353 पुलिस कर्मी निलम्बित किए गए थे जबकि 1984 में 422 पुलिस कर्मी निलम्बित किए गए।

(ख) इन कर्मियों को उनके अपराधिक मामलों में अन्तर्ग्रस्त होने सन्देहास्पद व्यक्तियों के साथ दुराचरण करने अथवा ड्यूटी में लापरवाही करने के आधार पर निलम्बित किया गया था।

(ग) 1983 में निलम्बित किए गए 353 पुलिस कर्मियों में से 289 को बहाल किया गया था। 1984 में 422 में से 302 को बहाल किया गया ।

दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच दैनिक बोइंग सेवा

4218. **श्री चिन्तामणि जेना : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान यात्रियों की संख्या को देखते हुए दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच सप्ताह में पांच दिन बोइंग सेवा पर्याप्त नहीं है;

(ख) क्या इस सेवा को दैनिक करने की मांग है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) दिल्ली-भुवनेश्वर और भुवनेश्वर-दिल्ली क्षेत्रकों पर रखी गई क्रमशः 80 और 70 सीटों में से, फरवरी, 1985 को समाप्त हुई छः महीनों की अवधि में प्रति उड़ान ले जाए गए यात्रियों की औसत संख्या क्रमशः 51.75 और 45.78 थी। औसतन उपयोग के आंकड़ों से यह दिखाई देता है कि इस समय उपलब्ध कराई गई क्षमता बिल्कुल पर्याप्त है।

(ख) जी, हां।

(ग) इस उड़ान की आवृत्ति को बढ़ाने की इस समय कोई योजनाएं नहीं हैं।

उड़ीसा की राजधानी को मध्य स्तर की वायु-सेवा से जोड़ना

4219. **श्री चिन्तामणि जेना : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कितने शहर हैं और उनके नाम क्या हैं जिन्हें राज्य की राजधानी से मध्य स्तर की वायु सेवा से जोड़ा गया है;

(ख) क्या राज्य की राजधानी को झारसुगड़ा राउरकेला, जेपोर और जशीपुर जैसे अन्य शहरों से मध्य स्तर की वायु सेवा से जोड़ने की व्यवस्था करने की मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वायुदूत राउरकेला तथा भुवनेश्वर के बीच सप्ताह में तीन सेवाएं प्रचालित करती है।

(ख) जी, हां।

(ग) विमानक्षमता उपलब्ध हो जाने पर आधार संरचनात्मक सुविधाओं का विकास हो जाने पर तथा प्रचालनों के आर्थिक दृष्टि से विकासक्षम/व्यावहार्य होने पर, सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में वायुदूत की जैपुर और झारसुगुड़ा को विमान सेवा से जोड़ने की योजनाएं हैं।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में युवाओं के लिए कार्यक्रम

4221. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या युवा कार्य और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के दौरान अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में

युवाओं के लिए कार्यक्रम शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख). अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष को मनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शुरू किए गए हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस और राष्ट्रीय युवा सप्ताह जनवरी, 1985 में मनाया गया था। अन्य शुरू किये गये कार्यक्रमों में राष्ट्रीय एकता शिविर वर्कशाप; व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम; सहकारिता में प्रशिक्षण; साहस कार्यक्रम; अन्तर-राज्य युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम; खेलों में प्रशिक्षण और प्रतियोगितायें आयोजित करना शामिल है।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में जरवाओं द्वारा आक्रमण

4222. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में जरवाओं द्वारा आक्रमण की कितनी घटनाएं हुई और उनका वर्षवार ब्यौरा क्या है तथा उनमें कितने लोग मारे गए;

(ख) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन ने मृत व्यक्तियों के परिजनों को सहायता राशि की अदायगी की थी और हां, तो प्रत्येक मामले में कितनी राशि की अदायगी की गई तथा यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने ऐसे दुर्भाग्यशाली परिवारों को भूख से बचाने के लिए कोई पुनर्वास योजनाएं अपने हाथ में ली हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विषयनिष्ठ प्रश्नपत्र

4223. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग परीक्षाएं लेते समय उनमें पूर्णतया विषयनिष्ठ प्रश्नपत्र पद्धति अपनाने जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो संघ लोक सेवा आयोग प्रत्याशियों की विचार अभिव्यक्ति भाषा शैली आदि को किस प्रकार परख सकेगा?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

कनिष्क होटल के कर्मचारियों को सुविधाएं

4224. **श्री आर० एम० भोये** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम (होटलों) के कर्मचारियों की सेवायें नियमित करने के लिए उन्हें कितना सेवा काल पूरा करना आवश्यक है;

(ख) इन होटलों के कर्मचारियों के वेतन से कर्मचारी भविष्य निधि कोष में अंशदान के लिए नियमानुसार किस दर से कटौती की जानी चाहिये;

(ग) क्या कनिष्क होटल के कर्मचारियों को भी ये सभी सुविधायें प्रदान की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उन्हें ये सुविधायें प्रदान न करने के क्या कारण हैं तथा उक्त कर्मचारियों को, विशेषकर निचले संवर्गों के कर्मचारियों को, ये सुविधायें कब तक प्रदान कर दी जायेंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम होटल एककों में नियुक्त किए गए कर्मचारियों को अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने पर नियमित किया जाता है; यह अवधि विभिन्न एककों पर लागू होने वाले सर्टीफाइड स्टेंडिंग आर्डरज/मॉडल स्टेंडिंग आर्डरज के आधीन 3 से 6 महीने के बीच की होती है।

(ख) अंशदानं भविष्य निधि स्कीम जोकि भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों पर लागू होती है, के अन्तर्गत, भारत पर्यटन विकास निगम में नियुक्त पात्र कर्मचारियों से उनके मूल वेतन, महंगाई भत्ते और भोजन भत्ते की 8 प्रतिशत कटौती अंशदायी भविष्य निधि के रूप में की जाती है।

(ग) और (घ). होटल कनिष्क में अगस्त, 1985 से अंशदायी भविष्य निधि प्रारंभ की जाएगी, जब यह एकक कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम में की गई व्यवस्था के अनुसार 3 साल की प्रारंभिक अवधि (इन्फेंसि) पूरी कर लेगा।

[अनुवाद]

कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों को वित्तीय सहायता

4225. **श्री अमरसिंह राठवा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य के प्रति व्यक्ति कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) ऐसे राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं, जहां प्रति व्यक्ति आय अन्य राज्यों के समतुल्य नहीं है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) छठी योजना अवधि के दौरान राज्यों की योजनाओं के लिए दी गई प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता संबंधी एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा जैसे विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता पहले से ही निर्धारित की गई थी ताकि वे अपनी योजनाओं को लाभकारी बना सकें। शेष राज्यों को केन्द्रीय सहायता परिशोधित गाडगिल फार्मूले के आधार पर आवंटित की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय औसत से कम प्रति व्यक्ति आय वाले पिछड़े राज्यों के लिए 20 प्रतिशत अधिक आवंटन किया गया है।

विवरण

छठी योजना अवधि 1980-85 के दौरान राज्यों की योजनाओं के लिए दी गई प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता*

		रुपये
1.	आंध्र प्रदेश	288
2.	असम	1020
3.	बिहार	337
4.	गुजरात	299
5.	हरियाणा	421
6.	हिमाचल प्रदेश	1567
7.	जम्मू और काश्मीर	2291
8.	कर्नाटक	224
9.	केरल	328
10.	मध्य प्रदेश	368
11.	महाराष्ट्र	257
12.	मणिपुर	3372
13.	मेघालय	2622
14.	नागालैंड	6072
15.	उड़ीसा	433
16.	पंजाब	340
17.	राजस्थान	503
18.	सिक्किम	6581
19.	तमिल नाडू	231
20.	त्रिपुरा	1978
21.	उत्तर प्रदेश	296
22.	पश्चिम बंगाल	296
	जोड़ सभी राज्य	381

* 1971 की जनसंख्या के आधार पर परिकलित की गई है। इसमें सामान्य केन्द्रीय सहायता, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए सहायता, पहाड़ी क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष सहायता, सूखे से राहत संबंधी कार्यों के लिये सहायता और राज्यों को उनका घाटा पूरा करने के लिए मध्यावधि ऋण शामिल हैं।

अंटार्टिका अभियानों पर हुआ व्यय और उससे हुई उपलब्धियां

4226. **श्री अमर सिंह राठवा :**

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंटार्टिका के लिए अब तक कितने अभियान हुए हैं और प्रत्येक अभियान पर कितना व्यय हुआ है;

(ख) प्रत्येक अभियान से प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या निकट भविष्य में और भी कोई दल अंटार्टिका भेजने का कार्यक्रम है, यदि हां, तो कब, और क्या वर्ष 1985-86 के दौरान उनके व्यय के लिए व्यवस्था कर ली गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारत ने अब तक अंटार्कटिका को चार वैज्ञानिक अभियान आयोजित किए हैं। इन चार अभियानों पर क्रमशः 1.90 करोड़ संचार रुपये, 1.95 करोड़ रुपये, 5.70 करोड़ रुपये तथा 6.20 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।

(ख) 1981-82 में आयोजित प्रथम अभियान के दौरान एक भारतीय वैज्ञानिक दल पहली बार अंटार्कटिका पहुंचा और वहां 10 दिन बिताये। इसने वहां एक स्वचालित मौसम रिकार्डिंग स्टेशन प्रतिष्ठापित किया और रहने के लिए एक झोपड़ी का निर्माण किया। इसने ध्रुवीय जैविकी, भू-विज्ञान, हिमक्रिया विज्ञान, मौसम विज्ञान, समुद्र विज्ञान एवं भारत और अंटार्कटिका के मध्य चैनलों के क्षेत्र में अध्ययन किए तथा महत्वपूर्ण आंकड़े एकत्र किए।

द्वितीय अभियान दल ने अध्ययन करते हुए एवं विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में और अधिक आंकड़े एकत्रित करते हुए बर्फीले महाद्वीप में 57 दिन बिताए। दल ने अंटार्कटिका में एक स्थायी भारतीय स्टेशन की स्थापना करने के लिए एक स्थल का भी चयन किया।

1983-84 में तृतीय अभियान के दौरान अंटर्कटिका में एक स्थायी मानव चालित वैज्ञानिक स्टेशन की स्थापना की गयी। यह स्टेशन जैविकी एवं मौसम विज्ञान क्षेत्रों में कार्य कर रही प्रयोगशालाओं से पूर्णतः सज्जित है। इस स्टेशन पर 12 व्यक्तियों का एक दल छोड़ दिया गया था जो अंटार्कटिका में 15 महीने बिताने के बाद सफलतापूर्वक भारत लौट आया है।

1984-85 में चौथे अभियान के दौरान भारतीय अंटार्कटिका स्टेशन दक्षिण गंगोत्री में अन्य प्रकार के आवास के अतिरिक्त स्थायी भारतीय स्टेशन से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर एक अन्य क्षेत्रीय स्टेशन की स्थापना कर ली गई है। अंटार्कटिका में स्थायी भारतीय स्टेशन पर 13 व्यक्तियों का एक दल वहीं ठहरा हुआ है। यह दल वहां मार्च, 1986 तक ठहरेगा।

(ग) जी हां, श्रीमान। अंटार्कटिका को पांचवां अभियान नवम्बर 1985 के अन्त तक भेजा जाना प्रस्तावित है। इसके लिए 1985-86 के बजट में निधि का प्रावधान कर लिया गया है।

परमाणु ऊर्जा केन्द्र का विस्तार कार्यक्रम

4227. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साल्ट लेक स्थित वर्तमान संस्थान और कलकत्ता विश्वविद्यालय विज्ञान कालेज स्थित साहा परमाणु भौतिकी संस्थान के सहयोग से परमाणु ऊर्जा केन्द्र के लिए कार्यक्रम सम्बन्धी कोई योजना बनाई जा सकती है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां। साल्ट लेक/कलकत्ता स्थित परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रान केन्द्र की साइक्लोट्रान सुविधा का अधिकतम विकास और उपयोग विभिन्न संस्थानों के, जिनमें साहा न्यूक्लियर भौतिकी संस्थान और विश्वविद्यालय शामिल हैं, न्यूक्लियर ऊर्जा संबंधी काम करने वाले वैज्ञानिकों द्वारा करने के कार्यक्रम पहले से ही चल रहे हैं। राष्ट्रीय परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रान उपभोक्ता समिति द्वारा, जिसमें साहा न्यूक्लियर भौतिकी संस्थान और विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि शामिल हैं, इस सुविधा का उपयोग करके नए कार्यक्रम भी आवधिक रूप से तैयार किए जाते हैं।

(ख) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

सिलिकोन वेफरों का आयात

4228. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 13 मार्च, 1985 के "बिजनेस स्टैण्डर्ड" में "गवर्नमेंट यूनिट्स इन इण्डियन सिलिकोन वेफर मेकर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन ने अपनी सौर फलक परियोजना के लिए इस क्षेत्र की दो भारतीय फर्मों का उपेक्षा करते हुए छः से दस लाख सिलिकोन वेफरों के लिए विश्व भर से निविदा आमन्त्रित की थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी लिमिटेड तथा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम के लिए एकल क्रिस्टलीय सिलिकन वेफरों की आवश्यकता इस समय लगभग 17 लाख नग है। किन्तु, क्वार्ट्ज एकल क्रिस्टल पुलरों की दृष्टि से इन दो भारतीय विनर्माताओं की वार्षिक प्रतिष्ठापित क्षमता लगभग 4 लाख वेफर हैं। केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी लिमिटेड भारतीय विनिर्माताओं को छोटे आर्डर दे रहा था लेकिन अब तक आपूर्ति की गई सामग्रियों से पता चलता है कि व्यापक तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर इनकी गुणवत्ता में सुधार लाने की गुंजाइश है। अगस्त, 1984 में केन्द्रीय इलेक्टॉनिकी लिमिटेड ने उनके सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम में जो विस्तार किया जा रहा है, उसके 10 लाख 100 मिलीमीटर व्यास वाले एकल क्रिस्टलीय सिलिकन वेफरों के लिए एक विश्वव्यापी टेंडर आमन्त्रित किया है। इस टेंडर के उत्तर में भारतीय विनिर्माताओं द्वारा बताए गए मूल्य विदेशी विनिर्माताओं के मूल्यों की तुलना में अधिक पाए गए। तथापि, स्वदेशी विनिर्माताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी लिमिटेड ने उन दो भारतीय विनिर्माताओं को कुछ क्रयादेश दिए हैं जिन्होंने पहले इस सामग्री की आपूर्ति की थी।

दिल्ली में जनवरी, 1985 में हुआ छह राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन

4229. **श्री एन० वी० रत्नम : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1985 में दिल्ली में हुए छह राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में परमाणु शक्तियों को परमाणु हथियार न बनाने की सलाह देने के लिए एक समिति का गठन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और उन्होंने अब तक क्या कार्य किया है; और

(ग) जेनेवा वार्ता इस समय किस चरण में है तथा उसे फलदायी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख). जी, नहीं। लेकिन अर्जन्टीना, ग्रीस, मेक्सिको, स्वीडन, तंजानिया तथा भारत के नेताओं द्वारा स्वीकार की गई दिल्ली घोषणा में इस बात का आह्वान किया गया है कि नाभिकीय शस्त्रों के परीक्षण, उनके उत्पादन तथा उनके नियोजन और उन्हें छोड़ने के तन्त्रों के नियोजन पर रोक लगायी जाये और उसके बाद हथियारों में कमी और उन्हें समाप्त किया जाए। दिल्ली घोषणा को संबंधित करने के लिए अनेक अनुवर्ती कदम उठाए गए हैं।

(ग) अमरीका और सोवियत संघ की शस्त्र संबंधी बातचीत 12 मार्च 1985 को जेनेवा में शुरू हुई। अमरीकी विदेश मन्त्री तथा सोवियत विदेश मन्त्री द्वारा 8 जनवरी, 1985 को जारी किये गये संयुक्त वक्तव्य के अनुसार इस बातचीत के विषय "सामरिक और माध्यमिक रंज के अंतरिक्ष और नाभिकीय शस्त्रों से संबद्ध तरह-तरह के सवाल होंगे और इन तमाम सवालों पर उनके पारस्परिक संबंधों को देखते हुए विचार किया जायेगा और उन्हें सुलझाया जायेगा।" आपसी करार के द्वारा बातचीत करने वाले दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि उनकी बातचीत की कार्यवाहियों को गोपनीय रखा जाए।

जिन 6 देशों ने दिल्ली घोषणा को स्वीकार किया था, जेनेवा में उनके राजदूतों ने अमरीका और सोवियत संघ के प्रतिनिधिमन्डलों के नेताओं से जेनेवा में मुलाकात की और उन्हें दिल्ली घोषणा के सन्देश से अवगत कराया। उन्होंने उन्हें इस बात से भी अवगत कराया कि हम आशा करते हैं कि इसका शीघ्र तथा रचनात्मक निष्कर्ष निकलेगा।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची

4230. **श्री अनादि चरण दास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अनेक समुदाय ऐसे हैं जिनकी आर्थिक सस्थिति काफी सुदृढ़ है और फिर भी उन्हें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कमजोर अनुसूचित समूहों के हितों की सुरक्षा के लिए ऐसे समुदायों को सूची से निकालने का है क्योंकि समृद्ध अनुसूचित लोग सभी लाभों को प्राप्त कर लेते हैं और कमजोर समूहों की अनदेखी कर दी जाती है;

(ग) क्या समृद्धि सम्पन्न अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों का पता लगाने और उनको अनुसूची से निकालने हेतु उनका कोई सामाजिक आर्थिक अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो कब; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) अनुसूचित जातियों

की सूची में किसी समुदाय को शामिल करने के लिए कुछ मानदन्ड हैं और अन्य कुछ मानदण्ड किसी समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए है जो इस प्रकार हैं :

अनुसूचित जातियां

अस्पृष्यता की पारम्परिक प्रथा से उत्पन्न अत्यधिक सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन।

अनुसूचित जनजातियां

आदिम लक्षणों का संकेत, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, समुदाय के साथ मुक्त सम्पर्क में संकोच और पिछड़ापन।

उक्त मानदण्डों को पूरा करने वाले समुदायों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जा चुका है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ). चूंकि उक्त (क) में दिये गए मानदण्डों को दृष्टि में रखकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट किया जाता है इसलिए ऐसा कोई सामाजिक आर्थिक अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है।

औद्योगिक क्षेत्र में अनुसंधान कार्य

4231. **श्री वी० एस० विजय राघवन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रौद्योगिकी सम्बन्धी नवीकरण के बारे में औद्योगिक क्षेत्र में उपयोगी कार्य हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की जाती है;

(ग) इस अनुसंधान से औद्योगिक क्षेत्र को कितना लाभ मिला है; और

(घ) क्या सरकार ने औद्योगिक शोध कार्यों के बारे में कोई नीति निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख). जी हां, सरकार की, उद्योगों के संस्थानान्तर्गत अनुसंधान तथा विकास एककों को मान्यता प्रदान करने की एक स्कीम है। 1982-83 में 668 संस्थानान्तर्गत अनुसंधान तथा विकास एककों द्वारा खर्च किए गए 286 करोड़ रुपये के कुल अनुसंधान तथा विकास व्यय में से लगभग 125 करोड़ रुपए लगभग 68 सरकारी क्षेत्र के संस्थानान्तर्गत अनुसंधान तथा विकास एककों द्वारा खर्च किए गए। इस समय लगभग 900 संस्थानान्तर्गत अनुसन्धान तथा विकास एकक हैं जिनमें से 82 सरकारी क्षेत्र में है।

(ग) औद्योगिक क्षेत्र में सम्पन्न किए गए अनुसन्धान कार्य के परिणामस्वरूप, अनुसन्धान तथा विकास की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, आयात प्रतिस्थापन, विद्यमान उत्पादों और प्रक्रियाओं मेंसुधार, नया उत्पाद और प्रक्रिया विकास, स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकियों का वाणिज्यीकरण आदि हुआ है।

(घ) सरकार के प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य (जनवरी, 1983) में यह कहा गया है कि "अनुसंधान तथा विकास में उपयुक्त निवेश के माध्यम से, जिसमें प्रौद्योगिकी का आयात करने वालों से अपना योगदान देने की आशा की जाती है। आयातित जानकारी के अवशोषण, अनुकूलन और तदनंतर विकास के लिए दृढ़ वचनबद्धता होगी।" उद्योगों में और उन उद्योग के लिए जिनमें सहकारी आधार के उद्योग भी शामिल हैं, अनुसंधान तथा विकास एकक स्थापित करने को उपयुक्त प्रोत्साहन दिए जाएंगे। उद्यमों को ऐसे आकार के अनुसंधान तथा विकास एकक स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा, जिनके माध्यम से प्रमुख प्रौद्योगिकीय कार्य सम्पन्न किए जा सकें।

पेड़ों से ऊर्जा

4232. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के एक वैज्ञानिक ने पेड़ों से ऊर्जा पैदा करने की तकनीक का विकास किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पेड़ों से वाणिज्यिक स्तर पर बिजली प्राप्त करना कब तक सम्भव होगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख). इनसे प्राप्त विद्युत के निम्न स्तर की जांच करने के लिए भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के एक वैज्ञानिक द्वारा कुछ पौधों और पेड़ों में छिद्रित मेटल इलेक्ट्रोड्स का प्रयोग करते हुए कुछ अधिक प्रारम्भिक अध्ययनों का मार्गदर्शन किया गया है।

(ग) ये अध्ययन अत्यधिक प्रारम्भिक हैं, इस स्थिति में वाणिज्यिक स्तर पर विचार करना असामयिक है।

"इंडिया विन्स फ्रीडम" के दूसरे भाग का प्रकाशन

4233. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्री अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखित "इंडिया विन्स फ्रीडम" का दूसरा भाग वर्ष 1985 में प्रकाशित करने का निर्णय किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसे अब तक प्रकाशित न करने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हाजीपुर बिहार में इलेक्ट्रॉनिक्स नगर का विकास

4235. **श्री महावीर प्रसाद यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में हाजीपुर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स नगर का विकास किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त नगर में कितने एकक स्थापित किये जाने की सम्भावना है कुल कितनी पूंजी का निवेश किये जाने की सम्भावना है विभिन्न एककों द्वारा कितने प्रकार के साफ्टवेयर

बनाये जायेंगे और उनमें रोजगार उपलब्ध कराने की कितनी क्षमता होगी; और

(ग) उक्त नगर के कब से पूरी तरह उत्पादन आरम्भ कर देने की सम्भावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

वीडियो कैसेट रिकार्डरों और वीडियों कैसेट प्लेयरों का निर्माण

4236. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश फिजिकल लेबोरेट्री (बी० पी० एल०) को वीडियो कैसेट रिकार्डर वीडियो कैसेट प्लेयर डेक यांत्रिकी निर्माण करने हेतु लाइसेंस दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कम्पनी ने जापान की फर्म के साथ तकनीकी करार किया है ;

(ग) क्या बी० पी० एल० देश में बी० सी० आर० बी० सी० पी० के लिए डेक यांत्रिकी का निर्माण करने हेतु दो कम्पनियों में से एक होगा ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त कम्पनी द्वारा कब तक यांत्रिकी स्थापित किए जाने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) आशा की जाती है कि कम्पनी वर्ष 1986 में परियोजना स्थापित कर देगी।

रंगीन दूरदर्शन सेट का मूल्य.

4237. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में बने एक रंगीन दूरदर्शन सैट का वर्तमान मूल्य क्या है और आयातित रंगीन दूरदर्शन सैट का मूल्य क्या है ;

(ख) उनके मूल्यों में कितना अन्तर है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) भारत में दूरदर्शन सेटों के निर्माताओं की संख्या कितनी है और उनके द्वारा प्रति वर्ष कितने दूरदर्शन सैट तैयार किये जाते हैं;

(घ) क्या दूरदर्शन सैट निर्माता लोगों की मांग पूरा करने में समर्थ नहीं हैं और लोगों को रंगीन दूरदर्शन सैट लेने के लिए महीनों प्रतीक्षा करनी पड़ती है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त मांग को पूरा करने के लिए देश में रंगीन दूरदर्शन सैटों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख). भारत में उत्पादित रंगीन दूरदर्शन सेटों का कारखाना बाह्य मूल्य 4500 रु० से 7000 रु० के बीच है जो उनमें उपलब्ध कराई गई सुविधाओं पर आधारित हैं। तदनुरूपी आयातित सेटों का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य लगभग 350 से 500 अमरीकी डालर के बीच है।

मूल्यों में अन्तर के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :

(i) रंगीन दूरदर्शन सेटों के उत्पादन के लिए आवश्यक संघटक-पुर्जों पर आयात शुल्क तथा स्वदेश में विनिर्मित संघटक-पुर्जों पर आने वाली उच्चतर लागत।

(ii) अपेक्षतया कम मात्रा में उत्पादन।

(ग) आज की तारीख तक 134 आशय-पत्र (वैध), जिनकी कुल क्षमता 61.0 लाख है, तथा 515 लघु क्षेत्र के अनुमोदन (वैध), जिनकी कुल क्षमता 120 लाख है, जारी किए गए हैं। इनमें से संगठित क्षेत्र की 15 दूरदर्शन इकाइयों, जिनकी कुल क्षमता 6.4 लाख है, तथा लघु उद्योग क्षेत्र की 60 इकाइयों ने, जिनकी कुल क्षमता 18 लाख है, उत्पादन शुरू कर दिया है। वर्ष 1984-85 के दौरान रंगीन दूरदर्शन सेटों का कुल उत्पादन लगभग 4 लाख हुआ।

(घ) तथा (ङ). जी, नहीं। मेसर्स भारतीय इलेक्ट्रॉनिकी निगम लिमिटेड, हैदराबाद नामक सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम द्वारा विनिर्मित "ई० सी० टी० वी०" नामक ब्रांड के रंगीन दूरदर्शन सेटों के अलावा सभी अन्य ब्रांड के सेट बाजार में अब बिना किसी असुविधा के उपलब्ध हैं। किन्तु, देश में रंगीन दूरदर्शन सेटों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(i) रंगीन दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण के लिए सरकार ने संगठित एवं लघु उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में उदारतापूर्वक औद्योगिक अनुमोदन जारी किए हैं।

(ii) जिन संघटक-पुर्जों का विनिर्माण देश में नहीं होता है उनके उदार आयात की अनुमति दी गई है।

भुवनेश्वर विमान पत्तन का विकास

4238. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के भुवनेश्वर विमान पत्तन पर वायु यातायत बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार विमानों के उतरने की पट्टियों को मजबूत करने सहित भुवनेश्वर विमान पत्तन का विकास करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(घ) क्या कलकत्ता विमान पत्तन पर भीड़भाड़ कम करने के लिए भुवनेश्वर विमान पत्तन को अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन घोषित करने की मांग की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). चालू वित्त वर्ष में भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर धावनपथ और सम्बद्ध कुट्टियों पर पुन: ऊपरी परत चढ़ाने का प्रस्ताव है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में अन्तस्थ भवन में बैठने की क्षमता को बढ़ाने का भी प्रस्ताव है।

(घ) भुवनेश्वर हवाई अड्डे को घोषित करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव अथवा मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आन्दोलन के कारण आसाम और पंजाब में सार्वजनिक और निजी सम्पत्तियों को हुआ नुकसान

4239. श्री वृद्धि चन्द जैन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसाम में आन्दोलन और पंजाब में आन्दोलन और आतंकवादी गतिविधियों के कारण सार्वजनिक और निजी सम्पत्ति को अब तक हुये कुल नुकसान का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको कोई मुआवजा दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ). असम में दंगों के कारण, फरवरी—मार्च, 1983 में सार्वजनिक और निजी सम्पत्ति को हुआ कुल नुकसान और इस संबंध में दी गई वित्तीय सहायता के विषय में सूचना संलग्न विवरण एक में दी गयी है। अगस्त, 1982 से जनवरी 1984 तक की अवधि में पंजाब में इस प्रकार की सम्पत्ति को हुए नुकसान/क्षति के बारे में सूचना संलग्न विवरण दो में दी गई है।

विवरण एक

क्र० सं०	नुकसान		राज्य-सरकार को दी गयी वित्तीय सहायता (रुपयों में)
1.	पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त शैक्षिक संस्थान	324	68,52,400
2.	आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त शैक्षिक संस्थान	369	30,40,000
3.	आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	51,149	25,99,000
4.	आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	1,669	

विवरण दो

क्र० सं०			टिप्पणी
1.	निजी सम्पत्ति को नुकसान	लगभग 75.00 लाख रु०	कुछ मामलों में अभी तक मूल्यांकन नहीं किया गया है।
2.	सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान	लगभग 35.94 लाख रु०	—तदैव—

जिन पीड़ितों की निजी सम्पत्ति को भीड़ और आतंकवादियों द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उन्हें राहत देने के लिए पंजाब सरकार ने दरें निर्धारित की हैं। तदनुसार प्रत्येक पीड़ित को एस० डी० ओ० (सी) की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा मूल्यांकन किए गए नुकसान के 50 प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा, मकान मालिक, दुकान/फैक्ट्री का कब्जेदार जिसका मकान/व्यापार/फैक्ट्री परिसर जल गया हो/नुकसान हुआ है, के लिए 50,000 रु० है और घरेलू वस्तुओं की क्षति/नुकसान के मामले में मकान मालिक को 10,000 रु०। उप-आयुक्त को हानि का मूल्यांकन करने और बनायी गयी योजना व्यक्तिगत मामले में भुगतान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

[हिन्दी]

कोटा, राजस्थान में सोयाबीन परियोजना

4240. **श्री विष्णु मोदी :**

श्री शान्ति धारीवाल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा, राजस्थान में 45 करोड़ रुपए की "राजफेड" सोयाबीन परियोजना पर विश्व बैंक की सहायता से कार्य आरम्भ किया जाने वाला है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजस्थान सरकार ने उक्त परियोजना के लिए कोई भूमि उपलब्ध की है;

(ग) यदि हां, तो क्या वह भूमि पहले वन विभाग के अन्तर्गत थी और अब राजस्थान सरकार ने उस भूमि को उद्योग विभाग के अन्तर्गत लाने हेतु केन्द्र सरकार से मंजूरी मांगी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त भूमि का सर्वेक्षण करा लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस भूमि को कब तक उक्त परियोजना के लिए उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) से (ङ). कोटा में सोयाबीन परियोजना की स्थापना करने के लिए 39.4 हैक्टार वन भूमि निर्मुक्त करने से सम्बन्धित राजस्थान सरकार के प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है और 19 जनवरी, 1985 को राज्य सरकार को निर्णय भेजा गया है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

परमाणु मुक्त क्षेत्रों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का पैनल

4241. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह ज्ञात है कि परमाणु मुक्त क्षेत्रों (जोनों) सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ के पेनल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो पेनल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) संयुक्त राष्ट्र का नाभिकीय अस्त्र-मुक्त क्षेत्र सम्बन्धी दूसरा अध्ययन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा नियुक्त सरकारी विशेषज्ञों का दल अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप नहीं दे सका है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात में 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु धनराशि

4242. **श्री अमरसिंह राठवा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान गुजरात राज्य को, 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गयी;

(ख) उन वर्षों के दौरान किए गए कार्य और खर्च की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1985-86 के लिए इस कार्यक्रम के लिए उपलब्ध धनराशि और गुजरात राज्य के लिए किए गए आवंटन का क्या ब्यौरा है; और

(घ) क्या देश में खास तौर पर गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्रों का विकास करने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए परिव्यय अलग से निर्धारित नहीं किए जाते हैं। ये क्षेत्रीय परिव्ययों से प्राप्त किए जाते हैं क्योंकि 20 सूत्री कार्यक्रम राज्यों की योजनाओं का एक अभिन्न अंग है। गुजरात के लिए 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए प्राप्त परिव्यय वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान क्रमशः-653.63 करोड़ रु० और 638.17 करोड़ रु० थे।

(ख) गुजरात में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 और 1984-85 में लक्ष्य और उपलब्धियों संलग्न विवरण (पृष्ठ 89-91) में दी गई हैं। वर्ष 1983-84 के लिए राज्य सरकार द्वारा सूचित व्यय 643-90 करोड़ रु० है और वर्ष 1684-85 के लिए प्रत्याशित व्यय 645.77 करोड़ रुपये है।

(ग) गुजरात की 1985-86 की वार्षिक योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। योजना को अन्तिम रूप देने के बाद 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए परिव्यय निर्धारित किए जाएंगे।

(घ) जी, हां।

सरकारिया आयोग द्वारा राज्यों को भेजी गई प्रश्नावली

4243. **श्री चित्त महाता** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारिया आयोग ने राज्य सरकारों, राजनीतिक दलों और अन्य लोगों को अपनी प्रश्नावली कब भेजी थी; और

(ख) आयोग को अपनी प्रश्नावली के कितने उत्तर प्राप्त हुए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) आयोग ने जनवरी/फरवरी, 1984 में राज्य सरकारों, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों तथा अन्यों को प्रश्नावली भेजी थी।

(ख) अब तक आयोग को 246 उत्तर/ज्ञापन प्राप्त हुए हैं।

विवरण

20-सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन : गुजरात

सूत्र संख्या	मद	इकाई	1983-84 लक्ष्य	1983-84 उपलब्धि	1983-84 प्रतिशत उपलब्धि 83-84	1984-85 लक्ष्य	1984-85 उपलब्धि	1984-85 प्रतिशत उपलब्धि 84-85
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. (क)	सिंचाई क्षमता	हजार हैक्टेयर	122	76	62.3	127	122 (प्रत्याशित)	96.1
2. (क)	दालों का उत्पादन	हजार टन	287	559	194.8	318	474 (प्रत्याशित)	149.1
2. (ख)	तिलहनों का उत्पादन	हजार टन	2470	2373	96.1	2840	2200 (प्रत्याशित)	77.5
3. (क)	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	परिवारों की संख्या	130800	155561	118.9	130800	153380	117.3
3. (ख)	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	लाख श्रम दिवस	86.66	120.5	139.0	85.3	91.5	107.2
3. (ग)	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	वही	—	—	—	83.71	82.1	98.1
4.	बेशी भूमि	एकड़	10000	29016	290816	12000	129.43	107.9

1	2	3	4	5	6	7	8
6. बंधुवा मजदूर	संख्या	—	—	—	—	—	—
7. (क) सहायता प्राप्त अनुसूचित जातियों के परिवार	संख्या	55000	81359	147.9	50000	68866	137.7
7. (ख) सहायता प्राप्त अनुसूचित जन-जातियों के परिवार	संख्या	70000	85420	122.0	70000	78904	112.7
8. ग्रामीण जल पूर्ति	गाँवों की संख्या	1000	1610	161-0	1400	1661	118.6
9. (क) आबंटित आवास स्थल	संख्या	40000	84867	212.2	40000	65118	162.8
9. (ख) निर्माण सहायता	संख्या	45000	43290	96.2	45000	46156	100.4
10. (क) गंदी बस्तियों का सुधार	संख्या	72000	79212	110.0	60000	81800	136.4
10. (ख) आर्थिक रूपये से कमजोर वर्गों के लिए मकान	संख्या	15000	6474	43.2	13500	13380	99.1
11. (क) ग्रामीण विद्युतीकरण	संख्या	1310	900	68.7	1200	1105	92.1
11. (ख) बिजली चालित पंपसेट	संख्या	22350	12001	53.7	25000	18625	74.5
12. (क) पेड़ लगाना लाख	संख्या	2680	2884	107.6	3100	2964	95.6
12. (ख) बायोगैस संयत्र	संख्या	5000	4125	82.5	5400	5421	100.4
13. नसबन्दियां	संख्या	284000	235694	83.0	400000	256454	64.1
14. (क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	—	—	—	—	—	—

14. (ख)	उप-केन्द्र	संख्या	500	500	100.0	1169	1183	101.2
15.	एकीकृत बाल विकास स्कीम खण्ड	संख्या	16	16	100.0	2	2	100.0
16. (क)	प्रारम्भिक शिक्षा	हजार संख्या	175	175	100.0	175	138	78.9
16. (ख)	प्रौढ़ शिक्षा	हजार संख्या	300	214	71.3	350	214	61.1
17.	खोली गई उचित दर दुकानें	संख्या	—	568	—	—	317	—
18.	स्थापित किए गए और लघु उद्योग एकक	संख्या	5670	5884	103.8	6000	6321	105.4

जंगलों में बसे गांवों का विकास

4244. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग को जंगलों में बसे गांवों के विकास के बारे में गृह मंत्रालय से कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां तो उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गयी है अथवा करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख). गृह मंत्रालय ने सातवीं पंचवर्षीय योजना और 1985-86 की वार्षिक योजना में पिछड़ी जातियों के वर्ग के लिए वन गांवों की एक स्कीम की रूपरेखा शामिल की है। योजना अभी बनाई जा रही है।

ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के बीच से उग्रवादियों का पता लगाया जाना

4245. **श्री गिरधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के बीच उग्रवादी झुकाव का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन प्रारम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं;

(ग) इसके मुख्य कारण क्या हैं जिनसे बाध्य हो कर वे उग्रवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं; और

(घ) राज्यवार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत उग्रवादियों का पता चला है और उनकी संख्या घटाने के लिए यदि कोई उपाय किए गए हैं तो वे क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ). देश के विभिन्न भागों में उग्रवाद के फैलने के मुख्य कारण सामान्यत: निम्न प्रकार से हैं :

1. सामाजिक-आर्थिक उपायों जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को कार्यान्वित न करना।
2. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी;
3. अव्यवस्थित संचार प्रणाली;
4. गरीबों में बंजर भूमि का अनुचित/असंतुलित वितरण;

राज्य सरकारों को स्थिति की जानकारी है और नक्सलवादियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रख रही हैं। गैर कानूनी गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त पाए जाने वालों के विरुद्ध कानून के तहत कार्रवाई की जाती है। साथ ही सामाजिक-आर्थिक विकास और गरीबों के रहन-सहन की स्थिति में सुधार के लिए अनेक उपाय भी किए जाते हैं।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के पाए जाने वाले उग्रवादियों की राज्य-वार प्रतिशतता के बारे में कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन

4246. **डा० जी० विजयरामा राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में मछली, बहुमूल्य धातुएं आदि जैसे प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं लेकिन उनका उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन संसाधनों को दोहन करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) दोनों समुद्रों नामशः बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में विस्तृत सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य किया जा रहा है। प्रॉन्स, समुद्री झींगे तथा अन्य शंखमीन जैसे सजीव संसाधनों का उपयोग बहुत समय पहले से किया जा रहा है एवं उनकी वृद्धि-दर प्रति वर्ष 10 प्रतिशत है और इस प्रकार प्रति दस वर्ष में उनका कुल उत्पादन दुगुना हो जाता है।

इल्मेनाइट, मोनाजाइट, जरकॉन, फास्फोराइट, रूटाइल आदि जैसे निर्जीव (खनिज) संसाधनों का पता लगाया जा रहा है और महाद्वीपीय शेल्फ में प्लेसर भंडारों से उनका दोहन किया जा रहा है।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अत्यन्त परिष्कृत अनुसंधान जलयानों का प्रयोग करते हुए और विस्तृत सर्वेक्षण कार्य एवं उपर्युक्त संसाधनों का अन्वेषण किया जाना प्रस्तावित है।

इंग्लैंड में प्रवेश के लिए पारपत्र-आवेदनों में विलम्ब

4247. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इंग्लैंड में प्रवेश के लिए भारतीयों द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्रों के मामले में अब 22 महीने तक का विलम्ब किया जा रहा है;

(ख) क्या कानून में संशोधन किए बिना आप्रवास पर नियन्त्रण करने की विधि के रूप में ऐसा किया जा रहा है क्योंकि कानूनी रूप से राष्ट्रमंडल के नागरिक होने के नाते भारतीय ब्रिटेन में प्रवेश करने के पात्र हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को ब्रिटेन सरकार के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उसकी प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए आप्रवासन अधिनियम, 1971 तथा आप्रवासन नियमों के अनुसार, जो भारतीय राष्ट्रिक 'यात्रियों' के रूप में ब्रिटेन की यात्रा पर जाते हैं, उन्हें वीसा या प्रवेश प्रमाणपत्रों की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप्रवासन अधिकारी यात्रा के लिए यात्री के प्रयोजन उद्देश्यों से संतुष्ट हो जाते हैं तो इस प्रकार के यात्रियों को प्रवेश की अनुमति उनके द्वारा प्रवेश बन्दगाह पर दे दी जाती है।

(ख) से (घ). जब कभी भी सरकार के ध्यान में विशिष्ट कठिनाइयां लाई जाती हैं तो इन्हें ब्रिटिश सरकार के साथ उठाया जाता है।

[हिन्दी]

हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकें

4248. श्री कृष्ण प्रताप सिंह :-क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 में गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की कितनी बैठकें हुई;

(ख) इन बैठकों में कौन-कौन से संकल्प पारित किए गए; और

(ग) इन संकल्पों का क्रियान्वयन सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग). हिन्दी सलाहकार समिति का कार्यकाल अप्रैल, 1984 में समाप्त हो गया। इसके पुनर्गठन का प्रश्न विचाराधीन है और समिति की बैठकें पुनर्गठन के बाद ही संभव हो सकेंगी।

[अनुवाद]

भारी जल संयंत्र के लिए सुरक्षा उपाय

4249. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में थाल-वैशट स्थित भारी जल संयंत्र में कार्य सभी सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां। संयंत्र के डिजाइन में सुरक्षा सम्बन्धी सभी उपाए शामिल किए गए हैं।

(ख) संयंत्र अभी निर्माणाधीन है।

कनाडा द्वारा यूनेस्को की सदस्यता का छोड़ा जाना

4250. श्री बृज मोहन महन्ती : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा अमरीका का अनुसरण करते हुए यूनेस्को की सदस्यता इस आधार पर छोड़ रहा है कि नई सूचना व्यवस्था और नई अर्थव्यवस्था का लागू किया जाना विश्व के विकसित देशों के हित के विरुद्ध है;

(ख) यदि हां, तो इसका विश्व संगठन पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) सरकार को कनाडा से जारी ऐसे किसी वक्तव्य की जानकारी नहीं है कि वह यूनेस्को से अलग हो रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

समुद्री तटों के निकट होटल बनाना

4251. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम ने समुद्री तटों के निकट होटलों की स्थापना करने का एक कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारतीय पर्यटन विकास निगम के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम का विचार समुद्री तटों के निकट कुछ "फैमिली विला काम्पेलक्स" (पारिवारिक निवास संकुल) बनाने का भी है; और

(घ) वर्ष 1985-86 में कितने "फेमिली विला काम्पलेक्स" बनाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख). फिलहाल भारत पर्यटम विकास निगम कोवलम और महाबलीपुरम में एक-एक समुद्र-तट विहार-स्थल (बीच रिसोर्ट) चला रहा है। संयुक्त उद्यम स्कीम के अंतर्गत, भारत पर्यटन विकास निगम ने समुद्र-तटों के पास निम्नलिखित होटल स्थापित करने का निर्णय लिया है :

होटल का नाम	सहयोग-कर्त्ता	परियोजना की व्यापित	अनुमानित लागत (लाख रु० में)
1. पुरी	उड़ीसा पर्यटन विकास निगम	44 कमरे, 3-स्टार	190,00
2. पांडिचेरी	पांडिचेरी औद्योगिक संवर्धन विकास निवेश निगम	20 कमरे, 1-स्टार	81,00

(ग) और (घ). भारत पर्यटन विकास निगम ने गोआ में प्रस्तावित फैमिली बीच रिसार्ट प्रोजेक्ट का व्यवहार्यता-अध्ययन कराने के लिए मैसर्स एस० आई० एम० ए० होटल्स एंड रिसार्ट्स लिमिटेड बंबई के साथ एक समझौता किया है। शर्तों के मुताबिक, भारत पर्यटन विकास निगम को 4 लाख रु० की एक-मुक्त राशि का भुगतान किया जाएगा। निगम रिसार्ट की आयोजना, डिजाइनिंग, निर्माण, फार्निशिंग और साज-सज्जा के क्षेत्र में तकनीकी परामर्शी सेवा प्रदान करेगा। काम्पलेक्स के समुचित परिचालक के लिए बाद में निगम सभी सेवाओं के नियंत्रण और निष्पादन के बारे में कमीशन आधार पर निर्देशन और पर्यवेक्षण करेगा। भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा स्वयं समुद्र तटों के पास "फैमिली विला काम्पलैस" स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विदेशों में सरकारी मामलों में मुकदमों पर व्यय

4252. श्री मूल चन्द डागा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारत सरकार के मामलों में मुकदमेबाजी और वकीलों की फीस आदि पर कितनी राशि अदा की गई अथवा व्यय की गई है तथा पिछले तीन वर्ष के दौरान इसका वर्ष-वार और देश-वार व्यय (भारतीय मुद्रा में) का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या ऐसे स्थानों पर, जहां इस प्रकार का व्यय बहुत अधिक है, भारतीय मिशनों मे उपर्युक्त अर्हता वाले भारतीय अधिकारियों को नियुक्त करके इस व्यय को कम कर पाना संभव नहीं है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री खुर्शीद आलम खां) : (क)विदेश स्थित मिशनों, और केन्द्रों से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ख) ऊपर (क) में बताई गई सूचना एकत्र कर लेने पर इस मामले पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

लॉस एंजिलेस ओलिम्पिक खेलों में भारत का प्रदर्शन

4253. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या युवा कार्य और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लॉस एंजिलेस में हुए ओलिपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक था और यदि हां, तो इसके लिए कौन-सी बातें जिम्मेदार है और क्या इनकी जांच किसी निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा कराई गई है; और

(ख) यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्रतिभा पलायन संबंधी गोष्ठी

4254. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के बहुत से मेधावी छात्र अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र से बाहर अपना कैरियर चुनते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या मार्च 1985 में नई दिल्ली में "प्रतिभा पलायन···कारण, परिणाम और प्रस्तावित हल" संबंधी गोष्ठी हुई थी;

(घ) यदि हां, तो गोष्ठी में क्या सिफारिशें की गई;

(ङ) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख). यह सत्य है कि इंजीनियरी और वैज्ञानिक पृष्ठभूमि वाले कुछ विद्यार्थी अपने विशिष्टता के क्षेत्रों से अलग पेशों को जीवन में अपनाते हैं जैसे प्रबंधन, सिविल सेवायें इत्यादि। उनकी विशिष्टता के क्षेत्र में ही उन्हें उपयुक्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं।

(ग) और (घ). समाचार पत्र की रिपोर्टों के अनुसार 17 मार्च, 1985 को "प्रतिभा पलायन

के कारणों, परिणामों और प्रस्तावित समाधानों" पर एक संगोष्ठी का आयोजन एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा किया गया। सरकार को इसकी सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बांग्ला देश के साथ लगने वाली सीमा पर बाड़ लगाने पर व्यय की गई राशि

4255. **श्री काली प्रसाद पांडेय :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बांग्ला देश के साथ लगी सीमा पर बाड़ लगाने पर आज की तारीख तक कुल कितनी राशि व्यय हुई है ; और

(ख) इस संबंध में अब तक कितना कार्य किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, जिसे यह कार्य सौंपा गया है, ने तारों की बाड़ से संबंधित निर्माण/सर्वेक्षण कार्यों पर मार्च, 1985 तक 1.22 लाख रुपये की राशि व्यय की है।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने असम में धुबरी जिले में तारों की बाड़ लगाने का सर्वेक्षण कार्य 27 मार्च, 1984 से तकनीकी समिति की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद शुरू किया था। तकनीकी समिति ने सलाह दी थी कि निर्माण कार्य वास्तव में शुरू किये जाने से पहले सर्वेक्षण कार्य किया जाना चाहिए। यह कार्य अप्रैल, 1984 के अंतिम सप्ताह तक जारी रहा। इसके बाद इसे स्थगित कर दिया गया। बाद में कार्य बाढ़, मानसून इत्यादि के कारण जारी नहीं रखा जा सका। कार्य शीघ्र शुरू किये जाने का विचार है।

सिविल और रक्षा कर्मचारियों के पेंशन के मामलों का निपटारा

4256. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सिविल और रक्षा कर्मचारियों के पेंशन संबंधी उन सभी मामलों को निपटाने के लिए एक अभियान चलाएगी जो तीन वर्ष से भी अधिक समय से लम्बित पड़े हैं ताकि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशनभोगियों को पर्याप्त राहत मिल सके;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे सभी मामलों को कम से कम समय में निपटाने के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को अनुदेश जारी किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग). केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अधीन पेंशन, कुटुम्ब पेंशन और उपदान को प्राधिकृत करने की क्रियाविधि को पिछले कुछ वर्षों से सरल बना दिया गया है। सरकार की नीति यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी जिस महीने में सेवानिवृत्त होता है, उससे अगले महीने की पहली तारीख से पेंशन प्राप्त करना शुरू कर दे। विभिन्न प्रशासनिक तथा लेखा प्राधिकारी इस नीति का कड़ाई से पालन करें—इस बात को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पेंशन को प्राधिकृत करने की क्रियाविधि की निरंतर पुनरीक्षा की जाती है तथा इसे समय समय पर सरलीकृत और संशोधित किया जाता है। ऐसे मामलों के निपटान पर निगाह रखने के प्रयोजन से लम्बित मामलों के संबंध में तथा ऐसे मामलों को शीघ्र अन्तिम रूप दिया जाना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन विभागों द्वारा किए जा रहे उपायों के संबंध में विभिन्न विभागों से

सूचना मंगाने के लिए एक प्रपत्र पहले ही निधारित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव ने यह सुझाव देते हुए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सभी सचिवों को लिखा है कि वे पेंशन के लम्बित मामलों पर अपने स्तर पर अथवा कम से कम संयुक्त सचिव के स्तर परतथा सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के संबंध में विभागाध्यक्ष के स्तर पर आवधिक रूप से अर्थात वर्ष में एक बार नजर डालें। जब प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के दिसंबर के वेतन बिलों को तैयार किया जाता है उस समय यह पुनरीक्षा विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए की जाए कि सरकारी कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका सभी दृष्टियों से पूरी हैं तथा सभी सरकारी कर्मचारियों ने मृत्यु तथा सेवा-निवृत्ति उपदान, सामान्य भविष्य निधि आदि के संबंध में नामांकन भर दिया है। यह आशा है कि इस तरह पेंशम मामलों के समय पर निपटाने के लक्ष्य की पूर्ति में काफी मदद मिलेगी। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने ऐसी सभी शिकायतों का तुरन्त निपटान सुनिश्चित करने के उपाय के लिए सभी महालेखाकारों (हकदारी के कार्य से संबंधित) को लिखा है। इस विषय में इस विभाग ने सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों के मुख्य सचिवों को भी लिखा है।

सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्ति सरकारी कर्मचारियों के सम्मुख आने वाली समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से सरकार ने हाल ही में पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण नाम के एक अलग विभाग की स्थापना भी की है।

इंडियन एयरलाइन्स में विमान-परिचारिकाएं

4257. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स निगम में विमान-परिचारिकाओं सहित महिला कर्मचारियों की संख्या क्या है;

(ख) आयु तथा शारीरिक अनुपयुक्तता आदि के कारण प्रतिवर्ष औसतन कितनी विमान परिचारिकाओं को कार्यालयों में अन्य कार्यों पर तैनात किया जाता है; और

(ग) विमान परिचारिकाओं की तथा पुरुष-स्टीवर्ड की जो विमान में चालक दल के सदस्य के रूप में काम करते हैं, सेवा-निवृति की आयु क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) 1 जनवरी, 1985 को इंडियन एयरलान्स में 509 विमान परिचारिकाओं सहित 1711 महिला कर्मचारी थीं।

(ख) शारीरिक दृष्टि से अनुपयुक्त होने या आयु के कारण किसी भी विमान परिचारिका को अन्य कार्यों पर तैनात नहीं किया गया है।

(ग) विमान परिचारिकाएं 35 वर्ष (इसे 45 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकता है) की आयु पर तथा स्टीवर्ड 50 वर्ष की आयु पर सेवा-निवृत्त होते हैं।

राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थानों में कार्यरत प्रशिक्षक

4258. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या युवा कार्य और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान के एककों में प्रत्येक श्रेणी के कुल कितने प्रशिक्षक काम कर रहे हैं;

(ख) उनमें से कितने प्रशिक्षकों ने विदेशों से प्रशिक्षण प्राप्त किया था और सम्बन्धित वर्ग में उनमें से कितने प्रशिक्षकों ने ओलम्पिक खेलों में भाग लिया है या अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है अथवा अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं;

(ग) क्या उनका कार्यकरण संतोषजनक रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) 793. विषयवार ब्यौरे संलग्न विवरण-एक में दिए गए हैं।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण दो में दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण-एक

प्रशिक्षकों के विषय वार ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

1. एथलेटिक्स	108
2. बैडमिन्टन	32
3. बास्केटबाल	58
4. मुक्केबाजी	18
5. क्रिकेट	28
6. फुटबाल	87
7. जिम्नास्टिक्स	55
8. हैन्डबाल	10
9. हाकी	91
10. जूडो	22
11. खो-खो/कबड्डी	39
15. लान टेनिस	17
13. तैराकी	20
14. टेबल टेनिस	28
15. वालीबाल	106
16. भारोत्तोलन	28
17. कुश्ती	44
18. साईक्लिंग	2
कुल :	793

विवरण-दो

(i) विदेशों में प्रशिक्षित हुए	—72
(ii) भूतपूर्व ओलम्पिक खिलाड़ी	—10
(iii) अर्जुन पुरस्कार विजेता	—4
(iv) भूतपूर्व अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी (II और III में शामिल के सहित)	—32

राजभाषा समिति का विदेशों का दौरा

4259. **श्री के० राममूर्ति** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976 में राजभाषा समिति के गठन के बाद से सम्पूर्ण राजभाषा समिति ने अथवा इसकी उप-समितियों ने कितनी बार विदेशों का दौरा किया और विदेशों के इन दौरों पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई हैं;

(ख) समिति ने किन-किन देशों का दौरा किया और इन विदेशी दौरों का क्या प्रयोजन था; और

(ग) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप कब तक दिये जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मणिपुर और नागालैंड सीमा पर एक राष्ट्रीय उद्यान

4260. **प्रो० कामसन मिजिनलंग** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर और नागालैंड सीमा के पास जुकू घाटी में एक राष्ट्रीय उद्योग/वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना का कोई विचार है;

(ख) जुकू घाटी का कुल क्षेत्रफल कितना है और मणिपुर और नागालैंड में उसका कितना-कितना क्षेत्र आता है; और

(ग) उपर्युक्त उद्यान की स्थापना के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) से (ग). संबंधित राज्यों से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

"ट्राइबल नेशनल वालंटीयर्स" द्वारा समानान्तर प्रशासन चलाया जाना

4261. **श्री लक्ष्मण मलिक** :

श्री पीयूष तिरकी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 मार्च, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि ट्राइबल नेशनल वालंटीयर्स की स्वतंत्र त्रिपुरा

सरकार स्वयंभू "प्रसीडेंट" के नेतृत्व में राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में समानान्तर प्रशासन चलाने की कोशिश कर रही है;

(ख) क्या उग्रवादी ग्रामीणों, अध्यापकों, व्यापारियों सहित सभी वर्गों के लोगों और सरकारी कर्मचारियों को भी कर का भुगतान करने के नोटिस जारी जारी कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है। परन्तु सरकार यह नहीं मानती है कि टी० एन० वी० का अध्यक्ष, त्रिपुरा के दूर-दराज के क्षेत्रों में समानान्तर सरकार चला रहा है।

(ख) और (ग). सरकार को इस प्रकार की कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। विद्रोह से निपटने और विधि व व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा उपाय कड़े कर दिए गए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में खोज कार्य शुरू कर दिए गए हैं और कड़ी निगरानी रखी जा रही है। त्रिपुरा में सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गयी है।

पर्यटक महत्व के स्थानों पर बड़े होटलों का निर्माण

4262. **श्री एन० डेनिस** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटक महत्व के विभिन्न स्थानों पर अगले पांच वर्षों के दौरान बड़े होटलों के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख). भारत पर्यटन विकास निगम और भारतीय होटल निगम की सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

दिल्ली पुलिस के अराजपत्रित कर्मचारियों की बहाली

4263. **श्री हरीश रावत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस के अराजपत्रित कर्मचारियों ने 14 अप्रैल, 1967 को एक आंदोलन आरम्भ किया था;

(ख) क्या इस आंदोलन के कारण एक हजार चौदह कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या उन सभी एक हजार चौदह कर्मचारियों को अब बहाल कर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो कितने कर्मचारियों को बहाल किया गया है और कितनों को अभी तक बहाल नहीं किया गया है; और

(ङ) कर्मचारियों को अभी तक बहाल न किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) से (ङ). गृह मंत्री द्वारा की गयी अपील पर 1014 पुलिस कर्मचारियों में से 51 पुलिस कर्मचारी ड्यूटी पर आ गये थे। 715 को सेवा में बहाल किया गया था। 165 कर्मचारियों के नाम दिल्ली पुलिस में पुनः सूचीबद्ध किये गये। 62 कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया गया और बाद में केन्द्रीय पुलिस संगठनों/दिल्ली पुलिस में समाहित किया गया। 18 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। 3 कर्मचारी जांच के दौरान मर गए।

[अनुवाद]

सिक्किम को और सिक्किम से विमान सेवा

4264. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम में कोई नागरिक विमान पत्तन नहीं है; और

(ख) इंडियन एयरलाइन्स और वायुदूत कब से सिक्किम को और सिक्किम से अपनी सेवाएं आरम्भ करेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख). सिक्किम में कोई नागर हवाई अड्डा नहीं है। तथापि नागर विमानन के महानिदेशक को स्टोल किस्म के विमान से प्रचालन करने के लिए गंगटोक में हवाई अड्डे का निर्माण करने के लिए अवस्थिति/स्थान का पता लगाने को कहा गया है। हवाई अड्डे तथा अन्य आधार संरचना का विकास हो जाने के बाद ही विमान सेवाएं आरंभ की जा सकती हैं।

"यात्री निवासों" के बारे में नीति

4265. **श्री विजय एन० पाटिल :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या सरकार ने दिल्ली स्थित अशोक यात्री निवास के अनुभव के आधार पर यात्री निवासों के बारे में कोई नीति तैयार करने का निर्णय किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

वनों का संरक्षण

4266. **श्री जगन्नाथ पटनायक :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वनों के संरक्षण और वृक्षों की अवैध कटाई को रोकने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) क्या इस संबंध में एक राष्ट्रीय वन नीति बनाने का कोई विचार है;

(ग) क्या सिंचाई और अन्य परियोजनाओं के लिए वनों की भूमि देने के लिए कुछ मार्ग निदेश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

. पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां ।

(ख) 1952 में घोषित राष्ट्रीय वन नीति के संशोधन पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1095/85]

केरल की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन

4267. **श्री सुरेश कुरुप :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल की वित्तीय स्थिति के बारे में योजना आयोग ने क्या मूल्यांकन किया है;

(ख) क्या यह राज्य कम राजस्व वाला राज्य है; और

(ग) यदि हां, तो वित्त आयोग ने इसके बारे में अलग विचार कैसे व्यक्त किये ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख). सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के संदर्भ में राज्य सरकार के परामर्श से योजना आयोग द्वारा किए गए प्रारंभिक मूल्यांकन से यह पता चला है कि केन्द्रीय सहायता, बाजार-ऋण और वित्तीय संस्थाओं से सहायता को ध्यान में रखे बिना योजना के लिए राज्य के संसाधन नहीं के बराबर होंगे ।

(ग) आठवें वित्त आयोग के मूल्यांकन के आधार इसकी रिपोर्ट में दिए गए हैं जो संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

बंगला देश के साथ लगने वाली सीमा पर बाड़ लगाने के विकल्प

4268. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :**

डा० जी० विजय रामा राव :

श्री एम० रघुमा रेड्डी :

श्री सी० माधव रेड्डी :

डा० कृपा सिन्धु भोई :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बंगला देश के साथ लगने वाली सीमा पर बाड़ लगाने के विकल्पों पर विचार कर रही है जैसाकि दिनांक 31 मार्च, 1985 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग). सरकार का भारत-बंगला देश सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य पुनः शीघ्र करने का विचार है ।

पर्यावरणीय खतरे में आई भूमि

4269. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 304 मिलियन हेक्टेयर परती भूमि में से 175 मिलियन हेक्टेयर भूमि अब पर्यावरण खतरे में है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस भूमि का विकास करने और इस पर खेती करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान परती भूमि को कृषि योग्य बनाने में क्या प्रगति हुई है; और कितनी भूमि को खेती करने के काम में लाया गया है; और

(घ) कृषि योग्य बनाई गई उस भूमि में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितना कृषि उत्पादन हुआ है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) कुल 1750 लाख हेक्टार के अनुमानित क्षेत्र में जल लग्नता, लवणीयता तथा क्षारीयता, जल-भू क्षरण, झूम खेती आदि के जरिए भू-क्षरण तथा भूमि अवक्रमण होता है।

(ख) इस प्रकार की भूमि का सर्वेक्षण तथा कुछ क्षेत्रों का सुधार करने के लिए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। 1982-83 से परती भूमि के पुनर्स्थापन से सम्बन्धित एक विशेष कार्यक्रम चल रहा है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान लगभग 4.61 लाख हेक्टार क्षेत्र कृषि के अन्तर्गत लाया गया है और 5.01 लाख हेक्टार क्षेत्र वनरोपण तथा चारागाह भूमि विकास के अन्तर्गत लाया है।

(घ) इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की वजह से अतिरिक्त उत्पादन के सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 1982-83 और 1983-84 के दो वर्षों के करीब 29000 मीटरी टन अतिरिक्त कृषि उत्पादन हुआ है।

पर्यटकों के लिए विपणन विकास निधि

4270. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या पर्यटक और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटकों के लिए एक विपणन विकास निधि (मार्केट डेवलमेंट फण्ड) बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्ति पर विदेश भेजा जाना

4271. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982-83 और 1984-85 की अवधि के दौरान पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्ति पर विदेशों के कुछ स्थानों में भेजा गया था;

(ख) इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए पुलिस अधिकारियों के चयन के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए थे;

(ग) पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए किन संस्थानों में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया; और

(घ) विदेशों में प्रशिक्षण के लिए राज्यवार कितने पुलिस अधिकारी भेजे गए और प्रत्येक मामले में प्रशिक्षण की अवधि क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

विदेशों में विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्क्रमों के लिए प्रतिनियुक्ति के लिए भा० पु०से० अधिकारियों की उपयुक्तता पर उच्च स्तरीय समिति बिचार करती है। जो, पाठ्यक्रम-विशेष के लिए निर्धारित योग्यता को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें करती है। समिति चयन करते समय सामान्यतः निम्नलिखित मानदण्ड अपनाती है :

(i) अधिकारी को उस विषय या क्षेत्र का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए जिसमें उसे प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है।

(ii) प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद उस की कम से कम 3 साल की सेवा अवधि बाकी हो।

(iii) जहाँ तक सम्भव हो, 45 वर्ष से अधिक आयु के अधिकारियों के नामों की सिफारिश नहीं की जाती है। जब तक कि कुछ ऐसे बिशेष कारण न हो जिससे इस आयु सीमा में छूट देना आवश्यक हो।

(v) जिस अधिकारी ने एक महीने या इससे अधिक अवधि का विदेश प्रशिक्षण कार्यक्रम पहले ही प्राप्त किया हो, उसके नाम की सिफ़ारिश दूसरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नहीं की जाती है।

(v) वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में अंकित अधिकारी का कार्य निष्पादन और उसकी वरिष्ठता को उचित महत्व दिया जाता है।

(vi) नामांकन, अधिकारी की प्रशिक्षण आवश्यकताओं और उसकी दीर्घ-अवधि केरियर नियोजन को ध्यान में रखकर किया जाता है।

(vii) जिन अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता/अनुशासनात्मक कारंवाई लम्बित है और जिनका कुल कार्य औसतन कम हो, उनका नामांकन नहीं किया जाय।

(viii) विदेश प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अधिकारियों का चयन करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछले वर्गों के अधिकारियों के दावों पर उचित विचार किया जाता है।

इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में विलम्ब

4272. श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान, तकनीकी कारणों से, इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में कितनी बार विलम्ब हुआ;

(ख) उक्त तकनीकी समस्याओं के कारण प्रत्येक बार प्रतिदिन कितनी उड़ानें विलम्ब से गईं; और

(ग) क्या सरकार का विचार तकनीकी कारणों से उड़ानों में विलम्ब होने की स्थिति में तुरन्त उड़ान भरने के लिए साथ में अन्य विमान भी तैयार रखने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख). वर्ष 1984 में इंडियन एयरलाइन्स की कुल 1,02,227 उड़ानों में तकनीकी कारणों से विलम्ब हुआ था जो कुल उड़ानों का 1.36 प्रतिशत है। प्रति दिन औसतन 280 प्रस्थानों में से तकनीकी कारणों से जिन उड़ानों में देरी हुई उनकी संख्या 3.7 थी।

(ग) जी, नहीं। इस प्रयोजन के लिए विभिन्न स्टेशनों पर विमान तैयार रखना न तो व्यावहारिक है और न आर्थिक दृष्टि से विकासक्षम है।

पश्चिम घाट में वन-कटाई

4273. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी घाट क्षेत्र में प्रति वर्ष कितने पेड़ गिराये जाते हैं;

(ख) प्रति वर्ष, अनुमानत : कितने कितने क्षेत्र में वन-कटाई होती है और अब तक कितने क्षेत्र में वन-कटाई हो चुकी है;

(ग) इस क्षेत्र में पुनर्रोपण का कार्य कहां तक किया गया है; और

(घ) भविष्य में वन-कटाई को रोकने हेतु सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) से (ग). संबंधित राज्य सरकारों से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) वन-कटाई को रोकने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए उपाय नीचे दिए गए हैं :

(1) वन भूमि के गैर-वन भूमि के रूप में अन्धाधुन्ध उपयोग किए जाने को रोकने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 बनाया गया है।

(2) वनों के कार्यकरण तथा कार्यकारी (प्रबंध) योजनायें तैयार करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं।

(3) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को क्षेत्रीय स्तर पर प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ बनाने की सलाह दी गई है।

(4) वन संरक्षण के पक्ष में आवश्यक बल प्रदान करने तथा इस प्रयोजन के लिए जन आन्दोलन शुरू करने के लिए राष्ट्रीय वन नीति की समीक्षा की जा रही है।

(5) वनरोपण का बृहत कार्यक्रम शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

(6) वनों पर दबाव कम करने हेतु, विशेष रूप से प्रतिस्थापना सामग्री के प्रयोग को प्रोत्साहन देकर पद्धतियां तैयार करने की दृष्टि से गहन अध्ययन किया जा रहा है।

(7) वन संसाधनों पर दबाव को कम करने के उपाय के रूप में वित्तीय उपाय भी किए गए हैं उपभोक्ता उद्योगों द्वारा लुगदी और लकड़ी की छीलन के आयात को उत्पात शुल्क से छूट दे दी गई है। कुछ विशिष्ट रूपों में लकड़ी पर लगे सीमा शुल्क को 100 प्रतिशत घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।

मध्य प्रदेश में परमाणु ऊर्जा परियोजना की स्थापना

4274. **श्री एम० एल० झिकराम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में बार्गी बांध के निकट चुटका पठा गांव में परमाणु ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिये सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या इस परियोजना की स्थापना के लिये चुटका पठा सर्वाधिक उपयुक्त स्थान पाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस परियोजना पर कब तक कार्य शुरू हो जाने की सम्भावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रोनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ). परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा गठित स्थल चयन समिति ने पश्चिमी विद्युत क्षेत्र के अन्य स्थलों के साथ-साथ मध्य प्रदेश के कुछ स्थलों का भी सर्वेक्षण किया है, जिनमें बार्गी बांध के निकट स्थित एक स्थल भी शामिल है। पश्चिमी विद्युत क्षेत्र में भविष्य में परमाणु बिजली घर लगाने के लिए विभिन्न स्थलों के बारे में अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए पृथक मंत्रालय

4275. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए एक पृथक मंत्रालय बनाया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग). अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए अलग मंत्रालय बनाना आवश्यक नहीं समझा गया है परन्तु गृह मंत्रालय में वर्तमान व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावशाली बनाने की कोशिश की जा रही है।

नक्काशी वाले मिट्टी के बर्तन

4276. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन स्थानों पर खुदाई में नक्काशी वाले मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं;

(ख) इन स्थानों पर अन्य कौन-कौन भी कलात्मक वस्तुएं पाई गई हैं;

(ग) क्या इन स्थानों का महाभारत युग से कोई संबंध हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या महाभारत की कथा की सत्यता की पुष्टि करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कोई विशेष अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसे प्रासंगिक वृतान्त की घटना को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) उत्तरी भारत में, रोपड़, सनेट, मथुरा, हस्तिनापुरा, भगवान पुरा, अतरंजीखेड़ा, जखेरा, सोख, नोह, अहिच्छत्रा आदि स्थानों में से नक्काशी वाले मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं।

(ख) इस प्रकार के मिट्टी के बर्तनों के अलावा तांबा और लोहे की कलात्मक वस्तुएं, कांच, मनिका, पक्की मिट्टी की मूर्तियां आदि मिली हैं।

(ग) कुछ अध्येताओं ने इस प्रकार के बर्तनों को महाभारत से सम्बद्ध बताया है जबकि कुछ ने उपयुक्त सामग्री सम्बन्धी साक्ष्य के अभाव में इसका खण्डन किया है।

(घ) और (ङ). भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सम्बद्ध कुछ अध्येताओं ने इस समस्या का अध्ययन तो किया है परन्तु इस पर उनके विचार एक जैसे नहीं हैं। क्योंकि पुराणों में उल्लिखित अथवा भारत में प्रचलित खगोलीय परम्पराओं के अनुसार तथा संस्कृत के विद्वानों और इतिहासकारों के विचार महाभारत की तारीख के सम्बन्ध में भिन्न हैं, किसी पुरातत्वीय संस्कृति को महाभारत से सम्बद्ध करना संभव नहीं है।

प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के तरीके

4277. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रदर्शनकारियों अथवा भीड़ बेकाबू होने पर उन्हें तितर-बितर करने के लिए गोली चलाने की सामान्य प्रथा सारे देश में है हालांकि ऐसी सख्त कार्यवाही करने की प्रत्येक मामले में जरूरत नहीं होती ; और

(ख) क्या सरकार का विचार प्रदर्शनकारियों अथवा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पानी की तेज धार लकड़ी अथवा रबड़ की बुलेट अथवा रबड़ की गोलियां जैसी वस्तुओं का प्रयोग करके कुछ अन्य तरीके प्रयोग में लाने का है ताकि गोली चलाये जाने के कारण मृत्यु न हो ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) गैर कानूनी रूप से लोगों के जमा होने पर बल प्रयोग स्थानीय कानूनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जब जमाव गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है तो बल प्रयोग करने से पहले लोगों को तितर-बितर होने के लिए पर्याप्त रूप से चेतावनी दी जाती है और अपवादात्मक और विकट परिस्थितियों में, जब जान व माल को गंभीर खतरा हो, आखिरी उपाय के तौर पर गोली चलाकर जमा हुए लोगों को तितर-बितर किया जाता

है। सामान्यत: गोली चलाने से पहले अश्रु गैस तथा लाठी चार्ज की कार्रवाईयां की जाती हैं और हर कार्रवाई से पहले समुचित चेतावनी दी जाती है।

(ख) जी हां, श्रीमान। गैर कानूनी जमाव को तितर-बितर करने के लिए कुछ कम घातक शस्त्र पद्धतियां जैसे रबड़ बुलैट पद्धति, प्लास्टिक गोली पद्धति, स्माल आर्म्स कारतूस, तथा स्टन ग्रेनेड्स तथा स्टन शैल्स विकसित की जा रही हैं।

परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, भुवनेश्वर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

4278. **श्री अनादि चरण दास** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 मार्च, 1985 को भुवनेश्वर में स्थित परियोजना मूल्यांकन कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या क्या थी ;

(ख) क्या कर्मचारियों की यह संख्या उड़ीसा राज्य के कार्यों की देखभाल करने के लिए पर्याप्त है ; और

(ग) इसी कार्यालय में दिनांक 1 मार्च, 1985 को श्रेणी-वार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध कर्मचारियों की संख्या क्या थी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) 4 (चार)।

(ख) परियोजना कार्यक्रम मूल्यांकन के भुवनेश्वर स्थित कार्यालय का काम नई दिल्ली स्थित कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (मुख्यालय) द्वारा इसे सौंपे गए क्षेत्रीय तथा अन्य मूल्यांकन कार्य करना है। इसके कार्य के आकार का उड़ीसा राज्य के अधिकारियों से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है।

(ग) अनुसूचित जाति का ग्रुप 'डी' स्तर का 1 (एक) कर्मचारी।

जनकपुरी में फ्लैटों के लिए सम्पत्ति कर की अदायगी

4279. **श्री राम समुझावन** : क्या गृह मंत्री दिल्ली नगर निगम द्वारा जनकपुरी में एम० आई० जी० फ्लैटों पर सम्पत्ति कर लगाये जाने के बारे में 7 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1644 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के तत्कालीन राज्य मंत्री द्वारा जनकपुरी में एम० आई० जी० फ्लैटों के आवंटितियों से फ्लैटों का वास्तविक कब्जा लिये जाने से पहले की अवधि के लिये उनसे सम्पत्ति कर की अदायगी की मांग के विरुद्ध स्पष्ट वक्तव्य के बावजूद इसकी बकाया राशि को वर्ष 1984-85 के लिये सम्पत्ति कर के बिलों में शामिल किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण के बीच इस मामले को हल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन को दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ इस मामले को हमेशा के लिये निपटा लेने और संबंधित आवंटितियों को उचित राहत देने के लिये आवश्यक अनुदेश जारी किये जायेंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग). जनकपुरी में दिल्ली विकास प्राधिकरण के एम० आई० जी० फ्लैटों के वर्तमान आवंटितियों द्वारा वास्तविक कब्जा लेने की तारीख से पहले की अवधि के लिए संपत्ति कर की अदायगी को दिल्ली प्रशासन द्वारा किए गए एक

निर्णय कि इस देयता का नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण के बीच समझौता किया जाएगा, के अनुसरण में आवंटितियों पर लागू नहीं किया जा रहा है। फिर भी, दो सांविधिक निकायों के बीच समझौते को अंतिम रूप न दिये जाने तक ऐसी मांगे तकनीकी अपेक्षा के रूप में आवंटितियों के लेखों में दिखाई जाती हैं।

आवंटितियों से ऐसे मांगी गई राशि वसूल न करने के लिये पश्चिमी जोन के निगम कर प्राधिकारियों को एक स्पष्ट आदेश जारी कर दिया गया है।

दहेज प्रथा पर रोक लगाने के लिए विधेयक

4280. **श्री अमर सिंह राठवा :**

श्री चिन्तामणि जेना :

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता चला है कि देश में दहेज के कारण होने वाली मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये मौतें अधिकतर मध्यवर्गीय और परिवारों में होती हैं;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रति क्रिया है;

(ग) क्या सरकार दहेज प्रथा पर पर्याप्त रोक लगाने के लिए दहेज प्रतिरोध अधिनियम में और संशोधन करने हेतु वर्तमान सत्र में एक विधेयक पुरःस्थापित करने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ). राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन अपराधों से संबंधित कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं। वर्ष 1982, 1983 और 1984 के दौरान दहेज के कारण हुई मौत के सूचित किये गये मामलों के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना परिशिष्ट—1 में दी जाती है। [**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1096/85**] इस सम्बन्ध में 12-9-83 को सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को विस्तृत अनुदेश जारी किये गए थे। इन अनुदेशों की एक प्रति परिशिष्ट—11 में संलग्न है।

न सिर्फ दहेज के कारण हुई मौत के मामलों बल्कि विवाहित महिलाओं से निर्दयता करने के मामलों से भी कारगर ढंग से निपटने के लिए अपराधिक कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1983 (1983 का अधिनियम सं० 36) द्वारा भारतीय दण्ड संहिता दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 में संशोधन किया गया है।

दहेज के कारण मृत्यु के सम्बन्ध में जब कभी कोई अभ्यावेदन प्राप्त होता है तो उसे सम्बन्धित राज्य सरकार के ध्यान में लाया जाता है।

दहेज प्रथा समाप्त करने के लिए निषेध अधिनियम, 1961 में संशोधन करने हेतु दहेज निषेध (संशोधन) विधेयक, 1984 संसद के दोनों सदनों में 1984 में पुरःस्थापित किया गया था और अब एक अधिनियम बन गया है। इस समय कोई अन्य प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राज्यों की सिंचाई के लिए अपर्याप्त आवंटन

4281. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि छठी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न वर्षों के दौरान राज्यों की सिंचाई के लिए पर्याप्त आवंटन नहीं किया गया जबकि सिंचाई को 20 सूत्री कार्यक्रम में प्रथम स्थान पर रखा गया था;

(ख) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्षों में प्रत्येक राज्य को सही-सही कितना आवंटन किया गया और उपरोक्त अवधि के प्रत्येक वर्ष में सिंचित क्षेत्र में कुल कितनी वृद्धि हुई; और

(ग) क्या राज्यों के आवंटन में काफी वृद्धि की जायेगी तथा धनराशि के आवंटन में सिंचाई को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी और सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में विभिन्न राज्यों में सिंचाई योजनाएं शुरू की जायेंगी ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) संसाधनों की उपलब्धता द्वारा उत्पन्न बाध्यकारिताओं को देखते हुए छठी योजना के दौरान राज्यों की योजनाओं में सिंचाई के लिए अधिकतम संभव आवंटन किये गए थे।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के पिछले 3 वर्षों के दौरान (सिंचाई के लिए) किए गए राज्यवार आवंटन और इन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सिंचित क्षेत्र में राज्यवार निवल वृद्धि संलग्न विवरण एक और दो में दी गई है।

(ग) सिंचाई, खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण आदान है और खाद्य उत्पादन में वृद्धि सातवीं योजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है और यह योजना आवंटन और कार्यान्वयन के लिए एक प्राथमिक क्षेत्र बना रहेगा। वास्तविक आवंटन उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करेंगे।

विवरण-एक

वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान बड़ी, मझोली और लघु सिंचाई स्कीमों के लिए आवंटन से संबंधित विवरण

(करोड़ रु०)

क्रम संख्या	राज्य संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बड़ी, मझोली और लघु सिंचाई स्कीमों के लिए आवंटन 1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	158.50	142.00	186.34
2.	असम	24.30	28.30	48.36
3.	बिहार	203.12	209.0	228.72
4.	गुजरात	200.90	235.75	223.66
5.	हरियाणा	65.35	87.66	76.20

1	2	3.	4	5
6.	हिमाचल प्रदेश	6.40	7.30	6.40
7.	जम्मू और कश्मीर	18.43	18.57	21.73
8.	कर्नाटक	98.58	107.69	129.92
9.	केरल	51.95	66.70	69.20
10.	मध्य प्रदेश	182.50	211.17	269.50
11.	महाराष्ट्र	293.88	341.39	323.5क
12.	मणिपुर	8.75	9.25	11.4
13.	मेघालय	1.55	1.55	1.69
14.	नागालैंड	1.86	2.00	2.25
15.	उड़ीसा	86.65	98.50	102.0
16.	पंजाब	46.20	45.70	45.70
17.	राजस्थान	71.83	83.45	90.25
18.	सिक्किम	0.90	1.25	1.25
19.	तमिलनाडु	43.38	58.37	52.16
20.	त्रिपुरा	6.05	7.00	7.50 (ख)
21.	उत्तर प्रदेश	229.24	248.47	265.29
22.	पश्चिम बंगाल	56.51	51.03	40.15**
23.	उप-जोड़—राज्य	1856.53	2062.10	2203.23
	उप-जोड़—संघ राज्य क्षेत्र	20.58	23.0877	23.342
	कुल जोड़	1877.11	2085.1877	2226.512

**राज्य योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(क) परिव्यय अस्थायी है ।

(ख) अस्थायी ।

विवरण-दो

(हजार हेक्टेयर सकल)

क्रम संख्या	राज्य	1982-83 (वास्तविक)	1983-84 (वास्तविक)	1984-75 (प्रत्याशित)
1.	आन्ध्र प्रदेश	209.1	166.5	164.9
2.	असम	3.04	42.5	40.2
3.	बिहार	286	338	357
4.	गुजरात	60	116.6	117
5.	हरियाणा	49.5	42	47
6.	हिमाचल प्रदेश	5	4.5	2.2
7.	जम्मू और कश्मीर	.59.66	8.77	14.97
8.	कर्नाटक	59.3	55.7	64.1
9.	केरल	28.7	34	56.3
10.	मध्य प्रदेश	135.8	165	169
11.	महाराष्ट्र	145.6	250.9	187
12.	मणिपुर	8.4	6.6	10
13.	मेघालय	2.9	1.5	4
14.	नागालैंड	2.8	3.2	3.5
15.	उड़ीसा	47	86	91.7
16.	पंजाब	67	57	51.9
17.	राजस्थान	67.5	53.7	55.2
18.	सिक्किम	1	1	1
19.	तमिलनाडु	38.56	53	.58
20.	त्रिपुरा	2.1	1.3	1.65
21.	उत्तर प्रदेश	788.1	783.46	787.4
22.	पश्चिम बंगाल	73.8	74.4	89.3
	उप-जोड़ : राज्य	2114.25	2345.63	2073.32

कुछ राज्यों के सम्बन्ध में आंकड़े कच्चे हैं तथा इनकी और पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है।

पोलेण्ड के प्रधान मंत्री की यात्रा

4282. **श्री उत्तम राठौर :**

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :

श्री अमर राय प्रधान :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलेन्ड के प्रधान मन्त्री की दिल्ली की हाल की यात्रा के दौरान भारत और पोलेण्ड के बीच द्वि-पक्षीय सहयोग के बारे में कोई समझौते किए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) रेडियो तथा टेलीविजन प्रसारण के सम्बन्ध में एक करार पर 12 फरवरी, 85 को भारत सरकार की ओर से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने तथा पोलैंड सरकार की ओर से पोलिस रेडियो एवं टेलिविजन राज्य समिति के अध्यक्ष ने हस्ताक्षर किये थे। इस करार के अन्तर्गत रेडियो और टेलिविजन के कार्यक्रमों और कार्मिकों के आदान प्रदान की व्यवस्था है।

12.01 म० प०

अहमदाबाद की स्थिति के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

कई सदस्य खड़े हुए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप सभी बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपका नाम भी पुकारूंगा। कृपया बैठ जाइए।

श्री चव्हाण।

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि यह सभा अहमदाबाद की स्थिति के बारे में गृह मंत्री द्वारा सदन में 23-4-1985 को दिए गए वक्तव्य पर विचार करती है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ : "कि यह सभा अहमदाबाद की स्थिति के बारे में गृह मन्त्री द्वारा सदन में 23-4-1985 को दिए गए वक्तव्य पर विचार करती है।"

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : क्या हम यह मानें कि उन्होंने प्रस्ताव कर दिया है और हम चर्चा प्रारम्भ कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समय निर्धारित करूंगा।

श्री के० के० तिवारी कृपया चर्चा आरम्भ करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह पहले ही बोलना प्रारम्भ कर चुके हैं। मैं किसी अन्य को अनुमति नहीं दूंगा···

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : सामान्यतः सबसे बड़े विपक्षी दल का प्रतिनिधि चर्चा प्रारम्भ करता है।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : गृह मंत्री ने प्रस्ताव कर दिया है। विपक्ष भी चर्चा करना चाहता है। सरकार भी चर्चा करनी चाहती है। अतः हम सीधे चर्चा आरम्भ कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उससे पहले मैं एक छोटी सी मद निपटाना चाहता हूं—वह है सभापटल पर रखे जाने वाले पत्र।

प्रो० मधु दण्डवते : उसे बाद में लिया जा सकता है। यह सदन की परम्परा नहीं है। उन्होंने प्रस्ताव कर दिया है और चर्चा आरम्भ हो चुकी है। इसमें अन्य किसी मद के व्यवधान नहीं डाला जा सकता है।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय, अहमदाबाद में हुई घटनाएं...

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सामान्यतः प्रक्रिया यह है कि सत्ताधारी पक्ष द्वारा प्रस्ताव किए जाने पर भी या तो प्रस्ताव करने वाला सबसे पहले टिप्पणियां करता है अथवा यह चर्चा प्रारम्भ हो तो सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता पहला भाषण देता है। तत्पश्चात् अन्यों को भाषण के लिए बुलाया जाता है। यह एक परम्परा है। परन्तु आपको परम्पराओं को तोड़ने की छूट है और नई परम्परायें स्थापित कर सकते हैं, यह आप पर निर्भर है।

श्री एच० के० एल० भगत : उन्होंने पहले ही यह प्रस्ताव कर दिया है कि उनके वक्तव्य पर विचार किया जाए। यह एक सरकारी प्रस्ताव है और यही परम्परा है।

प्रो० मधु दण्डवते : संसदीय कार्य मंत्री को अभी संसदीय प्रक्रियाओं को सीखना है।

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसीराम (नागरकुरनूल) : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात राज्य में जो स्थिति चल रही है उसको देखते हुए यह सोचने की बात है कि आज गुजरात में कोई सरकार चल रही है या नहीं। गुजरात राज्य में प्रेस के आफिसर्स को पुलिस वालों ने जलाया है। प्रेस के फोटोग्राफर्स को भी उन्होंने मारा है और प्रेस वालों को भी मारा है। सारे गुजरात में आज आग लगी हुई है और यह सब पुलिस वालों की तरफ से हो रहा है। दुःख की बात यह है कि हमारे जो मित्र उस तरफ बैठे हुए हैं, उनके भी मन में तो है कि यह घटनायें जो वहां पर हो रही हैं वह खराब हैं, लेकिन चूंकि उधर की बेंचेज पर बैठे हैं इसलिए वे इसको कह नहीं सकते हैं। हालांकि उनके भी मन में इसके लिए दुःख है, दर्द है, लेकिन वे कह नहीं सकते हैं।

आज आप जानते हैं कि गुजरात में सरकार फेल हो गई है, ला ऐंड आर्डर मेन्टेन करने में वहां की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है, इसलिए ऐसी सरकार को वहां पर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, उसको डिसमिस कर देना चाहिए। वहां पर मिलिट्री को भेजा गया है लेकिन वह भी फेल हो रही है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, उन्हें वक्तव्य की प्रति नहीं दी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : वक्तव्य कल दिया गया था।

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसीराम : जिस तरह से आज वहां पर गवर्नमेन्ट चल रही है, अगर आज इस समय वहां पर कोई अपोजीशन की गवर्नमेन्ट होती तो उसको डिसमिस करने के लिए फौरन आर्डर कर दिया जाता लेकिन आज वहां पर कांग्रेस की सरकार है इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं किया जाता है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था बनाए रखें। यदि आप चुप न रहे तो मैं आगे चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसीराम : यहां पर आज हमारे प्रधान मन्त्री जी बैठे हुए हैं, उनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं। मैं पांचवी और छठी लोकसभा में भी था, मैं जानता हूं राजीव जी बड़े सज्जन आदमी हैं, वे पालिटिक्स से बड़ी दूर थे लेकिन कैसे यहां पालिटिक्स में आ गए फिर भी उनकी अच्छी भावना है जिसकी हम कद्र करते हैं। राजीव जी की अपनी तरफ से हम इज्जत करते हैं लेकिन आज गुजरात में जो स्थिति चल रही है और जो अव्यवस्था है उसके सम्बन्ध में मैं प्रधान मन्त्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वहां पर गरीब लोगों तथा दूसरे लोगों की जान व माल जो खतरे में है, उनकी जो सम्पत्तियां जलाई जा रही हैं उनको बचाने के लिए जल्दी से जल्दी कदम उठायें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, वे कोई भी अच्छा काम करेंगे तो अपोजीशन वाले उनके साथ रहेंगे, हर अच्छे काम में हम उसके साथ हैं लेकिन कोई बुरा काम होगा तो कभी साथ नहीं देंगे। प्रधान मन्त्री जी, आप अच्छा काम कीजिए, हम आपका स्वागत करते हैं, अपोजीशन वालों की तरफ से हम स्वागत करते हैं, आप उस गुजरात गवर्नमेन्ट को डिसमिस करवाइए। उसके लिए हम आपका आभार मानेंगे और आपका नाम भी होगा, हर अपोजीशन वाले के दिल में आपके लिए बड़े ऊंचे खयालात होंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि जब अन्य सदस्य बोल रहे हों तो वे शान्ति बनाए रखें। यह मेरा सदन के सभी पक्षों से निवेदन है। मैं सदस्यों से निवेदन करता हूं कि शांत रहें क्योंकि सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। अत: भाषण के बीच सदस्यों को न रोकें। केवल 2 घंटे का समय आवंटित किया गया है। अतः सदस्य कृपया इस समय में ही अपनी बात पूरी करें।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात की घटनाओं के कारण माननीय सदस्य दुःखी हैं, सदन के बाहर वे लोगों को उत्तेजित कर रहे हैं। मैं अपने के पहले बोलने वाले सदस्य के भाषण से निराश हुआ हूं। मैंने माननीय सदस्य से गुजरात के बारे में यह हो हल्ला मचाने की आशा नहीं की थी और मुझे इस मामले को इस स्तर तक लाने की आशा नहीं थी। इसके और भी कई पहलू हैं। यदि आप वास्तव में इस समस्या को समझना चाहते हैं, तो वास्तव में हिंसा तो हुई है; परन्तु हिंसा आसमान से नहीं टपकी है। उसके कई कारण हैं। यदि आप देश के स्थायित्व

और शांति में रुचि रखते है और देश में सौहार्दपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक सम्बन्ध चाहते हैं, तो आपको हमारे देश में उत्पन्न हुई इस घृणित और भीषण घटनाओं के कारणों का विश्लेषण करना होगा जिनके कारण हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था और राजनीति की बदनामी हुई है।

गुजरात के बारे में बोलते हुए मेरा ध्यान इन्हीं परिस्थितियों में वर्ष 1974 में हुए आन्दोलन की ओर जाता है। महोदय, आपको याद होगा कि 1974 में इसी प्रकार का एक आंदोलन किया गया था। श्रीमती गांधी प्रधान मंत्री थीं और उन्हें बदनाम करने का लक्ष्य बनाया गया था। यह आंन्दोलन एक ऐसे संगठन द्वारा चलाया गया था जो अकस्मात ही बनाकर और उसका नाम नव निर्माण समिति था। हमें जो कुछ 1974 में हुआ हमें उसकी भूमिका को नहीं भूलना चाहिए। श्रीमती गांधी बांग्लादेश में मानवीय अधिकारों की पुनः प्राप्ति के लिए युद्ध में विजेता के रूप में उभरीं थीं। उसके बाद उन्होंने देश में प्रिवीयर्स समाप्त करने, बैंकों के राष्ट्रीयकरण जैसे भारी सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों को लाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए थे। जिनमें दलितों को न्याय का वायदा किया गया था। एक समतावादी समाज का वायदा था। यह उन लोगों के लिए बर्दाश्त से बाहर था जो श्रीमती गांधी की ऐतिहासिक उपलब्धियों को नकारना चाहते थे एक ओर तो यही ताकतें उन्हें दुर्गा के रूप में, देश की माता के रूप में कहतीं थी, मगर दूसरी ओर, जब उन्हें प्रसिद्ध और मान तभी भारत के लोगों का विश्वास प्राप्त हुआ, तो वही ताकतें विघटनकारी कार्यों में लग गईं जिनके परिणामस्वरूप अस्थिरता फैल गई और उसे समग्र क्रांति कहा गया। समग्र क्रांति-एक अत्यन्त भद्दी हालत अस्थिरता फैलानि की ही एक प्रक्रिया और साधन किए थी। अस्थिरता की ताकतें और विधि की विडंबना है कि**···जो कि अब एक राजनीतिक दल के, अर्थात जनता पार्टी के माननीय नेता हैं, तब विधान सभा में हमारे नेता थे। जब वह कांग्रेस में थे उन पर सभी प्रकार के भ्रष्टाचारों का आरोप लगाया गया था। उनके विरुद्ध प्रचार प्रारम्भ किया गया। परन्तु जब आंदोलन शांत हुआ और देश के समक्ष समस्याएँ खड़ी हो गईं और जब समग्र क्रांति वर्ष 1977 में श्रीमती गांधी की सरकार को तोड़ने में सफल हो गई तो यही व्यक्ति**···जिन पर सभी प्रकार के आरोप लगाए गए थे—हमारी पार्टी छोड़कर उन लोगों के साथ हो गए जिन्होंने भारत में खुशहाली के सब्ज बाग दिखाए थे।

उन्होंने एक वीर तथा नया भारत बनाने का वायदा किया था और तभी जनता पार्टी नाम का एक जर्जर संगठन बना। महोदय, यदि हम इस स्थिति को, गुजरात की इस भीषण स्थिति को वास्तव में समझना चाहते हैं, तो हमें इसकी पृष्ठभूमि को देखना ही होगा। अभी भी आंदोलन चल रहा है। क्या हो रहा है? विघटनकारी ताकतें अभी भी निरंकुश हैं। हमें श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या को नहीं भूलना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत के लोगों की स्वाधीनता एकता और एकात्मकता की कोई गारंटी मात्र किसी राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के किसी ग्रुप मर्जी पर निर्भर नहीं है। भारत के लोग ही भारत की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहे हैं। उन्होने ही भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष किया है और राष्ट्र के सम्मान और एकता की रक्षा की है। जब हम ब्रिटिश शासन के अधीन थे, हमारे पास कोई सेना और पुलिस बल नहीं था। स्वतंत्रता के लिए कौन लड़ा? भारत के लोगों की स्वतंत्रता हेतु किसने लड़ाई की? महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू और मौलना आज़ाद के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे के नीचे भारत के लोग ही लड़े। अतः इसी राजनीतिक पार्टी के माध्यम से भारत का पुनः उदय हुआ था।

श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात जब खतरा उत्पन्न हुआ था तो भारत के लोगों ने

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

ही, जिन्होंने कांग्रेस और महात्मा गांधी के प्रेरणादायक नेतृत्व में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, एकजुट होकर अस्थिरतावादी, विनाशकारी ताकतों, हत्या और अराजकता की स्थिति का मुकाबला किया और राजीव गांधी के हाथ मजबूत किए। श्री राजीव गांधी सत्ता में केवल भारत के प्रधान मंत्री बनने के लिए नहीं आए वरन् इस विशाल देश की स्वतंत्रता की रक्षा, स्वतन्त्रता की हमारी विरासत की रक्षा, साम्राज्यवाद के विरुद्ध हमारे संघर्ष की परम्परा की रक्षा के लिए आए और साम्प्रदायवादी और निराशावादी ताकतों जिन्होंने सदा ही हमारे देश को बांटने और कमजोर करने का काम किया है उनसे लड़ने के लिए आए हैं। भारत के लोगों ने उन लोगों का राजनीतिक अन्त कर दिया है। मैं उन राजनीतिक दलों का नाम ले सकता हूँ। जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और आर० एस० एस० ये तीनों वही पार्टियां हैं। इन लोगों को भारत की जनता ने राजनीतिक क्षितिज से हटा दिया है क्योंकि उसने महसूस किया है कि यह लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, यह लोग जनता की स्वतन्त्रता की रक्षा नहीं कर सकते हैं, भारत की एकता की रक्षा नहीं कर सकते हैं। अतः श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस (इ) को सत्ता में आने के लिए अपना मत दिया। विशेषकर इस कारण से कि भारत के लोग भारत की स्वतन्त्रता एकता को उत्पन्न निरन्तर खतरे के प्रति वास्तव में आशंकित थे।

इस पृष्ठभूमि में, हम जनता पार्टी के नेता**···, जनता पार्टी के महासचिव द्वारा दिए गए वक्तव्यों को कैसे भूल सकते हैं। ऊन्होंने कहा था "हम गड़बड़ी में हार गए हैं। हम चुनाव हार गए हैं, परन्तु हम राजनीति को सड़कों पर ले जाएंगे और ऐसा नहीं होने देंगे।"

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : महोदय, जो व्यक्ति सदन में नहीं है उसके विरुद्ध आरोप कैसे लगाए जा सकते हैं?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उन्होंने ऐसा कहा था।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई आरोप नहीं है। नाम को कार्यवाही वृत्तात में सम्मिलित नहीं किया जाएगा (व्यवधान) आप पुनः यह क्यों कह रहे हैं। नाम को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया बैठ जाइए।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं एक राजनीतिक दल की बात कह रहा हूँ और राजनीतिक दल अथवा दलों के आचरण की बात कह रहा हूँ। कांग्रेस (ई) की भारी विजय के पश्चात लोगों ने हमारा साथ दिया। क्यों? लोगों ने श्रीमती गांधी की हत्या का बदला लिया और उन्होंने देश की सुरक्षा की गारंटी दी महोदय, तत्पश्चात एक षड्यंत्र प्रारम्भ हो गया और मैं यह वक्तव्य पूर्ण जिम्मेदारी से दे रहा हूँ। जिन राजनीतिक दलों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया उन्होंने षडयंत्र करने शुरू कर दिए; और मैं सदन और सरकार को भी यह बताना चाहता हूँ कि 'हमें इन ताकतों को क्षमता को कम करके नहीं आंकना चाहिए।' अब गुजरात में यह सब हो रहा है। सारे देश में इसी प्रकार की घटनाएँ हो रही हैं। 1971 में भी वे श्रीमती गांधी की विजय को सहन नहीं कर पाये थे, अस्थिरतावादी ताकतों और विदेशों में उनके सलाहकारों को यह स्वीकार नहीं था।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इसी प्रकार वही ताकतें फिर एकत्र हो गई हैं, और गुजरात में आरक्षण की बात लेकर घृणित घटनाएं प्रारम्भ हो गई हैं। मैं नहीं मानता कि विपक्षी दल हरिजनों और आदिवासियों के लिए आरक्षण के मामले पर स्पष्ट रूप से और विश्वास पूर्वक कुछ कहते हैं। इसका प्रश्न ही नहीं उठता है और हमारे प्रधान मन्त्री ने इस सम्बन्ध में वक्तव्य दिए हैं तब गृह मन्त्री ने भी दलित वर्ग को, उन लोगों को जो सदियों से मानवीय अधिकारों से वंचित रहें हैं दी गई संवैधानिक गारन्टी के बारे में कहा है। उन्हें यह संवैधानिक गारंटी मिलती रहेगी। हमने यह कहा है और हम अपने कहे पर अटल हैं।

जहां तक पिछड़े वर्ग लिए आरक्षण का सम्बन्ध है, हमने स्पष्ट कर दिया है। (व्यवधान) विपक्षी दल पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण के बारे में राष्ट्रीय जनमत की बात कर रहे हैं। हमने विपक्ष के कहे की परवाह किए बिना, पहल की। अगर उन्हें गरीब लोगों से वास्तव में कोई प्यार है तो उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहना चाहिए कि वे आरक्षण का समर्थन करते हैं लेकिन वे दूसरी ओर आरक्षण के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं और इधर-उधर की बातें करते हैं। दूसरों को दोष देना बहुत आसान है। एक कहावत है कि जो हार जाता है अथवा खुद फल नहीं पा सकता वह दूसरों भी नहीं खाने देता। विपक्षी नेता खुलकर सामने क्यों नहीं आते ?

हमारी सरकार ने पहल की, गुजरात, मध्यप्रदेश और अन्य स्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रतिशत निर्धारित किया है। आतंक का यह वातावरण बनाने के लिए कौन जिम्मेदार हैं ? विपक्षी दलों, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो कि गुजरात में गिरफ्तार किए गए हैं, यह सब किया है।

डा० ए० के० पटेल (मेहसाणा) : मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं।

प्रो० के० के० तिवारी : गृह मंत्री जी को स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि क्या हो रहा है। गृह मन्त्री जी साफ तौर पर यह कहें, सभा पटल पर जानकारी रखें कि आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और उनकी राजनीतिक सम्बद्धता का भी विवरण प्रस्तुत करें। मैं जोर देकर यह कहता हूँ कि जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और आर० एस० एस० ये तीनों प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं और इन्होंने एक साथ मिलकर योजना बनाई है क्योंकि यह उन लोगों की जिनकी आर्थिक उन्नति के लिए आरक्षण किया गया है ध्यान दिये बिना अवसर की तलाश में थे और इन्होंने छात्रों को संगठित करके इस अवसर का लाभ उठाया है। छात्रों के कन्धों पर बन्दूक रखी गई है छात्र, हमेशा से ही विपक्ष द्वारा मोहरे बनाए गए हैं। विपक्ष कभी भी सामने नहीं आएगा। नेपथ्य में रहकर ही विपक्ष अपनी चालें चलता है और इस बार भी गुजरात में छात्रों को आगे किया गया है।

नव रचना समिति या इस तरह के नाम की एक और संस्था बनाई गई है। समाज का पुनर्गठन करने का वायदा करने वाली एक नई, समिति बनाई गई है। मैं विपक्ष पर इस स्थिति को पैदा करने का आरोप लगाता हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब वह बोल रहे हैं तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं ? जब आपको बोलनें की बारी आएगी तो आप जवाब दे सकते हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं उन पर गुजरात के लोगों को हिंसा की आग में झोंकने का आरोप लगता हूं। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि आंदोलनकारियों के उकसाने पर जो आंदोलन पिछड़े वर्गों को आरक्षण की सुविधा न देने के प्रश्न पर आरम्भ किया गया था। वह अचानक साम्प्रदायिक दंगों में बदल गया है।

न केवल गरीब वर्ग वरन् हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों को आक्रमण का लक्ष्य बनाया गया। जातिवाद से यह शर्मनाक साम्प्रदायिकता में बदल गया और असहाय और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के इलाकों में गुन्डों ने हमला बोल दिया तथा उनके घरों को जलाकर बर्बाद कर दिया गया जिसमें बच्चे, बूढ़े और महिलाएँ जान से मारी गईं।

राज्य सरकार ने अपेक्षानुसार कार्यवाही की है; मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया है लेकिन जब यह आन्दोलन चल रहा था तो इस सदन के एक माननीय सदस्य, प्रो० मधु दण्डवते ने—मैं समझता हूं कि क्योंकि वह सदन में उपस्थित हैं; वह सदन के सदस्य हैं, उनका नाम लेने में कोई आपत्ति न होगी—

एक माननीय सदस्य : वह बाहर चले गए हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : मुख्य मंत्री के विरुद्ध सभी प्रकार के झूठे आरोप लगाने आरम्भ कर दिए। जबकि गुजरात में आन्दोलन चल रहा है, मुख्य मंत्री को दोषारोपण के लिए सदन में बुलाने को कहा गया है, उन्हें कठघरे में खड़ा करने को कहा गया है। विपक्षी दल कह रहे हैं कि मुख्य मंत्री की साख नहीं रही है, गुजरात में कांग्रेस सरकार का नियंत्रण नहीं है और इससे आंदोलनकारियों को बल मिला है और वे अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं। अत: मैं व्यक्तिगत रूप से आश्वत हूं कि हमारी सरकार अस्थिरतावादी ताकतों को समाप्त करेगी। विदेशियों ने कहा है कि यह आन्दोलन फैलता जाएगा क्योंकि इसे विपक्ष द्वारा यह भय फैलाया गया है कि अब राजनीति का निर्णय होगा—लोकसभा में सदस्यों का बहुमत कोई अर्थ नहीं रखता है; हम राजनीति को सड़कों पर ले जाएंगे। गुजरात इस षड्यंत्रकारी योजना का पहला रिकार्ड है और इसे विदेशों में समर्थन मिला है। अत: मैं सरकार से भविष्य में सावधान रहने का निवेदन करता हूं और कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिन लोगों पर दायित्व है उनके मनोबल को मजबूत बनाने की आवश्यकता है क्योंकि इन अस्थिरतावादी ताकतों, जातिवाद और सम्प्रदायवाद फैलाने वाले इन विघटनकारी तत्वों को समाप्त करना है।

हमें, भारत में इन तथ्यों का विश्लेषण करने का प्रयत्न करना चाहिए; यह राजनीतिक, सामाजिक-आर्थिक तथ्य हैं। भारत में इन सबके लिए आर्थिक तथ्य पर विचार नहीं किया जा सकता। किसी तरह से, लोग निस्पृह से हो गए हैं और भाग्य पर भरोसा करने लगे हैं। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ही गड़बड़ होती है। अतः अस्थिरता की प्रक्रिया बड़े सुव्यवस्थित रूप से तैयार की गई है; यह वैज्ञानिक ढंग से नियोजित की गई है, यह तृतीय विश्व के देशों में प्रयोग की जा रही है। भारत में अस्थिरतावादी ताकतें जाति, धर्म, भाषा और सम्प्रदाय के क्षेत्र में अपनी चालें चलती हैं। अत: पुन: मैं कहता हूं कि गुजरात, अस्थिरतावादी ताकतों, अराजकतावादी ताकतों जो कि समाज के प्रति असंगति हो गई हैं; भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी के लोगों के प्रतिनिधित्व में साम्प्रदायिकतावादी ताकतों का पहला शिकार बना है।

जनता पार्टी तोड़फोड़, अस्थिरता की प्रतीक थी; भारतीय जनता पार्टी निकृष्ट साम्प्रदायिकता, पुरातनपंथी और दकियानूसी विचारों का प्रतिनिधि करती है। इसलिए जो हिंसा हुई है उसके प्रति सरकार को अत्याधिक सावधान होना चाहिए। मुझे गुजरात के कानून और व्यवस्था तंत्र पर वास्तव में गर्व है कि योजनाबद्ध हमलों के बावजूद वह डटे हुए हैं और वे आन्दोलन का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। और जो लोग मारे गए हैं, हमें उनके लिए खेद है। किन्तु व्यापक परिप्रेक्ष्य को नहीं भुलाना चाहिए। जब मैंने इसका उल्लेख किया, तो बहुत अधिक शोर मचाया गया था। जिस

नेता का मैंने उल्लेख किया क्या आप उससे इन्कार कर सकते हैं । **···वह ब्रिटेन में है और गुरुद्वारों में सभाओं को सम्बन्धित कर रहे हैं । मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं । 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' में एक खबर छपी है कि खालिस्तान के समर्थक

(व्यवधान)

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : वह लगातार बोले जा रहे हैं । जब हम बोलते हैं, तो आपको आपत्ति नहीं करनी चाहिए ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए । जो कुछ सम्बद्ध नहीं है, कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा । मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि नाम कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाए ।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : आप उन्हें इस बात से इन्कार करने दीजिए कि वह गुरुद्वारों में सभाएं नहीं कर रहे हैं वे उनका नाम क्यों न लें । (व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : वह व्यक्ति इस समय ब्रिटेन में हैं । आज के टाइम्स ऑफ इण्डिया में समाचार छपा है । वह ब्रिटेन में गुरुद्वारों में खालिस्तान समर्थक संगतों को संबोधित कर रहे हैं और सभी गुरुद्वारों में भारत विरोधी भड़काने वाले भाषण दे रहे हैं । आप उनकी कैसे वकालत कर सकते हैं ? पंजाब में उनकी भूमिका सर्वविदित है । इसी प्रकार एक अन्य स्थान का भी उल्लेख करूंगा क्योंकि मैं देश के एक अत्यन्त अशान्त स्थल गुजरात के बारे में बात कर रहा हूं और यहां पर अन्य स्थानों पर हुई इस प्रकार की घटनाओं का उल्लेख करना अनुपयुक्त नहीं होगा ।

दिल्ली में भी यही हुआ । श्रीमती गांधी की हत्या के उपरान्त दिल्ली में हुए साम्प्रदायिक दंगे प्रासगिक हैं । मैं नहीं जानता कि दिल्ली के दंगों के वास्तविक अपराधियों को पकड़ने के लिए अब तक कोशिश क्यों नहीं की गई । जब श्रीमती गांधी की हत्या की गई, तो जिन लोगों ने उनकी हत्या की योजना बनाई, जो लोग श्रीमती की हत्या की उम्मीद कर रहे थे---मैं इस बात पर जोर देता हूं---सरकार को दिल्ली में श्रीमती गांधी की हत्या के पश्चात इस दुखद घटना के इस पहलू के प्रति जागरूक बनाया । (व्यवधान) जो लोग हत्या की उम्मीद कर रहे थे, जिन लोगों ने हत्या की योजना बनाई उन्होंने अपने हथियार तैयार कर रखे थे और ज्यों ही श्रीमती गांधी की हत्या का समाचार देश में फैला, तो कानून और व्यवस्था का अस्त-व्यस्त होना स्वाभाविक था ।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : हमें नहीं मालूम था कि हत्या होने वाली थी ।

प्रो० के० के० तिवारी : जिन लोगों ने इसकी योजना बनाई, उन्होंने ही सिखों के विरुद्ध आतंक फैलाया और हमें बेवजह दोष दिया गया । दुर्भाग्य से स्थिति के इस पहलू की ओर अब ध्यान नहीं दिया गया । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें ।

प्रो० के० के० तिवारी : केवल पांच मिनट और । इस परिप्रेक्ष्य में मैं गुजरात में उच्च न्यायालय की भूमिका सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं । मैं पुनीत उच्च न्यायालय की बदनामी नहीं करना चाहता किन्तु यह बड़ी हैरानी की बात है कि निर्णय उस समय दिया गया जब हिंसा हो रही

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

थी जब लोग मारे जा रहे थे। यह न्यायिक इतिहास में अभूतपूर्व है। यह विश्व के न्यायिक इतिहास में पहला उदाहरण होगा।

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव : वह उच्च न्यायालय के निर्णय पर उंगली उठा रहे हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : पुलिस बल को कुछ इलाकों में जाने से रोका गया है और न्यायालय द्वारा जांच के आदेश दिए गए हैं। **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

प्रो० के० के० तिवारी : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। मैं नहीं झुकूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : वह कैसे कह सकते हैं कि व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है? इस बारे में निर्णय आपको करना है। आप मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने से रोक नहीं सकते। श्री तिवारी की बात तो दूर आप भी मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने से रोक नहीं सकते।

महोदय, संवैधानिक उपबन्धों के अनुसार न तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और न ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संसद के कार्यपालन पर टिप्पणी कर सकते हैं और न इसके विपरीत—**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : उन्होंने ऐसा किया है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं उसका उल्लेख कर रहा हूं। और इसी प्रकार संसद का कोई भी सदस्य सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों से न्यायाधीशों के आचरण के बारे में चर्चा नहीं कर सकता और इसलिए मुझे उनके द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में टिप्पणी किये जाने पर आपत्ति है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने किसी न्यायाधीश का जिक्र नहीं किया है।

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव : उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख किया है। हम भी उल्लेख करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह संगत नहीं होगा, तो मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई आपत्तिजनक बात होगी, तो वह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं की जाएगी। मैं यह बात पहले ही कह चुका हूं।

प्रो० के० के० तिवारी : श्री दण्डवते ने अत्यन्त सहज प्रयत्न किया है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : जो बात भी असंगत होगी उसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं यह बात पहले ही कह चुका हूं।

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव : आप उन्हें अनुमति नहीं दे सकते। आप इस प्रकार की बातों की अनुमति नहीं दे सकते।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मैं संविधान का अनुच्छेद 121 पढ़ रहा हूं:

"उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को आगे उपबन्धित रीति से हटाने की प्रार्थना करने वाले समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष रखने के प्रस्ताव पर चर्चा के अतिरिक्त कोई और चर्चा संसद में ऐसे किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्य पालन में किए गए आचरण के विषय में न होगी।"

उपाध्यक्ष महोदय : आचरण के बारे में आप चर्चा नहीं कर सकते किन्तु निर्णय पर आप चर्चा कर सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : किन्तु उन्होंने उच्च न्यायालय की भूमिका पर टिप्पणी की है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप बैठ जाएं। मैं पहले ही अपना फैसला दे चुका हूं... (**व्यवधान**) हर कोई इस तरह से क्यों चिल्ला रहा है? जब हर कोई इस तरह से बोलेगा, तो मैं किसी को कैसे सुन सकता हूँ?

मधु दण्डवते : मैंने सामूहिक रूप से व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया है। मैंने अकेले ही व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। आपने मुझे इस बारे में बताने का प्रयत्न किया। निर्णय का उल्लेख करने की बात तो मैं समझ सकता हूं किंतु, उन्होंने न्यायाधीशों का हवाला देने का प्रयत्न किया है कि उन्होंने यह किया या वह किया है। वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह उच्च न्यायालय का आचरण है। मुझे श्री तिवारी द्वारा उच्च न्यायलय के किसी निर्णय का उल्लेख किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। हमने पहले भी निर्णय का हवला दिया है। गोलकनाथ निर्णय पर यहां चर्चा हुई थी। किन्तु आप न्यायाधीशों के आचरण का उल्लेख कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : न्यायाधीशों के आचरण के बारे में कही गई कोई भी बात कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दी जायेगी।

प्रो० के० के० तिवारी : मेरे वक्तव्य को तोड़ने मरोड़ने से श्री मधु दण्डवते के इस भोले प्रयास पर मुझे खेद है। वह इस सदन में प्राय: इस प्रकार के निर्णयों का हवाला देते रहते हैं। मैंने इस निर्णय से संबंधित एक समाचार का उल्लेख किया था। मेरा मत यह है कि यह निर्णय असामायिक था। जब आन्दोलन अपने उत्कर्ष पर था, तो अहमदाबाद के कुछ क्षेत्रों में पुलिस के प्रवेश को निषिद्ध कर देने से उन क्षेत्रों के लोगों को गुंडो, उत्पातियों के हमलों का सामना करना पड़ा। इससे उनका आक्रोश भड़का। इस कारण से यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हुई।

अब मैं एक महत्वपूर्ण पहलू अर्थात पुलिस की भूमिका को लूंगा। गुजरात में पुलिस को अपनी क्षमता से बहुत अधिक कार्य करना पड़ा है। पुलिस दल ने अपने कर्तव्यों का पालन किया है। उन्होंने कानून और व्यवस्था बनाए रखने की पूरी कोशिश की है। जहां कहीं भी वह असफल रहे हैं वह आन्दोलन और उन लोगों को जो आन्दोलन को चला रहे हैं, की उग्रता के कारण हुआ। इसलिए यह पुलिस बल की असफलता नहीं है वे लोग दिन-रात हमारे पुलिस बल और हमारी सशस्त्र सेनाओं को दोष दे रहे हैं जिससे अनावश्यक रूप से उनका मनोबल गिरता है और इससे उन्हीं लोगों को मदद मिलती है, जो हमारे देश में अस्थिरता लाना और स्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं।

निष्कर्ष में मैं यह कहूंगा कि हम सब इस स्थिति से चिन्तित हैं। सरकार पर आरोप लगाने के किसी भी प्रयत्न या मुख्य मंत्री को हटाने की किसी भी मांग को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और पुलिस बल तथा हमारी सेना के मनोबल को गिराने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिए। मैं

जानता हूं कि हमारी सशस्त्र सेनाओं का मनोबल गिराने और उसे बदनाम करने का सुनियोजित प्रयास किया जा रहा है। इसलिए ऐसी स्थिति में वे निष्प्रभावी हो जाते हैं या उनका मनोबल गिर जाता है। यही प्रयत्न किया जा रहा है। इसलिए, निष्कर्ष में मैं यही कहूंगा कि गुजरात की समस्या अचानक नहीं उठ खड़ी हुई, इसकी योजना बहुत सावधानीपूर्वक तैयार की गई है। देश के भीतर तथा बाहर बहुत से लोग बहुत से स्थलों पर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करने में लगे हैं। इसलिए सरकार को सावधान रहना होगा तथा देश में इस अस्थिरीकरण के प्रति लोगों को सावधान करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : एक बजे तक दिए गए स्थानापन्न प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं पांच मिनट में दे दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी काफी समय है, आप एक बजे तक दे सकते हैं। अब प्रो० दण्डवते।

प्रो० मधु दण्डवते : उपाध्यक्ष महोदय, पहले मैं उस स्थापन्न प्रस्ताव को पढ़ूंगा जो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं।... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, आपका प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। आप विषय पर बोल सकते हैं। प्रस्ताव की प्रतियां अभी परिचालित कर दी जाएंगी।

प्रो० मधु दण्डवते : आप चाहते हैं कि मैं प्रस्ताव पर बोलूं पहले और प्रस्ताव बाद में दूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जी, नहीं, यह विचाराधीन है और परिचालित किया जाएगा। आप प्रस्ताव पर बोल सकते हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : महोदय आप उन्हें पढ़ने दीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं वही पढ़ूंगा जो मैंने प्रस्ताव रखा है। यह सदन अहमदाबाद में हुई अभूतपूर्व हिंसा और आगजनी, पुलिस द्वारा अत्याचार तथा उनके द्वारा प्रेम के विरुद्ध हिंसा तथा गुजरात राज्य में संवैधानिक तन्त्र के पूर्णतः अस्त-व्यस्त हो जाने की निन्दा करते हुए यह सिफारिश करता है कि केन्द्रीय सरकार को अहमदाबाद में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए प्रभावी ढंग से तुरन्त हस्तक्षेप करना चाहिए।

इससे पहले कि मैं प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करूं···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप खामोश रहें। उन्हें बोलने दीजिए, आप लोग बाधा क्यों डाल रहे हैं? इसके लिए केवल दो घण्टे आवंटित किए गए हैं और अभी कई सदस्यों ने बोलना है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : सामान्यता मैं, प्रश्न पूछे जाने का बुरा नहीं मानता किन्तु चुनाव अभियान के कारण मेरी आवाज बैठी हुई है नहीं तो मुझे यह पसन्द है... **(व्यवधान)** आप मुझे बाहर चैम्बर में मिले

महोदय, प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करते हुए जनता पार्टी की ओर से एक बात मैं बिलकुल स्पष्ट करना चाहता हूं—वह है देश के पावन संविधान के आधार पर देश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और पिछड़ी जातियों को दी गई गारंटियों के प्रति हमारी अपरिवर्तनीय वचनबद्धता। संवैधानिक उपबन्धों और गारंटियों के प्रति अपरिवर्तनीय वचन-

बद्धता पर पूरा उतरने में किसी से कम नहीं है, और इसलिए···(व्यवधान) महोदय, आप उन्हें उठने दें, मैं झुकने को तैयार हूं। मैं यह बात बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों को दी गई संवैधानिक गारंटियों के प्रति हमारी अपरिवर्तनीय वचनबद्धता पूर्णत: अडिग है और हम उससे बिल्कुल हटना नहीं चाहते। समस्या के कुछ पहलुओं, उनके ब्यौरे, गारंटियों को पूरा करने के तरीकों पर राष्ट्रीय सहमति करवाई जा सकती है। मुझे विश्वास है, यदि सरकार कल इस प्रकार का कोई प्रयास करती है— प्रधान मंत्री ने एक अवसर पर इस आशय का एक वक्तव्य पहले भी दिया है—तो हम इसमें सहयोग देने में पीछे नहीं रहेंगे—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों को दी गई गारंटियों को कार्यान्वित करने के तरीकों के बारे में राष्ट्रीय सहमति तैयार की जा सकती है। समस्या यह नहीं है। वास्तव में मूल समस्या यह है कि अहमदाबाद में आन्दोलन क्यों आरम्भ हुआ, इस बात को मोड़ दिया गया है। कुछ समय तक इसने साम्प्रदायिक समस्या और साम्प्रदायिक संघर्ष का रूप ले लिया। जहां गृह मंत्री ने अहमदाबाद का दौरा किया और वापस आकर इस सदन को रिपोर्ट दी, तो उन्होंने उस समय विपक्षी दलों के विरुद्ध एक भी आरोप नहीं लगाया। लेकिन कुछ ही दिनों के अन्दर जब प्रधान मंत्री ने अहमदाबाद का दौरा किया तो प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने विपक्ष पर यह आरोप लगाया और यह कहा कि अहमदाबाद में गड़बड़ी और दंगों के लिए विपक्ष जिम्मेदार है। हमने सदन में अपना जोरदार विरोध व्यक्त किया और हम अपना विरोध प्रकट करने हेतु सदन से उठकर चले गए। इसलिए हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि विपक्ष उनमें से किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहता जो शांति को भंग करने की कोशिश करता है, जो गुजरात के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। हम गुजरात में सामान्य स्थिति चाहते हैं।

लेकिन पुलिस को क्या भूमिका निभानी है और सेना को क्या भूमिका निभानी है ? सच बात तो यह है कि सेना को गुजरात में लगाया गया है—उसे अहमदाबाद में लगाया गया है और सेना ने संवेदनशील पदों पर काम कर रही है—इन सब बातों से यह पता चलता है कि गुजरात में सामान्य व्यवस्था पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गयी है। यदि पुलिस तंत्र पूरी तरह से ठीक कार्य करता और यदि वे स्थिति पर इसी तरह से नियंत्रण करने की स्थिति में होते और यदि वे अहदाबाद में दंगे कराने में उनके साथ न मिल गए होते तो केन्द्रीय सरकार से गुजरात में सेना तैनात करने का अनुरोध न किया गया होता। महोदय, नियमों और संविधान के उपबंधों के अनुसार, सेना तैनात करने की बात तब तक नहीं उठती जब तक कि संबंधित राज्य सशस्त्र सेनाओं को तैनात करने के लिए नहीं कहता। इसलिए उन्होंने स्वयं यह बात साफ कह दी है कि गुजरात में वर्तमान पुलिस तंत्र स्थिति को नियत्रण में नहीं कर सका।

मैंने गृह मंत्री द्वारा कल दिए गए उस वक्तव्य का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया है, जो उन्होंने बार-बार जोर डाले जाने के बाद दिया है। उनके वक्तव्य में कुछ बातें काफी साफ हैं, मैं पूरे वक्तव्य में बहुत ही बारीकी के साथ यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या किसी जगह पर मंत्री जी ने प्रेस को नष्ट करने की निन्दा की है। महोदय उनके पागलपन के पीछे एक योजना है। मैं आपको बताना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि यह बात रिकार्ड में जाये कि यह निरुद्देश्य नहीं था कि 'गुजरात समाचार' पर हमला नहीं किया गया, उनके प्रतिष्ठानों को नष्ट किया गया और उनके प्रेस को जलाकर राख कर दिया उनके पागलपन का कोई प्रयोजन है। पुलिस ने ऐसा क्यों किया ? मैं सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि विगत में गुजरात सरकार, 'गुजरात समाचार' को विज्ञापन दे रही थी। उसके बाद जब अहमदाबाद में गड़बड़ी शुरू हुई 'गुजरात समाचार' ने

पुलिस के व्यवहार की आलोचना की थी। उसने सम्पादकीय में पुलिस के अत्याचारों की निन्दा की है। उन्होंने सरकार में हुए कुछ अत्याचारों की भी बहुत ही, जोरदार शब्दों में आलोचना की है। उसने मरुगेश कांड का भण्डाफोड़ किया है। उसने और कई मामलों का पर्दाफाश किया है।

श्री बी० के० गढवी (बनासकांटा) : क्या पर्दाफाश किया गया था ?

प्रो० मधु दण्डवते : आप यह सब बातें मुझसे पूछना चाहते हैं ? चूंकि वह स्पष्टीकरण के लिए कह रहे हैं मैं उनको स्पष्टीकरण दूंगा। आप जानते हैं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम पर बनाये जाने वाले स्टेडियम के लिए भूमि किस प्रकार कौड़ियों के भाव दी गई थी। मरुगेश उक्त स्टेडियम को बनाना चाहता था। क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड उक्त स्टेडियम बनाना चाहता था। वास्तव में वह भूमि कौड़ियों के भाव दी गई थी। यह बात गुजरात के 4 संसद सदस्यों, 7 विधान सभा सदस्यों और 10 जिला कांग्रेस प्रेसीडेंटों पर छोड़ दी गई कि वह श्रीमती इन्दिरा गांधी को एक पत्र लिखें, जिसमें यह कहा जाय कि इसमें उनकी बदनामी होगी। एक अन्य अंतुले तैयार हो रहा है। इसलिए कृपया अपना नाम स्टेडियम के साथ जोड़ने की उन्हें आज्ञा न दें। 'गुजरात समाचार' ने इस घटना के बारे में लिखा था। 'गुजरात समाचार' ने सम्पादकीय लेख लिखे और उन्होंने पुलिस के आदमियों के दुर्व्यवहार के बारे में लेख प्रकाशित किये। इन सब बातों के कारण, वे बहुत नाराज हैं और कुछ समय बाद गुजरात समाचार में प्रकाशित सम्पादकीय के जरिये मरुगेश कांड का भंडाफोड़ होने के बाद वास्तव में गुजरात समाचार को सरकारी विज्ञापन देना बन्द कर दिया गया। कृपया याद कीजिए कि सम्पूर्ण मामला प्रेस परिषद को सौंपा गया था। प्रेस परिषद ने इस घटना पर विचार किया और प्रेस परिषद ने वास्तव में 'गुजरात समाचार' के सम्पादक द्वारा दायर की गई याचिका को उचित ठहराया। अन्ततः प्रेस परिषद द्वारा व्यक्त किया गया मत और निर्णय यह था कि 'गुजरात समाचार' को विज्ञापन बन्द करके सरकार ने बदले की कार्रवाई की है। यह बात प्रेस परिषद ने कही है। यही बात सभी ने कही है। इसके परिणामस्वरूप पुलिस नाराज हो गई, सरकार नाराज हो गई और इसलिए वे कुछ मौका चाहते थे।

देश में और बहुत से समाचार-पत्र हैं। उन्होंने 'गुजरात समाचार' को ही क्यों चुना ? उन्होंने 'इन्डियन एक्सप्रेस' को ही क्यों चुना ? उन्होंने 'जनसत्ता' को ही क्यों चुना ? पुलिस को प्रेस पर हमला करने के लिए कहा गया था...

प्रो० के० के० तिवारी : यह बात निराधार है।

प्रो० मधु दण्डवते : आप गृह मन्त्री के वक्तव्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें। गृह मन्त्री ने कहा है कि पुलिस ने आवेश में आकर यह कार्य किया है। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि पुलिस हिंसा पर उतर आई। यह एक माना हुआ तथ्य है कि पुलिस द्वारा 'गुजरात समाचार' 'इंडियन एक्सप्रेस' और 'जनसत्ता' पर पेट्रोल बम्ब फेंके गए। यह सब बातें साबित हो चुकी हैं और इसके परिणामस्वरूप, विशेष स्थिति पैदा हुई।

मुझे यकीन है कि एक बात के बारे में कि सदन के दोनों पक्षों के सदस्य, कुछ क्षेत्रों में पुलिस के व्यवहार के बारे में मुझसे पूरी तरह सहमत होंगे। इसका खंडन नहीं किया गया है। अहमदाबाद की एक बस्ती विशेष में पुलिस का विरोध करने वाले लोगों को दबाने के लिए, 30 पुलिसमैन और कुछ अधिकारियों ने अपनी-अपनी वर्दियां उतार दीं, वे अर्धनग्न हो गए और उन्होंने कुछ गलियों में परेड की। कांग्रेसजनों ने अपना दोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, "हम आन्दोलन से सहमत नहीं हैं; हम सरकार से असहमत नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से कुछ पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों

को महिलाओं में भय पैदा करने का निदेश दिया गया था वह घृणित था। यह महिलाएं ही थी जो आन्दोलन के विरुद्ध, पुलिस के विरुद्ध और गलियों में अर्ध-नग्न पुलिसकर्मियों द्वारा परेड किए जाने के विरोध में सबसे आगे थीं। मुझे स्वतन्त्रता संग्राम के उन दिनों की याद आती है जब चिमूर और अष्टी जैसे स्थानों पर सैनिकों ने नग्न होकर परेड की थी और श्री भनसाली को पुलिस और सेना के अपराधों का प्रायश्चित कराने के लिए आमरण अनशन करना पड़ा था। यह स्वतन्त्रता संग्राम का वातावरण था। आज वही बातें हो रही हैं।

उच्च न्यायालय ने कुछ निर्णय लिए थे। मैंने यह बात बहुत ही साफ कर दी है कि श्री तिवारी, उच्च न्यायालय के किसी निर्णय का जो हवाला दे रहे हैं उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वास्तव में, जब हमने संविधान में चौबीसवें संशोधन विधेयक पर चर्चा की थी और जब हमने अपने साथी श्री नाथ पाई के संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा की थी और जब मैं सरकार द्वारा लाए संविधान संशोधन विधेयक पर बोला था—मेरे विचार में मेरे साथी बैरिस्टर नाथ पाई के लिए इससे बेहतर स्मारक नहीं हो सकता था—मैंने विधेयक का पूरी तरह से समर्थन किया था। मैंने विधेयक का समर्थन किया था जोकि सत्ता पक्ष की ओर से संविधान में चौबीसवें संशोधन विधेयक के रूप में लाया गया था। हमने गोलक नाथ मामले में दिए गए निर्णय पर चर्चा की थी; हमने संपत्ति के पहलू पर चर्चा की थी और हमने उसके परिणामों पर चर्चा की थी। सदन के दोनों ओर के सदस्यों ने इस मामले को उठाया था। लेकिन हमने उस निर्णय पर कभी भी आक्षेप नहीं किया।

प्रो० के० के० तिवारी : आप कटाक्ष कर रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : आप कोई भी शब्दावली प्रयोग कर सकते हैं।

श्री राम प्यारे पनिका : यहां तक कि उच्च न्यायालय के निर्णय में इस बात का उल्लेख किया गया है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को किन सीमाओं के अन्तर्गत रहकर काम करना होगा।

प्रो० मधु दंडवते : हमारे यहां भारतीय संघ के तीन अंग हैं न कि सरकार के तीन अंग हैं। नागरिकशास्त्र की एक पाठ्य-पुस्तक में वास्तव में संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका को भारत सरकार के तीन अंग बताया गया है। मैं उसके विरुद्ध एक विशेषाधिकार प्रस्ताव ला रहा हूं। हम इन पर अलग से विचार करेंगे। भारतीय संघ के तीन अंग हैं। जब कभी भी लोग न्याय चाहते हैं, जब कभी लोग संरक्षण चाहते हैं वे कार्यपालिका से संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं, लोग रोष प्रकट करके संसद सदस्यों के माध्यम से संसद से संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं, यदि वे संसद और कार्यपालिका से न्याय प्राप्त करने में सफल नहीं होते तब उन्हें भारतीय संघ के तीसरे अंग अर्थात् देश की न्यायपालिका के पास जाना पड़ेगा।

इस देश के इतिहास में ऐसे अवसर आपातकाल से पहले, आपातकाल के दौरान और आपात-काल के बाद आए हैं. और हमें यह बात कहने में गर्व होता है कि इस देश में न्यायपालिका स्वतन्त्र है। यहां तक कि आपातकाल के काले दिनों में भी, उच्च न्यायालयों के निर्णयों ने देश में स्वतन्त्रता की विचारधारा को उचित ठहराया था और उसे मजबूत किया था। इसलिए, यदि असुरक्षा महसूस की जाती है जब महिलाओं के सम्मान पर मांग आती है और जब पुलिसकर्मी गलियों में नग्न होकर परेड कर रहे हैं, और यदि हम उन कुछ अधिकारियों को नहीं निकालते जो कि अपराध कर रहे हैं, यदि संसद और सरकार उस पर विचार नहीं करते और यदि विधान सभा विचार करने को तैयार नहीं है, तो लोगों के पास केवल एक ही विकल्प रह जाता है कि वह न्यायपालिका के पास जाए और भारतीय

संघ के तीसरे अंग से संरक्षण प्राप्त करे और यही उन्होंने किया है। हम निर्णय की अच्छी बातों पर चर्चा कर सकते हैं लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जब अहमदाबाद की गलियों में महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने में भारतीय संघ के दो अंग असफल रहे, तब महिलाओं के पास न्यायपालिका के पास जाने के सिवाए और कोई रास्ता नहीं रह गया और यह कहना पड़ा कि कुछ अधिकारियों को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वे विशेष क्षेत्रों में जाए और कुछ तत्वों को ऐसा करने से रोके जो ऐसा कार्य करने जा रहे हों जिनमें महिलाओं का अपमान होता हो। मुझे प्रसन्नता है कि जब पुलिस असफल हो गयी, जब सेना असफल हो गई, जब मुख्य मन्त्री असफल हो गए, जब प्रधान मन्त्री असफल हो गए, तो यह न्यायपालिका थी जिसने लोगों की सहायता की और उनको संरक्षण दिया।

प्रो० के० के० तिवारी : उन्होंने जांच करने का भी निर्णय दिया था। ऐसा कभी नहीं हुआ। जब दिल्ली में स्थित सरकार में विश्वास है, तो जांच का आदेश दिया जा सकता है लेकिन न्यायपालिका ने कार्यवाही के परिणामों को नजरअन्दाज करते हुए तत्काल हस्तक्षेप किया, उन्होंने निर्णय लिया और जाँच करने का आदेश दिया। क्या कभी ऐसा हुआ है? इससे स्थिति और बिगड़ गई।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं समझता हूँ हमारे विद्वान प्रोफेसर न्यायपालिका में परिवर्तन की गतिशील प्रक्रियाओं पर विचार करेंगे। एक समय ऐसा आ सकता है जब संसद और विधान सभाओं पर न्यायिक जांच की शरण लेने पर दबाव डाला जाएगा। क्योंकि उन्होंने यह मामला उठाया है, मैं पूर्व उदाहरण दूंगा जिसे सौभाग्यवश सरकार और श्रम मन्त्री ने स्वीकार किया है।

यह बंधुआ मजदूरी का प्रश्न था। फरीदाबाद में बंधुआ मजदूर कष्ट झेल रहे थे क्योंकि उनकी समस्याओं को हल नहीं किया जा रहा था। उन पर अत्याचार किये जा रहे थे। अन्य स्थानों से आने वाले मजदूर उनमें शामिल थे। यह मामला उच्चतम न्यायालय में गया और उन्होंने बंधुआ मजदूरों के साथ हुए अन्याय की जांच करने के लिए उच्चतम न्यायालय का रजिस्ट्रार भेजने की असाधारण कार्यविधि अपनाई। वह रजिस्ट्रार वापस आया। उसने उच्चतम न्यायालय को अपनी रिपोर्ट दी और उच्चतम न्यायालय ने अन्ततः निर्णय लिया और फरीदाबाद में बंधुआ मजदूरों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा की। मैं उस कदम का स्वागत करता हूँ।

सदन की कार्यवाही के दौरान जब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सभा पटल पर रखा गया था, तो श्रम मन्त्री ने यह स्वीकार किया था कि यह अच्छा हुआ कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और उन्होंने कहा, "क्या करें? हमारे पास अधिकार नहीं हैं। राज्य सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है।" एक त्रिपक्षीय बैठक में उन्होंने कहा, "हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हमारे अधिकार सीमित हैं। यह काम राज्य सरकार को करना चाहिए। उन्होंने यह काम नहीं किया।" और मुझे खुशी है कि उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय दिया है। उन्होंने मामले की जाँच करने के लिए, प्रतिनिधि भेजने के लिए असाधारण कार्यविधि अपनाई और उन्होंने अन्त में अपना निर्णय दिया है। इस निर्णय को निर्धारित समय में लागू करना होगा। इसका एक पूर्व उदाहरण है। यह बिल्कुल इसी तरह की घटना है। निर्णय का परिणाम प्रो० के० के० तिवारी की पसन्द का न हो। लेकिन जहाँ तक कुछ निर्णय देने की प्रक्रिया का सम्बन्ध है मैं उसका इस पूर्वोदाहरण का उल्लेख करता हूँ जिसका इस सदन में उल्लेख किया गया था और जिसका इस देश के केन्द्रीय श्रम मन्त्री द्वारा अनुमोदन और प्रशंसा की गई थी। और यही कारण है कि मैं मामला साफ करना चाहता हूँ।

प्रो० के० के० तिवारी : यह प्रश्न अलग है।

प्रो० मधु दंडवते : यह प्रश्न बिल्कुल उसी तरह का है। महिलाओं से बलात्कार किया गया

था। उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और सरकार ने इसकी कोई परवाह नहीं की। इसके लिए पुलिस जिम्मेदार थी।

प्रो० के० के० तिवारी : उन्होंने हिंसा की निन्दा क्यों नहीं की? क्या निर्णय में हिंसा का उल्लेख है?

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने गुंडों की निन्दा की है, उन्होंने कानून का उल्लंघन करने वाले गिरोहों की निन्दा की है, यह सब कुछ किया गया है। तिवारी जी आप समस्या को नहीं जानते हैं। आप लोकसभा के आरामदायक सदन में बैठे हैं। मैं वहां गया हूं और वहां बंधुआ मजदूरों के साथ धरना दिया है। मैंने उनके साथ पुलिस की लाठियों का सामना किया है। इसलिए, मैं स्थिति की वास्तविकता को जानता हूं।

प्रो० के० के० तिवारी : यह कोई धरना नहीं है। हमने इस तरह के कई धरने दिये हैं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : प्रो० के० के० तिवारी चाहे सौ बार खड़े हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बैठ जाऊंगा और उनको बोलने दीजिए। लेकिन उन्हें इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि जब वे बोल रहे थे, मैंने कोई बाधा नहीं डाली। प्रो० तिवारी, जब मैं स्थानापन्न प्रस्ताव का मसौदा तैयार कर रहा था तब मेरा एक कान उपाध्यक्ष की ओर और दूसरा आपकी तरफ था। मेरी दोहरी क्षमता है। मैं आपको भी सुन रहा था और उनकी बात भी सुन रहा था।

1.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर, कृपया अपनी बात जारी रखिए और अपनी बात संक्षेप में कहिए।

प्रो० मधु दंडवते : इसलिए, महोदय, इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। मेरे पास यहां गुजरात के सभी समाचारपत्र हैं। पुलिस ने एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया। उसने अपना बयान दिया, उसकी साड़ी उतार दी गई, उस पर हमला किया गया, उसका अपमान किया गया था। यदि एक भारतीय महिला का अपमान होता है और हमें फिर भी गुस्सा नहीं आता, तो कौन-सी चीज हमारे गुस्से को भड़कायेगी? यह स्वाभाविक है इस तरह के कामों से हमारा उत्तेजित होना जरूरी है। हम संसद में केवल संविधान के बारे में चिन्ता करने और संविधान के झगड़ों में लगे रहने के लिए नहीं हैं, लेकिन हम यहां इसलिए भी हैं कि हम बाहर के लोगों की भूख और उनके गुस्से को व्यक्त कर सकें। और जब हम देखते हैं कि अहमदाबाद की गलियों में हमारी बहनों से दुर्व्यवहार किया जाता है, कोई भी, जो समझदार व्यक्ति होगा, उसे इसकी निन्दा करनी होगी; और यदि हमने गुस्से से इसके बारे में प्रतिक्रिया की है, हमारा गुस्सा, अहमदाबाद में बलात्कार की गई महिलाओं के गुस्से का प्रतीक है। इसको नोट किया जाए। इसी बात की हम निन्दा कर रहे हैं। एक सभ्य सरकार में यह पुलिस की जिम्मेदारी है, यह सेना की जिम्मेदारी है, यह सरकार की जिम्मेदारी है, कि वह यह देखे कि महिलाओं के सम्मान की रक्षा हो। लेकिन हम क्या देखते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है। ये वहां के फोटो हैं, ये कुछ अन्य विवरण हैं। यह एक अन्य महिला है, जो जख्मी हो गई है। ये वे लोग हैं, जिन्हें पुलिस ने पीटा है। हमें यह बताया गया कि पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया था और, इसलिए, उन्होंने ऐसा किया। मैं आपको बताता हूं कि यूरोप के लोकतांत्रिक देशों में क्या हुआ। फ्रांस में जब विद्यार्थियों ने पेरिस तथा दूसरे स्थानों पर विद्रोह किया था, सरकार ने पुलिस को चेतावनी दी थी

कि विद्यार्थियों को दबाने तथा उन्हें मारने के लिए गोलियों का उपयोग न करें बल्कि केवल रबड़ की गोलियाँ और पानी फेंकने वाले बड़े पाइपों का प्रयोग करे; उन्हें बताया गया था कि गोलियों का उपयोग बिल्कुल न करें। एक बार लोकनायक श्री जय प्रकाश नारायण ने कहा था जब केरल में गोली चलाई गई थी, तब वहां पी० एस० पी० की सरकार थी···

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रो० मधु दंडवते ने कहा है कि वह आरक्षण के सम्बन्ध में संविधान में वर्णित नीति से सहमत हैं। क्या वह यह कह सकते हैं कि वह आरक्षण लागू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से सहमत हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : यह जानकारी की बात है। इसके बारे में आपने मेरे से बाहर पूछा होता होता, तो मैं आपको बता देता। इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। व्यवस्था के प्रश्न में और जानकारी के प्रश्न के बीच में अन्तर है। क्योंकि माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है, तो उसे मुझे बहुत ही स्पष्ट करने दीजिए कि यदि केन्द्रीय सरकार समक्ष कोर्ट राज्य सरकार संविधान के किन्हीं उपबन्धों को लागू करने के लिए अगर कुछ करती है, तो हम केन्द्रीय सरकार का साथ देंगे, हम राज्य सरकार का साथ देंगे। हम आम आदमी का साथ देंगे। मुझे उनको इस बात का आश्वासन देने दीजिए। इस बात से मैं एक इंच भी इधर-उधर नहीं होऊँगा। (व्यवधान)

वक्तव्य में, लगभग अप्रत्यक्ष रूप से पुलिस द्वारा किए गए सभी के अत्याचारों के बहाने बनाये गये हैं मानो उन्हें ऐसा करने के लिए भड़काया गया हो। यह बिल्कुल ठेठ उसी तरह का तर्क है जो ब्रिटिश लोगों ने हमें 1942 में दिया था, ब्रिटिश लोग हमेशा यह कहा करते थे कि उन्हें स्वतन्त्रता-सेनानियों की भड़काने वाली कार्यवाहियों के कारण गोली चलानी पड़ती थी। एक बार स्वर्गीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने केरल में वाद-विवाद के दौरान···(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : कृपया उन गुण्डों की तुलना जिन्होंने हमारे घरों को जलाया, स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेने वाले लोगों के साथ न की जाए। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मैं एक अन्य उदाहरण दूंगा। जब केरल में गोली चली थी तब वहां प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (पी० एस० पी०) की सरकार थी, स्वर्गीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने पी० एस० पी० के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए श्री पट्टम थानू पिल्ले को स्पष्ट शब्दों में बताया था, "जब आप सत्ता में हैं, जब पुलिस के पास हथियार है और जब कानून और व्यवस्था के आप मालिक हैं, तब लोगों की तुलना में आपको उसका अधिक सामना करने के लिए अवश्य तैयार रहना चाहिए, आपको लोगों की तुलना में अधिक सहनशील बनना पड़ेगा, कभी किसी समय, वहां यदि एक पुलिस का आदमी भी मारा जाता है, तो भी आपको धैर्य रखना होगा, आप लोगों पर अंधाधुंध गोली नहीं चला सकते और उनको मारने की कोशिश नहीं कर सकते।" यह आचार संहिता है जो कि हमने देश में पुलिस और सेना के लिए निर्धारित की है। इस वजह से मैं कहता हूं कि इस प्रकार के अत्याचार इस आधार पर उचित नहीं ठहराए जा सकते कि इसमें कुछ पुलिसकर्मी मारे गए थे। मैं उनमें से एक हूं जो···(व्यवधान) हाँ, ऐसा कुछ इशारा था। मैंने प्रो० तिवारी को बड़े ध्यान से सुना था। कृपया बाधा न डालें। उन्होंने कहा है कि पुलिसकर्मी भारी उत्तेजना के अन्दर कार्य कर रहे थे, उनका मनोबल छिन्न-भिन्न हो गया था उनका मनोबल फिर से बनाना था और इसके परिणामस्वरूप उन्होंने ऐसा कार्य किया। मेरे जैसा एक सभ्य व्यक्ति चाहे वह गुस्से की हालत में ही क्यों न हो, बलात्कार और दुर्व्यवहार के लिए तैयार हो जाएगा अथवा क्या मैं अहमदाबाद की गलियों में नग्न होकर परेड

करूंगा ? क्या गुस्सा दिखाने का यह एक सभ्य तरीका है ? मैं यह बात समझ सकता हूं कि पुलिस गोली चला सकती है। लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि पुलिस के आदमी महिलाओं के साथ बलात्कार करें और उनके साथ दुर्व्यवहार करे।

श्री बी० के० गढवी : यह पूरी तरह से असत्य बात है।

प्रो० मधु दंडवते : भारतीय महिला अपने दुर्व्यवहार के बारे में कभी झूठ नहीं बोलेगी। इसके विपरीत, यह दूसरी बात है कि जिन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया हो और जब वह कोर्ट के सामने पेश होती है, तो वे अपने गरिमा की रक्षा करने हेतु, यह सच्चाई बताने से इन्कार कर देती है कि उनके साथ छेड़छाड़ की गयी थी। लेकिन यहां तक कि महिलाएं आगे आयीं, शिक्षित महिलायें आगे आयीं, सामाजिक आन्दोलनों में काम करने वाली महिलायें आगे आयीं और उन्होंने अपने वस्त्र उतार दिए और कहा, "ये घाव के निशान हैं, ये खरोंचे और ये वे कर्म हैं जो कि पुलिस के हाथों किए गए हैं।" आप उनको झुठला नहीं कर सकते। इसलिए प्रेस की स्वतन्त्रता पर हमला किया गया, **गुजरात समाचार, इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता** पर जानबूझकर हमला किया गया क्योंकि प्रेस परिषद ने यह निर्णय दिया था कि सरकार की कार्यवाही बदले की कार्यवाही थी क्योंकि इन समाचार पत्रों ने अहमदाबाद में पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों की निन्दा की थी। और यही कारण है कि हमले के लिए उन्हें ही मुख्य रूप से क्यों चुना गया था। देश में और बहुत से समाचार पत्र हैं। गुजरात में और बहुत से समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं जो कि सरकारी दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। उनमें से किसी को भी नहीं छुआ। केवल उन्हीं समाचार पत्रों पर हमला किया गया था। जिन्होंने पुलिस के अत्याचारों तथा गुजरात सरकार, गुजरात के मुख्यमन्त्री द्वारा किए गए अन्यायों का पर्दाफाश किया है, हमें इस बात की ओर ध्यान देना होगा। मेरे पास यहां काफी सामग्री है। मुझे **गुजरात समाचार** के सम्पादक श्री शान्ति भाई से तार प्राप्त हुआ है, मैं पूरी तार को नहीं पढ़ना चाहता। इसमें पुलिस के अत्याचारों, महिलाओं पर हमला, बच्चों पर हमला, प्रेस को जलाने, संस्थाओं को जलाने का पूरा ब्यौरा दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

प्रो० मधु दंडवते : मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। ज्यों ही आप कहेंगे 'बैठ जाइये', मैं दस मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

मैं आपको बताता हूं यहां कुछ महिलाएँ भी जिनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने वास्तविकता बताई और जब उन्होंने वास्तविकता का वर्णन किया, पुलिसकर्मियों ने कहा, 'हमें भड़काया गया था।' उन्होंने कहा, 'हमें न्यायालय के पास जाना होगा' उन्होंने इन बातों को स्वीकार किया और उसके फलस्वरूप न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। इस मामले के इन सभी पहलुओं पर ध्यान देना होगा। जब ये सब बातें हुई हैं तो केन्द्र का यह प्रथम उत्तरदायित्व है, कि स्थानीय प्रशासन की सहायता करने के लिए वहां सेना को भेजे। मुझे बताया गया कि यहां तक कि सेना के जो लोग वहां गए थे वे नहीं चाहते थे कि उनकी उपस्थिति में पुलिस गोली चलाए और आंसू गैस के गोले छोड़े। उन्होंने कहा, हमें संवेदनशील ठिकानों पर तैनात होने के लिए भेजा गया है। हमें स्थिति से निबटने के लिए स्वतन्त्रता और छूट दें। लेकिन वहां पुलिसकर्मियों ने इसमें दखल दिया और उन क्षेत्रों में सेना के गश्त लगाने के कार्यों में हस्तक्षेप किया। तब वहां किस प्रकार शान्ति लाई जा सकती है ? यही उसका कारण है। मैंने अपने स्थानापन्न प्रस्ताव में जानबूझकर यह कहा है कि केन्द्र प्रभावकारी तरीके में और तत्काल हस्तक्षेप करे। मैंने जानबूझकर 'तत्काल और

प्रभावकारी तरीके से हस्तक्षेप' शब्दों का प्रयोग किया है। इसलिए हस्तक्षेप करने का तरीका सरकार पर छोड़ दिया गया है। वह तरीका अन्यकमी हो सकता है वे निर्णय ले सकते हैं और उचित संवैधानिक तरीकों से गुजरात सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। वास्तव में सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वे महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की उपेक्षा करके सत्ता में नहीं बने रह सकते। इसलिए, यह उन पर छोड़ दिया गया है। या तो वह सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं और राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं···(व्यवधान) मैं कोई विशेष तरीका नहीं बता रहा हूं। किसी भी तरीके से इस सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए।

अन्त में, मैं कह सकता हूं (व्यवधान) श्री तिवारी···**···शिक्षित हैं मेरे स्थानापन्न प्रस्ताव में पहले वाक्य में मैंने उल्लेख किया है, अर्थात, अहमदाबाद में अभूतपूर्व हिंसा और आगजनी की निन्दा करते हुए—मैंने अन्यों से इसको अलग किया है—और पुलिस द्वारा किए गए अत्याचार। जिस किसी ने आगजनी और हिंसा का कार्य किया है मैंने उसके बारे में अपने स्थानापन्न प्रस्ताव में उल्लेख किया है। इसी वजह से मैं कहता हूं कि श्री तिवारी···**···शिक्षित हैं (व्यवधान) यदि वह इस प्रकार की अज्ञानता दिखाते हैं तब प्रोफेसर**···के हाथों से कितने विद्यार्थियों को नुकसान हुआ होगा··· (व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान जी, प्रोफेसर दंडवते···**···हो गए हैं। मुझे आशा नहीं थी उनका भाषण इस स्तर तक गिर जाएगा। वह एक···**···की तरह व्यवहार कर रहे हैं। (व्यवधान) उन्होंने मेरे ऊपर व्यक्तिगत प्रहार किया है। यह बहुत ही अनुचित है और बुरी बात है। वह गाली-गलौच देने के स्तर तक उतर आए हैं। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं प्रो० तिवारी द्वारा कही गई चिकनी चुपड़ी बातों की तरफ ध्यान नहीं देता। वह ऐसा कह सकते हैं। मैं विद्वता पसन्द करता हूं लेकिन मैं खाली अनुभव पसन्द नहीं करता (व्यवधान)

इसलिए, अन्त में मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव एक बार फिर पढ़ूंगा :

"अहमदाबाद में हिंसा और आगजनी की अभूतपूर्व घटनाओं, पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों और प्रेस के प्रति की गई हिंसा और गुजरात राज्य में संवैधानिक तन्त्र के पूरी तरह से ठप्प हो जाने की भर्त्सना करते हुए यह सभा सिफारिस करती है कि केन्द्रीय सरकार को अहमदाबाद में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए प्रभावकारी तरीके से और तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए।"

महोदय, हम अहमदाबाद में महिलाओं और आम आदमी को न्याय देने के लिए उच्चतम संसदीय मंच का उपयोग कर रहे हैं। यदि संसद उनको न्याय नहीं दे सकती तब हमें यहां तक कि संसद के बाहर भी लड़ना होगा लेकिन हम अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने का अपना कभी नहीं छोड़ेंगे।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"यह सभा, गृह मन्त्री द्वारा अहमदाबाद की स्थिति के सम्बन्ध में 23 अप्रैल, 1985 को सभा में दिए गए वक्तव्य पर विचार करने के बाद, अहमदाबाद में अभूतपूर्व हिंसा और आगजनी, पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों और प्रेस के विरुद्ध की गई उनकी हिंसा और गुजरात राज्य में संवैधानिक तन्त्र के पूरी तरह से ठप्प हो जाने की भर्त्सना करती है और यह सिफारिश करती है कि

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

केन्द्रीय सरकार को अहमदाबाद में सामान्य स्थिति लाने हेतु तत्काल और प्रभावकारी तरीके से हस्तक्षेप करना चाहिए।"

[हिन्दी]

श्री नरसिंह मकवाना (धंधुका) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के नेता श्री दंडवते जी का बड़ा सम्मान करता हूं। अहमदाबाद में कहां-कहां क्या हुआ, उसके बारे में अगर श्री दंडवते जी ने कुछ जानकारी प्राप्त की होती तो उनकी कुछ बात सही निकलती। अहमदाबाद में जो कुछ, हुआ वह बड़े दुख की बात है। यहां पर विपक्ष के नेता रोजाना चिल्लाते हैं कि मण्डल कमीशन का पालन करो। गुजरात में गुजरात की सरकार ने पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण में 18 परसेंट की बढ़ोत्तरी की। इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया। यह अनाउंसमेंट मुख्य मंत्री जी ने लोक सभा चुनाव से पहले किया था। लोक सभा और विधान सभा चुनाव के टाइम पर विपक्ष के लोगों ने इसी को बड़ा मुद्दा बनाया था। उसके बावजूद भी गुजरात की जनता ने कांग्रेस को बड़ा बहुमत दिया। लोक सभा में जो मत दिया उससे भी ज्यादा विधान सभा के चुनाव में बहुमत दिया। 18 परसेंट का जो विरोध पक्ष के लोग विरोध कर रहे हैं, उसी प्वाइन्ट पर गुजरात की जनता ने बहुमत दिया। चुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आए और श्री माधव सिंह सोलंकी जी नेतृत्व में वहां की सरकार बनी। उसके बाद विपक्ष वालों ने इकट्ठे होकर आन्दोलन करना चाहा। चुनाव में उनको असफलता मिली; जनता ने उनको फेंक दिया तो बाद में उन्होंने आन्दोलन शुरू करायां। वह आन्दोलन विद्यार्थियों या अध्यापकों का नहीं था, वह आन्दोलन प्राइवेट स्कूल के व्यवस्थापकों ने शुरू कराया और आहिस्ता-आहिस्ता आज वह आन्दोलन यहां तक पहुंच गया है और यह नौबत आ गई। सरकार को जब पता लगा कि परीक्षाएं आ रही हैं, इम्तहान आ रहे हैं और 5 लाख विद्यार्थियों के इम्तहान बिगड़ने वाले हैं तो सरकार ने कहा कि जो 18 प्रतिशत आरक्षण बढ़ाया गया है, इसको अभी एक साल तक मुल्तवी रखेंगे, उसके बाद एक कमेटी बनाएंगे और सबकी बात सुनेंगे, समीक्षा करेंगे, फिर बाद में कोई फैसला करेंगे। सरकार ने चुनाव के पहले जो फैसला किया और जिसके तहत गुजरात की प्रजा का उसको समर्थन मिला था, वह फैसला भी सरकार ने मुल्तवी रखा, इसलिए कि लोगों की जानें न जाएं, परीक्षाएं न बिगड़ें और लोगों का नुकसान न हो। विपक्ष के लोग इस बात से नहीं माने। यहां तक तो बात हमारी समझ में आती है, लेकिन जब वह आन्दोलन आगे नहीं चला तो विपक्ष के कई लोगों ने इसे सांप्रदायिक दंगे का रूप देने का प्रयत्न किया और सांप्रदायिक दंगे में बदलने की जिम्मेदारी से विपक्ष के लोग निकल नहीं सकते। खाड़िया और सरसपुर में इनके वक्तव्य को जाकर देखें तो उनको पता लगेगा। इसके लिए वे लोग ही जिम्मेदार हैं जो सांप्रदायिक तरीके से शहर में और गुजरात में आन्दोलन चलाना चाहते थे, गुजरात के लोग उनको जानते हैं। जब उस आन्दोलन में उनको सफलता नहीं मिली तो फिर उन्होंने पैंतरा बदला। वे बड़े होशियार लोग हैं, आन्दोलन करने वाले लोग बड़े होशियार हैं। जब उन्होंने देखा कि आन्दोलन नहीं चल रहा है सांप्रदायिक दंगे भी बंद हो गए हैं तो खाड़िया जो कि बी० जे० पी० का गढ़ है, वहां पर उन्होंने आन्दोलन कराया और ऐसी स्थिति बनाई कि आन्दोलन में महिलाएं आगे रहें और उनकी आड़ में आन्दोलनकारी पुलिस पर हमला कर सकें। इस तरह से उन्होंने तीन मंजिलें मकानों से पानी गर्म करके पुलिस पर डाला, एसिड के बल्ब फेंके और बड़े-बड़े पत्थर फेंके। पुलिस क्या करती? पुलिस अपना बचाव भी नहीं कर सकती और लोगों की जान-माल की रक्षा भी नहीं कर सकती, पुलिस को परेशान करने के लिए इन लोगों ने बड़ा खराब काम किया और अखबार वालों ने भी बड़ा खराब काम किया। अखबार वालों ने इस वक्त देश के विरुद्ध काम किया। उन्होंने

पुलिस को बहुत जलील किया, रोज पुलिस वालों के खिलाफ गलत समाचार छापे, गलत फोटोग्राफ छापे, गलत बातें कहीं। इससे पुलिस वाले भी मायूस हो गए। आप तीन दिन का गुजरात समाचार निकालकर देखिए। कई जगह पुलिस पर हमले किए गए। 21 तारीख को सरसपुर एरिया में जब करफ्यू में ढील दी गई तो एक सबइंस्पेक्टर को पकड़ कर मारा और उसकी मोटरसाइकल जला दी। उनके साथ जो कांस्टेबल था, उनको भी मारा। वह कांस्टेबल अभी तक हास्पीटल में है। दूसरे दिन क्या हुआ? हाईकोर्ट का कमीशन जब जाँच करने के लिए पहुंचा तो उसके संरक्षण के लिए जो पुलिस साथ में थी, उन लोगों के आदमियों ने फरसे से उनको मार दिया। इस तरह की वारदातें करने पर पुलिस वाले अपनी ड्यूटी से निकल नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? तो पुलिस पर इस तरह के हमले हुए, इस तरह से उनको परेशान किया गया और उसको अपने फर्ज से हटने पर मजबूर किया गया। दण्डवते जी अहमदाबाद में जाकर देखें और कहें कि पुलिस ने ज्यादती की है तो जो सजा वे कहेंगे वह मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। वे देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि पुलिस ने ऐसा नहीं किया है। कितने पुलिस वाले हास्पीटल में भरती हैं और कितने लोग मरे हैं, इस तरह से पुलिस पर आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, हाईकोर्ट का फैसला भी मेरी समझ में नहीं आता है। हमारे यहां न्याय-पालिकाओं को काम सौंपा गया है और प्रशासन को दूसरा काम सौंपा गया है। न्यायपालिका का काम है न्याय देना। प्रशासन को अपने हाथ में लेना न्यायपालिका का काम नहीं है। हाईकोर्ट ने वहां पर जो निर्णय दिया उसकी वजह से गुजरात सरकार को ऐसे कदम उठाने पड़े। यदि गुजरात सरकार उस निर्णय को मानकर काम नहीं करती तो भी उसके सामने समस्या खड़ी हो जाती, यदि मानती है तो भी उसके सामने समस्या खड़ी हो जाती है, इसलिए वह दुविधा में फंस गई थी जब गुजरात सरकार में बैठे हुए लोगों ने उस निर्णय को देखा तो तय किया कि यद्यपि न्याय-पालिका को कोई अधिकार नहीं है कि वह प्रशासन को अपने हाथ में ले तो भी हम उसके आदेश को मानेंगे। इसलिए कि बाद में कमीशन जाकर सारे फैक्टस देखेगा, इंक्वायरी करेगा और उसकी रिपोर्ट में सारी चीज साफ-साफ उभर कर सामने आयेगी। उस कमीशन की जो रिपोर्ट आने वाली है, उसमें भी यह बात साफ आयेगी कि पुलिस गुनहगार नहीं है, पुलिस जिम्मेदार नहीं है और पुलिस के ऊपर जो एलीगेशन्स लगाये गए हैं वे गलत एलीगेशन्स हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब भी उस कमीशन की रिपोर्ट आयेगी तो उसमें यह बात साफ तौर पर लिखी होगी। मगर पुलिस के खिलाफ इन अखबार वालों ने जो कुछ किया है, जो कुछ प्रचार किया है, दण्डवते जी ने जिस गुजरात समाचार का जिक्र किया, उसकी बातों को उछाला, लेकिन आप उसी गुजरात समाचार के एक महीने के समाचारों को यदि देखें कि उसने क्या किया है, उसने कौमी दंगे भड़काने की कोशिश की है, उसने दो जातियों के बीच में, दो कौमों के बीच में झगड़ा बढ़ाने की कोशिश की है ताकि यह देश खत्म हो सके, देश को नुकसान पहुंच सके। ऐसा काम इन अखबारों ने किया है, क्या अखबारों का यही काम है। जहां तक मैं समझता हूं अखबारों का काम जनता के सामने सही तसवीर को रखना है, सच्ची बात को रखना है, हकीकत को रखना है मगर गुजरात में ये जो दो अखबार निकलते हैं, गुजरात समाचार तथा एक अन्य, उन्होंने अपना फर्ज ठीक तरह से नहीं निभाया बल्कि उसने इस आन्दोलन को और बढ़ाने की कोशिश की और पुलिस को इतना बदनाम किया कि पुलिस ने गुस्से में आकर उन पर हमला कर दिया। उसमें हम या सरकार क्या करते। इसलिए उपाध्यक्ष जी से मेरा कहना यह है कि यहां पर उस तरफ से जो बातें कही गई वे सब गलत हैं और उन का कोई आधार नहीं है।

यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में कहा गया, लेकिन यहाँ कोई बात करनी और गुजरात में जाकर दूसरी बात करनी, यह ठीक तरीका नहीं कहा जा सकता। यहाँ मांग करना कि मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करो और गुजरात में जाकर रिजर्वेशन का विरोध करो, यह बात जंचती नहीं है। हमारी एक ही जुबान होनी चाहिए, एक बात होनी चाहिए और हर पार्टी के लोगों को अपनी एक ही जुबान रखनी चाहिए। विरोध पक्ष में होने पर कुछ कहें और पार्टी के पावर में आने पर जुबान बदल जाए, यह अच्छी चीज नहीं है।

खाडिया में जो कुछ हुआ वह उपाध्यक्ष जी महज बी० जे० पी० की लड़ाई की स्ट्रैटजी के कारण हुआ। उन्होंने लड़ाई लड़ने के लिए कुछ महिलाओं को आगे कर दिया क्योंकि उनको पता था कि यदि महिलाओं को आगे किया जाएगा तो उन पर हमले की खबरें अखबारों में आयेंगी, उनके नाम अखबारों में छपेंगे, उनके फोटोग्राफ छपेंगे और इस तरह से यह आन्दोलन बढ़ेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि गुजरात और अहमदाबाद के लोग काफी होशियार और समझदार हैं, और वे इनकी सब टैक्टिक्स जानते थे। वे उसमें नहीं फंसे, इतना ही मैं उनको बता देना चाहता हूं।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों जब राजीव जी अहमदाबाद आये थे और कौमी दंगे वाले एरिया में गए, घूमे और लोगों को आश्वासन दिया, उनको विश्वास में लिया, तो उस समय दंगे बंद हो गए थे मगर बाद में इन बी० जे० पी० वालों ने उन्हें फिर शुरू कर दिया। उनके द्वारा बाकायदा मीटिंग हुई, एक जगह पर और सारी योजना बनाई गई कि किस तरह से काम करना है, कौन क्या करेगा। इतना ही नहीं कुछ एक्सपर्ट लोगों को दूसरे राज्यों से भी बुला लिया गया, कुछ पत्थर फेंकने में एक्सपर्ट, कुछ दूसरे कामों में एक्सपर्ट, कोई लड़ने में एक्सपर्ट, और उन सबका उपयोग अहमदाबाद में अशांति फैलाने के लिए किया गया और उन लोगों का इन दंगों में बहुत बड़ा हाथ रहा है।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता लेकिन दण्डवते जी ने जो कुछ यहाँ भाषण दिया है, वह तथ्यों पर आधारित नहीं है। उन्होंने हरिजन बस्तियों के जलाये जाने का जिक्र नहीं किया, हरिजन झोंपड़ों को जलाए जाने का जिक्र नहीं किया। तीन दिनों से हरिजन मुहल्लों में, हरिजन बस्तियों में, हमले किए जाते रहे, उनको मारा जाता था, उनको पीटा जाता था और उनको नौकरियों पर जाने से रोका जाता था। इन सारी चीजों को रोकने की जिम्मेदारी किस पर आती है। परसों पुलिस ने ड्यूटी से इंकार कर दिया, उस टाइम पर अहमदाबाद में जितने गरीब, हरिजन और कमजोर वर्ग के लोग थे, वे सारे कांपते थे क्योंकि अब उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया था और ऊपर से उन पर हमले हो रहे थे। पिछली गए रात को भी तीन बजे तक मेरे पास टेलीफोन आते रहे कि हमारे ऊपर हमला किया जा रहा है, हमको रक्षण दिलवाईये। जिस तरह से गरीब, हरिजन और कमजोर वर्ग के लोगों पर अत्याचार हुए, उनका उल्लेख दण्डवते जी ने अपने भाषण में नहीं किया।

इसलिए माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हम लोग डैमोक्रेसी में रहते हैं और डैमोक्रेसी के कुछ मायने होते हैं। डैमोक्रेसी का मतलब होता है कि एक दफा जिस पार्टी को बहुमत मिल जाता है, उसको अच्छे ढंग से शासन करने देना चाहिए। गुजरात की प्रजा ने अभी एक महीना भी नहीं हुआ है, अपना एक फैसला देकर कांग्रेस के हाथ में शासन की बागडोर सौंप दी। अब तक श्री माधवसिंह सोलंकी को मुख्य मंत्री बने एक महीना भी नहीं हुआ कि उनको हटाने की विरोधी पक्षवाले बात करते हैं। प्रजातंत्र में एक महीने पहले प्रजा फैसला करती है, निर्णय करती है

और उसी फैसले को आप बदलने की बात करते हैं, उसी फैसले का आप उल्लंघन करते हैं, तो इसी से आप स्वयं समझ लीजिए कि आप डेमोक्रेसी में कितना विश्वास करते हैं और कितना नहीं करते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, गुजरात में, गुजरात की प्रजा ने 1974 में बहुत समझदारी से एक आन्दोलन जयप्रकाश जी के जमाने में चलाया था जिसमें उन्हें सफलता मिली। तो इसी पैटर्न पर, इसी लाइन पर, इन लोगों ने आन्दोलन चलाया है जिससे कांग्रेस की सरकार को गिराने की उनकी मंशा साफ जाहिर हो जाती है। लेकिन इनको अपनी इस मंशा में कामयाबी मिलने वाली नहीं है। गुजरात की जनता इनको अपनी इस मंशा में सफल नहीं होने देगी। जो लोग कल तक इन लोगों का समर्थन कर रहे थे, वही लोग आज इन से कहते हैं कि आप तो गलत रास्ते पर हैं। जनता पार्टी के जो लीडर हैं, इंदु भाई पटेल, उनको पुलिस ने नहीं पीटा, बल्कि लोगों ने पीटा है। लोगों ने उनसे कहा कि हम तो आपके साथ थे, लेकिन आप ऐसे काम क्यों करते हैं जिससे देश बर्बाद हो रहा है। यह बात जनता ने उनसे कही। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस बात को हम लोगों को अपने ध्यान में रखना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी ने अपने निवेदन में जो बात कही है, वह ठीक है। उससे भी ज्यादा मैं यह कहना चाहता हूं कि इस आन्दोलन की वजह से जिन लोगों को ज्यादा नुकसान हुआ है, उनको सहायता देने के लिए भी प्रबन्ध होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : इस वाद-विवाद में गुजरात में कानून और व्यवस्था पर चर्चा करना अभीष्ट नहीं है। बल्कि उसमें अधिक वहां की बदतर स्थिति, जो कि वहां अब देखी गई, जात-पात की लड़ाई और इसमें साम्प्रदायिक तत्व शामिल हो गए हैं, और उससे भी बढ़कर, पुलिस का व्यवहार और तथा उनके द्वारा लोगों तथा पत्रकारों के अधिकारों पर हमला करना ये पहलू हैं जिनकी हम पूरी तरह से निन्दा करना चाहते हैं। बहुत से निर्दोष लोग मारे गए हैं। हमें इन क्रूर हत्याओं, इस प्रकार के हमलों, जोकि अभी भी जारी है, के कारण काफी दुख हुआ है। हम अब गुजरात में इस प्रकार की स्थिति पैदा करने वाली शक्तियों और उसके पीछे उन कारणों का भंडा फोड़ करना चाहते है।

काफी कुछ कहा जा चुका है। मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में उन घटनाओं का ब्यौरा दिया है। लेकिन उसमें सारी बातें नहीं बताई गई हैं। गुजरात से और बहुत से समाचार प्राप्त हो रहे हैं। जब प्रजा पक्ष की ओर से माननीय सदस्यों ने पुलिस की कार्यवाही को इस तर्क से उचित ठहराने की कोशिश की कि उनको भड़काया गया था, तो ऐसा करना बहुत ही शर्मनाक और निन्दनीय है। आप किसी भी तरीके से पुलिस की कार्यवाही को उचित नहीं ठहरा सकते हैं, जिन्हें वहां कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जिन्हें समुदायों में होने वाले किसी तनाव को कम करने के लिए लगाया गया है। मैं पुलिस बल में किसी व्यक्ति पर दोष नहीं लगा रहा हूं। मेरा मतलब है कि आज हमारा देश में अब पुलिस की किस तरह की मनोवृति है उनका रवैया अपराधी की तरह का है। उसके अन्दर जो असहनशीलता है वह इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है, और यही समस्या की जड़ है। राज्यों में विशेषकर कांग्रेस (आई) शासित राज्यों में—आप मुझसे असहमत हो सकते है-- वे जन-विरोधी व्यवहार अपनाते हैं और यही बात पुलिस में भी आ गई है और यही बात बीते समय में काफी कुछ देखने में आई है। पुलिस और लोगों के बीच वास्तविक सामंजस्य लाने के लिए कोई

उचित प्रक्रिया नहीं बनाई गई हैं, उचित प्रशिक्षण व्यवस्था नहीं है। इस अत्याचार पूर्ण व्यवहार को जो प्रोत्साहन मिलता है वह केवल प्रजा में आई राजनीतिक पार्टी के संरक्षण से ही मिलता है। अन्यथा वे ऐसा नहीं कर सकते। जब वे स्थिति का सामना करने जाते हैं, तो यह सरकार का कर्तव्य है कि वह देखे कि उसके लिए वह योग्य अधिकारियों को यह काम सौंपे। और तब क्या हुआ है जब वह उच्च न्यायालय के आदेश को लेकर जा रहे थे? लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। क्या इसमें सरकार की किसी कार्य कुशलता का पता चलता है? हम पुलिस के इस व्यवहार की पूरी तरह से निन्दा करते हैं और मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि वह कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में और पुलिस को यह सिखाने में असफल रही है कि वह इस तरीके से अपना कार्य न करे जो कि गुजरात में वांछनीय नहीं है।

यह आरक्षण और आरक्षण-विरोधी समस्या किस तरह पैदा हुई। इस सबके लिए सरकार की नीति उत्तरदायी है। हम बहुत लम्बे अर्से से मन्डल आयोग की रिपोर्ट पर इस सदन में चर्चा करने की मांग करते आ रहे हैं। गुजरात में 1983 में राणे आयोग ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया था लेकिन केन्द्र और राज्य सरकार चुप बैठी रही और चुनाव से ठीक पहले उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए अपनी आरक्षण नीति की घोषणा करना उचित समझा। वोट प्राप्त करने की इस प्रकार की अवसरवादिता इसके लिए बहुत हद तक उत्तरदायी है। आपने मंडल आयोग की रिपोर्ट के बारे में जनमत प्राप्त करने की मंजूरी क्यों नहीं दी? ऐसे मामलों में हमें राष्ट्रीय जनमत की आवश्यकता होती है लेकिन आप इन सबसे बचते रहे; और यह सोचकर कि आपको कुछ वोट मिलेंगे चुनावों से पहले आपने इसकी घोषणा कर दी और उसके बाद इस मामले में आप पीछे हट गए आप इस प्रकार की नीति चलाते हैं। आप वास्तव में देश की अखंडता के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। रोजगार और अन्य धार्मिक मामलों के सम्बन्ध में इस प्रकार का सांप्रदायिक जहर फैलाने के लिए आप ही उत्तरदायी हैं। मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे गुजरात सरकार से उन कारणों के बारे में जांच करवाने के आदेश दें जिनकी वजह से ये दंगे भड़के। मैं सरकार भंग करने की मांग नहीं कर रहा हूं। यह उस राज्य के लोगों का मामला है, वे करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि अकुशल सरकार को हटना ही चाहिए और यदि वहां के लोग ऐसा महसूस करते हैं तो उनको ही आन्दोलन चलाने का पूरा अधिकार है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जिन कारणों से दंगे भड़के हैं उनका पता लगाने के लिए आप गुजरात सरकार को न्यायिक जांच कराने के आदेश दें। ऐसा करना बहुत जरूरी है, मैं इसकी मांग करता हूं। प्रोफेसर तिवारी का वक्तव्य हमारे देश के लोगों के बीच सौहार्द बनाए रखने के लिए उचित नहीं है। यह विपक्ष के विरुद्ध एक गलत आरोप है। वे हमारी पार्टी अथवा किसी वामपंथी पार्टी पर आरोप नहीं लगा सकते लेकिन एक समझदार व्यक्ति का यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी की भूमिका गुजरात में बराबर रही है, मेरे विचार से यह बिल्कुल गलत है। यदि हम इस मामले में वास्तव में गंभीर है तो हमको इसे गंभीरता पूर्वक लेना होगा। इस समस्या की जड़ कहां है और इस मामले में सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह गुजरात सरकार से इस मामले के कारणों का पता लगाने की जांच करे कि यह दंगे क्यों भड़के हैं।

अब दंगा-पीड़ितों को राहत देने और मुआवजे देने की जरूरत है और यह उन्हें शीघ्र मिलनी चाहिए। आपको यह देखना है कि उनको समुचित राहत मिले और कुछ हद तक उनकी तकलीफों को दूर कर दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं उन सभी जातिवादी तत्वों की निन्दा करता हूं जिनकी वजह से गुजरात की समस्या पैदा हुई है और उसके कारण राष्ट्रीय जनमत और मण्डल आयोग की रिपोर्ट तथा अन्य बातों में इस सदन की सहमति की यह मांग करनी पड़ी। ऐसा सब करने से पहले मैं सरकार

से अनुरोध करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में अकेले ही कुछ न करे और इनको एक अल्पावधि समस्या के रूप में न ले। जब आपको इस समस्या से निपटना है तो आपको राष्ट्र की, सदन के लोगों की सहमति को साथ लेकर चलना होगा और आपको ऐसा ही करना चाहिए। आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में गम्भीर नहीं है। यह ठीक है कि आपने कहा है कि हम इससे पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन क्या कांग्रेस (आई) शासित राज्यों में इसे लागू किया गया है? कितना? और कितने प्रतिशत? बिल्कुल नहीं! और अब यह आरक्षण जातिवाद के संरक्षण का स्वरूप बन गया है जो लोगों के बीच असमान संतुलन हो गया है, यह आरक्षण नीति नहीं है। यह संरक्षण है जो जारी है। इसके सम्बन्ध में हमें गंभीरता से सोचना है। हम सभी को ऐसे किसी भी किस्म के आंदोलन को भड़काने वाले तत्वों को दूर रखना चाहिए जिसके कारण देश में इस प्रकार के सम्प्रदायिक और जातिवादी आन्दोलन होते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि गुजरात समाचार सहित जहां भी अन्य प्रमुख प्रेस-प्रतिष्ठानों को जलाने के प्रयास हुए हैं, हम सब उसकी निन्दा करते हैं।

मैं अब गुजरात की घटनाओं को इक्का-दुक्का घटना के रूप में नहीं मानता हूं, यदि आप पिछले दिनों के इतिहास का जायजा लें तो मुझे ऐसा लगता है कि यह सारी गड़बड़ी सारे देश को अस्थिर करने के लिए एक व्यापक षड्यंत्र का हिस्सा है।

प्रो० मधु दण्डवते : ब्रिटिश अमेरिका साम्राज्यवाद का।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : देश में इस समय ध्रुवीकरण की केवल दो ताकतें हैं, पहली देश की एकता के लिए है और दूसरी तरफ दूसरी ताकत देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए है। मैं किसी भी श्रेणी में क, ख, ग और घ के रूप में इसका उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ, जब भी मैं कोई बात कहता हूँ इसकी पुष्टि दस्तावेजों और कुछ खास उल्लेखों से करता हूँ।

इस समय देश के सामने जो समस्या है, मैं कहूंगा कि यह कोई नयी समस्या नहीं है। असम की समस्या है, मेघालय नागालैण्ड की समस्या है, पंजाब की समस्या है और गुजरात की समस्या है, यदि आप पिछला इतिहास, देखें और इस समस्या का मूल कारण खोजें और उन सभी का राजनीतिक विश्लेषण करें तो आप देखेंगे कि इन सभी के बीच कोई परस्पर कोई न कोई सम्बन्ध है।

असम समस्या का बीज उस समय अंकुरित हुआ था जब गुलाब बारबरा असम के मुख्य मंत्री थे। लेकिन जब वह उस पद से हट गए तो बात बिगड़ गयी थी और 1980 में श्रीमती गांधी पुनः सत्ता में आ गयीं। श्री कर्पूरी ठाकुर जिस समय बिहार में मुख्य मन्त्री थे और जनता पार्टी सत्ता में थी उस समय बिहार में उन्नत और पिछड़े वर्गों के बीच तथाकथित संघर्ष शुरू किया गया था। संसद में आज हम जिस तरह चर्चा कर रहे हैं इस तरह इस मामले में चर्चा नहीं हुई थी।

इससे पहले खालिस्तान आन्दोलन और उग्रवादियों तथा अकालियों की मांगें केवल कागजों तक सीमित थीं, उन पर चर्चा नहीं की गयी थी, श्री सुरजीत सिंह बरनाला, जो दूसरे पक्ष की ओर हुआ करते थे, वह जनता पार्टी की सरकार में कृषि मन्त्री थे। उस समय वे इस प्रकार की कोई बात नहीं करते थे। उस समय जनता सरकार यह पता लगाने में व्यस्त थी कि क्या गुट-निरपेक्षता सही है अथवा नहीं, या क्या कैम्प डेविड समझौते का समर्थन किया जाय अथवा नहीं।

मैं इन सभी बातों को इसलिए कह रहा हूं कि इसके कुछ कारण हैं। उस दिन जब हम पंजाब समस्या पर चर्चा कर रहे थे और श्री तिवारी अमेरिकी पत्रिका में मि० हार्ड ग्रेव द्वारा लिखी गयी किसी पुस्तक का उल्लेख कर रहे थे जिसने श्रीमती गांधी की हत्या का अन्दाजा दो महिने पहले लगा

लिया था, हत्या होने से दो महिने पहले ही उसने कहा था कि श्री राजीव गांधी उत्तराधिकारी हो सकते हैं लेकिन वह टिक नहीं पायेंगे और उससे देश में स्थिरता नहीं आयेगी। मैं यह सब बातें बहुत सोच समझकर कह रहा हूं। इस सरकार ने, प्रधान मंत्री ने, कार्यभार ग्रहण करने के बाद इसे प्रथम वरीयता दी है और पंजाब और असम की समस्या पर जोर दिया है तथा देश में सही वातावरण पैदा करना शुरू किया है। कुछ ताकतों द्वारा जो विघटन की गतिविधियों को गुजरात तक फैलाना, और विघटनकारी ताकतों को संगठित करना चाहते हैं, ने इन सारे प्रयत्नों का विरोध किया था। ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। यदि आप इस पर गौर करें तो आपको सच्चाई पता लगेगी। श्री जयपाल रेड्डी आप हंस सकते हैं। लेकिन मैं गम्भीर हूँ। यह साम्राज्यवादी ताकतों की सोची समझी साजिश है जो देश में अपने ऐजेंटों के माध्यम से प्रत्येक समस्या को उलझा देते हैं और यह देखने के लिए वह मामले को इतना तूल दे देते हैं कि मामला बिल्कुल गड़बड़ा जाये।

प्रो० मधु दण्डवते : यह तो विश्वव्यापी प्रक्रिया है।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : ऐसा नहीं है, यह देश को अस्थिर बनाने की एक भारी साजिश का हिस्सा है।

कुदाल आयोग की रिपोर्ट—मैंने इसका पृष्ठ दर पृष्ठ तो पढ़ा नहीं है—में कहा गया है कि नव निर्माण समिति के आन्दोलन के दौरान गांधी शान्ति प्रतिष्ठान के धन को खर्च किया गया था। उन दिनों श्री एच० के० एल० भगत के साथ मैं गुजरात में था। उक्त आन्दोलन भ्रष्टाचार के विरोध में किया गया था। **···गलियों में पथराव हो रहा था। उस ओर से श्री मोरारजी देसाई द्वारा ऐसा ही एक भाषण दिया गया था जैसा आज श्री मधु दण्डवते दे रहे थे। मैं उस समय अहमदाबाद में था, इसका प्रमुख लक्ष्य भ्रष्टाचार हटाओ नहीं था बल्कि सरकार को भंग करना था क्योंकि चिमन भाई उस समय सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। और मजे की बात यह है कि आज वही चिमन भाई श्री मधु दण्डवते की पार्टी के साथ हैं। जब वह गुजरात सरकार के नैतिक पक्ष की बात करते हैं और कहते हैं कि श्री माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में गुजरात सरकार का शासन चलाने का कोई नैतिक हक नहीं है तो मेरी समझ में नहीं आता है कि श्री मधु दण्डवते को आन्दोलन का नेतृत्व करने के लिए चिमन भाई पटेल को अपनी पार्टी में शामिल करने के बाद जय प्रकाश का नाम लेने का क्या नैतिक हक है?

प्रो० मधु दण्डवते : यदि मुझे जयप्रकाश नारायण का नाम लेने का हक नहीं है तो आप जयप्रकाश नारायण का नाम लेकर आपातकाल का समर्थन क्यों करते हैं।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : मैंने एक बात देखी है। जब विपक्ष किसी कांग्रेस के नेता के विरुद्ध कोई आरोप लगाता है, और जब उस नेता को कांग्रेस से निकाल दिया जाता है तो वे उसे अपने प्रमुख नेता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। जब श्री बीजू पटनायक, पंडित नेहरू के साथ सत्ता पक्ष में बैठते थे, तो विपक्ष ने उन पर कई आरोप लगाये थे। लेकिन जब बीजू पटनायक कांग्रेस छोड़कर चले गए तो वे लोकतन्त्र के मसीहा बन गये। श्री चिमन भाई पटेल का मामला भी ऐसा ही है। यह भी रण-नीति का एक हिस्सा है।

अब मैं गुजरात के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। श्री तिवारी और अनेक अन्य मित्रों ने कहा है कि हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ किए गए संवैधानिक वायदों से नहीं हट सकते हैं। संविधान की केवल यही नीति नहीं है बल्कि देश की अधिकांश राजनैतिक पार्टियाँ भी ऐसा ही चाहती हैं। आज जब मैंने देखा कि मेरे वामपन्थी साथी भी इसी प्रकार का व्यवहार कर रहे

**कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

हैं तो मुझे वास्तव में बहुत अफसोस हो रहा था । मैं यहाँ पर बंगाल का मामला उठाकर उनके साथ झगड़ा नहीं करना चाहता हूं, मैं इसके लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ । कांग्रेस और सरकार के साथ उनके हजार झगड़े हो सकते हैं, और हमारे विरुद्ध उनके पास हजारों आरोप हो सकते हैं, लेकिन विपक्ष में बैठे हुए हमारे मित्रगण, विशेष रूप से वामपन्थी इतना तो कम से कम अवश्य जानते हैं। कि श्रीमती गांधी एक भारी साम्राज्यवादी षड्यन्त्र की शिकार हुईं। वे कम से कम इतना तो जानते हैं कि उनके गुण्डे और ऐजेण्ट भारत में हर समय स्थिति को बिगाड़ने के हर मौके का लाभ उठाने के लिए अभी भी सक्रिय हैं। जब इस स्थिति को लाने के लिए हम आर० एस० एस० और अन्य कई साम्प्रदायिक ताकतों की निन्दा करते हैं, तो यह देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि वामपन्थी ऐसा नहीं करते हैं। बल्कि वे उनका समर्थन करते हैं। यदि वे ऐसा ही करते रहे तो यह कहते हुए मुझे खेद होता है कि एक दिन उनका लाल झण्डा उनके ही हाथों काले झण्डे में बदल जायेगा और हमारे द्वारा नहीं।

गुजरात की घटना के बारे में, सबसे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आन्दोलन का नेतृत्व किया था। 17 मार्च 1985 को यह सूचना आयी थी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसने आन्दोलन शुरू किया था सरकार के बदले हुए रुख से सन्तुष्टि जारी करते हुए अब पीछे हट गया है। इसमें आगे कहा गया है कि आज शाम यहाँ पर जारी किए गए वक्तव्य में उसका कहना है कि वह चाहते हैं कि हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी की परीक्षाएँ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हों। उसके बाद चालू शिक्षा सत्र में संशोधित आरक्षण नीति क्रियान्वित न करने के बारे में सरकार के फैसले को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने स्वयं अपील की थी। इसके तुरन्त बाद नव रचना समिति जो गुजरात के नवनिर्माण आन्दोलन की ही जाया है, आगे आयी। मैं विपक्ष विशेष रूप से जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के असन्तोष को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। मैं यह भी बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि पिछले लोक सभा चुनावों में लोगों द्वारा उन्हें किस तरह बहिष्कृत किया गया था लेकिन मैंने सोचा था कि जब ये लोग गाँधी जी के सिद्धांतों को पूजते हैं और उनका नाम लेते हैं तो इन्हें गुजरात में इस प्रकार की हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए था।

वे पुलिस की ज्यादतियों की बात करते हैं। मैं यहां पर पुलिस का बचाव नहीं कर रहा हूँ। यह गुजरात सरकार का काम है। मैं केवल एक बात का उल्लेख करना चाहता हूँ। जब गम्भीर स्थिति के कारण केन्द्र सरकार के गृह मन्त्री ने गुजरात का दौरा करने का निर्णय किया है और इस सदन में वक्तव्य देने का फैसला किया है जिसमें इस सदन में इस पर चर्चा करने की मंजूरी दे दी गयी है, मुझे उम्मीद है कि गृह मन्त्री देश के अनेक भागों में इस प्रकार की स्थिति के पैदा होने पर ऐसा ही प्रयत्न करेंगे और सम्बन्धित मामले में सदन में चर्चा को मंजूरी देंगे।

न्यायालय द्वारा की गयी अपील के बाद तो नवरचना समिति में एक वक्तव्य दिया था कि वे इस अपील को नहीं मानेंगे। वे आन्दोलन को तेज करेंगे। यह सूचना आयी थी कि 22 मार्च को न्यायाधीश आर० सी० मनकद ने विद्यार्थी समुदाय से वर्ष 1985-86 के दौरान संशोधित आरक्षण नीति क्रियान्वित न करने के सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए आन्दोलन को वापस लेने की अपील की थी। उसके बावजूद नवरचना समिति आयी और उसने कहा—"हम इसे जारी रखेंगे क्योंकि हम यह महसूस करते हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं।" किसी भी विपक्ष के नेता ने आज तक इस बात को स्पष्ट नहीं किया है कि वह आन्दोलन का समर्थन करते हैं या नहीं। वे हिंसा की बात कर रहे हैं वे इधर-उधर की बात कर हैं। वे सारे मामले को एक तरफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं श्री मधु दण्डवते और इनकी पार्टी से यह जानना चाहता हूँ कि वह आन्दोलन का समर्थन करते हैं या नहीं···

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : नहीं।

श्री प्रियरंजनदास मुंशी : यदि आप आन्दोलन का समर्थन नहीं करते हैं तो आप नवरचना समिति द्वारा अपनाई गई नीति और उसकी गतिविधियों का समर्थन क्यों करते हैं ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हमने किया था।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं आपकी पार्टी द्वारा दिए गए वक्तव्य की चर्चा कर रहा हूं। अहमदाबाद में जनता पार्टी आगे आयी और उसने कहा "आंदोलन में अनेक बातें शामिल हैं क्योंकि लोगों के बीच असन्तोष है और लोग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं" किस सन्दर्भ में असुरक्षित हैं ? कर्नाटक में आरक्षण है, आन्ध्र प्रदेश में आरक्षण है, तमिलनाडु में आरक्षण है, अनेक अन्य भागों में आरक्षण है, हो सकता है वह 50 प्रतिशत हो, या 40 प्रतिशत हो या 60 प्रतिशत भी हो सकता है। लेकिन आंदोलन के लिए स्थान के रूप में गुजरात को ही क्यों चुना गया, क्योंकि गुजरात में कांग्रेस का शासन है, यही एक मात्र कारण है इसके अलावा और कोई कारण नहीं है, जब श्री एन० टी० रामाराव सत्ता में थे तो हैदराबाद में भारी दंगे हुए थे, हमने इस सदन में उस सरकार को भंग करने की मांग नहीं की। कर्नाटक में भी दंगे हुए थे परन्तु हमने हेगड़े सरकार को भंग किए जाने की कभी मांग नहीं की। जब श्री कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे तो जमशेदपुर में लगातार चार महीनों तक दंगे होते रहे लेकिन हमने सरकार भंग करने की मांग कभी नहीं की, हमने जांच की मांग जरूर की थी, जब श्री मधु दण्डवते गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू करने और तत्काल मुख्य-मंत्री को पदच्युत करने की मांग करते हैं तो मुझे इसमें गुजरात के 1973-74 के आंदोलन के किस्म की बहुत गम्भीर "बू" महसूस हो रही है। इसकी शुरुआत गुजरात से होती है क्योंकि गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा इसे सक्रिय समर्थन दिया गया था। मैं पूरे विश्वास से इसे पुनः दुहराता हूं। मंत्री अपनी ऐजेन्सियों के माध्यम से इसकी जांच कर सकते हैं। जब भी मौका आता है इस धन को इन ताकतों पर खर्च किया जा रहा है। मैं इस बात का अन्दाजा लगा सकता हूँ कि जब पुलिस महिलाओं को पीटती है और बेइज्जत करती है तो पुलिस की इस प्रकार की गतिविधियों का इस सदन में कोई बचाव नहीं करेगा लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा श्री दण्डवते को यह मालूम होगा कि इस प्रकार के आंदोलनों में किस किस्म के गुण्डों को खरीदा जाता है। कोई भी समझदार व्यक्ति दंगा फंसाद करने के लिए गलियों में नहीं करेगा। ये संगठित बदमाशों द्वारा भाड़े पर लिए गये गुण्डे और बदमाश होते हैं और वही इस प्रकार की सारी हरकतें करते हैं, यदि कोई बदमाश किसी घर में जाकर उसे जला देता है, और यदि पुलिस वहां पर है तो क्या पुलिस वहां पर जाकर उस व्यक्ति का चुम्बन लेगी ? यदि कोई बदमाश किसी बैंक को लूटता है और पुलिस वहां पर है तो क्या पुलिस उसे पकड़ कर उसको प्यार करेगी ? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मेरे मित्र श्री सैफुद्दीन चौधरी भी समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता और ऐसी सभी चीजों का उल्लेख कर रहे थे, मैं उनके विचारों से सहमत हूं तथा साथ ही गुजरात समाचार और जनसत्ता पर हुए हमलों की निन्दा करता हूं लेकिन मैं उन्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूं। हम सभी को इसी प्रकार कलकत्ता में आनन्द बाजार पत्रिका के प्रति कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा की गयी गतिविधियों की भी निन्दा करनी चाहिए। वहां पर भी ऐसे ही प्रयास किये गए थे। वे गुण्डों को लाये, पत्रकारों को पीटा प्रेस में घुस गए, यह सब बातें रिकार्ड से हैं, यह एक सच्चाई है। यदि यह बात गलत हो तो प्रेस परिषद इसे असंगत कह सकती है। यदि प्रेस परिषद इसे असंगत समझती है तो मैं सदन की सदस्यता से त्यागपत्र दे दूंगा। गुजरात आंदोलन की स्थिति ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। यह मोड़ खास तो नहीं है, बल्कि बहुत साधारण है। सदन के इस सत्र के बाद प्रधान मंत्री राजीव गांधी विश्व शांति और भारत तथा दूसरे देशों के बीच बेहतर

आपसी समझ बूझ बढ़ाने के लिए विदेशों का दौरा करने वाले है। उनकी बिदाई से पहले वही ताकतें तीसरे विश्व के देशों और महाशक्तियों को यह दिखाना चाहती थी कि भारत स्वयं को संगठित करने में असमर्थ है, इसी कारण से यहां पर इस प्रकार की धारणाएं निरंतर पल रही हैं, मैं इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट हूं कि इस मामले को सद्भाव पूवक निबटाना चाहिए। जिस समय गुजरात के मुख्य-मंत्री अधिकांश भागों पर विचार करने और लोगों से बात करने के मूड में थे वहां पर क्या हुआ कि उनके निर्णय लेने के तुरन्त बाद अड़तालीस घरों के भीतर दंगे भड़क उठे। क्या हुआ ? मधु दण्डवते के कथनानुसार नग्न होकर या अर्ध नग्न वेष में पुलिस गलियों में घुस गयी और लोगों को पीटना शुरू कर दिया और बहुत उग्र हो गयी। पुलिस भी एक बल है जो हमारे ही देश की है। इस बल का विदेशों से तो आयात नहीं किया गया है, जब पुलिस ने देखा कि उनके कुछ साथी जवान मारे गए हैं, तो उन्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैंने यह भी कहा था, परन्तु उन्होंने गुस्सा किया। कलकत्ता में जब पुलिस के एक उपआयुक्त को दिनदहाड़े निर्दयतापूर्वक मारा गया था, तो पुलिस विद्रोह करना चाहती थी। परन्तु उस समय सरकार और सभी राजनैतिक पार्टियों और मुख्यमत्री' ने एक अपील जारी की। उन्होंने कहा कि यह राजनीति का मसला नहीं है। वे यह देखेंगे कि पुलिस विद्रोह न करे। हम सबने मुख्यमंत्री का यह कहते हुए समर्थन किया कि पुलिस को उकसाने का यह मौका नहीं है। यदि माननीय मंत्री राज्य सरकार के माध्यम से गुजरात में जो कुछ हुआ है उसकी जांच करवायें तो वह यह भी जानेंगे कि वहां पर कुछ तत्व ऐसे थे जो पुलिस को गलियों में घुसने के लिए उकसा रहे थे। वहां पर एक ऐसा वर्ग है जिसमें 1973-74 में भी इसी प्रकार का काम किया था। उस समय में सर्किट हाऊस में था। जब मैं बाहर आया और गलियों में लड़कों से मिला तो नव निर्माण के छात्रों ने ही हमें यह बताया कि विपक्ष के कुछ नेताओं, जिन्हें हम नहीं जानते हैं द्वारा पुलिस को संरक्षण दिया जा रहा है। उस व्यक्ति नाम मुझे याद है। वह उमा कांत माकन था मुझे मालूम नहीं है कि अब वह राजनीति में है अथवा नहीं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : अब वह कांग्रेस (आई) का विधायक है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : धन्यवाद। वह बुद्धिमान है और वह हमारी तरफ आया, उसने संक्षेप में बताया है कि वह कितना सच्चा था, उस समय वह आंदोलन में शामिल था और उसने कहा था कि विपक्ष द्वारा पुलिस के एक वर्ग को भाड़े में लिया गया है। उस समय यह हमारे साथ नहीं था। श्री जयपाल रेड्डी इस बात को ध्यान में रखें कि···** उस समय जिस आदमी को चोर होने का आरोप था वह इस समय जनता पार्टी की गोद में है और श्री उमाकांत माकन जो उस समय मुरारजी भाई के युवा शक्ति के प्रतीक थे, अब कांग्रेस में हैं, इसलिए आप आसानी से अन्दाज लगा सकते हैं कि गुजरात में क्या हो रहा है।

मैं तीन सुझावों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरा पहला सुझाव यह है कि केन्द्रीय गृह मंत्री को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गुजरात के मुख्यमंत्री को किसी भी परिस्थिति में कमजोर न होने दिया जाए। इस सदन द्वारा उनके नैतिक अधिकार को समर्थन मिलना चाहिए। दूसरे प्रेस के विरुद्ध हुई ज्यादतियों आगजनी और लूट के लिए गुजरात सरकार द्वारा पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए तथा यह देखना होगा कि वहां पर सामान्य स्थिति बहाल हो। तीसरे, उन व्यक्तियों तथा गांधी शांति प्रतिष्ठान सहित अन्य एजेंसियों और संबंध्छिन्न संगठनों के नाम घोषित

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

किये जायें जिन्हें विदेशों से धन लिये जाने के कारण गिरफ्तार किया गया है। ऐसे व्यक्तियों की सूची सदन के पटल पर रखी जाये ताकि सारे सदन को पता चल सके कि इस सब के पीछे किसका हाथ है? मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि गृह मंत्री चाहते हैं तो उन्हें यह पता लगाने के लिए कि नव रचना समिति के पीछे वास्तव में कौन लोग हैं, तथा किसने क्या किया, एक निष्पक्ष दल गुजरात भेजना चाहिए। मैं यह बात साबित कर सकता हूं कि पिछले चुनावों में उनमें से अधिकांश ने जनता सरकार तथा भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था और चुनाव हारने के पश्चात अब वह नव रचना का सहारा ले रहे हैं। नव रचना गुजरात की नव रचना नहीं है, यह विपक्ष की नव रचना है। मैं चाहता हूं कि कम से कम वामपन्थी दल अपने आपको इससे न जोड़ें।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं आपके माध्यम से एक बार फिर कहूंगा कि सरकार को आंदोलन में, चाहे वह आसाम में हो या गुजरात मे या पंजाब में, विदेशी हाथ होने के मामले की जांच करवानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय के लिए केवल 20 मिनट का समय रह गया है और सूची में वक्ताओं की संख्या काफी बड़ी है। इसलिए, मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे संक्षेप में अपनी बात कहें। मैं चार मिनट से अधिक की अनुमति नहीं दूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : सामान्यत: जिसे आधे घण्टे की चर्चा कहा जाता है उस पर तीन घण्टे लग जाते हैं। इसलिए, जब आपने दो घंटे की चर्चा कहा है तो इसे 6 घंटे तक खींचा जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : कमोबेश सभी सदस्य घुमाफिरा कर एक ही बात कह रहे हैं। इसलिए मैं प्रत्येक सदस्य को चार मिनट का समय दे रहा हूं इससे अधिक नहीं। यदि आप उस समय के भीतर समाप्त नहीं कर सकते तो मुझे इस बात का खेद है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : उनके लिए भी, जिन्हें आपने अधिक समय दिया ?

उपाध्यक्ष महोदय : उनको चर्चा की शुरूआत करनी थी इसलिए मैंने उन्हें कुछ समय दिया था। यह मेरा विवेकाधिकार है। आप मेरे विवेकाधिकार को चुनौती नहीं दे सकते।

श्रीमती गीता मुखर्जी : इतने कम समय में हम सारी बातें कैसे कह सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपको कहनी होगी। श्रीमती गीता मुखर्जी, आपको पांच मिनट दिए जाते हैं। इससे अधिक नहीं कृपया इतने समय के भीतर समाप्त करने का प्रयत्न करें।

प्रो० मधु दण्डवते : गीताजी समय लिया जाता है। यह दिया नहीं जाता।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस बात पर बल देना चाहूंगी कि केवल आरोप लगाने की बजाए हमें गुजरात की स्थिति की गम्भीरता पर विचार करना होगा। हिंसा से पीड़ित लोगों और जो आज गुजरात में मुसीबतें मोल ले रहे हैं मेरी उनके प्रति गहरी सहानुभूति है। मैं गुजरात में आरक्षण विरोधी आन्दोलन वालों की निरर्थक हिंसा की पुरजोर शब्दों निन्दा करती हूं। मैं पुलिस के आचरण की भी कड़े शब्दों में निन्दा करती हूं क्योंकि इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि जिन लोगों की कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, वही किसी बहाने पर-अथवा किसी परिस्थिति में इतने नीचे गिर जाएं कि जनता को प्रताड़ित करें

और महिलाओं को अपमानित करें। मैं पुलिस कर्मियों की हत्या की भी निन्दा करती हूं। मेरे विचार से ऐसा नहीं होना चाहिए।

महोदय, मुझे गृह मन्त्री का वक्तव्य पढ़कर वास्तव में बहुत खेद हुआ है। उसमें पुलिस के व्यवहार की निन्दा का एक भी शब्द नहीं है। मैं प्रेस पर हुए हमले की बात पर भी आ रही हूँ। मैं प्रेस पर हमले और उनके संस्थानों को आग लगाने की कड़ी निन्दा करती हूँ। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहती हूँ कि मैं दंगों को तुरन्त बाद गुजरात और अहमदाबाद गयी थी। इसलिए मुझे उन दंगों का व्यक्तिगत अनुभव है। इसीलिए मैं कुछ अधिक समय लेना चाहती थी।

जैसाकि मैंने कहा कि मैं प्रेस पर हमले की कड़ी निन्दा करती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि गुजरात समाचार और कुछ अन्य समाचार पत्रों का रवैया सरकार के प्रति आलोचनात्मक था। यह वास्तविकता है।

प्रो० एन० जी० रंगा : आरक्षण नीति और आरक्षण विरोधी आन्दोलन के बारे में क्या विचार है?

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं उसी विषय पर आ रही हूँ। अब मैं इस सारे मामले की पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगी। जब आरोप लगाने की बात उठती है तो मुझे अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेने दें। जब मैं गुजरात गई तो मैंने पाया कि शिकायतों के लिए काफी सुदृढ़ आधार थे—कुछ शिकायतें तो मैंने सुनीं वह यह थीं कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत से कार्यकर्त्ता इस आरक्षण विरोधी आन्दोलन से सक्रिय रूप से जुड़े हैं। इसलिए मैं नहीं समझती कि इस सब को छोड़ा जा सकता है। किन्तु मैंने जनता पार्टी के कार्यकर्त्ताओं के बारे में सामान्य तौर पर आन्दोलन से जुड़े होने कि बात नहीं सुनी। आप मुझे यह बात स्पष्ट करने दें। किन्तु मैं यह बात भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूं कि कांग्रेस (इ) के कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध भी गम्भीर किस्म की शिकायतें सुनने में आयीं। विशेषकर उस भद्रपुरुष के बारे में जो पिछले मंत्रिमण्डल में थे किन्तु बाद में निकाल दिये गए इसलिये उनको अपने हित को देखना था और जहां तक वर्तमान गृह मन्त्री का सम्बन्ध है वह नीची जाति के हैं। इसलिए कांग्रेस के नेताओं के एक वर्ग का भी हाथ है जो असंतुष्ट हो सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या वह अभी भी कांग्रेस (इ) में हैं?

श्रीमती गीता मुखर्जी : हां, वह अभी भी कांग्रेस (इ) में हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : किन्तु आपने कहा कि वह 'भद्रपुरुष' नहीं है।

2.00 म० प०

इसलिए मुझे यह सारी बातें स्पष्ट कर लेने दें।

मेरे माननीय मित्र श्री प्रियरंजन दास मुंशी ने हम वामपंथियों को चेतावनी दी है और हम पर सारे विपक्ष को एक साथ जोड़ने का आरोप लगाया है। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहती हूं हिन्दू, मुस्लिम दंगों के तुरन्त बाद जब मैं अहमदाबाद गई तो मैंने सभी से यही सुना कि माननीय प्रधान मन्त्री जब वहां गए तो उन्होंने बिना कोई भेदभाव करते हुए सम्पूर्ण विपक्ष की निन्दा की और कहा कि वे सब इस स्थिति के लिए जिम्मेवार हैं। वहाँ के लोगों द्वारा इस बात को पसन्द नहीं किया गया। मैं यह कहना चाहती हूं कि विपक्ष को एक साथ जोड़ने का काम हम में से किसी के द्वारा नहीं किया गया। यह सब स्वयं प्रधान मन्त्री द्वारा वहां जा कर आरम्भ किया गया। आप कृपया अपने अन्दर झांक कर दें।

मैंने वहां देखा कि विभिन्न पार्टियों से संबद्ध ऊंची जाति के लोग—जिनमें वामपन्थी नहीं थे—एक जुट हुए थे। सोलंकी सरकार ने चुनावों के ठीक पहले इस नीति की घोषणा की थी, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या मैं पूछ सकती हूं कि इस नीति के समर्थन के लिए, कांग्रेस (इ०) सरकार द्वारा कांग्रेस (इ०) कार्यकर्त्ताओं का समर्थन प्राप्त क्यों नहीं किया गया? सोलंकी सरकार द्वारा इस बात को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया? (व्यवधान) यह बहुत प्रासंगिक मुद्दा है। मुझे मालूम था कि जब मैं इस सम्बन्ध में पूछूंगी तो काफी होहल्ला होगा। किन्तु मैं मौका चूकूंगी नहीं।

मैंने सुना है कि, नीति की घोषणा के पश्चात, कांग्रेस (इ०) सहित विभिन्न दलों में उच्च जातियों की ओर से भारी दबाव डाला गया और कुछ क्षेत्रों में यह सोचा गया कि इसे वापिस ले लिया जाना चाहिए। इसलिए, आज जो स्थिति है, वह काफी गम्भीर है इसलिए मेरा यह कहना है कि हर एक दल को अपने अन्दर झांकना होगा। इस मामले में वामपन्थियों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है।

प्रो० मधु दण्डवते : हमारी स्थिति बिलकुल स्पष्ट है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं जनता पार्टी के कुछ नेताओं से भी मिली थी। उन्होंने यह नहीं कहा कि वे लोग इसके विरुद्ध हैं। किन्तु कुछ दलों में कुछ तत्व हो सकते हैं। इसलिए, इस प्रश्न पर प्रत्येक दल को अपने अन्दर झांकना होगा।

इस समय मेरा पहला अनुरोध गुजरात में शान्ति और सद्भावना बहाल करने के बारे में है। विभिन्न समुदायों के बीच पहले ही बहुत बड़ी दरार पड़ गई है और इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि सर्वाधिक नुकसान गुजरात के गरीब लोगों को हुआ है। एक दूसरे पर आरोप लगाने से कोई लाभ नहीं होगा। यदि आप राष्ट्रीय एकता चाहते हैं, यदि आप दलितों के अधिकारों की रक्षा के पक्ष में हैं तो आपको इन सभी झगड़ों से ऊपर उठना होगा तथा सारे विपक्ष को एक ही तराजू से न तोलें आपको इस बात का पता लगाना होगा कि इसके लिए कौन लोग जिम्मेवार हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कुछ शिकायतें सुनी हैं। मैंने अन्य दलों के कुछ वर्गों के विरुद्ध भी शिकायतें सुनी हैं। इन सभी बातों की पूरी तरह जांच पड़ताल करनी होगी।

जहां तक आरक्षण नीति का संबंध है निश्चय ही पिछड़ी जातियों की ओर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यह बात सच है। इसे कैसे किया जाए, इस बात पर गम्भीरता से विचार करना होगा और राष्ट्रीय सहमति तैयार करनी होगी। कुछ अन्य जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़े लोग भी विशेष रियायतें पाने के हकदार हैं। आज इस बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती। (व्यवधान) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में संवैधानिक जिम्मेदारी प्रत्येक के लिए लाजिमी है। इस प्रकार की स्थिति हो तो, मेरा यह अनुरोध है कि राष्ट्रीय सहमति तैयार करने के लिए गम्भीरतापूर्वक प्रयत्न करना होगा। जब तक यह नहीं किया जाता तो चाहे गुजरात हो या अन्य कोई स्थान यह समस्या सुलगती रहेगी। इसलिए गुजरात की स्थिति वास्तव में दुखद है और इसका हल खोज निकालना होगा। कांग्रेस (इ०) सरकार इस समस्या को गलत तरीके से हल करने के आरोपों से बच नहीं सकती। उन्हें अपनी जिम्मेवारी स्वीकार करनी चाहिए। मैं आशा करती हूं कि गुजरात की स्थिति का सुधार होगा। प्रत्येक वर्ग को सबक लेना चाहिए और राष्ट्रीय सहमति पर पहुंचना चाहिए। इस प्रकार से मैं अपना तथा अपने दल का दृष्टिकोण सदन के समक्ष रखना चाहती हूं।

श्री बी० के० गढ़वी (बनासकांठा) : महोदय, मैंने श्री दण्डवते का भाषण बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने अपनी कहानी को काफी रंग देने की कोशिश की और अब उनकी असली मंशा बिल्कुल स्पष्ट हो गयी है।

जहां तक हिंसा का सम्बन्ध है यह किसी भी वर्ग द्वारा है तथा देश के किसी भी कोने में इसकी निन्दा की जानी चाहिए। किन्तु जब हम गुजरात की स्थिति का विश्लेषण और मूल्यांकन करने का प्रयत्न करते हैं तो इसकी पृष्ठभूमि जैसी की अन्य वक्ताओं द्वारा बतायी गयी है, को ध्यान से रखना होगा।

मैं भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी से पूछता हूं कि स्पष्ट रूप से बतायें कि क्या वे आरक्षण कोर्ट में हुई इस वर्तमान वृद्धि का समर्थन करते है या नहीं। वे अपनी स्थिति स्पष्ट करें क्योंकि वे दोहरी बात कर रहे हैं। गुजरात में 65 प्रतिशत लोग···

प्रो० मधु दण्डवते : दो आदमी दो जुबानों से बात करते हैं।

श्री बी० के० गढ़वी : हरिजन आदिवासी पिछड़ी जातियों में आते हैं और अब धीरे-धीरे भाषणों के सार, नवरचना समिति तथा अन्यों के निर्णय सामने आ रहे हैं। एक चरणबद्ध तरीके से पद हरिजनों और आदिवासियों के लिए आरक्षण सहित सभी प्रकार के आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं।

यह एक अच्छी बात है कि अभी हाल ही में प्रधान मंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का सम्बन्ध है उसके पुनर्विचार या पुनर्मूल्यांकन का सवाल ही नहीं उठता।

किन्तु, विरोधी दलों की आन्दोलन कर्ताओं के साथ मिली भगत है और वे उन्हें पीछे से भड़काने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या विपक्षी दलों की भूमिका शान्ति बहाल करने में सहायक है या आग में घी डालने का काम कर रही है? अहमदाबाद के वह क्षेत्र जहां का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी के विधायक करते हैं, यह अपने यहां पुलिस क्यों नहीं चाहते। इसका कारण यह है कि अहमदाबाद में साम्प्रदायिक दंगों के पश्चात् जब प्रधान मंत्री और गृह मंत्री ने वहां का दौरा किया और जब वह वापस आए तो वहां शान्ति और सामान्य स्थिति बहाल हो गई और उस शान्ति के दौरान अहमदाबाद की गलियों, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्त्ता काम करते हैं, कई बैरल पैट्रोल, हथियार, खरीदे गए, चीथड़े इकट्ठे किए गए। यह सब वस्तुएं वहां एकत्र की गई है और स्थानीय पुलिस इस बारे में जानती है और इसीलिए उन्होंने उन क्षेत्रों में स्थानीय पुलिस के प्रवेश का विरोध किया और उसी उद्देश्य से पुलिस की छवि बिगाड़ने का अभियान आरम्भ किया। गुजरात समाचार सहित समाचार पत्रों ने उन बातों को उजागर किया जो गलत थीं, प्रो० मधु दण्डवते ने कहा कि पुलिस द्वारा बिना किसी उत्तेजना के गोली चलायी गई। मैं पूछना चाहूंगा कि पुलिस हमारे समाज का अंग है या नहीं। आप उस पुलिसकर्मी की दशा के बारे में सोच सकते हैं जो 1½ या दो महीने से इतने तनाव में ड्यूटी पर है और उसके परिवार को उसका कुछ अता पता नहीं है···

प्रो० मधु दण्डवते : आप पूछ रहे हैं कि पुलिस समाज का अंग है या नहीं। कल यदि कुछ लोग चोरी डकैती करते हैं तो क्या आप तब भी पूछेंगे कि वे समाज का अंग हैं या नहीं?

श्री बी० के० गढ़वी : मैं वहां पर विपक्षी दलों द्वारा अदा की गई भूमिका की बात कर रहा हूं। यह पुलिस कर्मी 1½ या 2 महीने तक ड्यूटी पर तैनात रहते हैं और उन्हें दो वक्त का खाना खाने

का समय भी नहीं मिलता। पुलिस आयुक्त तक भी जब 15 या 20 दिन के लिए ड्यूटी पर बदल जाते हैं तो वह ठीक प्रकार से सो नहीं पाते, केवल कुर्सी पर बैठे-बैठे सुस्ताने का समय ही निकाल पाते हैं।

क्या आपने गुजरात के वाहनों को देखा है? उनमें से अधिकांश पर पुलिस के विरुद्ध, कांग्रेसियों के विरुद्ध मुख्य मंत्री के विरुद्ध गंदी-गंदी गालियाँ लिखी हुई हैं। और यह कार्यकर्ता क्या करते हैं? वे वाहनों को रोक कर यात्रियों को पुलिस वालों और सरकार के विरुद्ध गंदी गालियाँ देने पर मजबूर करते हैं। आखिरकार पुलिस वालों के भी अपने परिवार हैं। जब वे लोग अपने घरों को वापस जाते हैं तो उनके परिवार वाले उनसे पूछते हैं कि "क्या तुम्हारा व्यवहार इस प्रकार का था।" पुलिस द्वारा अर्द्धनग्न या नग्न लोगों को सड़क पर परेड कराने के बारे में बिल्कुल निराधार आरोप लगाए गए; पुलिस अत्याचारों के बारे में निराधार कहानियाँ गढ़ी गईं। कुछ पुलिस वालों पर भी आक्रमण हुए और उन्हें मारा पीटा गया। परन्तु समाचार पत्रों में इस बारे में कोई खबर नहीं छपी है। क्या समाचार पत्रों में इस बारे में एक भी लाइन लिखी गई है कि पुलिस वालों को भी इतना मारा-पीटा गया कि उनकी हड्डियाँ टूट गईं और उन्हें गम्भीर चोटें आईं? इस प्रकार का कोई समाचार प्रकाशित नहीं हुआ है। उच्च न्यायालय में एक गलत अभ्यावेदन किया गया तथा पुलिस अधिकारियों को विशेष क्षेत्रों में प्रवेश पर रोक लगाने सम्बन्धी फैसला दिया गया। क्या आपने कभी यह सुना है कि ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस अधिकारी को रोका जाए और उस स्थान से उसे चले जाने के लिए कहा जाए? और एक अनजान व्यक्ति जिसे स्थानों की कोई जानकारी नहीं हैं, जिसे शरारती तत्वों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिसे यह नहीं पता कि गुंडे कौन हैं, उसका स्थान ले लेता है! पुलिस अधिकारियों को जिन्हें इन सब बातों की जानकारी थी, ड्यूटी से हटा दिया जाता है। यह फैसला था जो न्यायपालिका ने किया है। आप कहते हैं कि न्यायपालिका लोकतंत्र का स्तम्भ है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह स्तम्भ थी और यह स्तम्भ है। यदि सेब का कोई भाग खराब है तो हमें कहना पड़ेगा कि सेब का भाग खराब है। यह दुराग्रही निर्णय था। इसीलिए पुलिस बल का सारा मनोबल गिर गया। ऐसा नहीं है कि गुजरात सरकार ने कदम नहीं उठाए। जब दंगे शुरू हुए तो उन्हें दबाने के लिए तुरन्त कदम उठाए गए। राहत शिविर लगाए गए तथा पुलिस की गोली का शिकार हुए प्रत्येक व्यक्ति को 20,000/- रुपए दिए जा रहे हैं। मारे गए पुलिस अधिकारी के परिवार को एक लाख रुपए दिए गए हैं और उनकी पुत्री को नौकरी दी जाने वाली है। मैं गुजरात सरकार और मुख्य मंत्री को इसके लिए बधाई देता हूँ। आप पुलिस बल को निलम्बित नहीं कर सकते और उसके बाद सरकार को दोष नहीं दे सकते।

विपक्ष की योजना बहुत स्पष्ट थी। उन्होंने बम्बई में एक बैठक की थी। उसमें श्री मधु मेहता थे। उन्होंने कहा कि वे यह आन्दोलन अन्य राज्यों तक भी ले जाएंगे। जब किसी ने पूछा कि "आप यह आन्दोलन कर्नाटक तथा अन्य गैर-कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों नहीं ले जाते?" उनका उत्तर था कि उन्हें इन राज्यों में आन्दोलन नहीं करना चाहिए क्योंकि वे गैर-कांग्रेस दलों द्वारा शासित राज्य हैं। उन्होंने गुजरात पर ही अपना ध्यान केन्द्रित किया। क्योंकि गुजरात ने सर्वाधिक प्रतिशत वोट कांग्रेस के पक्ष में डाले थे। उन्होंने विगत में जो बड़े-बड़े दावे किए थे, वे सब धराशाही हो गए और इस प्रकार जनता में निराशा और असफलता की भावना के कारण यह आग भड़की।

वे पुलिस वालों को बदनाम कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के व्यवहार को देखिए। मैं उस समय अहमदाबाद में था। पुलिस की एक उत्तेजित आरक्षी टुकड़ी उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के घरों की ओर जा रही थी। उन पुलिस अधिकारियों ने, जिन्हें विशेष क्षेत्रों

की ओर जाने से रोका गया था, पुलिस के उन सिपाहियों से कहा, "यहां अधिकारी हैं, आपको उच्च न्यायालय और अन्य स्थानों पर नहीं जाना चाहिए और आपको उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।" और सिपाही वापस चले गए। उन्हीं पुलिस अधिकारियों ने उच्च न्यायालय और न्यायाधीशों की रक्षा की जिनकी कि कटु आलोचना की गई थी। सच्चाई यह है।

हम सभी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। हम सभी कहते हैं कि हिंसा को रोका जाना चाहिए। परन्तु आप लोगों को इन मुद्दों को सड़कों पर ले जाने के लिए कह रहे हैं। आप पहले ही कह चुके हैं "हम इस मुद्दे को सड़कों पर ले जाएंगे।" मेरा गृह मंत्री महोदय से यह कहना है, "यह ऐसा मामला है जिसमें सरकार को गुजरात में तनाव और हिंसा की स्थिति पैदा करने और उसे बढ़ावा देने में भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी का हाथ होने की जानकारी है। इसलिए सरकार को भी इन बातों को उजागर करने और जनता को बताने में शर्म अनुभव नहीं करनी चाहिए।

मुझे खुशी है कि अब स्थिति शान्त और सामान्य हो रही है। जहाँ तक अन्य आरोपों का संबंध है, शायद शेर एक बार 1974 में नव निर्माण आन्दोलन के द्वारा खून का स्वाद चख चुका है अब आपने देखा था कि तत्कालीन कांग्रेसी मुख्य मंत्री, जो अब आपके नेता हैं, श्री चिमन भाई पटेल को गद्दी छोड़नी पड़ी थी। अब वह शेर पुन: खून का स्वाद चखना चाहता है। उस समय यह जनता मोर्चा था। वर्ष 1975 में जब प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी ऊंझा गई और स्थिति समझाने का प्रयास किया तो उन पर पत्थर फेंके गए थे क्योंकि चिमन भाई पटेल कांग्रेस (इ) के मुख्य मंत्री थे। अब वही चिमन भाई ऊंझा से चुने गए हैं। यह हवा का रुख है। यह मनोविज्ञान है तथा भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी इन तत्वों के साथ घी-शक्कर है। कृपया ऐसा होने से रोकिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इस बात का आश्चर्य नहीं होगा यदि पिछड़े वर्गों के लोग भी बदले में आन्दोलन शुरू कर दें और उस स्थिति में सारा दोष आपके सर पर आएगा।

गुजरात सरकार ने आरक्षण कोटे में वृद्धि को अस्थगित रखा है। मेरे विचार से ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि पिछड़े वर्गों के लोगों को उन्नत वर्गों के लोगों के बराबर होने का हक है और वे उन लाभों और विशेषाधिकारों के हकदार हैं जिनके दिए जाने का आश्वासन उन्हें संविधान में दिया गया है। इन सब बातों के बावजूद गुजरात सरकार, गुजरात के मुख्य मंत्री ने यह सोचकर कि राज्य में अमन-चैन होना चाहिए, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, सभी मुद्दों को बात-चीत के जरिए निपटाया जाना चाहिए; छात्रों को छोड़ दिया, और आरक्षण कोटे में की गई वृद्धि को अस्थगित रखा और उनकी मांगों पर विचार करने के लिए सहमत हो गई जिससे कि पुन: सामान्य स्थिति कायम की जा सके और 5 लाख छात्रों का भविष्य खराब न हो और उन्हें परीक्षा में बैठाया जाए। परन्तु दुर्भाग्यवश शान्ति के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। इसीलिए यह वातावरण बना है। अब हिंसा कम हो गई है और शान्ति लौट रही है। इसलिए मैं प्रो० मधु दण्डवते और विपक्ष के अन्य नेताओं से यह अनुरोध करूंगा कि हम एक साथ बैठें और स्थिति सामान्य बनाने के लिए रचनात्मक उपायों पर विचार करें जिससे कि परीक्षाएं शीघ्र हो सकें और गुजरात के पांच लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो।

इन शब्दों के साथ ही मैं माननीय गृह मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य का स्वागत करता हूं।

***श्री आर० अन्नानम्बी** (पोल्लाची) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी आल इंडिया अन्ना द्रविड मुनेत्रम कषगम की ओर से गुजरात की ताजा स्थिति के बारे में कुछ शब्द कहना

* मूल तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

चाहता हूं। माननीय गृह मंत्री ने विपक्षी सदस्यों की मांग पर गुजरात की वर्तमान खेदजनक स्थिति के बारे में कल विस्तृत वक्तव्य दिया। श्री मन्धु दण्डवते ने गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर एक प्रतिस्थापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। गत दो घन्टों के दौरान कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों से सम्बन्धित सदस्यों ने अपनी समझ के अनुसार समस्या के प्रति अपने विचार व्यक्ति किए हैं।

मैं यह बहुत वेदना के साथ कह रहा हूं कि क्या पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए आरक्षण के कोटे में वृद्धि करने के गुजरात सरकार के प्रशंसनीय निर्णय के कारण इस प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति पैदा होनी चाहिए थी। गुजरात सरकार तो राज्य में पिछड़े वर्गों के लोगों की उचित कठिनाइयों को दूर करना चाहती थी। हमारे माननीय प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कोटे में 20 प्रतिशत की वृद्धि की। क्या कोई भी समझदार व्यक्ति इसका विरोध कर सकता है और वह भी हिंसक तरीके से ? गुजरात के लोगों ने आम चुनावों में पुनः उसी कांग्रेस सरकार को सत्ता सौंप दी। उन्होंने एक निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी स्थानों से कांग्रेस के प्रत्याशियों को चुन कर पुनः लोक सभा में पहुंचाया। इससे पता चलता है कि गुजरात की जनता ने कांग्रेस पार्टी की सरकार में पुनः विश्वास व्यक्त किया है। राज्य सरकार की आरक्षण नीति के बारे में चुनावों से पहले जहां-तहां विरोध प्रकट किया जा रहा था। परन्तु चुनावों के बाद चुनाव में हारे हुए उम्मीदवार दंगे में शामिल हो गए और आन्दोलन की आग को हवा देने लगे। छात्रों द्वारा अपने अधिकारों के लिए आन्दोलन करने में कोई गलत बात नहीं है। परन्तु जब राजनीतिक दल तथा अन्य समाज विरोधी तत्व छात्रों को हिंसा के लिए भड़काएं तो फिर हर जगह आग लग जाती है।

समाचार पत्रों से हमें पता चला है कि पुलिस वालों को गंभीर चोटें आई हैं। हम यह भी देखते हैं कि भीड़ की भगदड़ में उच्चाधिकारी हिंसा का निशाना बनते हैं। इस हिंसा में राज्य के जनता पार्टी अध्यक्ष घायल हुए हैं। राज्य सरकार राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। मैं केंद्र से यह अनुरोध करूंगा कि जो भी राज्य सरकार पिछड़े वर्गों और दलितों के उत्थान के लिए समुचित उपाय करती है, उनकी उन उपायों के कार्यान्वियन में सहायता की जानी चाहिए। उनके कार्यान्वियन के रास्ते में आने वाली सभी कठिनाइयों को दूर किया जाना चाहिए। इस प्रकार के समाज कल्याण के उपायों के कार्यान्वियन में बाधा डालना किसी भी राजनीतिक दल के दीर्घावधि हित में भी नहीं है। राजनीतिक दलों को आन्दोलन के माध्यम से तुरन्त राजनीतिक लाभ लेने के दृष्टिकोण से अपने आपको ऊपर उठाना चाहिए।

मैं यहां यह बता दूं कि तमिलनाडु में पिछड़े वर्गों के लिए 50 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों के लिए 18 प्रतिशत आरक्षण है। राज्य सरकार द्वारा उन्नत वर्गों के लिए भी रिआयतें दी जा रही हैं। डा० पुराटची थालैवार एम० जी० रामचन्द्रन के नेतृत्व में तमिलनाडु की सरकार देश में सामाजिक पुनरुत्थान में सबसे आगे हैं। हमारे प्रिय नेता, डा० एम० जी० रामचन्द्रन, जिनको राज्य के आम आदमी का समर्थन है, उन सामाजिक सिद्धान्तों को तेजी से कार्यान्वित कर रहे हैं जो कि उन्हें समाज सुधार के पितामह थानथै पेरियार तथा उनके सिद्धान्तों को आगे ले जाने वाले पेरारिगनार अन्ना ने उन्हें सौंपे थे। डा० एम० जी० रामचन्द्रन तमिलनाडु में वर्गहीन और जातिहीन समाज की स्थापना करने के लिए प्रतिबद्ध है। पेरारिगनार अन्ना यह कहा करते थे कि वे एक मुस्लिम को बिना "लुंगी" के, एक इसाई को बिना "क्रास" के और एक हिन्दू को उसके माथे पर भभूत के निशान के बिना देखना चाहेंगे। तमिलनाडु में चिरस्थायी शान्ति है और हमारे मुख्य मंत्री के

महान प्रयासों को सभी का समर्थन प्राप्त है। तमिलनाडु में आरक्षण के प्रतिशत के बारे में किसी भी प्रकार का आन्दोलन नहीं है। तमिलनाडु के सभी लोगों ने तमिलनाडु के मुख्य मंत्री के आदर्शों में ही अपना हित देखा है।

महोदय, मैं एक बार फिर इस बात पर बल दूंगा कि गुजरात सरकार को किसी भी कीमत पर अपनी आरक्षण नीति को निरस्त नहीं करना चाहिए। केन्द्रीय सरकार को राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पुन: बहाल करने और पूरी ताकत से आन्दोलन को दबाने में राज्य सरकार की सहायता करनी चाहिए। इन शब्दों के साथ ही मैं माननीय गृह मंत्री के वक्तव्य का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि मैं अगले माननीय सदस्य को बोलने के लिए पुकारूं, मैं यह घोषणा करना चाहता हूं कि प्रो० मधु दण्डवते और श्री एस० जयपाल रेड्डी से प्रतिस्थापन्न प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। प्रो० दण्डवते अपना प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं। अब श्री एस० जयपाल रेड्डी यदि चाहें तो अपना प्रतिस्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी, : मैं प्रस्ताव करता हूं : कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

> "यह सभा गृह मंत्री द्वारा अहमदाबाद की स्थिति के बारे में 23 अप्रैल, 1985 के इस सभा में दिए गए वक्तव्य पर विचार करने के बाद, गुजरात में कानून लागू करने वाली तंत्र ठप्प पड़ने और उसके द्वारा अवज्ञा किए जाने पर चिंता व्यक्त करती है और राज्य में पुन: सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए भारत सरकार को हस्तक्षेप करने का आह्वान करती है।"

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष जी, माननीय मधु दण्डवते जी इस समय हाउस में मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी एक बात जो आखिर में उन्होंने कही थी, वह मुझे बहुत खटकी। उन्होंने कहा था कि अगर उनकी बात इस संदन के माध्यम से नहीं मानी गई तो वह और उनकी पार्टी बाहर संघर्ष करेंगे। इस तरह की बात जब मधु दण्डवते जैसे विचारवान और जनतन्त्र में पूरी निष्ठा रखने वाले नेता के मुंह से निकली है तो बाकी और नेता, उन्हीं की पार्टी के और दूसरी विरोधी पार्टियों वाले सड़कों पर जाने की बात करते हैं, मामले को सदन में तय करने की बात नहीं करते, जनतन्त्र के तरीके से समस्याओं को निपटाने की बात नहीं करते तो उनके बारे में और क्या सोचा जा सकता है और क्या कहा जा सकता है? सदस्यों ने बड़े विस्तार के साथ बताया है कि हम 1974 की स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं।·· (**व्यवधान**)···

वह आप चाहते हैं, लेकिन हम करने वाले नहीं हैं।

1974 में इसी प्रकार का वातावरण गुजरात से शुरू हुआ था और दूसरे प्रान्तों में भी धीरे-धीरे वह फैला। उस समय भी गुजरात की सरकार को बर्खास्त करने की मांग उठाई गयी थी और इस मांग को लेकर भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री मोरारजी देसाई ने आमरण अनशन अहमदाबाद में किया था। हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने विरोधी दल और खासकर मोरारजी देसाई की नीयत पर भरोसा करके वहां की सरकार को बर्खास्त भी कर दिया था, लेकिन उनकी नीयत अच्छी नहीं थी। इस प्रकार यह आन्दोलन गुजरात से होता हुआ बिहार तक जा पहुंचा और पूरे देश ने हिंसा की वारदातें देखीं, सारे देश में हिंसा का एक वातावरण फैल गया। राजनीति जनतांत्रिक-संस्थाओं से हटकर सड़कों और मैदानों में चली गई। उसके बाद सरकार के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि आपातकालीन स्थिति लागू की जाए। आपातकालीन स्थिति का फायदा इन लोगों ने

उठाया भी, इनको 1977 में सत्ता भी मिली और उसी पुराने तजुर्बे को एक बार फिर ये दोहराना चाहते हैं। आज भारत के लोगों ने इनको इस सदन से बाहर कर दिया है, भारत के लोगों ने इनको शासन करने की जिम्मेदारी नहीं सौंपी है, भारत के लोगों ने इनको जो विरोधी दल चलाने की जिम्मेदारी सौंपी है उसको भी ये ठीक प्रकार से नहीं चला पा रहे हैं। मैं दो दिनों से देख रहा हूँ विरोधी दल के लोग बहुत उत्तेजित हो रहे हैं पुलिस के व्यवहार पर, गुजरात में जो कुछ हो रहा है उससे इनको बड़ी उत्तेजना है लेकिन आज दस दिनों से मैं इस बात का इन्तजार कर रहा था कि गुजरात में आरक्षण के विरोध में जो आन्दोलन चल रहा है उस पर इस सदन में बहस कराने की मांग की पहल क्यों नहीं कर रहे हैं? यह वहां पर पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी गुजरात में आरक्षण विरोधी आन्दोलन चलाया जा चुका है मेडिकल कालेज में छात्रों के आरक्षण को लेकर, और मुझे याद है छठी लोक सभा में विरोधी दल के लोगों ने यहां पर बहस के लिए सारे तरीके अख्तियार किए थे, यहां तक कि सदन में धरना भी दिया था। उस वक्त अनुसूचित जाति के सदस्य विरोधी दल में ज्यादा थे, उन्होंने स्पीकर साहब को बहस कराने के लिए मजबूर किया था लेकिन इस बार आप चुप बैठे रह गए। इसलिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और पिछड़े वर्गों के आरक्षण की आपकी बात बिल्कुल खोखली नजर आती है। जब आरक्षण विरोधी आन्दोलन करने वालों के साथ पुलिस सख्ती के साथ निपट रही है तो आपको परेशानी हो गई, आप आग-बबूला हो गए कि आन्दोलनकारियों के साथ सख्ती हो रही है, उनको पुलिस मार रही है, उनके साथ ज्यादती कर रही है। दो दिनों से आप उतावले हो गए कि इस मामले पर बहस की जाए।

लेकिन मैं समझता हूं आज सबसे बड़ा मुद्दा यह नहीं है कि पुलिस उनके साथ ज्यादती कर रही है बल्कि सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि गुजरात जो महात्मा गांधी का प्रदेश है, वहां पर आरक्षण के विरोध में आन्दोलन कराया जाए। सबसे दुःख और कष्ट की बात तो यह है कि महात्मा गांधी की आत्मा को ठेस पहुंच रही होगी कि इस प्रकार का आन्दोलन देश के किसी दूसरे भाग में शुरू न होकर उनके जन्म स्थान गुजरात से शुरू हुआ है। यही सबसे बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है जिसको आप नजरन्दाज कर गए और इस पर आपने बहस नहीं मांगी। दण्डवते जी को याद होगा कि उस वक्त विरोधी दल के लोगों ने अध्यक्ष जी पर कितना दबाव डाला था बहस एलाउ करने के लिए, धरना तक दिया गया था, उस वक्त अनुसूचित जाति के सदस्य उस तरफ ज्यादा थे और वोकल भी थे लेकिन इस बार जब आरक्षण के विरोध में गुजरात में आन्दोलन चला तो आप लोग खामोश क्यों रहे, आपने बहस की मांग क्यों नहीं की? पिछले एक हफ्ते से मैं आप लोगों की गतिविधियों को देख रहा था, बहस की मांग उसी समय उठनी चाहिए थी और यदि उस समय इस सदन में बहस हो गई होती तो इस समय गुजरात में जो कुछ हो रहा है उसको शायद रोका जा सकता था। यहां की बहस का गुजरात के लोगों पर अच्छा असर पड़ सकता था...

प्रो० मधु दंडवते : प्राइम मिनिस्टर ने अहमदाबाद में एक बयान दिया था जिससे इम्प्रेशन यह हुआ कि आरक्षण के सवाल पर वे अपनी नीति बदलना चाहते हैं और मैंने यहां पर उठकर पूछा था तो होम मिनिस्टर ने कहा था कि यह गलत इम्प्रेशन प्रेस के जरिये से हुआ है, हम आश्वासन देते हैं कि आरक्षण की बुनियाद को नहीं बदला जायेगा।

श्री जैनुल बशर : लेकिन आपने यहां पर, आरक्षण के विरोध में जो वहां आन्दोलन चल रहा था, उस पर बहस की मांग नहीं की। उस आन्दोलन के विरोध में यहां पर बहस होनी चाहिए थी, एक बार गुजरात के मामले को लेकर पहले भी हो चुकी है और उसमें आप भी बोले हैं। श्रीमती

गीता मुकर्जी भारतीय जनता पार्टी की बात करती थीं। उस समय आपको याद होगा, श्री अटल बिहारी वाजपेयी का वह भाषण जिसमें आधे भाषण में उन्होंने आरक्षण विरोधियों की बात कही थी और आधे में आरक्षण की बात को सही माना था। शायद उनका वह भाषण सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन का भाषण था। माननीय मधु दण्डवते जी बहुत विचारवान नेता हैं, जो जनतन्त्र में पूरा विश्वास करते हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। उन्होंने अपने भाषण के आखिर में जो वाक्य कहे वे चौंका देने वाले हैं। "अगर उनकी बात इस सदन में नहीं मानी गई तो वे बाहर संघर्ष करेंगे।"

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा : श्री दण्डवते, क्या आप अपनी बात से मुकर गए हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : सभी संघर्ष सदन के भीतर नहीं होते। हम शान्तिपूर्ण और अहिंसक तरीकों से सदन के बाहर भी लड़ेंगे।

प्रो० एन० जी० रंगा : मुझे खुशी है कि आपने मेरे पूछने पर यह कहा।

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर : क्या जनतान्त्रिक मूल्यों में यही विश्वास है ? अगर मधु दण्डवते साहब ऐसी बात कहते हैं तो उनकी पार्टी के महामन्त्री ने इंग्लैंड में जो बात कही है वह शतप्रतिशत सही है और इस बात की तरफ़ इशारा करता हूँ कि विरोधी दलों की तरफ से एक षड्यन्त्र हो रहा है—1977 की स्थिति को उसी तरीके से वापस लाने का। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, गृह मन्त्री जी को चेतावनी देना चाहता हूं कि वे इन लोगों के डिजाइन से होश्यार रहें क्योंकि ये उसी प्रकार का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। आज गुजरात में जो कुछ हो रहा है, वही महाराष्ट्र में शुरू होने की बात चल रही है। बिहार में भी किसी ईशू पर यह बात उठ सकती है, उत्तर प्रदेश में भी कोशिश की की जा सकती है और सारे देश में हिंसा का वातावरण फैला कर सारे देश की स्थिति को बिगाड़ने की चेष्टा हो रही है। हिंसा का वातावरण कहीं भी फैलेगा तो सरकार और पुलिस उसके विरुद्ध कार्यवाही करेगी, उस स्थिति में कहीं न कहीं ज्यादती भी हो सकती है, तब उसका फायदा उठाकर ये लोग सत्ता में आना चाहते हैं। ये लोग सत्ता को कैप्चर करना चाहते हैं। इन लोगों की इस नीयत से सरकार को चौकन्ना रहना चाहिये और इस प्रकार के आंदोलनों को सख्ती से दबाना चाहिये। साथ ही देश में एक ऐसा राजनीतिक वातावरण भी बनाना चाहिये जिससे इस प्रकार की प्रवृत्तियों के बारे में जनता को खबरदार किया जा सके, चेतावनी दी जा सके।

आखिर जनतन्त्र का फैसला कैसे होगा ? इस सदन में कौन लोग आयेंगे ? जनतन्त्र में इस देश का शासन कैसे चलेगा ? इसका फैसला जनता के वोटों द्वारा होगा या इसका फैसला सड़कों और मैदानों की भीड़ के द्वारा होगा ? कैसे फैसला होगा ? जनता ने एक फैसला तो अभी हाल में दिया है। पांच साल के बाद फिर वोटिंग होगी, फिर चुनाव होंगे। मधु दण्डवते साहब और उनकी पार्टी या अन्य विरोधी दलों के लोग जनता को जाकर समझायें कि हमारी नीति कहां विफल रही है और तब जनता उनको चुनती है तो वे सत्ता में आयें, लेकिन सड़क की राजनीति, मैदानों की राजनीति हिंसा की राजनीति से वे यहां आना चाहते हैं तो मुझे दुख है कि इस देश में जनतन्त्र नहीं चल पायेगा। जनतन्त्र को चलाने की जिम्मेदारी शासक दल के नाते सबसे ज्यादा हमारी है। इसलिये मैं भारत सरकार और गृह मन्त्री जी को चेतावनी देना चाहता हूं कि विरोधी दलों की जो इस प्रकार की गतिविधियां हैं, षड्यन्त्र हैं, उनसे होश्यार रहें। देश की जनता को इसके बारे में बतलाना होगा। उनके बारे में जो मैटीरियल उपलब्ध होगा उसको देश की जनता को बतलाना होगा,

समझाना होगा, लेकिन एमर्जेन्सी लाने की गलती फिर से नहीं करनी होगी। गुजरात सरकार को बर्खास्त करने की गलती फिर नहीं करनी होगी। गुजरात की सरकार उस वक्त अच्छी नीयत से बर्खास्त की गई थी। मोरारजी देसाई ने आमरण अनशन किया था, लेकिन वर्तमान सरकार तो तीन-चौथाई मतदाताओं के बल पर चुन कर आई है, हम उसमें दखल देने वाले कौन होते हैं। भारत सरकार दखल देने वाली कौन होती है। 10 या 5 प्रतिशत लोग सड़क पर हिंसा का वातावरण फैलाए हुए हैं, इसलिए गुजरात की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए और 95 प्रतिशत लोग जो गुजरात की सरकार के साथ हैं, उस सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। गुजरात सरकार के मामले में दखल देना किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा, ऐसा मैं मानता हूं। मधु दण्डवते जी चाहे सदन में धरना दें या सड़कों पर संघर्ष करें, गुजरात की सरकार को बर्खास्त करने की कोई बात नहीं है।

एक माननीय सदस्य : जनता उखाड़ देगी।

श्री जैनुल बशर : जनता उखाड़ देगी, तो उखाड़ दे, हमें परेशानी नहीं है। जनता ने आपको उखाड़ दिया और जनता किसी को भी उखाड़ सकती है लेकिन हथियारों के बल पर, हिंसा के बल पर, शस्त्रों के बल पर जनतंत्र चलने वाला नहीं है। जनतंत्र को चलाने की जिम्मेवारी जितनी हमारी है, उतनी विरोधी दलों के लोगों की भी है। मुझे दुःख है कि आप उस जिम्मेवारी का निर्वाह ठीक प्रकार से नहीं कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : मैं अपना भाषण शुरू करने से पहले यह बात स्पष्ट कर दूं कि आरक्षण की नीति पर, चाहे वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में हो अथवा पिछड़े समुदायों के बारे में, हमने सदा संविधान के उपबन्धों के अनुसार और सही भावना से उसे जारी रखने और उसे कार्यान्वित करने का समर्थन किया है। मेरे से पहले जो सदस्य बोले हैं वे भावनाओं में बहकर बोले हैं और वे गुजरात की स्थिति को पंजाब और आसाम की स्थिति के बराबर बताने का प्रयास कर रहे हैं। (व्यवधान) ठीक है, उनमें समानता हो सकती है, परन्तु सही रिकार्ड प्रस्तुत करना पड़ता है। पंजाब में क्या हुआ ? यही सरकार है जिसने जानबूझ कर पंजाब के समाधान में विलम्ब किया अथवा उसे टाला। मुझे पता है कि एक समय था जब सरदार स्वर्ण सिंह पंजाब समस्या के समाधान के बिल्कुल निकट थे जबकि उन्हें वापस बुलाया गया। मुझे नहीं पता कि उन्हें किन कारणों से वापस बुलाया गया। आपने उत्तरी क्षेत्र से हिन्दू वोट प्राप्त करने के लिए राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से ऐसा किया। वोट आपको मिले, पर किस कीमत पर ? आपको ये वोट स्वर्गीय प्रधान मंत्री का जीवन गंवाकर प्राप्त हुए। गुजरात और दूसरी जगहों पर ऐसा नहीं होना चाहिए। गुजरात के मुख्य मंत्री, माधव सिंह सोलंकी चुनावों की पूर्व संध्या पर आरक्षण नीति के कार्यान्वयन का वायदा किया था। चुनाव समाप्त होने पर उन्होंने अपना यह वायदा ताक पर क्यों रख दिया ? क्या यह वायदा राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं किया गया था ? उस पक्ष के सदस्यों के बोलने से पहले मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे पहले अपना आत्म निरीक्षण कर लें।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : क्या कारण थे कि चुनाव से पहले सारे विरोधी दल

के लोग और इधर के लोग भी मंडल आयोग की रिकमेंडेशन्स को इम्पलीमेंट करने के लिए समय-समय पर डिमांड कर रहे थे ?

[अनुवाद]

बार-बार आप यह मांग करते रहे हैं। इसके क्या कारण थे ? मुझे बताइए। (व्यवधान) चुनाव अब होने हैं।

[हिन्दी]

इस पहलू को भी आपको ध्यान में रखना होगा और जब आप बोलें, तो इसको ध्यान में रखें।

[अनुवाद]

राजनीतिक कारणों के कारण उनमें फूट डाली गई है। (व्यवधान) मैं चाहता हूं कि इस बारे में सारे सदन को पता लगना चाहिए और इस सदन के माध्यम से पूरे देश को इस बारे में पता लगना चाहिए।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : मैं चाहता हूं कि मेरे मित्र हस्तक्षेप करने से पहले भाषण का अनुवाद सुनें।

हमने मंडल आयोग की रिपोर्ट का समर्थन किया है; हमने उस रिपोर्ट पर इस सभा में चर्चा करने की मांग की थी; छठी लोक सभा में हमने उसका समर्थन किया था। अब भी हम इसका समर्थन करते हैं। (व्यवधान) यदि लोगों ने आपको वोट दिया है, यदि आपका बहुमत है और यदि आप सोचते हैं कि आप लोगों के रक्षक हैं, तो आपने यह क्यों नहीं किया ? यदि हम सत्ता में आते हैं तो हम यह कर देंगे; इसके बारे में पूछना आपका काम नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : अब कर्नाटक सरकार मंडल आयोग रिपोर्ट से भी एक कदम आगे निकल गई है।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : गुजरात में जो कुछ भी हुआ है, सभी को उसकी निंदा करनी चाहिए। हम निश्चित रूप से उसकी निन्दा करते हैं। जिस ढंग से हैड कांसटेबल की हत्या की गई और जिस ढंग से अनियन्त्रित तत्वों ने हिंसा में भाग लिया और जिस ढंग से पुलिस गुंडागर्दी की कार्रवाई में संलग्न हुई। इन बातों को कोई भी व्यक्ति माफ नहीं कर सकता। यह सुनकर बड़ा धक्का लगा कि दूसरे पक्ष के मित्र गुजरात में पुलिस द्वारा की गई बर्बर कार्यवाइयों का पक्ष लेने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सत्ताधारी पक्ष पर अपने राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध बदले की कार्रवाई करने के लिए यह रास्ता अपनाए जाने का आरोप लगाता हूं और उनके विरुद्ध भी जो करना चाहते थे।

दूसरे पक्ष के मेरे एक मित्र—जो यहां उपस्थित नहीं हैं—श्री दास मुंशी **आनन्द बाजार पत्रिका** पर मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के हमले की चर्चा कर रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि **आनन्द बाजार पत्रिका** का आदमी जब अहमदाबाद गया, तो उसके साथ क्या हुआ। मुझे विश्वास है कि आप में से अनेक लोगों ने आज **टाइम्स ऑफ इंडिया** पढ़ा होगा। उसमें आपने एक युवा पत्रकार की फोटो देखी होगी जिसका हाथ टूटा हुआ है और पट्टी बंधी हुई है। मैंने उसे देखा है और मैं उससे मिला हूं। वह अहमदाबाद गया था। जब वह अहमदाबाद की सड़कों पर घूम रहा था तो एक गर्भवती महिला, जिसके पास कर्फ्यू पास था, अस्पताल जा रही थी। पुलिस ने उसके कपड़े उतार दिए और पिटाई की और उसे सड़क पर ही प्रसव हो गया। और यह पत्रकार, यह युवा पत्रकार, जो मेरा मित्र है, जिसे मैं आज मिला हूं और जिससे मैंने इस बात की सच्चाई का पता लगाया है, शिकायत

करने के लिए उस महिला का फोटो लेना चाहता था। उन्होंने उसका कैमरा छीन लिया और वे दो घंटों तक उसे पीटते रहे, उसका हाथ तोड़ डाला और बाद में पुलिस थाने में उससे कहा गया कि यदि उसने अपना मुंह खोला अथवा इस घटना के बारे में कुछ भी कहा तो उसे जान से मार दिया जाएगा और उसके टुकड़े करके गन्दे नाले में फेंक दिए जाएंगे। यदि पुलिस का व्यवहार इसी प्रकार का है तो मैं यह आरोप लगाता हूं कि पूर्व में इस सरकार पर भ्रष्टाचार**··· केआरोपों का भंडाफोड़ करने वाले पत्रकारों के विरुद्ध पुलिस का इस ढंग से दुरुपयोग किया गया है।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : जी हां, यह मेरा आरोप है।

प्रो० मधु दंडवते : हमने इस पर चर्चा की है।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : जी हां, हमने इस पर चर्चा की है।

प्रो० मधु दंडवते : हमने इस पर चर्चा की है। मैं अपने भाषण की एक प्रति श्री रंगा को भेजूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में वह नाम नहीं जाएगा।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : जी हां, हमने इसी सदन में इस पर चर्चा की है। अब उसके उल्लेख के लिये मेरे पास समय नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय आपने यह भी कहा है**···जायेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : उनका नाम जाएगा।

प्रो एन० जी० रंगा : वे जनता के पास गए और भारी बहुमत से जीत कर वापस आए।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात में इस आगजनी और लूट-पाट शुरू होने से तीन दिन पूर्व मुझे यह भी बताया गया है मुख्य मंत्री ने कुछ पत्रकारों को चेतावनी दी थी कि यदि उन्होंने अपने को नहीं सुधारा तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे, और जो अंततः तीन दिन बाद उन्होंने भुगते भी। यहां एक मित्र ने पूछा है कि मुख्य मंत्री को इससे क्या लेना-देना। क्या ? क्या मुख्य मंत्री को इससे कोई लेना-देना नहीं था ? इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेवार था ? राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल होने के लिए मुख्य मंत्री जिम्मेदार थे।

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : मैंने यह नहीं कहा। मैंने जो कहा, वह यह था कि···

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : मैं विचलित नहीं हो रहा हूं। मैं तीसरी बार इस सभा का सदस्य बना हूं। मैंने विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा में भाग लिया है। जब एक मुख्य मंत्री पुलिस को भी नियंत्रित न कर पाये और दूसरी और उनको गुण्डागर्दी तथा असभ्य बनाने के लिए उकसाये तब मुख्य मंत्री को हटाया जाना अपेक्षित है। यदि ऐसा किसी अन्य राज्य में किया जाता तो तुरन्त राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता। लेकिन गुजरात में क्या किया गया ? कुछ भी नहीं किया

** कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

गया। जब तक इस सरकार को समाप्त नहीं किया जाता है, तब तक कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकल सकता। इस विशेष राज्य में ही इन विभिन्न घटनाओं के होने की वास्तविकता क्या है ?

माननीय मित्रों ने सड़कों पर जाने के बारे में दिये गए कुछ वक्तव्यों का व्यंग्यात्मक उल्लेख किया है। मैं अपने मित्रों को स्मरण कराना चाहता हूं कि 1977 से 1979 के बीच उन्होंने क्या किया। जब हम सड़कों पर जाने की बात करते हैं तो इससे हमारा तात्पर्य 1979 में जो कुछ हुआ उससे नहीं है। मेरा तात्पर्य न्यायालय कक्षों में जाने, कुर्सियों आदि तोड़ने, आदि से नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में यदि कोई सरकार स्वतंत्रता की रक्षा करने में असफल रहती है शासन करने में असफल रहती है, शिक्षित करने में असफल रहती है, कानून बनाने में असफल रहती है, ऐसी स्थिति में हमें लोगों को मुद्दों की जानकारी देने के लिए सड़कों पर जाना पड़ेगा तथा हमें उनको शिक्षित करना होगा।

प्रो० एन० जी० रंगा : कैसे ?

प्रो० मधु दंडवते : अहिंसा और शांतिपूर्ण तरीकों से। महात्मा गांधी के विचारों की मान्यता इस देश में इतनी आसानी से समाप्त नहीं हो जायेगी।

श्री बी० कृष्ण चन्द्र एस० देव : मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि यदि यह सरकार असफल रहती है तो हमारे पास सड़कों पर जाकर इस सरकार की त्रुटियों के बारे में लोगों को जानकारी देने के सिवाय कोई विकल्प नहीं रह जायेगा।

अनेक माननीय सदस्यों ने 1974-75 की स्थिति का उल्लेख किया है। कुछ सदस्य यह भी भूल गये हैं कि यह एक लोकतंत्र है। आखिरकार, 1974-77 में क्या हुआ था ? इसका उत्तर जनता ने 1977 में दे दिया था। घटनाओं से यह प्रमाणित होता है कि शासक दल क्या कर रहा था तथा विपक्ष किस उद्देश्य के लिए लड़ रहा था। लेकिन जो कुछ हुआ वह 1974-77 की घटनाओं की पराकाष्ठा या परिणाम था। जबकि कुछ मुद्दों, जिनको उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों तथा शासक दल ने भी प्रोत्साहित किया था, के कारण कांग्रेस को सम्पूर्ण रूप से शासन से हटा दिया गया था। यदि ऐसा पुनः होता है तो इसकी पुनरावृत्ति होगी। मैं आपको इस सम्बन्ध में चेतावनी देना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : कितने मुख्य मंत्रियों को हटाया गया था ?

श्री बी० कृष्ण चन्द्र एस० देव : जी हां, सम्पूर्ण रूप से (**व्यवधान**)

गृह मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में पत्रकारों पर की गई बर्बरता के सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा है। प्रैस भवन जलाये गये और आगजनी की घटनायें हुई, लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया उनको पीटा गया और महिलाओं को परेशान किया गया। उसके बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। केवल पुलिस के सम्मिलित होने के बारे में ही एक उल्लेख है। और उसके बारे में विस्तार से नहीं बताया गया है। उत्पन्न स्थिति से उन निर्दोष व्यक्तियों के बारे में, जिनकी मृत्यु हो गई है अथवा जो अपंग हो गये हैं अथवा जिनकी सम्पत्ति नष्ट हो गई है, कोई सहानुभूति प्रकट नहीं की गई है। अतः मैं मांग करता हूं कि इस सरकार को तुरन्त बरखास्त किया जाये।

एक माननीय सदस्य : त्रिपुरा के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव : यदि अन्य सरकारें भी इसी प्रकार का व्यवहार करती हैं तो हम उनको भी हटाने की मांग करेंगे।

मैं गृह मंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि वे सदन को यह बतायें कि हाल ही में हुए

दंगों से मरने वाले और उनसे बुरी तरह से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार का अपनी ही पार्टी की राज्य सरकार के प्रति, जो गुजरात में उत्पन्न हुई स्थिति के लिये पूर्णतया जिम्मेदार है, क्या रवैया है तथा इस समस्या को शीघ्र हल करने के लिये क्या विचार किया जा रहा है ?

श्री जी० जी० स्वैल (शिलांग) : आज की स्थिति की मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन गुजरात में कल तक जो कुछ हुआ वह एक अत्यन्त दुःखद घटना है। मैं यह कहना चाहता हूं कि गुजरात में जो कुछ हुआ उससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। 'कल को यह स्थिति देश के किसी अन्य भाग में भी हो सकती है। मैं गृह मंत्री और सरकार को इस समस्या पर सदन में चर्चा के लिए स्वतः प्रस्तुत करने के लिए बधाई देना चाहता हूं। मेरे विचार से हमें सरकार के प्रस्ताव को इस भावना से लेना चाहिए कि सरकार इस बारे में कुछ भी नहीं छुपायेगी; सरकार हमारे विचार जानना चाहती है ताकि कोई हल निकाला जा सके और यदि संभव हो तो गुजरात में स्थिति पर काबू पाने के लिए सदन का पूरा समर्थन प्राप्त करना चाहिए।

जहां तक मैं समझता हूं आज गुजरात में आरक्षण सम्बन्धी मूल प्रश्न पर अधिक जोर नहीं दिया जा रहा है। यह संघर्ष अब आरक्षण प्राप्त करने वालों और आरक्षण विरोधियों के बीच का नहीं रह गया है। यह संघर्ष बहु-मुखी है। यह एक अन्तर्जातीय संघर्ष है—एक जाति को दूसरी जाति से क्या लेना-देना है ? यह साम्प्रदायिक है—एक सम्प्रदाय को दूसरे सम्प्रदाय से क्या लेना-देना है ? इसमें सुरक्षा बल का भी कुछ हाथ है जो एक असामान्य स्थिति है चूंकि आपने मुझे केवल पांच मिनट बोलने का समय दिया है इसलिए मैं पांच मिनट तक ही अपना भाषण सीमित रखूंगा। आज गुजरात में किस बात की मांग की जा रही है ? पहली यह है कि आरक्षण की नीति अभी इसी समय समाप्त की जाये। वर्षों से देश में आरक्षण नीति लागू है, जिसके सम्बन्ध में सदन की स्वीकृति प्राप्त है, क्या किसी व्यक्ति के लिए यह उचित है कि सदन के बजाय सड़क पर कत्ल करके बेशर्मी से यह मांग की जाये की इस नीति को अभी इसी समय समाप्त किया जाये ? क्या यह संभव है ? क्या किसी सरकार से यह अपेक्षा कि जा सकती है कि वह इस प्रकार की मांग के सामने झुक जाये ? मैं अपने विपक्षी सदस्यों से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इस प्रकार की स्थिति चाहते हैं ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, नहीं।

श्री जी० जी० स्वैल : ऐसी स्थिति में इस देश में लोकतन्त्र कायम नहीं रह सकता। और जंगल का राज्य होगा। अरक्षण के इस प्रश्न पर सरकार ने अपनी स्थिति पूर्णतः स्पष्ट कर दी है। वहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था विद्यमान है। यह प्रश्न केवल कुछ पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के सम्बन्ध में है। जिसके सम्बन्ध में उनका कहना है कि उनका दिमाग खुला है और इस पर वे मतैक्य के लिए चर्चा करना चाहते हैं। इससे अधिक उचित पेशकश और क्या हो सकती है ; मैं यह कहना चाहता हूं कि अहमदाबाद में जो लोग सड़कों पर उतर आये हैं, जिन्होंने आंदोलन प्रारम्भ किया है, वे यह कह रहे हैं कि आरक्षण की नीति पूर्णत··· (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जी, नहीं।

श्री जी० जी० स्वैल : मैं उनके बारे में नहीं बल्कि जो लोग अहमदाबाद में सड़कों पर उतर आये हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। मैं उनको संदेह का लाभ देता हूं। मैं उनको इस भीड़ में सम्मिलित करना नहीं चाहता हूं। उनकी मांग यह है कि इस आरक्षण को अभी ही समाप्त किया

जाना चाहिए। इस बात का कोई समर्थन नहीं कर सकता। मैं विपक्षी दल के सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि जहां तक आरक्षण की इस नीति का सम्बन्ध है वे सरकार का समर्थन करते हैं।

आज दूसरी इस बात की मांग की जा रही है कि गुजरात की वर्तमान सरकार को बरखास्त किया जाना चाहिए। हम लोकतन्त्र का अनुसरण करते हैं। कुछ महीने पूर्व वहां पर लोकतांत्रिक ढंग से निष्पक्ष चुनाव हुए थे। ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : संदेहपूर्ण है।

श्री जी० जी० स्वैल : यदि वहां के सम्बन्ध में कोई संदेह है, तो इस बारे में सब जगह के लिये संदेह हो सकता है। कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश के बारे में भी संदेह होना चाहिए। आप इसके सम्बन्ध में बहुत सी बातें कह सकते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि वहां पर जहां तक संभव हो सका है स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव हुए हैं और गुजरात के लोगों ने इस दल तथा सरकार को पुनः शासन सौंपा है। क्या यह समस्या एक राज्य में राज्य के केवल एक ही शहर में कुछ हुल्लड़बाजों के नियन्त्रण में है--मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि सारा गुजरात इसमें कितना सम्मिलित है--क्या कुछ ही लोगों के कहने पर सरकार को बरखास्त कर दिया जाना चाहिए। विपक्ष को भी इस प्रकार की मांग का समर्थन करने का क्या अधिकार है। यदि हम ऐसा करते हैं तो आज जो कुछ गुजरात में हो रहा है कल को बंगाल में भी हो सकता है और उसके पश्चात् त्रिपुरा में भी ऐसा हो सकता है। हमारी क्या स्थिति है? कर्नाटक में ऐसा हो सकता है। सड़कों पर कुछ लोगों को बुलाकर संकट पैदा करना आसान है। बहुत से असंतुष्ट राजनैतिक तत्व ऐसे हो सकते हैं... (व्यवधान)। मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिसकर्मी भी हमारी और आपकी ही तरह इन्सान हैं। यदि मुझे भी वहां पर भेजा जाये और मुझ पर हमला किया जाये अथवा मेरे प्रति कोई अन्य व्यवहार किया जाता है, तो मैं भी किसी रूप में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता हूं। यह बात प्रत्येक व्यक्ति पर अलग-अलग निर्भर करती है। मैं एक विशेष स्थिति में अपने हाथ से दस व्यक्तियों को मारकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता हूं। मैं निस्संदेह रूप से इस बात को नहीं मान सकता

3.00 म० प०

कि वह अपने गुस्से में महिलाओं पर अश्लीलता से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे। यह वास्तव में एक प्रकार का पागलपन है। लेकिन वास्तव में मुझे गुजरात की स्थिति की जानकारी नहीं है। यदि वहां पर कुछ घटनायें हुई हैं और यदि पुलिस ने कुछ घटनाओं में भाग लिया है तो प्रश्न यह उठता है कि ऐसा क्यों किया गया। ऐसा इसलिए है कि वहां पर स्थिति खराब है। वहां पर बहु-मुखी स्थिति प्रचलित है। वहां पर बहुत ही जैसा कि मैंने कहा अस्पष्ट स्थिति है, और एक-दूसरे के विरुद्ध बहुत ही अधिक वैमनस्य की भावना मौजूद है। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि गुजरात की स्थिति से समूचे भारत को शिक्षा लेनी चाहिए। अतः मेरे विचार से जब तक हम गुजरात के लोगों को यह संदेह नहीं भेजते हैं कि संसद् ऐसा चाहती है तब तक इस वाद-विवाद का कोई महत्व नहीं है। हम क्या चाहते हैं? हम यह चाहते हैं कि गुजरात में हो रहे इस उन्माद को रोका जाये। यह एक स्पष्ट संदेश है जिसे यहां से भेजा जाना चाहिए। हम यह चाहते हैं कि इस देश में लोकतन्त्र की प्रक्रिया को बनाये रखा जाये। यदि आज आप यह कहते हैं कि वर्तमान मुख्यमंत्री ठीक नहीं है, तब ऐसी स्थिति में उसको हटाने का भी तरीका मौजूद है। लेकिन सड़क पर गुण्डागर्दी फैला रहे कुछ लोगों की मांगों के आगे नहीं झुकना चाहिये। मेरे विचार से इस बारे में हम सभी की एक राय होनी चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : अनेक मुख्यमंत्रियों को हटा दिया गया है ।

श्री जी० जी० स्वैल : जी हां, लेकिन विधान सभा में उनकी सरकार के गिर जाने के कारण लोकतांत्रिक ढंग से ऐसा किया गया।

प्रो० एन० जी० रंगा : उनको केवल दो महीने पूर्व ही चुना गया है और अब आप उनको हटाना चाहते हैं।

श्री जी० जी० स्वैल : यदि श्री माधव सिंह सोलंकी को···

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : श्री अर्जुन सिंह को चौबीस घंट के भीतर हटा दिया गया था।

श्री जी० जी० स्वैल : जी नहीं, उनको हटाया नहीं गया था। गलत धारणायें मत रखिए। मैं कह रहा था कि आप श्री माधव सिंह सोलंकी को हटाना चाहते हैं—लेकिन ऐसा लगता है कि आप उनके सबसे बेहतर दोस्त हैं। क्योंकि इस प्रकार की मांग से कोई सरकार कोई प्राधिकारी आपकी मांग की ओर ध्यान नहीं देगा। दूसरी ओर यदि विद्यमान स्थिति के लिए वह उपयुक्त नहीं समझे जाते हैं तो इस पर वहां की कांग्रेस पार्टी के लोग ही कोई कार्यवाही कर सकते हैं न कि विपक्षी दल के लोग। यदि वे यह सोचते हैं कि कोई अन्य व्यक्ति बेहतर ढंग से कार्य कर सकता है तो वे उस सम्बन्ध में किसी भी समय कोई निर्णय ले सकते हैं। अतः लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कार्य होने दीजिए। हम इन सभी बातों को एक साथ सम्मिलित नहीं करना चाहिए। हमें गुजरात में स्थिति को बिगड़ने नहीं देना चाहिए। यदि हम एक दूसरे पर दोषरोपण करते हैं तो इस वाद-विवाद से कोई लाभ नहीं होगा। यदि हम सदन में भी ऐसा ही करते हैं जैसा गुजरात में हुआ है तो इस प्रकार सारा देश ही इसमें सम्मिलित होगा। अतः हमें गुजरात को एक संदेश भेजने के लिए एक राय कायम करनी चाहिए कि संसद की यह इच्छा है कि गुजरात में हो रहे उन्माद को रोका जाये। ऐसा करने के लिए क्या तन्त्र है? निसंदेह रूप से सरकार ही इस कार्य को कर सकती है।

श्री मधु दण्डवते : क्या आप प्रैस को समाप्त करने के बारे में भी कुछ बोलेंगे?

श्री जी०जी० स्वैल : गुजरात में प्रैस और महिलाओं तथा अन्य लोगों के साथ जो कुछ हुआ है, मैं इसका दोष इस उन्माद को देना चाहता हूं। यह एक उन्माद की स्थिति है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति ने अनुचित तरीके से भाग लिया है। इसका उल्लेख करने से कोई प्रयोजन हल नहीं होगा कि ऐसा किया गया है और वैसा किया गया है। बहुत सी घटनायें हो सकती हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे पर दोषारोपण कर सकता है। लेकिन यदि गुजरात में जो कुछ हो रहा है वैसा ही हम यहां पर भी करें तो उससे यहां पर कोई लाभ नहीं होगा। यदि हम ऐसा करते हैं तो जैसा वे अपने हाथों से कर रहे हैं, एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं तो वैसा ही हम यहां पर अपने भाषण द्वारा करेंगे। अतः मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ विवेक से कार्य किया जाना चाहिए और कोई स्पष्ट संदेश गुजरात को भेजा जाना चाहिए कि भारत सरकार तथा भारत की संसद की यह राय है कि इस उन्माद को रोका जाये। प्रत्येक व्यक्ति को इसके पक्ष में अपना हाथ उठाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को इस विषय पर शांतिपूर्वक चर्चा करनी चाहिए क्योंकि यह केवल गुजरात के ही बरबाद होने का प्रश्न नहीं है। यदि इसी प्रकार की प्रवृति जारी रही तो हो सकता है कल को समूचा भारत ही बरबाद हो जाये।

अब मैं अपने माननीय मित्र प्रो० मधु दण्डवते तथा श्री जयपाल रेड्डी द्वारा रखे गए प्रतिस्थानापन्न प्रस्तावों का उल्लेख करना चाहता हूं। स्थानापन्न प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया है कि केन्द्रीय सरकार को अहमदाबाद में सामान्य स्थिति पैदा करने के लिए तुरन्त तथा प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप करना चाहिए। केन्द्रीय सरकार क्या कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने वहां पर सामान्य स्थिति पैदा करने तथा अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए सब कुछ किया है। गृह मंत्री जी वहां पर गए थे। वह इससे पूरी तरह से अवगत है और वास्तविकता यह है कि वह इस प्रस्ताव को सदन में लाये हैं जिससे यह पता चलता है कि वे इस मामले में दिलचस्पी ले रहे हैं और वह चाहते हैं कि इसके लिए आपका समर्थन मिले।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रति स्थानापन्न प्रस्ताव के समर्थन के लिए धन्यवाद।

श्री जी० जी० स्वैल : इस सम्बन्ध में आप कोई नई बात नहीं कह रहे हैं और जहां तक दूसरी बात का सम्बन्ध है मेरे विचार से वहां पर सामान्य स्थिति पैदा करने के लिए सेना की सहायता मांगी गई है। अतः जहां तक उसका सम्बन्ध है उसके लिए प्रत्येक कार्यवाही की गई है। लेकिन, यदि आपका कोई अन्य राजनैतिक उद्देश्य है तब मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप वास्तविक रूप में गुजरात की स्थिति को नियन्त्रित करना नहीं चाहते हैं। अतः यदि आप इस सम्बन्ध में ईमानदार हैं तो हमें गृहमंत्री महोदय की बात सुननी चाहिए। वास्तव में, यदि उन्होंने अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के उपरान्त कुछ शब्द जोड़े हैं और गुजरात की वर्तमान स्थिति के बारे में हमें जानकारी दी है कि इसमें कोई सुधार हुआ है अथवा नहीं संभवतः इससे हमें सहायता मिल सकती है। हमें वास्तविक रूप में उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमारी जानकारी के सभी स्रोत समाचार पत्र हैं। हम वास्तव में नहीं जानते कि वहां पर क्या हो रहा है। हमें यह जानकारी नहीं है कि समाचार पत्रों में जो कुछ छप रहा है वह सच है अथवा यह भी हो सकता है कि वे उतनी पूरी जानकारी समाचार पत्रों में नहीं दे रहे हैं जितनी उनको देनी चाहिए। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मामले की गहराई में जाना चाहिए। यदि आप यह कहते हैं कि सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए तब वे स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हर संभव तरीकों से हस्तक्षेप करेंगी। ऐसा करने के लिए हमें सरकार को पूरा समर्थन देना चाहिए। धन्यवाद।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, अपने भाषण के पश्चात् मेरे विचार से मंत्री महोदय मेरे स्थानापन्न प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : देखते हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उपाध्यक्ष महोदय भी आशावान है।

उपाध्यक्ष महोदय : देखते हैं।

डॉ० ए० के० पटेल (मेहसाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गुजरात की वर्तमान गम्भीर स्थिति के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ कहने से पहले मैं अपने दल की आरक्षण नीति को स्पष्ट करना चाहता हूँ। सत्तारूढ़ दल के सदस्यों का हमारे ऊपर यह आरोप अनावश्यक और गलत है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस आंदोलन का समर्थन किया जा रहा है। महोदय, अभी हाल ही में इस महीने की 13 और 14 तारीख को राज्य कार्यकारी समिति की बैठक जूनागढ़ में हुई थी। हम इस आरक्षण नीति के बारे में बिल्कुल स्पष्ट हैं और हमने प्रेस को नोट दिया है कि हम आरक्षण नीति का समर्थन करते हैं और हमारे ऊपर यह आरोप अनावश्यक और गलत हैं कि हम आन्दोलन का समर्थन कर रहे हैं।

मेरे मित्रों ने वर्तमान स्थिति के बारे में काफी कुछ कहा है। इसके बारे में मैं केवल संक्षिप्त में बोलूंगा। पिछले शुक्रवार को ही मैं अध्यक्ष महोदय को उनके कक्ष में मिला था और उन्हें प्रेस नोट, कटिंग और गुजरात से प्राप्त कुछ सूचना दिखाई थी। वे अहमदाबाद में पुलिस की गुण्डागर्दी पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। तब मैंने अहमदाबाद में एक व्यक्ति से टेलीफोन पर सम्पर्क किया और इस बात की पुष्टि की कि मामला बिल्कुल स्पष्ट तथा सही है। अतः मैं अगले दिन अहमदाबाद के लिए रवाना हो गया। रेलगाड़ी में कांग्रेस (इ) के कुछ मेरे मित्र भी मेरे साथ थे। मैंने उनसे भी अनुरोध किया था कि गलियों में घूमकर वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाए। परन्तु वे किसी न किसी बहाने से इस बात को टाल गए और मैंने गलियों में घूमकर स्थिति का जयाजा लिया। (व्यवधान) वे अपने अपराध से अभिज्ञ थे। (व्यवधान) सूचना एकत्रित करने के लिए मैं 1000 से भी अधिक परिवारों से मिला और दो दिन तक 10 मील से भी अधिक पैदल चला और सोमवार की सुबह प्रश्न काल के तुरन्त बाद ही मैंने इस समस्या को यहां सदन में उठाने का प्रयास किया परन्तु मुझे अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद मैं अध्यक्ष महोदय से उनके कक्ष में मिला और उन्हें विशेषकर वे फोटो दिखाए जिनमें इस आंदोलन के दौरान महिलाओं पर पुलिस का अत्याचार दिखाया गया है। मामले की गम्भीर रूप से जांच नहीं की गई है। यह घटना जो दो दिन पहले हुई है वह नहीं होनी चाहिए थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह आंदोलन छात्रों और अभिभावकों द्वारा स्वतन्त्र रूप से चलाया जा रहा है। मुझे हाल ही में पता लगा है कि जो लोग इस आंदोलन में रुचि रखते हैं और जो इसमें भाग ले रहे हैं वे सत्तारूढ़ दल के वे लोग हैं जिन्हें पिछले चुनाव में टिकट नहीं मिला था।

श्री बी० के० गढवी : यह सही नहीं है।

(व्यवधान)

डॉ० ए० के० पटेल : मुझे सूचना प्राप्त हुई है। मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता परन्तु मैं उनको आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। ऐसा मत कीजिए।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : वे नाम भी मांग रहे हैं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : केवल पीठासीन अधिकारी ही नाम ले सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस समय किसी का नाम नहीं लेना चाहता।

डॉ० ए० के० पटेल : मैं गोमतीपुर क्षेत्र में उपद्रवों के बारे में कहना चाहता हूँ। मैं शपथ लेकर कहता हूं कि मैंने स्वयं ब्रह्मपुर के निकटवर्ती क्षेत्र गोमतीपुर का दौरा किया था और प्रभावित महिलाओं से बात की थी। एक महिला ने पूरा किस्सा बताया है। उनके क्षेत्र में पुलिस गई थी। उसने देखा कि 6 या 7 पुलिस वाले नंगे घूम रहे थे। उनमें से एक ने उसके घर में प्रवेश किया और एक बूढ़ी महिला चारपाई पर सो रही थी। वह पुलिस की पिटाई से गम्भीर रूप से घायल हुई। पुलिस ने उसकी बाईं टांग पर चोट मारी जिससे वह टूट गई। एक दो वर्ष का बच्चा चारपाई के निकट खेल रहा था उसे फेंक दिया गया। यह बहुत ही भयानक घटना थी। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहता। एक पुलिस वाला मकान की छत पर चढ़ गया और वह नंगा था। वह कुछ घण्टे तक

वहाँ रहा। विधवा महिला की चार लड़कियाँ थी और उसने उन सब लड़कियों का घर के अन्दर छिपाने का प्रयास किया। मैं किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। यदि मेरी बात गलत साबित होती है तो मैं त्यागपत्र देने को तैयार हूं। मैं कुछ अपने साथियों, संसद सदस्यों और महिला संसद सदस्यों को अपने साथ घटना स्थल पर ले जाना चाहता हूँ। मैं उनके नाम बताता हूँ। वे अहमदाबाद जाकर वास्तविकता का पता लगा सकते हैं। मैं पूरा और सही पता दे दूँगा। इस मामले में मैंने जो कुछ कहा है वह बिल्कुल सही है।

अत्याचारों के बारे में काफी कुछ कहा गया है और इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। चुनाव के दौरान आरक्षण नीति की घोषणा की गई थी। ऐसा केवल राजनैतिक लाभ उठाने के लिए किया गया था। यदि अन्य दलों के लोगों को भी विश्वास में लिया होता तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होनी थी। राजनैतिक लाभ उठाने के बाद मुख्य मन्त्री श्री सोलंकी ने नीति को वापस ले लिया। आरक्षण में विश्वास रखने वाले लोगों पर इसकी प्रतिक्रिया हुई। आंदोलन का वास्तविक कारण यही है। सरकार के रुख के कारण आंदोलन शुरू हुआ है। यह केवल राजनैतिक लाभ के कारण हुआ है।

पिछले दो दिनों में पुलिस का व्यवहार बदतर हो गया है। मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। कुछ दिन पहले पुलिस ने अहमदाबाद में जो पाशविकता दिखाई है उसकी शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती। मैं पुलिस की हत्या की भी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। परन्तु इस आंदोलन में जो इतने अधिक लोग मारे गए हैं उनका क्या होगा? सभी नागरिक समान हैं। जान सबकी बराबर है चाहे वह कोई सामान्य व्यक्ति है चाहे कोई पुलिस वाला। उनको समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए और उन्हें समान रूप से मुआवजा दिया जाना चाहिए।

प्रेस की स्वतन्त्रता तथा अन्य बातों के बारे में काफी कुछ कहा गया है। परन्तु गुजरात समाचार को बहुत अधिक क्षति पहुँचाई गयी है। मैं यह गुजरात की सही स्थिति प्रस्तुत कर रहा हूँ। परन्तु यह मुख्य मंत्री की इच्छा से हुआ है। इसलिए इस पर हमला किया गया और इसे नष्ट कर दिया गया। कल सायं पांच बजे मैंने जब अहमदाबाद का दौरा किया तो उस समय भी आग लगी हुई थीं। मैंने दरबान या गोरखा, गेटमैन से पूरी कहानी सुनी। उसने मुझे बताया कि पुलिस जीप में आई थी। पुलिस ने उस गेटमैन को बुरी तरह पीटा और धक्का मार कर गिरा दिया। उनके पास पैट्रोल के गैलन और पैट्रोल बम थे और इन्हें उस क्षेत्र में फेंककर उन्होंने आग लगा दी। और यह आग उस समय भी जल रही थी। आग बुझाने वाले आए थे परन्तु उन्हें आग नहीं बुझाने दी गयी। गुजरात समाचार को बहुत अधिक आर्थिक नुकसान पहुँचाया गया है। प्रेस की स्वतन्त्रता का क्या होगा जबकि उनकी स्वतन्त्रता को इस प्रकार छीना जा रहा है?

महोदय, मैं अधिक नहीं बोलना चाहता। परंतु मैं केवल दो मांगें रखना चाहता हूँ। गुजरात में शीघ्र ही सामान्य स्थिति लाई जाए। लोगों के कल्याण की देखभाल का भार सेना को सौंप दिया जाना चाहिए। यद्यपि वहाँ पुलिसकर्मी तैनात है परन्तु वे केवल दर्शक हैं। वे केवल लोगों को भड़काते हैं। मैंने अहमदाबाद और अनेक मोहल्लों का दौरा किया है। सिविल अस्पताल के निकट एक मोहल्ले का मैंने दौरा किया था। उसका नाम पटेल मोहल्ला है। मैंने वहाँ के लोगों से बातचीत की और उनसे अनुरोध किया कि वे आंदोलन में भाग न लें। उन्होंने बताया कि एक पी० एस० आई०—मैं उसका नाम बता सकता हूँ परन्तु मैं नाम यहाँ नहीं बताना चाहता—हरिजन मोहल्ले के लोगों के साथ आया और उन पर हमला करने का प्रयास किया। ये दंगे पुलिस वाले स्वयं फैलाए हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : पूरी पुलिस इसमें शामिल नहीं है। शेष पुलिसवाले अपना कार्य कर रहे हैं।

डॉ० ए० के० पटेल : ऐसा हो सकता है। परन्तु वे पुलिस के ही अंग हैं। जैसाकि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि एस० आर० पी० और अन्य लोग पागल हो गए हैं।

श्री बी० के० गढवी : ऐसी बातें मत कहिए जिससे लोग भड़क उठें। इस प्रकार ऊँची जाति के लोगों द्वारा कमजोर वर्गों पर हमला किया जा रहा है। कृपया यह मत कहिए कि हरिजन लोग पटेल लोगों पर हमला करने आए थे। वास्तव में पटेल लोगों ने हरिजनों पर हमला किया है। आप इस कहानी को बन्द कर दें क्योंकि इससे स्थिति और बिगड़ जाएगी।

डॉ० ए० के० पटेल : मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। अन्त में मैं यह कहना चाहूँगा कि केन्द्र सरकार को इस मामले में तुरन्त हस्तक्षेप करना चाहिए और या तो राष्ट्रपति शासन लागू करके या एक ऐसे व्यक्ति को गुजरात का प्रभार सौंपकर जो गुजरात में स्थिति को संभाल सके, पुलिस की इस मूर्खता और पागलपन को समाप्त किया जाए।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : वे अपने दल की स्थिति को स्पष्ट करना चाहते थे। उसका क्या हुआ ?

डॉ० ए० के० पटेल : जूनागढ़ में हमने एक प्रेस अधिसूचना जारी की है और यह समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हुई है।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार में पुलिस द्वारा हिंसा की कड़े शब्दों में निन्दा करता हूँ। इसके साथ ही मैं पुलिस के व्यवहार की भी निंदा करता हूँ जो कि किसी से भी बेहतर नहीं है। प्रेस की स्वतन्त्रता पर हमले का मैं कड़ा विरोध करता हूँ। गुजरात में खतरनाक स्थिति, लूट-पाट, महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्याओं से कोई इन्कार नहीं कर सकता। यह सब वहाँ जारी है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी के सामने बैठे सदस्य ने एक प्रश्न उठाया था कि आरक्षण विरोध आंदोलन का जन्मदाता कौन है ? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि इस आंदोलन के लिए केन्द्र सरकार जिम्मेवार है। भारत के प्रधान मन्त्री इस आन्दोलन के लिए जिम्मेवार हैं। गुजरात के मुख्य मन्त्री इस आन्दोलन के लिए जिम्मेवार हैं (**व्यवधान**) मैं यह पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यदि आप यह कहते हैं कि इसके लिए केन्द्र जिम्मेवार है तो वे कहेंगे कि राज्य को केन्द्र में हस्तक्षेप करना चाहिए।

श्री अमर राय प्रधान : यदि आप सातवीं योजना के **'अप्रोच पेपर'** पर दृष्टि डालें तो आपको पता लगेगा कि वहाँ इस बात का उल्लेख है कि आरक्षण नीति की समीक्षा की जाएगी। यहां से आरक्षण विरोधी आंदोलन शुरू हुआ है। आप इसमें इन्कार नहीं कर सकते। प्रधान मन्त्री ने विधान सभा चुनाव से कुछ समय पहले कहा था कि आरक्षण नीति की समीक्षा की जाएगी। गुजरात के मुख्य मन्त्री ने कहा था कि 49 प्रतिशत आरक्षण होगा और चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। यह केवल एक चुनावी चाल हो सकती है परन्तु वे आग से खेले हैं।

कांग्रेस (इ) दल अंग्रेजों के पद चिन्हों पर चल रहा है। वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित

जनजातियों तथा अन्य जातियों और समुदायों के बजाय हिन्दू और मुसलमानों में फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण करते थे। कांग्रेस (इ) ने जैसा गुजरात में किया है वह वैसा पूरा भारत में करना चाहती हैं। एक तरफ तो आप आरक्षण पर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं और दूसरी तरफ आप आरक्षण विरोधी नीति का अनुसरण कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : फूट डालो और राज करो।

श्री अमर राय प्रधान : यह बिल्कुल सही है। गुजरात में अनुसूचित जातियों के साथ क्या हुआ है? वहां स्कूल और कालेजों में अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7-1/2 प्रतिशत आरक्षण और नौकरियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 10.6 प्रतिशत आरक्षण है। 36 वर्ष के बाद भी यह स्थिति है। यह कांग्रेस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए शर्म की बात है। गुजरात महात्मा गांधी का जन्म स्थान है। क्या आपने अनुसूचित जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट का अध्ययन किया है? आज भी गुजरात में कुछ ऐसे स्थान हैं कि लोगों को एक ही कुएं से पेय जल लेने की अनुमति नहीं है। यह महात्मा गांधी का जन्म स्थान है। (व्यवधान)

गुजरात के कुछ क्षेत्रों में ऐसे कुछ स्कूल है जो केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए है। अन्य स्कूल दूसरे लोगों के लिए है। ऐसा गुजरात में है। महात्मा गांधी के जन्म स्थान गुजरात मे एक गिलास से अनुसूचित जातियों को, एक गिलास से अनुसूचित जनजातियों को, एक गिलास से मुसलमानों और एक गिलास से हिन्दुओं को पानी दिया जाता है। 37 वर्ष के बाद भी यह प्रथा जारी है। ये मेरे विचार नहीं हैं। ये अनुसूचित जातियों के आयुक्त के विचार हैं। यह वास्तविकता है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सम्बन्ध में मैं केन्द्र सरकार के दृष्टिकोण की भी निन्दा करता हूं क्योंकि केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में फूट डालने की नीति बनाई है गुजरात के मुख्य मन्त्री द्वारा तुरन्त त्याग-पत्र देने के लिए यह सही समय है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैंने पुरःस्थापन प्रस्ताव रखा है। मुझे बोलने दें।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैंने प्रस्ताव रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी सदस्यों को पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका है। यह पर्याप्त है। अब मन्त्री महोदय बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह प्रथा नहीं पड़नी चाहिए कि स्थानापन्न प्रस्ताव रखने वाले सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दी गयी।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं समझता हूं कि प्रस्ताव को परिचालित कर दिया गया है। इन्हें बोलने का थोड़ा समय अवश्य दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने प्रत्येक दल को अवसर दिया है।

प्रो० मधु दण्डवते : वे अपने प्रस्ताव पर बोलना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कई बार 5-6 सदस्य स्थानापन्न प्रस्ताव रख देते हैं। पीठासीन अधिकारी उन सबको बोलने का समय नहीं दे सकता है। पहले ही 3-1/2 घंटे चर्चा हो चुकी है। मैं अनुमति नहीं दे सकता। अब मन्त्री महोदय बोलेंगे। मुझे दुख है मैं आपको समय नहीं दे सकता।

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।...

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, आपकी व्यवस्था क्या है।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। आप एक व्यवस्था के प्रश्न को इस प्रकार अस्वीकार नहीं कर सकते। आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने व्यवस्था के प्रश्न को स्वीकार नहीं किया है। मुझे स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, मैं उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होने गुजरात में उत्पन्न स्थिति सम्बन्धी चर्चा में भाग लिया है तथा अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। वास्तव में प्रारम्भ में तो मैं यह समझता था कि मैंने जो कल वक्तव्य दिया था उसमें वह सभी ब्यौरा है जो सरकार देना चाहती थी और उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मैंने कही हो। परन्तु कुछ सदस्यों के भाषण सुनने के बाद मैं अपने आपको रोक नहीं सकता और उठाए गए कुछ प्रश्नों के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। मैं श्री स्वैल की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष यह होना चाहिए कि पूरा सदन गुजरात में सभी वर्गों, सभी राजनैतिक पार्टियों, लोगों के सभी वर्गों, जिसमें पुलिस भी शामिल है, से एक होकर सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए अपील करे और यह सुनिश्चित किया जाये कि गुजरात में सामान्य परिस्थितियाँ उत्पन्न हों।

प्रो० मधु दण्डवते : गृह मन्त्री को पुलिस से अपील करनी चाहिए अत्याचार की शिकार महिलाओं से नहीं।

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मेरी आपसे भी प्रार्थना है कि कृपया उन कुछ वक्तव्यों पर आप ध्यान दें जो सदन में दिए गए हैं, जिनके बारे में मैं अभी हवाला दूंगा।

अनावश्यक रूप से सब कुछ भावावेश में कहा गया है जिससे सदन में आमतौर पर बचना चाहिए, जहाँ प्रत्येक मामले पर निष्पक्षता से विचार किया जाता है और हम अच्छे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं पिछली मिसालों को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि जब गड़बड़ी होती है तो सामान्य स्थिति लाने के लिए हम एक बहुत अच्छी प्रथा का अनुसरण कर रहे हैं।.

पूरा आंदोलन गुजरात सरकार द्वारा घोषित आरक्षण नीति से शुरू हुआ है जिसने बाद में साम्प्रदायिक दंगे का रूप ले लिया और इसके बाद कुछ वर्गों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिए जाने वाले आरक्षण तक का विरोध करना शुरू कर दिया। उनके नेता यहां ठीक बोलते हैं। यदि मैं इसका उल्लेख करूं तो यह गलत नहीं होगा। कल एक प्रतिनिधिमण्डल मुझसे मिला था। मुझसे मिलने के बाद उन्होंने एक प्रेस सम्मेलन बुलाया। और वहां अनेक बातें कही गई : मैं अन्य मामलों से निबटना नहीं चाहता। परन्तु इस मामले में मैंने उनसे कहा कि यह कैसे हो सकता है कि गुजरात में नेताओं ने उस अपील पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें उस क्षेत्र में सामान्य स्थिति लाने और आंदोलन बन्द करने के लिए सभी वर्गों से अनुरोध किया गया है। गुजरात सरकार ने जो कुछ

अपनाया है उसके अन्तर्गत मुख्य मंत्री ने सभी समुदाय के छात्रों, विभिन्न राजनैतिक दलों को बुलाया और इस पूरे मामलों पर चर्चा की गई और उन्होंने एक अपील जारी की है जिसमें सभी वर्गों से उस क्षेत्र में सामान्य स्थिति लाने का अनुरोध किया गया है। लेकिन इसके बाद हम यह पाते हैं कि यद्यपि नेताओं ने अपीलों पर हस्ताक्षर किए हैं, उनके अनुयायी आन्दोलन को जारी रखे हुए हैं।

माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि गृह मन्त्री अहमदाबाद गए और वहां से वापस आने के बाद उन्होंने किसी राजनीतिक दल के विरुद्ध कोई बात नहीं कही जबकि प्रधान मन्त्री ने, जो वहां गए थे, विपक्षी दलों पर आक्षेप लगाया है। यह सत्य है कि मैं अहमदाबाद गया था। मैं बड़ी संख्या में लोगों से मिला था। मेरी भी वही धारणा बनी जो प्रधान मन्त्री की धारणा है। लेकिन मैंने इसका उल्लेख नहीं किया। लेकिन संभवत: संवाददाताओं द्वारा प्रधान मन्त्री से ऐसा कुछ कहा जाने के लिए दबाव डाला गया जिससे कि वह बचना चाहते थे। लेकिन तथ्य यह है: क्या वे यह कहने के लिए तैयार हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसी राजनीतिक दल का अंग नहीं है। क्या यह सच है कि यह किसी राजनीतिक संगठन की छात्र शाखा है? यदि ऐसा है तो क्या आप इसे अस्वीकार कर सकते हैं और कह सकते हैं कि यद्यपि यह हमारे राजनीतिक संगठन की छात्र शाखा है तो भी अभी तक हमने इस प्रकार के आन्दोलन का समर्थन नहीं किया है? यदि यह बात खुले रूप से कही जाती है तो जो आप कहते हैं उसे स्वीकार करने के लिए मैं भी तैयार हूं। लेकिन अभी भी सचाई यह है कि वहां जाकर मेरी धारणा यही बनी है कि कुछ राजनैतिक दल इस प्रकार के आन्दोलन का समर्थन कर रहे लगते हैं और यही कारण हैं कि वावजूद इस तथ्य के कि सारा मामला लगभग समाप्त होने को था। उनकी कुछ आपसी बात हुई और उन्होंने जनता से एक संयुक्त अपील की। बातें जारी हैं और यह एक ऐसा मामला है जिस पर प्रत्येक माननीय सदस्य को विचार करना होगा और पता करना होगा कि गलतियां कहां हुई।

मुझे इस बात का विश्वास है कि मेरे मित्र मधु दण्डवते का यह आशय कदापि नहीं था। लेकिन उन्होंने एक वाक्य ऐसा कहा जिससे मेरी यह धारणा बनी। उन्होंने कहा: "अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की आरक्षण नीति के सम्बन्ध में मतैक्य तैयार किए जाने की आवश्यकता है।

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे बात को ठीक करने दीजिए। मैंने रिकार्ड की जांच की है। मैंने कहा था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को जो गारंटियां दी गयी हैं उनके प्रति मेरी और मेरे दल की वचनबद्धता अपरिवर्तनीय है और आगे मैंने कहा कि जहां तक इन नीतियों के कार्यान्वियन का सम्बन्ध है, हम कार्यान्वियन के तरीकों के सम्बन्ध में मतैक्य तैयार कर सकते हैं। यदि सरकार पहल करती है तो हम उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं। यही मैंने कहा था।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं समझता हूं मैंने इसे पूर्णत: स्पष्ट कर दिया है। मैं अपनी पहले कही हुई बात को दोहराऊंगा कि जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का सम्बन्ध है, सरकार पूर्णत: वचनबद्ध है और उससे मुकर जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। ···(व्यवधान) अन्य पिछड़े वर्गों के बारे में, प्रधानमन्त्री ने एक वक्तव्य दिया है, कि एक राष्ट्रीय मतैक्य तैयार किये जाने की आवश्यकता है। हमें यह पता करना है कि सर्वोत्तम मतैक्य किस तरह तैयार किया जा सकता है जिससे कि विचार एकदम स्पष्ट हों और हम एक ऐसी विवाद रहित नीति तैयार कर सकें जिसे हम, आज कुछ क्षेत्रों में हो रही इस प्रकार की कटु बातों के बिना इसे कार्यान्वित करने की स्थिति में हों।

श्रीमन् मेरे पास जो वक्तव्य है। उसने मुझमें एक तरीके से जिज्ञासा पैदा की है। मैं इसे समझ नहीं सका हूं। जब मैं यह कहता हूं, तो यह मान लेता हूं कि मैंने माननीय सदस्य महोदय की बात को ठीक से समझ लिया है। इस लोकतांत्रिक संस्था के लोकतांत्रिक कार्यकरण में लोकतांत्रिक ढांचे के अपने कार्य होते हैं। इसमें एक कार्यपालिका होती है। इसके कार्य स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं। इसमें एक न्यायपालिका है। न्यायपालिका के लिए भी स्पष्ट कार्य निर्धारित किए गए हैं। और विधायिकाओं के लिए, विधायिकाओं की शक्तियों को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। जहां तक इनमें से प्रत्येक संस्था को, संविधान के अन्तर्गत इसे निश्चित किए गए अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य करने का सवाल है, इनमें आपस में किसी प्रकार के विवाद की कोई संभावना नहीं है। इनमें से ऐसे कुछ क्षेत्र है जहां कभी-कभी दूसरी संस्था अनधिकृत रूप से कार्य करती है और कभी-कभी इसके निष्कर्षों को जाने बिना ऐसा किया जाता है। उसको न्यायपालिका के किसी सदस्य के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना के बिना यदि कोई न्यायालय यह दृष्टिकोण अपनाता है कि किसी पुलिसकर्मी को किसी क्षेत्र विशेष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है, मैं उस मसले पर विवाद में पड़ना नहीं चाहता। उस क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी कौन लेगा ? क्या न्यायपालिका कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी लेगी ? मुझे विश्वास है···

प्रो० मधु दण्डवते : पुलिसकर्मी विशेष।

श्री एस० बी० चव्हाण : यह एक या दो क्षेत्रों में नहीं अपितु तीन या चार क्षेत्रों में हुआ है। इसने भी मुझमें कुतूहल उत्पन्न किया है। इसका सही आशय क्या था उसे मैं समझ नहीं सका हूं। किस प्रयोजन से पुलिस अधिकारियों को किसी क्षेत्र विशेष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : पुलिस कर्मी विशेष को।

श्री एस० बी० चव्हाण : व्यावहारिक रूप से उन्हें मारा जा रहा है। जो हैड कांस्टेबल मारा गया था उसे अत्यन्त बुरी स्थितियों में मारा गया था। वास्तव में जो रिपोर्ट हमें मिली है ? उससे उस भीड़ के बारे में अत्यंत खराब धारणा बनती है, जिसने उस हैड कांस्टेबल को, जो उच्च न्यायालय के निर्देश पर वहां गया था, मार दिया गया होगा। उच्च न्यायालय एक राजस्व सचिव द्वारा गम्भीर जांच करवाना चाहता था जिसकी उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार द्वारा सहायता की जानी थी। दो पुलिसकर्मियों द्वारा उनका सहयोग किया जाना था। जिनमें एक हैड कांस्टेबल था और दूसरा एक होमगार्ड और एक फोटोग्राफर था। जो सम्पत्ति क्षतिग्रस्त हुई थी उसके चित्र लिए जाने थे। जब वे वहां गये तो उन पर बिना किसी उत्तेजना के आक्रमण किया गया और वहां आयी चोटों से हैड कांस्टेबल घटना स्थल पर ही मर गया। होमगार्ड बुरी तरह घायल हुआ उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कल उसकी हालत चिन्ताजनक बतायी गयी थी। अद्यतन जानकारी मेरे पास नहीं है लेकिन यदि आप इस प्रकार का रवैया अपनाएंगे तो मैं समझता हूं,··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सी० माधव रेड्डी : जो पुलिस के सिपाही मारे गए हैं उनके अलावा जो लोग मारे जा रहे हैं···(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। व्यवधान मत पैदा करिए। श्री रेड्डी, कृपया मेरी बात सुनिए। मेरी अनुमति के बिना किसी भी बात को कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाता।

(व्यवधान)**

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। उस समय आपको अवसर मिला था। उस समय अपने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि अब आप खड़े हो रहे हैं। यदि आपने इसका उल्लेख किया होता तो निश्चय ही मैंने बात स्पष्ट कर दी होती। लेकिन मैं जिस मुद्दे पर बोल रहा था। वह यह था कि यहां कुछ ऐसे क्षेत्र हैं और यह हमेशा उपयुक्त रहेगा। यदि विधायिका अपने अधिकार और अधिकार क्षेत्र की सीमाओं में रहे और न्यायपालिका अथवा कार्यपालिका किसी के भी अधिकारों और जिम्मेदारियों का अतिक्रमण न करे तो सामान्यतः ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। और यही बात कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ लागू होती है। श्री मधु दण्डवते ने यह बात हमें बताई है। कार्यपालिका से न्याय पाने में असफल होने पर---उन्होंने भी इसका उल्लेख किया—यदि अधिकारी इस सम्मानित सदन में भी न्याय पाने में असफल रहता है तो—उत्तरवर्ती शाखा को मैं दोहराना नहीं चाहूंगा—क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है, अथवा कम से कम उनके मित्र ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि वे लोगों को जाग्रत करने की दृष्टि से जनता के सामने जाएंगे। ठीक है। इसमें कुछ गलत नहीं है। वस्तुतः जिस समय उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था तो इसकी भावना भिन्न थी। इसलिए, क्योंकि अब इसे स्पष्ट किया जा रहा है तो मैं समझता हूं कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है।

प्रो० मधु दण्डवते : हम बाहर जाएंगे और महात्मा गांधी के अहिंसक तरीके से इसके लिए संघर्ष करेंगे।

श्री एस० बी० चव्हाण : आप इस समय यह बात कह रहे हैं। पहले आपने यह बात नहीं कही थी।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप एक भी हिंसक घटना ऐसी बता सकते हैं जिसमें मैंने भाग लिया हो?

श्री एस० बी० चव्हाण : वस्तुतः मैंने उस स्थिति को स्पष्ट कह दिया है। उस मसले पर मेरा बिल्कुल विवाद नहीं है। मेरी आपत्ति केवल यह है : क्या हम इस प्रकार के किसी प्रस्ताव का समर्थन करेंगे कि यदि कार्यपालिका, आपके अनुसार, जो आप चाहते है वह नहीं दे सकती तो क्या उसे आप न्यापालिका के माध्यम से प्राप्त करेंगे? यदि इस प्रक्रिया में उस तरीके से—जो यहां बताया गया है—जारी रखा जाता है तो मैं समझता हूं यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। यह इस लोकतांत्रिक संस्था के कुछ विंगो को बिना कोई जिम्मेदारी लिए अतिक्रमण किए जाने का स्पष्ट निमंत्रण है। हमें इसके विरुद्ध कुछ नहीं कहना। आखिर कार वे सभी अपने अधिकारों की सीमाओं में हैं। उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करने का पूरा अधिकार है; मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। लेकिन इसके साथ ही जब आप अपने निर्णय अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं तो जिम्मेदारी भी इसमें जुड़ जाती है। आप कहते हैं कि हम क्षेत्र विशेष में जाने की सरकार को अनुमति नहीं देते, कि क्षेत्र कार्यपालिका के लिए पूर्णतः वर्जित है। ठीक है। तब इसके स्थान पर अन्य कोई चीज होनी

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

चाहिए। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इसी कारण से मुझे यह समझना चाहिए कि जब बाद में उच्च न्यायालय से सम्पर्क किया गया और सारा मामला उसके सामने रखा गया कि वहाँ स्थिति यह है, उस क्षेत्र में इस प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति है और यदि आप अब भी उस क्षेत्र में पुलिस अधिकारी के न घुसने की निषाधाज्ञा देते हैं तो कानून और व्यवस्था का मामला और अधिक जटिल हो जाएगा, स्थिति और बिगड़ेगी इसलिए उन्होंने स्थगन आदेश दिया। सारी कार्यवाही रोक दी गयी। उच्च न्यायालय ने गंभीर जांच के आदेश दिए जिसकी रिपोर्ट इस महीने की 25 तारीख तक मिल जाने की संभावना है। उन्होंने स्वयं हमें स्थगन आदेश दिया है। सारा कार्य समुचित वातावरण में हुआ। हर कोई इस बात को समझ सकता है...

प्रो० मधु दण्डवते : उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि उन्होंने उच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया है, मैं सुझाव दूंगा कि न्यायालय का निर्णय सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। उससे हमें पता लगेगा कि सारी पुलिस को वहां जाने से रोका गया अथवा एक कुख्यात पुलिस अधिकारी विशेष को रोका गया था।

श्री एस० बी० चह्वाण : न्यायालय का निर्णय सार्वजनिक सम्पति है। यह प्रकाशित हो गया है। यदि यह हम सभी को उपलब्ध कराया जाना है तो इसकी प्रतियाँ प्राप्त करने में कुछ समय लगेगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मुझे विश्वास है कि आपके पास इसकी एक प्रति है।

श्री एस० बी० चह्वाण : मेरे पास इसकी कोई प्रति नहीं है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : आप क्या कह रहे हैं—क्या यह किसी सन्देश अथवा कुछ जानकारी पर, जो आपको मिली है, आधरित है।

श्री एस० बी० चह्वाण : यह जानकारी हमारे पास भेजी गयी थी। उसी आधार पर मैं कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह पूर्णतः गलत व्याख्या है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं निर्णय की पूर्ति सभा पटल पर रखूंगा।

श्री एस० बी० चह्वाण : यह ठीक है। सारी चर्चा का मुख्य मुद्दा यह था। (व्यवधान) मैं नहीं समझता कि मुझे कुछ और कहने की आवश्यकता है। लेकिन इस प्रकार की भावना पैदा होती है कि जो घटनाएँ हो रही हैं अकेली ये ही घाटनाएँ अथवा उदाहरण नहीं हैं। हमारी यह धारणा बनती है कि सारी बातें परस्पर सम्बद्ध लगती हैं। विभिन्न क्षेत्रों में कुछ घटनाएँ हो रही हैं और हम नहीं जानते कि ये पूर्व नियोजित हैं अथवा वे स्वतन्त्र रूप से ऐसा कर रहे हैं। यदि मैं यह कहता हूं कि सारा मामला जुड़ा हुआ है तो यह सिद्ध करने के लिए मेरे पास कोई सामग्री नहीं है। वह सामग्री इस चरण में मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं, कि ऐसा न हो।

एक माननीय सदस्य : सामग्री मैं आपको दे दूंगा।

श्री एस० बी० चह्वाण : मैं चाहता हूं, सारी बातें परस्पर सम्बद्ध न हों। मैं नहीं समझता कि सदन का कोई माननीय सदस्य ऐसी कोई स्थिति पैदा करना चाहता है जिससे अस्थिरता पैदा हो। कम से कम हम तो यही विश्वास करते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : आप ऐसी बात क्यों कहते हैं? हमारी भी तो प्रशंसा कीजिए।

श्री एस० बी० चह्वाण : मैंने कहा कि यह मेरा विश्वास है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं निप्रणता को समझता हूं।

श्री एस० बी० चह्वाण : आपकी प्रशंसा करने में "मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसके साथ ही सारी बातें परस्पर सम्बद्ध न हों। लेकिन देश के कुछ भागों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनसे आम आदमी की यही धारणा बनती है कि देश में ऐसी दूसरी ताकतें कार्य कर रही हैं जो अस्थिरता की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। वैधानिक तरीके से चुनी गई सरकारों को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की जा रही है।

प्रो० मधु दण्डवते : किसने ऐसा कहा। इसके विपरीत मैंने कहा, "मैं राष्ट्रपति शासन की मांग नहीं कर रहा हूं। मे केन्द्रीय हस्तक्षेप चाहता हूं।" यह कुछ भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, कल आपकी पार्टी मुख्यमंत्री बदलने का निर्णय कर सकती है। वह अनेक मुख्यमन्त्रियों को बदल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री एस० बी० चह्वाण : यह मेरी भूल है कि मैंने आपको ठीक से नहीं समझा है। यदि माननीय सदस्यों में से कोई राष्ट्रपति शासन की इच्छुक नहीं तो मैं अनावश्यक रूप से इसकी चर्चा क्यों करूं?

प्रो० मधु दण्डवते : हम राष्ट्रपति को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते।

श्री० एस० बी० चह्वाण : यदि वैधानिक तरीके से निर्वाचित सरकारों को इस तरह से गिराया जाएगा और जिस तरीके से सदन में यह बात कही जा रही थी…

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : जैसे कि सिक्किम में, जैसे आंध्र प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर में…

उपाध्यक्ष महोदय : श्री उन्नीकृष्णन, कृपया हस्तक्षेप न कीजिए।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : हस्तक्षेप करने का हमें अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अधिकार केवल तभी है जब वह बैठ जाएं (चुप हो जायें) अन्यथा नहीं।

श्री एस० बी० चह्वाण : आप चाहते हैं कि उसी बात को दोहराया जाए। श्री उन्नीकृष्णन उसी बात को यहां दोहराया जाना चाहते हैं। आप नहीं चाहेंगे कि दोहरे मानदण्ड रखें जाये।

प्रो० एन० जी० रंगा : यही वे लोग चाहते हैं।

श्री एस० बी० चह्वाण : कोई भी माननीय सदस्य यह नहीं चाहेगा कि केन्द्र सरकार आंध्र प्रदेश में, त्रिपुरा में हस्तक्षेप करे और यह देखे कि वैधानिक तरीके से चुनी गई सरकारों को गिरा दिया जाए। मैं नहीं समझता कि हम इस प्रकार के दोहरे मानदण्ड रख सकते हैं। मैं नहीं समझता कि गुजरात में जो स्थिति विद्यमान है उसे और ज्यादा बिगड़ने दिया जाए। दूसरी ओर हमें सामान्य स्थिति बहाल करने में गुजरात सरकार का सहयोग करना चाहिए। ऐसा लगता है कि इस बात के सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं कि पुलिस संगठन को इस तरह बदनाम किया जाए और उसे हतोत्साहित किया जाए ताकि वह प्रभावहीन हो जाए।

मैं उनकी कार्यवाही का समर्थन नहीं कर रहा हूं। बल्कि, मैंने अपने बयान में बिल्कुल स्पष्ट किया है और यदि आपने मेरे बयान पर ध्यान दिया हो, तो देखा होगा। किसी भी प्रकार की उत्तेजना हो और वास्तव में वहां पर उत्तेजना थी — इसमें कोई सन्देह नहीं है, परन्तु साथ ही वर्दी धारी जवानों को उस प्रकार का बर्ताव नहीं करना चाहिए, जैसा कि उन्होंने किया। इसमें कोई सन्देह नहीं है।

मैं यह भी कह सकता हूं कि सरकार समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता के खिलाफ नहीं है। इस देश में समाचार पत्रों को सब से अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त है और उनकी स्वतन्त्रता पर किसी प्रकार की रोक लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : गुजरात समाचार को विज्ञापन देने पर रोक लगाने के सम्बन्ध में प्रेस परिषद् का निर्णय क्या है ?

श्री एस० बी० चह्वाण : मैं नहीं समझता कि गुजरात से संबंधित सभी मामलों का निर्णय गृह मंत्रालय अथवा भारत सरकार द्वारा ही किया जाना चाहिए। अन्य सभी मामलों में, जिन पर यहां चर्चा की गई, यदि गुजरात सरकार समुचित कार्यवाही करने को सक्षम है, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे हस्तक्षेप से राज्य के सामान्य कार्य में किसी प्रकार की गलत परम्परा बने। हम उन्हें पूरी स्वतन्त्रता देना चाहेंगे। संविधान के ही अन्तर्गत वे अस्तित्व में आये हैं ; उसे अपने अधिकारों और उत्तरदायित्वों की जानकारी है, केन्द्रीय सरकार के लिए उसके दिन-प्रतिदिन के कार्य में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। यदि कोई खास मुद्दे होंगे और हमें अपनी स्थिति का उपयोग करना पड़े, तो हम ऐसा निश्चित रूप से करते हैं।

कभी-कभी इस तरह के मामलों पर चर्चा की जाती है और मुझे इसमें अचम्भा नहीं होगा कि अन्य सदस्य भी उस तरह के मामले उठाने लगें, और यहां ऐसे मामले उठाये जाने का प्रलोभन हो और उन पर किसी प्रकार की चर्चा हो। तब सरकार के लिए भी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लाये गए ऐसे प्रस्ताव को रोकने में कठिनाई होगी।

मुझे और आगे नहीं बताना है। मेरे विचार में मैंने कुछ मुद्दों के संबंध में स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश की है। मैं फिर एक बार इस सदन के सभी वर्गों से और आपके माध्यम से विशेष कर गुजरात की जनता से अपील करूंगा। गुजरात को प्रशासन और विकास से संबंधित मामलों में अच्छी ख्याति प्राप्त है। यह औद्योगिक रूप से बहुत ही उन्नत राज्य है। विकास संबंधी अन्य मामलों में उसने असाधारण काम किया है। अतः इस तरह की छवि जो बनाये जाने की कोशिश की जा रही है, मुझे आशा है कि यह थोड़े समय के लिए ही है और वह बहुत ही थोड़े समय में मिट जायेगी, इस दिशा में हर सम्भव प्रयास किए जाने चाहिए कि हम समस्या के प्रति वैरभाव का नहीं अपितु सद्भावना का दृष्टिकोण अपनायें। यदि छात्रों ने अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने कोई गलती की भी हो, तो हमें उदार हृदय से सोचना चाहिए जिससे हम समझदारी की भावना से एक नया अध्याय खोल सकें। मुझे विश्वास है कि इस सदन के सभी वर्गों के सहयोग से इस तरह का संदेश गुजरात की जनता तक पहुंचाया जायेगा।

मैं सभा पटल पर रखे गये दोनों प्रतिस्थापक प्रस्तावों का पूरा विरोध करता हूं। मैं उनका विरोध करता हूं और प्रस्ताव करने वालों से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया दोनों प्रतिस्थापक प्रस्तावों को वापिस ले लें। यदि वे वापिस नहीं लेंगे, तो मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि उन्हें अस्वीकार किया जाए।

प्रो० मधु दंडवते : केवल एक महत्वपूर्ण मुद्दा है समाचार पत्रों पर पहली बार हमला किया गया। छापेखाने को जला दिया गया है। उन्होंने तीन समाचार पत्र वो इसके लिए चुना है। अत: मैं उनसे जानना चाहता हूं; जैसाकि उन्होंने अत्याचारों को आन्दोलन से और हिंसा को हमलों से जोड़ने की कोशिश की है। उसी प्रकार, क्या यह सच नहीं है कि क्योंकि इन तीन समाचार पत्रों, अर्थात गुजरात समाचार, इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता ने पुलिस अत्याचार का पर्दाफाश किया और क्योंकि उन्होंने स्टेडियम से संबंधित मृगेश मामले में मुख्य मन्त्री का विरोध किया, इसलिए विज्ञापनों का दिया जाना रोका गया और इसीलिए यह मामला प्रेस परिषद के समक्ष है ? ये सभी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं क्या यह सच है अथवा नहीं ? वह इस बात को स्पष्ट करने से इन्कार कर रहे हैं और उन्होंने अपने समूचे बयान में प्रेस पर किए गए हमले की निन्दा नहीं की है। इसे सावधानी से पढ़िये। उन्होंने हमले की निन्दा नहीं की—एक भी शब्द नहीं कहा है । उन्होंने अभी भी निन्दा नहीं की है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी क्या आप कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं जानना चाहूंगा कि क्या गृह मन्त्री महोदय ने आज की सुबह के इण्डियन एक्प्रेस में श्री सोलंकी का बयान देखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वह उन पुलिस कर्मियों के विरुद्ध जिन्होंने प्रेस पर किये गए हमले का नेतृत्व किया है ? कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, क्योंकि समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची थी ? क्या भारत सरकार इस नीति का समर्थन करती है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : मेरे पास मुख्य मन्त्री के बयान की प्रमाणिक प्रति नहीं है। मैं पता करने की कोशिश करूंगा और उनसे तथ्यों से सम्बन्धित जानकारी के बारे में पुछूंगा। **(व्यवधान)**

श्री एस० जयपाल रेड्डी : श्री सोलंकी ने प्रेस पर किए गए हमले की निन्दा करने से इंकार कर दिया है। इसके विपरीत, उन्होंने अनेक शब्दों में हमले का समर्थन किया है। उन्होंने पुलिस के विरुद्ध कार्यवाही करने से इन्कार कर दिया है। **(व्यवधान)**

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या उन्होंने प्रेस पर किए गए हमले की निन्दा की ? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस तरह खड़े न हों कृपया आप सभी बैठ जायें। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप सभी बैठ जायें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : गृह मन्त्री खड़े हों और असफलता के लिए इसकी निन्दा करें। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि बैठ जाइये। वे खड़े हैं। मैं यहां आप सभी को अनुमति नहीं दे सकता। यदि आप लोग नहीं सुनेंगे तो मैं इसे मतदान के लिए रखूंगा। यदि सभी इसी तरह खड़े रहते हैं, तो मैं अनुमति नहीं दे सकता।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि आप सभी स्पष्टीकरणों को एक साथ लेंगे तो संभव है कि वह भूल जायें। वह मेरा प्रश्न भूल चुके हैं। क्या मैं उसे दोहराऊं। **(व्यवधान)** यह एक बहुत गम्भीर मामला

है। इसमें कार्यकरण संबंध है-प्रेस पर किये गये हमले, प्रेस परिषद के समक्ष मामला और पुलिस और अधिकारियों का पर्दाफाश।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछ चुके हैं। उन्हें निश्चित रूप से इसकी जानकारी है। परन्तु वह इन सभी बातों का जबाव नहीं देना चाहते हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उन्होंने आज सुबह प्रेस द्वारा किये गए बहिष्कार के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई है। आप प्रेस पर किये गये हमले की निन्दा नहीं कर रहे हैं। समूचे राष्ट्र के प्रेस ने दो घन्टों के लिए संसद की कार्यवाहियों का बहिष्कार किया है और हमने इसे सदन में उठाया है तथा सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई है। श्री सोलंकी ने प्रेस पर किए गए हमले की निन्दा करने से इन्कार कर दिया है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मन्त्री महोदय, इसके संबंध में कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं इसे स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास तथ्यों से सम्बन्धित जानकारी नहीं है। मेरे पास इसका ब्यौरा नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : आप यहाँ चर्चा के लिए क्यों आये हैं ? प्रस्ताव आप लाये हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं नहीं समझता कि यह उससे सम्बन्धित मामला है। मैं सभी मामला संबंधितों का स्पष्टीकरण करने को तत्पर हूं। जो कुछ मुद्दे यहाँ पर उठाए गए, यदि आप मेरे कल के बयान के पैरा 11 को देखेंगे, तो आप पायेंगे कि मैंने हर तरह की हिंसा की निन्दा करते हुए एक बहुत ही स्पष्ट बयान दिया है जिसमें··· (व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : आप को इसके संबंध में विशिष्ट रूप से कहने को कुछ नहीं है। अपने प्रेस पर किए गए हमले की निन्दा नहीं करना चाहते हैं। असल मुद्दा यह है, हिंसा नहीं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें पूरा करने दीजिए।

प्रो० मधु दण्डवते : कम से कम उन्हें अहमदाबाद में प्रेस की मृत्यु पर निधन सम्बन्धी उल्लेख कर लेने दें। वह अभी भी नहीं कुछ कहते। वे यह महसूस नहीं करते। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बी० तुलसी राम (नगरकुरनूल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वही बात पूछ रहा हूं। मन्त्री महोदय ने इतनी देर स्पीच दी है, लेकिन उसमें उन्होंने वही अपने डिपार्टमेंट की और पुलिस की रिपोर्ट की चर्चा की है।

वहाँ पर सारे प्रेस को आग लगा दी गई है, प्रेस वालों को मारा और लूटा गया है, वहाँ की जनता को मारा जा रहा है। गवर्नमेंट वहां पर ला एंड आर्डर मेन्टेन करने में फेल हो गई है, उसकी कोई रिपोर्ट उनके पास नहीं है। वह सारा गोल-मोल उत्तर दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इस बारे में बतायें ?

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं जानना चाहती हूं······

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैं दूसरों को अनुमति नहीं दे सकता हूं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : बहादुर बनिये।

प्रो० मधु दण्डवते : आप महिला सदस्य की तो बात मान लें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी भी बात मानने को तैयार नहीं हूं। मैं आगे बढ़ूंगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं जानना चाहती हूं ......

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया बैठ जाइए। आप पहले ही बोल चुकी हैं। वह जो कुछ कहती हैं उसे कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान) **

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने स्थानापन्न प्रस्ताव दिया है। मैं समझता हूं कि उत्तर देने का मेरे अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं। उत्तर देने का कोई अधिकार नहीं है। क्या आप अपना स्थानापन्न प्रस्ताव वापिस लेना चाहते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : गृह मन्त्री जी ने मुझ से अपील की है कि मुझे स्थानापन्न प्रस्ताव वापिस लेना चाहिए। लेकिन श्री स्वैल ने जो कुछ कहा है इस सन्दर्भ में मैं अपने प्रस्ताव पर आग्रह करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रो० मधु दण्डवते द्वारा प्रस्तावित स्थानापन्न प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा अहमदाबाद की स्थिति के बारे में 23 अप्रैल, 1985 को गृह मन्त्री द्वारा इस सभा में दिये गए वक्तव्य पर विचार करने के पश्चात अहमदाबाद में भूतपूर्व हिंसा और आगजनी, पुलिस द्वारा अत्याचार और समाचार पत्रों के सम्बाददाताओं आदि पर किए गए आक्रमण तथा गुजरात राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के पूर्ण रूप से ठप्प हो जाने की निन्दा करती है एवं सरकार से सिफारिश करती है कि अहमदाबाद में सामान्य स्थिति लाने के लिए वह तुरन्त और प्रभावी उपाय करे।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया अस्वीकृत हुआ

4.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी। क्या आप अपना स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : चूंकि गृह मन्त्री महोदय समाचार पत्रों में लगे आरोपों को बार-बार इन्कार कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने स्थानापन्न प्रस्ताव का आग्रह करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा के मतदान हेतु श्री एस० जयपाल रेड्डी द्वारा प्रस्तुत स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 2 सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, अहमदाबाद की स्थिति के बारे में 23 अप्रैल, 1985 को गृह मन्त्री द्वारा इस सरकार में दिये गये वक्तव्य पर विचार करने के पश्चात, गुजरात में विधि का

** कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रवर्तन करने वाले तन्त्र के धराशायी हो जाने और उसके द्वारा विधि का उल्लंघन किये जाने पर गौर करती है और भारत सरकार से आग्रह करती है कि वह राज्य में सामान्य स्थिति पुनः स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप लिए करे।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : स्थानापन्न प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अब हम सभा पटल पर रखे गए पत्रों को लेते हैं। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह।

———

4.01 म० प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

[**अनुवाद**]

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की ओर से मैं वाणिज्य और पूर्ति मन्त्रालय की वर्ष 1985-86 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 761/85**]

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

ससंदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : श्री बूटा सिंह की ओर से मैं कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालय की वर्ष 1985-86 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 762/85**]

वित्त अधिनियम 1979 के अन्तर्गत अधिसूचना, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचना, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 41 के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 366 (अ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 17 अप्रैल, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो नई दिल्ली में 18 से 21 अप्रैल, 1985 तक हुए निर्गुट समन्वय ब्यूरो की मन्त्री स्तरीय असाधारण बैठक में उपस्थित हुए प्रतिनिधियों को विदेश यात्रा कर की अदायगी से छूट देने के बारे में है।

[**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 763/85**]

(2) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 362 (अ) और 363 (अ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 16 अप्रैल, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो रिगों और उनके

फालतू पुर्जों को, जब उनका आयात ग्रामीण जल-प्रदाय परियोजनाओं के लिए भारत में किया जाये, उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल, उपसंगी तथा अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट देने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 764/85]

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 365 (अ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 16 अप्रैल, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो वेनिट बेगों को, उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 765/85]

संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) (संशोधन) विनियम 1985; कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें; गांधी दर्शन समिति, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखाओं, को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारणों का एक विवरण

संसदीय कार्य **मंत्रालय में** राज्य **मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : श्री के० पी० सिंह देव की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) संविधान के अनुच्छेद 320 (5) के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) (संशोधन) विनियम, 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 6 अप्रैल, 1985 का भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 329 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 766/85]

(5) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की वर्ष 1985-86 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 767/85]

(3) गांधी दर्शन समिति, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन* तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 768/85]**

योजना मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : श्री के० आर० नारायणन की ओर से मैं योजना मन्त्रालय का वर्ष 1985-86 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 769/85]

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (दूसरा संशोधन) नियम, 1985

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : मैं केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 के अन्तर्गत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (दूसरा संशोधन) नियम,

*वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे 30 जनवरी, 1985 को सभा-पटल पर रखे गए थे।

1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 6 अप्रैल, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 332 में प्रकाशित हुए सभा-पटल पर रखती हूँ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 770/85]

4.02 म० प०

(श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) सभी किस्म के कपड़ों पर प्रत्येक मीटर पर खुदरा मूल्य छापने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शांति धारीवाल (कोटा) : सभापति महोदय, पूरे देश में रिटेल के कपड़े व्यापारी अपनी इच्छानुसार ग्राहक से कपड़े के दाम वसूल करते हैं तथा कई दूकानों पर तो ग्राहक की अनभिज्ञता के कारण कपड़े की किस्म को गलत बताकर ऊंचे दाम वसूल कर लेते हैं। इस कारण खुदरा कपड़े के ग्राहकों को कपड़े की वाजिब कीमत से ज्यादा कीमत देनी पड़ रही है। यही हालत साड़ियों व रेडीमेट गारमेंटस के बाबत देखने को मिल रही है। ग्राहक को जो भी कपड़ा खरीदते समय पसन्द आ जाता है, कुछ दूकानदार उसकी कीमत अपनी इच्छानुसार बता देते हैं तथा फिर कम ज्यादा भी कर लेते हैं। कई जगह बताई हुई कीमत की आधी कीमत में ही कपड़ा बेच भी देते हैं। इस प्रकार भारी बारगेन किया जाता है, इसमे ग्रामीण व्यक्ति जो कपड़े के मामले में इतना ज्यादा नहीं समझते उन्हें लूटा जाता है।

मैं सरकार का ध्यान खुदरा कपड़े की बिक्री की ओर आकर्षित करना चाहता हूं तथा यह मांग करता हूं कि हर किस्म के कपड़े के हर मीटर पर खुदरा दाम लिखे रहने चाहिए, जिसमें सिर्फ चुंगी व लोकल टैक्स ही जोड़कर दाम माँगा जा सके तथा अगर लिखे हुए दाम से ज्यादा कोई वसूल करे तो उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही हेतु कानून बनना चाहिए।

(दो) अकबरपुर—टाण्डा रेल लाइन का विस्तार करने तथा उन रेलवे स्टेशनों पर शेडों वाले दूसरे प्लेटफार्म बनाने की आवश्यकता

श्री राम प्यारे सुमन (अकबरपुर) : सभापति महोदय, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए आवागमन का होना नितान्त आवश्यक है। साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि उस क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसे प्रमुख औद्योगिक नगरों, बड़े शहरों से जोड़ा जाये। इस दिशा में जन साधारण की यात्रा को सुलभ करने में रेलवे की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस सम्बन्ध में जम्मू से हावड़ा व लखनऊ से वाराणसी मुख्य मार्ग पर स्थित अकबरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन का बड़ा ही महत्व है जहां से टाण्डा को नई रेल लाइन निकलती है। टाण्डा में 440 मेगावाट का एक थर्मल प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है, जिसमें प्रतिदिन एक रेक कोयले की खपत होगी। इसके अलावा टाण्डा बुनकरों का प्रमुख औद्योगिक कस्बा है जहां से लाखों रुपये का गमठा, लूंगी, साड़ी, चादर, टेरीकाट के कपड़े कलकत्ता, बम्बई के माध्यम से विदेश भेजा जाता है, इसलिये अकबरपुर-टाण्डा रेल लाइन का विस्तार तथा टाण्डा व अकबरपुर रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त प्लेटफार्म के साथ शेड का लगाया जाना अति आवश्यक है। इसके अलावा अकबरपुर रेलवे स्टेशन पर धुलाई करने, इंजन घुमाने व समुचित शंटिंग

की व्यवस्था आवश्यक है। अकबर व मालीपुर रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन हजारों गाठें कलकत्ता, नागपुर, दिल्ली, बम्बई तक भेजी जाती है, इससे इन स्टेशनों पर शेड का लगाया जाना अति आवश्यक है तथा सभी प्रमुख गाड़ियों में आरक्षण की व्यवस्था जरूरी है।

श्रीमन्, अकबरपुर रेलवे स्टेशन से हजारों यात्री प्रतिदिन कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, बनारस, कानपुर, लखनऊ जाते हैं, जिनकी सुविधा के लिए आवश्यक है कि गंगा जमुना गाड़ी दिल्ली से बनारस तक प्रतिदिन फैजाबाद व अकबरपुर होकर चलाई जाये। काशी एक्सप्रेस जो इलाहाबाद होकर बम्बई तक जाती है उसे वाराणसी से अकबरपुर—फैजाबाद, इलाहाबाद होकर बम्बई तक चलायी जाये। इसके अलावा वाराणसी लुधियाना एक्सप्रेस जिसे किसान एक्सप्रेस कहते हैं, को नियंत्रित तरीके से प्रतिदिन वाया अकबरपुर, फैजाबाद चलाया जाये। इससे रेलवे विभाग की आमदनी काफी बढ़ेगी तथा स्थानीय जनता, व्यापारी सभी को राहत मिलेगी इसलिये मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि जनहित में उपरोक्त के आधार पर तत्काल व्यवस्था की जाये जिससे जनसाधारण को लाभ मिल सके।

(तीन) वायुदूत/इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की विमान सेवाएं पूर्णिया तक चलाने की आवश्यकता

श्रीमती माधुरी सिंह (पूर्णिया) : सभापति महोदय, 1980 में स्वर्गीय प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी के कार्यकाल में उनके प्रयत्नों से पूर्णिया को तृतीय वायु सेवा 'वायुदूत' से जोड़ने के लिए तत्कालीन उड्डयन मंत्री ने आश्वासन दिया था एवं सरकारी स्तर पर इसकी घोषणा भी की गई थी, पर आज तक यह कार्य पूरा नहीं हो सका। पूर्णिया एक सीमावर्ती क्षेत्र है और नेपाल जाने वाले यात्रियों के लिए पूर्णिया जिला प्रवेश द्वार का काम करता है। पूर्णिया का स्थानीय महत्व भी कम नहीं है। मैं उड्डयन मन्त्री जी से आग्रह करना चाहूंगी कि वायुदूत की व्यवस्था की जाए और अगर यह सम्भव न हो तो इंडियन एअर लाइन्स का वह विमान जो दिल्ली से आसाम या कलकत्ता जाता है, उसका एक स्टाप पूर्णिया में अगले कुछ समय के लिए परीक्षण के तौर पर रखा जाए जिससे वह महत्वपूर्ण क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक रूप से राष्ट्रीय धारा से जुड़ जाए। 1962 में भारत चीन युद्ध के पश्चात् सुरक्षा की दृष्टि से देश की इस उत्तरी रेखा पर सरकार ने बड़ी लागत से विमान स्थल (एअरपोर्ट) का निर्माण किया था जो अब वैसे ही पड़ा है एवं उसका दैनिक उपयोग नहीं रह गया है। यदि इसका व्यापारिक उपयोग होने लगे तो सार्वजनिक एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में भी इसका सामाजिक महत्व बढ़ जायेगा।

[अनुवाद]

(चार) केरल और खाड़ी के देशों के बीच यातायात की यात्रा में हो रही वृद्धि को देखते हुए त्रिवेन्द्रम को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने तथा कालीकट और कोचीन हवाई अड्डों का काम पूरा करने की आवश्यकता

श्री के० मोहनदास (मुकन्दपुरम) : केरल से विभिन्न देशों विशेषकर खाड़ी के देशों के लिए और केरल को यातायात में प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। लेकिन इस समय केरल में इस बढ़ते हुए यातायात की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सुविधाएं बहुत कम हैं। पिछले कुछ समय से एक मांग की जा रही है कि त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जाना

चाहिए। इस मांग के पीछे जो कारण था वह यह था कि यदि इसे ऐसा घोषित किया जाता है तो इस तरह के हवाई अड्डे में जो सुविधाएं अपेक्षित होती हैं उनकी व्यवस्था यहां की जाएगी। लेकिन सरकार ने यह मांग स्वीकार नही की है। बढ़ते हुए यातायात पर नियन्त्रण रखने के लिए हवाई पट्टी का विस्तार करने तथा अन्य सम्बन्धित सुविधाओं की आवश्यकता है।

इसके बाद, कालीकट हवाई अड्डे का व्यय में विलम्ब हो रहा है। इस हवाई अड्डे को कम से कम पिछले कुछ वर्षों में तैयार हो जाना चाहिए था। इसी तरह कोचीन हवाई अड्डे की स्थिति भी ऐसी है कि जगह आदि की कमी के कारण उसका विश्वास नहीं किया जा सकता। हालांकि सरकार ने दूसरे हवाई अड्डे का वायदा किया है लेकिन यदि कालीकट हवाई अड्डे के पूरा होने में लगने वाले समय का संकेत है तो वायदा किया गया कोचीन का हवाई अड्डा काफी समय तक तैयार नहीं किया जा सकता।

इसलिए मैं सरकार से निम्नलिखित कदम तुरन्त उठाने का अनुरोध करता हूं;

1. त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जाए और इसका विकास कार्य शुरू किया जाए।

2. कालीकट हवाई अड्डे का कार्य निर्धारित समय पर पूरा कराया जाए।

3. कोचीन हवाई अड्डे का कार्य कम समय में पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी जाए।

[हिन्दी]

(पांच) पटना जिले में सोन सिंचाई नहर में से धाना से परेव तक उसकी एक शाखा बनाने की आवश्यकता

श्री सी० पी० ठाकुर (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, पटना जिले के विक्रम थाने में पटना रक्षा तटबंध और सोन नदी के बीच में आने वाले 30-40 गांवों को खेती के लिए सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर सोन सिंचाई नहर से एक शाखा धाना से परेव तक बना दिया जाए तो उससे करीब 40-50 हजार आबादी को लाभ पहुंचेगा। इस योजना को योजना विभाग से पास कराकर बिहार सरकार को केन्द्र सरकार अविलम्ब काम करने का आदेश दे। इससे उन क्षेत्रों में गरीबी अपने आप दूर हो जायेगी और लोगों में खुशहाली जाग जायेगी।

4.09 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1985-86

रक्षा मंत्रालय (—जारी)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण के अंतर्गत अनुदानों की मांगों पर और आगे चर्चा करेंगे।

श्री ई० अय्यापु रेड्डी (कुरनूल) : शुरू में मैं अपने दल की ओर से भारतीय सशस्त्र सेना को जिसकी तीन शाखाएं हैं, राष्ट्र की उत्कृष्ट सेवा के लिए बधाई देता हूं। मुझे सेना की इस बात के लिये भी प्रशंसा और सम्मान करना है कि वह राजनैतिक दबावों तथा राजनीति से अलग रही है। सेना

इस बात के लिए भी प्रशंसा की पात्र है कि उसने धर्म, जाति, क्षेत्र तथा समुदाय पर आधारित फूट डालने वाली किसी भी ताकत को किसी भी तरह हस्तक्षेप या इसके या कर्त्तव्यपरायण में प्रभाव डालने की अनुमति नहीं दी है। कुछ आलोचकों को यह आशा थी कि 'आपरेशन बल्यू स्टार' सेना की एकता और दृढ़ता को चोट पहुंचायेगा परन्तु सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ। यह सच है कि 'आपरेशन बल्यू स्टार' ने मामूली रूप में सेना को सरसरी तौर पर प्रभावित अवश्य किया था, परन्तु कुल मिलकर सेना का मनोबल और अनुशासन बहुत ऊंचा रहा है। तुरन्त कार्यवाही करके इस मामूली से जख्म को शीघ्र ठीक कर दिया गया था। हमें यह जानकर प्रसन्नता है कि सेना की इस दुर्भाग्यपूर्ण कार्यवाही से सेना की कार्य प्रणाली के उच्च मानकों में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। परन्तु 'आपरेशन बल्यू स्टार' ने निश्चय ही चेतावनी की घन्टी बजा दी है जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना के आम उपयोग की अवांछनीयता के बारे में है। हम जानते हैं कि सेना को शाश्वत लोकप्रियता प्राप्त है। जनता के मतानुसार, सेना देशभक्ति की भावना का आह्वान करती है। सेना सभी की है और इसकी शाश्वत लोकप्रियता को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का कर्त्तव्य पालन करने के लिए सेना को बार-बार बुलाकर धूमिल न किया जाये। इस सभा में यह बताया गया था कि गत वर्ष कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना को 175 बार बुलाना पड़ा था। यह सर्वथा अवांछनीय है। कल भी मुख्य समाचारों में यह छपा था कि अहमदाबाद पर सेना ने नियन्त्रण कर लिया है। यह सेना की एकता और लोकप्रियता के हित में नहीं होगा और राष्ट्र की प्रजातान्त्रिक कार्यप्रणाली के हित में भी नहीं है। यदि हम कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुधा सेना का उपयोग करते रहे तो इससे राष्ट्र की प्रजातान्त्रिक कार्यप्रणाली का महत्व कम हो जायेगा। मेरा सुझाव है कि सेना के अलावा किसी और एजेन्सी को ही पुलिस का काम सौंपा जाए क्योंकि सेना की स्थिति बेजोड़ है। जैसा कि मैं कह चुका हूं लोगों के किसी वर्ग में यह बात नहीं बैठानी चाहिये कि यह लोगों को दबाने का एक उपकरण रही है। सेना को पुलिस का कार्य करने के लिए प्रायः बुलाना स्वाभाविक है कि विवादास्पद बन जाना है क्योंकि इससे कोई न कोई नागरिक तो प्रभावित होगा ही। असैनिक जनता या नागरिकों के विरुद्ध सेना को न लगाइये। सेना का उपयोग तो बाह्य आक्रमण और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए ही किया जाना चाहिये। इसका उपयोग तो विकासात्मक उद्देश्यों और आवश्यकता के समय राहत कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। सेना तो हमारी धर्म-निरपेक्ष और प्रजातन्त्रात्मक कार्यप्रणाली का बचाव छत्र रही है और इसे भारत की प्रजातन्त्रात्मक और धर्मनिरपेक्ष कार्यप्रणाली को संरक्षण प्रदान करने वाले उपकरण का कार्य करते जाना चाहिये। जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं, यदि गृह मंत्रालय चाहे तो वह कोई अन्य साधन उपकरण की व्यवस्था कर सकता है, जो स्थानीय पुलिस के असफल हो जाने पर, विधि और व्यवस्था बनाए रख सकता है। चाहे आप इसे सीमा सुरक्षा बल कहिए और कुछ, परन्तु इसे सेना का अंग न बनाइये। जहां तक सेना की कार्यप्रणाली का सम्बन्ध है, यह मेरा प्रथम निवेदन है।

जहां तक बजट की बात है तो, मैं कहूंगा कि दुर्भाग्य से यह नेमि और निरस है। बजट के साथ प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन में भी निरस लीक पीटी गई है और प्रति वर्ष की भांति इस सभा में उसे ही फिर-फिर दोहराया जा रहा है। व्यावहारिक रूप में प्रतिवेदन में कुछ भी नहीं है। उसमें हमने रंगीन चित्र देखें हैं। रक्षा मंत्रालय को पता है कि रक्षा के जटिल प्रश्नों को समझने के लिए विशेषज्ञों वाला ज्ञान संसद सदस्यों को नहीं होता, परन्तु फिर भी इस प्रतिवेदन में कोई महत्वपूर्ण सूचना नहीं दी गई है। निस्सन्देह, हमें सूचित किया गया है कि सेना में अपने क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है और हमें यह भी बताया गया है कि चेतक नाम के एक सुसज्जित हेलीकोप्टर ने गणतन्त्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर गज-नृत्य किया। ऐसी मूल्यवान सूचना देने के लिए हम रक्षा मन्त्रालय के

बहुत आभारी हैं, परन्तु हम यह जानना चाहते हैं कि हमने किस प्रकार के हथियार खरीदे हैं, कितनी मात्रा में, भिन्न-भिन्न देशों से और क्यों खरीदे हैं, क्या-क्या सौदे किये हैं; इनके लिए कौन उत्तरदायी है और ये सौदे क्यों किये गये। हमें इस बारे में इस प्रतिवेदन में कोई भी सूचना नहीं दी गयी है।

यदा-कदा हम पढ़ते रहते हैं कि वायु सेना में एक दुखद दुर्घटना घट गयी है। हमें इन दुर्घटनाओं के बारे में इस प्रतिवेदन में कोई भी सूचना नहीं दी गई है। हमें अपनाये गये उपचारात्मक उपायों के बारे में भी कोई सूचना नहीं दी गई है। हमें ये सूचनाएं जिनका जानना हमारे लिए अत्यन्त आवश्यक है नहीं मिल रही है। रक्षा मन्त्रालय का यह निरन्तर अन्धविश्वास कि यदि लोक सभा के सदस्यों को विश्वास में लिया जाये तो, सेना के भेद प्रकट हो जायेंगे, निश्चय ही निराधार है। यदि जन-प्रतिनिधियों को अवगत कराया जाए और वे सही परिप्रेक्ष्य में रक्षा समस्या को जानने एवं समझने लगें और उन पर चर्चा करने लगें तो यह रक्षा मन्त्रालय, देश और सशस्त्र सेनाओं के हित में होगा।

अब, देश के सुरक्षा वातावरण को ही लीजिए। प्रतिवेदन का प्रथम अध्याय इसको समर्पित है। हर किसी को पता है और रक्षा मन्त्री महोदय को भी पता है, क्योंकि वह विदेश मन्त्री रह चुके हैं, कि राष्ट्र सुरक्षा का अलग-अलग करके अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि यह विश्व सुरक्षा से अभिन्न रूप से सम्बद्ध है। हम यह भी जानते हैं कि अब जो कारण हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर रहे हैं वे कारण हैं, विश्व के इस भाग में जिन क्षेत्रों को महान शक्तियां प्रभावित कर रही हैं उनकी आपसी दौड़ का प्रभाव। यदि हम ध्यानपूर्वक उन विद्यमान करणों का विश्लेषण करें जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर रहे हैं तो, हम पायेंगे कि ये आज से कुछ वर्ष पूर्व ईरान में शाह की सरकार के गिरने के समय से वास्तव में आरंभ हुए थे। इसमें अमरीका के प्रति बाद की सरकार के विद्वेश, ईरान में व्योम बालाओं, अमरीकाओं का दुर्भाग्यपूर्ण काण्ड, उनको छुड़ाने की कमाण्डों कार्यवाही की भासद असफलता और सोवियत संघ की सहायता से अफगान सरकार पर करमाल बबारक का आधिपत्य का हाथ है। ये सभी घटनाएं श्रृंखला की कड़ियां हैं जिसकी क्रिया और प्रतिक्रिया दूसरी ओर हुई तो एक महाशक्ति ने दिआगो गार्सिया पर आधिपत्य जमा लिया और उसका सक्रिय सहयोग और सहायता, इस क्षेत्र में उसके एकमात्र सन्धिबद्ध राष्ट्र अर्थात पाकिस्तान के लिए बनी रही जिसने इस सक्रिय सहयोग के कारण 32 करोड़ अमरीकी डालर का सुदृढ़ एकमुश्त सौदा अपने हक में किया है। जिसके परिणामस्वरूप उनके शस्त्रागार में आजकल उपलब्ध अत्यन्त अत्याधुनिक शस्त्रों की बाढ़ आ गयी है। हम यह भी जानते हैं कि अमरीका के साथ उसके निकट सम्बन्धों के कारण, उसने कपटपूर्वक परमाणु क्षमता प्राप्त कर ली है। परमाणु शक्ति सम्पन्न देशों के रक्षा नीतिज्ञों को जिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, वह है पाकिस्तान द्वारा प्राप्त की जा रही परमाणु क्षमता की नई परिस्थिति से कैसे निपटा जाए और इसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या हो। शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों और वैज्ञानिकों ने कुछ मंचों पर इस समस्या पर चर्चा की है और आम धारणा यह है कि यदि इस बात का पक्का सबूत मिल जाये कि पाकिस्तान ने परमाणु क्षमता प्राप्त कर ली है तो भारत को भी परमाणु क्षमता प्राप्त करनी चाहिए। निस्सन्देह, ऐसे भी लोग हैं जो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि पाकिस्तान के हवाई अड्डों पर परमाणु आयुद्ध पहले से ही हैं और वह इनका किसी भी समय प्रयोग कर सकता है। अब चाहे कुछ भी स्थिति हो, हम यह भली भांति जानते हैं कि हमें इस पहलू पर अत्यन्त ही गम्भीर निर्णय लेना है और यह बताना रक्षा मन्त्री महोदय का काम है कि क्या वे विकल्प को वर्जित करने जा रहे हैं और अपनी मूल नीति पर ही अडिग हैं अथवा वे अपने विकल्पों की पुनरीक्षा करेंगे और भावी तिथि के लिए उन्हें खुला रखेंगे।

जैसाकि मैं कह चुका हूं हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा अभिन्न रूप से विश्व सुरक्षा से जुड़ी हुई है। वास्तव में, इस प्रथम अध्याय का प्रथम वाक्य ही इस प्रकार है :

> "अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में गोचर ह्रास हुआ है और दुनिया गत वर्ष की तुलना में और असुरक्षित हो गई है।"

गत वर्ष भी ऐसी ही तसवीर खींची गयी थी और इससे भी कहीं अधिक चेतावनीपूर्ण तसवीर सामने लाई गई थी। परन्तु विश्व सुरक्षा स्थिति पर बहुत ही निकट दृष्टि रखना हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि रक्षा बजट सदैव ही तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं। हम अपने रक्षा बजट का अनुमान व्यक्तिगत रूप में और अकेले-अकेले नहीं कर सकते। उसे तो आज की विश्व स्थिति के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा और आज की महाशक्ति स्थिति तथा कल और परसों को जिन परिस्थितियों के विकसित होने की संभावना है, उनके परिप्रेक्ष्य में देखना होगा।

जहाँ तक परमाणु शक्तियों का सम्बन्ध है, दो महाशक्तियों की अध्यक्षता वाले उत्तरी अतलान्तिक सन्धि संगठन और वारसा-सन्धि का सम्बन्ध है, स्थिति यह है कि वे परमाणु युद्ध लड़ने को तैयार नहीं हैं। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि बुद्धिजीवियों और वैज्ञानिकों ने राष्ट्रीय और अन्तर-राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु युद्ध और उसके विनाशक परिणामों की विस्तार से चर्चा की है और सभी ने यह वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाला है कि यह 'आपसी आत्मविश्वासी विनाश' होगा, जिसका अर्थ है 'पागल' यह टी० टी० ए० पी० एस० नाम की संस्था का कथन है अथवा उस 'परमाणु युद्ध के विश्व-व्यापी परिणामों के वाशिंगटन मंच' पर हुई एक चर्चा में डा० कार्ल सेगन की रिपोर्ट पर आधारित है जिनका नेतृत्व सिनेटर केनेडी और सिनेटर होपकिन्स ने किया था। इसके परिणाम स्वरूप परमाणु आयुद्धों की समाप्ति करने के पक्ष में विश्व मत निरन्तर बढ़ रहा है। परमाणु निवारण का सिद्धान्त रद्द कर दिया गया है। परमाणु प्रथम आक्रमण सिद्धान्त के लाभ को भी अस्वीकार कर दिया गया है। परमाणु आयुद्धों के सीमित प्रयोग और प्रस्फोटन को भी, जिसे प्रारंभिक मात्रा कहा जाता है, अव्यवहारिक और असुरक्षित पाया गया है। विभिन्न क्षेत्रों के लगभग सभी वैज्ञानिकों का यह कहना है कि परमाणु युद्ध का निश्चय ही भयानक परमाणु शीतकाल अन्त होगा जो कि उत्तरी और दक्षिणी दोनों ही गोलार्धों में मानवता और मानव जीवन तथा अन्य जीवन को नष्ट कर देगा। महोदय, राष्ट्रपति रीगन ने 21 सितम्बर, 1984 को राष्ट्र संघ की आम सभा को सम्बोधित करते हुए कहा था :

> "हम मानते हैं कि हमारे उन दो राष्ट्रों के बीच, जो जैसा कि हम जानते हैं जो सभ्यता को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, शास्त्र नियन्त्रण और अन्य मामलों पर बातचीत करने का कोई समझदारी पूर्ण विकल्प नहीं है। मेरा विश्वास है कि वास्तव में विश्व का प्रत्येक देश और सोवियत संघ भी मेरी इस बात से सहमत है। हमें अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का हल करने में धमकी और बल प्रयोग को कम करने और अन्ततः समाप्त करने का मार्ग ढूंढने की आवश्यकता है।"

उन्होंने स्वयं आपसी विश्वास बढ़ाने हेतु ठोस व्यावहारिक उपायों की बात स्वीकार की है। इससे पहले, जून 1984 में लेनिनग्राद में विश्व निरस्त्रीकरण पर राष्ट्र संघ क्षेत्रीय सम्मेलन में अमरीका के प्रवक्ता ने दृढ़तापूर्वक कहा था। "हमारा दृढ़ विश्वास है कि परमाणु युद्ध पर कभी विजय नहीं पाई जा सकती है और न ही कभी लड़ा जाना भी चाहिए।

विश्वास और सुरक्षा नियामक उपायों और यूरोप में निरस्त्रीकरण पर हुए स्टाक होम सम्मेलन को सम्बोन्धित करते हुए महा-सचिव महोदय ने कहा था :

"हाल के वर्षों में, युद्ध से सुरक्षा की भावना और अधिक कमजोर हो गई है। भय दिन प्रति-दिन का साथी बन गया है और उन शस्त्रों पर पहले से और अधिक निवेश को बढ़ावा देता है, जो भय के स्वयं ही मुख्य उत्प्रेरक हैं।"

उनका कथन है, "भय दिन प्रति दिन का साथी बन गया है और उन शस्त्रों पर पहले से और अधिक निवेश को बढ़ावा देता है जो भय के स्वयं ही मुख्य उत्प्रेरक हैं।" यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण वक्तव्य है, क्योंकि यह आज की विश्व सुरक्षा स्थिति का सार है।

मैं इस सम्बन्ध में अपनी इस दृढ़ धारणा पर बल देना चाहूंगा कि रक्षा नीतियों को इस प्रकार विकसित और कार्यान्वित किया जाए जिससे कि बिना प्रहार की भावना वाले विपक्षियों सहित अन्य दलों को भी विश्वास में लिया जा सके। आपसी सुरक्षा के होते हुए, राष्ट्रों में परस्पर विश्वास नहीं हो सकता है। और आधुनिक हथियारों के बढ़ते हुए शस्त्रागार के समक्ष आपसी विश्वास दृढ़ नहीं रह सकता है।

हिन्द महासागर पर अगस्त 1984 में गठित एक तदर्थ समिति सहित, राष्ट्र संघ के तत्वावधान में निरस्त्रीकरण पर अनेक घटनाएं घट चुकी हैं। मिखाइल गरबाचेव ने हाल ही में 'प्रावदा' को दिए एक विवरण में कहा है :

"शस्त्रों की दौड़ को तुरन्त और आवश्यक रूप से रोकना होगा। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बिगड़कर ऐसे बिन्दु पर पहुंच गई है जहां पर यह प्रश्न उठता है, कि हम और आगे कहां जाएं। क्या यह उनके सोचने का समय नहीं है, जो राज्य का नीति निर्धारण करते हैं कि रुकें और विचार करें और उस निर्णय को कार्य रूप देने से रोकें जो विश्व को परमाणु विध्वंस में धकेल देगा।"

इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर और सभी जन-वक्तव्यों में महाशक्तियां और उनके मित्र-राष्ट्र शान्ति, शस्त्र नियन्त्रण और परमाणु हथियारों को निष्क्रिय करने की अपनी वचनबद्धता की घोषणा करते रहे हैं। परन्तु वास्तव में, विश्व निरस्त्रीकरण अभियान पर लेनिनग्राद सम्मेलन में राष्ट्र संघ के उप-महा-सचिव श्री मारटेसन ने जैसा कि प्रगट किया है 'शस्त्र दौड़ के कारण विश्व को प्रति मिनट 20 लाख डालर खर्च करना पड़ रहा है। इससे बढ़कर बहुत से देशों में, सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं, दोनों को मिलकर, पर होने वाले खर्च से भी कहीं अधिक सैन्य साज-सामान पर व्यय करते है। 1985 में, विश्व सैन्य व्यय के एक खरब तक पहुँचने का अनुमान है।

यह भी अनुमान लगाया गया था कि अकेले वर्ष 1983 के विश्व सैन्य परिव्यय से, तीसरी दुनिया में बड़े पैमाने पर रोगों के विरुद्ध लड़ने, साक्षरता के विस्तार, कुपोषण के उन्मूलन और बड़े पैमाने पर विद्यालयों की स्थापना को मूर्त रूप दिया जा सकता है। एक ओर तो राजनीतिक उद्देश्यों की घोषित तीव्रता और दूसरी ओर निष्पादकता इस आलोचना को बल देती है कि दोनों ओर के सैनिक औद्योगिक जगन्नाथ वक्तव्यों और नीतियों की सावधानी (विमर्श) से अप्रभावित हैं और यह कि वे नीतियां ही तैयार कर रहे हैं, उन पर आचरण नहीं कर रहे हैं। शस्त्रों की दौड़ में पश्चिमी देशों के सैन्य उद्योगपतियों का स्वार्थ निहित हैं। हाल ही में मिखेल गरबाचोव ने इस अमरीकी विरोधाभास का इस प्रकार उल्लेख किया है :

अमरीका द्वारा घोषित "अंतरिक्ष युद्ध" के बारे में सभी ने काफी सुना है। मैं बाह्य अन्तरिक्ष के सैन्यकरण के पक्ष में दिए जाने वाले तर्कों को सनक ही कहूँगा। वे

बात तो रक्षा की करते हैं पर तैयारी हमले की करते हैं। अंतरिक्ष को ढाल बनाने का उल्लेख करते हैं पर बता रहे हैं उसे तलवार। परमाणु अस्त्रों को समाप्त करने का आश्वासन देते हैं लेकिन व्यवहार में वे शस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं। और इनमें निपुण हो रहे हैं। वे वचन देते हैं विश्व की स्थिरता का पर वास्तव में सैन्य संतुलन की जड़ें खोदने का प्रयास करते हैं।'

स्पष्ट है कि विश्व के अर्थात अमरीका और चीन सहित पश्चिमी देशों के सैनिक उद्योग को उपभोक्ताओं की जरूरत है। वास्तव में अनुमान लगाया गया है कि अमरीका में प्रत्येक सात व्यक्तियों में से एक प्रत्यक्षतः सैन्य उद्योग में लगा हुआ है। यह सच है कि सभी राजनीतिज्ञ तथा अधिकतर जनता शांति के पक्ष में है लेकिन जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि कुछ ऐसे निहित स्वार्थ हैं जो नीतियों का निदेश कर रहे हैं और कोई नहीं।

जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा है कि भय तो अब रोजमर्रा का साथी बन गया है। भय में भी निहित स्वार्थ है क्योंकि भय के कारण ही एशियाई देश अति आधुनिक हथियार खरीद रहे हैं; खाड़ी के देश नवीनतम मशीनरी की खरीद के लिए पैट्रो-डालर दे रहे हैं। आधुनिकतम हथियारों की खरीद की होड़ समाप्त होने वाली नहीं है क्योंकि हर साल इनसे भी अधिक आधुनिकतम हथियार का निर्माण हो चुका होगा। अतः इन देशों को नवीनतम हथियार खरीदने ही होंगे और अपने पेट्रो-डालर या विदेशी मुद्रा से वंचित होता ही होगा ताकि सभी पश्चिम देशों के सैन्य उद्योग चल सकें। यह कटु सत्य है लेकिन हमें इसको ध्यान में रखना चाहिए। इस सबके बावजूद सर्वविदित है कि ये देश जल्दी ही एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। वास्तव में नवीनतम स्थिति यह है कि अब हम अंतरिक्ष युद्ध के युग में प्रवेश कर रहे हैं।

मांग के संबंध में हम उसी नीति का पालन कर रहे हैं जिसका पालन पिछले साल किया गया था। धनराशि वही है केवल उसमें पिछले साल की तुलना में 511 करोड़ या 600 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। वास्तव में यह कुल आबंटित राशि का लगभग 15-16 प्रतिशत है। यह उतनी नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यवश नवीनतम स्थिति के अनुरूप रवैये में परिवर्तन नहीं आया है। उदाहरण के लिए चीन-भारत सीमा विवाद में कमी आई है। भारत-चीन विवाद अब उतना विकट नहीं रहा है। पिछले 10 सालों के दौरान व्यवहारतः स्थिति यथावत बनी हुई है। हम हिमालय की सीमाओं की चौकसी पहले जैसी ही कर रहे हैं क्योंकि हम 1962 में हुए अनुभव को भूल नहीं पाएंगे। यह बात स्वीकार की जाती है कि हिन्द महासागर सैनिक गतिविधियों का अड्डा बन गया है। वास्तव में आज सदन में एक तारांकित प्रश्न पूछा जाने वाले था किंतु दुर्भाग्यवश इसका उत्तर नहीं दिया गया। प्रश्न श्री आर० एम० भोये ने पूछा था और वह हिन्द महासागर में अमरीकी सैनिक अड्डे स्थापित करने के बारे में था। प्रश्न यह है :

"क्या अपने हितों की रक्षा करने के बहाने अमरीका ने हिन्द महासागर में 30 सैनिक अड्डों 1500 जंगी जहाजों 80 युद्धपोतों तथा तीन स्वचालित पनडुब्बियों सहित एक जंगी बेड़ा भेजा है।"

मुझे आशा थी कि इस प्रश्न का जवाब दिया जाएगा लेकिन इसका जवाब नहीं दिया गया क्योंकि इस प्रश्न की बारी ही नहीं आई। पहले ही सूचना दी जा चुकी है कि अब हिन्द महासागर में हर तरफ परमाणु पनडुब्बियां हैं। अब उत्तर के बजाय दक्षिण की ओर जोर देने की जरूरत है। नौसेना के लिए 600 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। जोकि उससे 100 करोड़

रुपये अधिक हैं। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हमारे सभी बन्दरगाह शहर प्रमुख औद्योगिक केन्द्र हैं। वे सभी तटों पर स्थापित हैं इसलिए नौसेना में सुधार करने की जरूरत है। 600 करोड़ रुपये काफी नहीं हैं। हम स्वदेश में निर्मित पनडुब्बियों को जलावतरित करने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। (व्यवधान)

दूसरा मुद्दा समेकित दृष्टिकोण से संबंधित है। इसे आकाश भूमि लड़ाई कहा जाता है। पिछले साल यह आलोचना की गई थी कि उक्त लड़ाई से निपटने के लिए तीनों सेनाओं को पुनर्गठित नहीं किया गया है। पिछले वर्ष रक्षा मन्त्री श्री वेंकटरमण ने कहा था कि उन्हें थलसेना तथा वायु सेना का समन्वित युद्ध संचालन देखा था। किन्तु अभी भी यह आलोचना जारी है कि इस चुनौती का सामना करने के लिए हमें तीनों सेनाओं का पुनर्गठन करना है। मुझे हाल ही में एक आलोचना द्वारा की गयी आलोचना का एक अंश पढ़ने की अनुमति दें :

> "युद्ध की बारीकियां इस सीमा तक बढ़ गई है कि कुछ समय पूर्व तक हम यह अनुमान भी नहीं लगा सकते थे कि युद्ध पद्धति इतनी अधिक विकसित हो जाएगी। यह बात और किसी ढंग से इतनी स्पष्ट नहीं की जा सकती जितनी पारम्परिक तथा अर्णविक युद्ध के संबंध में उत्तरी एटलांटिक संधि संगठन के 'हवाई युद्ध' सिद्धांत द्वारा। इस सिद्धांत के अन्तर्गत "दूर तक मार करने की सामरिक नीति का उल्लेख किया गया है। इसका उद्देश्य ऐसी नई उन्नत प्रौद्योगिकी का पता लगाना है जिसके द्वारा मीलों दूर स्थित शत्रु की सेना पर इससे पहले भी वह वहां से आगे बढ़े, हमला करना है। यह आशा निराधार है कि उक्त सिद्धान्त को दक्षिण एशिया में लागू करने में कुछ समय लगेगा।"

(व्यवधान)

त्रि-आयामी युद्ध की इस नई तकनीक से निपटने के लिए इन तीनों सेनाओं को पुनर्गठित करना होगा।

रक्षा योजना का जहां तक संबंध है (व्यवधान) 8.200 करोड़ रुपये मंजूर किए जा रहे है। रक्षा बजट पर देश को प्रति घंटा लगभग एक करोड़ रुपये व्यय करना पड़ रहा है। हमने अहमदाबाद में घटी घटनाओं पर घन्टों चर्चा की है।

सभापति महोदय : अन्य भी चर्चा में भाग लेंगे।

(व्यवधान)

श्री ई० अय्यापु रेड्डी : रक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। मैं भाषण नहीं देना चाहता। मैं मुद्दों का उल्लेख करना चाहता हूं। अभी रक्षा योजना बनाने का कार्य रक्षा मन्त्रालय तक ही सीमित है। इसके लिए विशेषज्ञों को नहीं बुलाया जाता। युद्ध करने की पद्धति पूरी तरह परिवर्तित हो गयी है। इस युद्ध में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के बहुत से क्षेत्र शामिल हैं। रक्षा सचिव अततः रक्षा योजना का प्रमुख है। वह इस पद पर एक-दो या तीन साल रह सकते हैं। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मात्र हैं। रक्षा एक तकनीकी विषय है अतः इसे नवीनतम तथा आधुनिक बनाने की जरूरत है (व्यवधान)

इन सभी बातों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन करने की भी जरूरत है।

हथियारों के आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में मैं इस बात की जरूर बधाई दूंगा कि हाल ही में देश में निर्मित नए टेंक "अर्जुन" को काम में लाना शुरू कर दिया गया है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उन्होंने श्री अर्जुन सिंह को भेज दिया है।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री ई० अय्यापु रेड्डी : आयुध निर्माणियों का कार्य निष्पादन ठीक है ......

सभापति महोदय : कृपया इसे समाप्त करें।

श्री ई० अय्यापु रेड्डी : मैं इसे समाप्त कर रहा हूँ। मेढक तथा बोलनगीरि में नई आयुध निर्माणियां स्थापित करने का प्रस्ताव है। लेकिन आन्ध्र प्रदेश में अफवाह है कि स्वर्गीय श्रीमती गांधी ने जिस आयुध निर्माणी का शिलान्यास किया था उसे वहां स्थापित न करके कहीं और लगाया जएगा। चालू परियोजनाओं पर लगभग 1200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। (व्यवधान) हम इस आयुद्ध निर्माणों को कहीं और स्थानान्तरित नहीं करना चाहते। उन्हें उसी बात पर दृढ़ रहना चाहिए जिसका रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया है कि इसका कोई हिस्सा स्थानान्तरित किया जायेगा। रिपोर्ट के अनुसार ये दो परियोजाएं पूरी की जा रही हैं। इससे हमें ऐसा लगता है कि ये परियोजनाएं यथा संभव कम समय में पूरी हो जाएगी। आशा है ऐसा किया जाएगा तथा रक्षा मन्त्रालय रिपोर्ट में उल्लखित बात पर दृढ़ रहेगा।

अन्त में मैं इन शब्दों के साथ समाप्त करूंगा। सौभाग्यवश इस मन्त्रालय का नेतृत्व श्री पी० वी० नरसिंह राव कर रहे हैं। वे पिछले पांच वर्षों के दौरान विदेश मन्त्रालय का कुशलता से नेतृत्व कर चुके हैं। आशा है उनकी कुशाग्रता तथा अनुभव से रक्षा मन्त्रालय आगामी वर्ष में नई योजनाएँ तैयार करेगा। रक्षा तथा विदेश कार्य परस्पर बहुत संबंधित हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अयूब खां (झुंझुनू) : जनाबे सदरे मोहतरिम, किसी इमारत की बुलंदी और मजबूती का दामोमदार नींव के पत्थरों पर मुनहस्सर करता है, लेकिन उन पत्थरों को कोई देखता नहीं है। इसी तरह से हमारे वतन के अफवाज के काम को आम आदमी नहीं जानता है। लेकिन बावजूद इसके ये चाहे हिमालय की कितनी ही ऊँची से ऊँची बर्फीली चोटियां हों, चाहे वह रेगिस्तान का अंधेरी चलने वाला कितना ही खतरनाक इलाका क्यों न हो, समंदर की गहराइयों में ऊँची से से ऊँची लहरों की थपेड़ों का इलाका क्यों न हो और जमीनो-आसमान के बीच में कितनी ही मुश्किलात का वह इलाका क्यों न हो, ये हमारी हिन्दुस्तान की अफ़वाज हर मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार रहती हैं और ईमानदारी और लायल्टी और वफादारी से अपने मादरे वतन की सरहदों की हिफाजत करती है। हम सबको इस अफ़वाज के ऊपर जितना ज्यादा से ज्यादा गौरव और फख्र करना चाहिए, वह कम है।

जनाबे सदरे मोहतरिम, मौत का एक दिन मुअयुयन है। बहादुर दुनिया में एक ही बार मरता है और कायर इस दुनिया में अनेक बार मरता है। ये अफवाज इस चीज को मुद्दनजर रखती है कि हमें मौत आए अपने मादरे वतन की हिफ़ाजत करते हुए ही आए। अगर हमें मौत आए, तो दुश्मन के नापाक इरादों को नेस्तोनाबूद करने के लिए आए और हम इस मादरे वतन की मुकद्दस जमीन की हिफाजत करने के लिए आगे बढ़ते हैं और इसकी हिफाजत करने के लिए जाते हैं, तो भूमि को चूमते

हैं और दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें हिम्मत दे कि हम अपने मादरे वतन की हिफाजत के लिए अपने खून का आखिरी कतरा बहाकर भी हिफाजत करें।

जनाबे सदरे मोहतरिम, बावजूद इसके कि इतनी मेहनत और मुशक्कत से हमारी अफवाज हमारे मादरे बतन की हिफाजत करने के लिए हर वक्त तैयार रही है, लेकिन उनकी तनख्वाहों को आप देखें।उनकी तनख्वाहें इतनी कम हैं कि उनको कुछ भी पैसा नहीं मिलता है। आप सिविल की तनख्वाहों में और उनकी तनख्वाहों में अगर मुकाबला करेंगे तो उनके बीच में जमीनो-आसमान का फर्क मिलेगा।

अंग्रेजों के जमाने से हमारी आर्म्ड फोसेर्स ग्रुप डी के अन्दर हैं और वह जमाना जब था जब कि आर्म्ड फोसेर्स के अन्दर घोड़ों का जमाना था, जब कि हमारी इन्फेंट्री, पैदल चलने वाली फौजों के पास मामूली किस्म के हथियार होते थे, लेकिन आज वह जमाना नहीं है। आज हमारी आर्म्ड फोसेर्स ऐसे-ऐसे काबिल टैंकों का इस्तेमाल करती हैं जिसमें टैंक टरमिनौलोजी है, इतने आधुनिक हथियार लगे हुए होते हैं, उनको वे मैंनटेन करते हैं और उनको वे इस्तेमाल करते हैं। उनके बावजूद उनको ग्रुप-डी की तनख्वाह मिलती है, जो कि इतने जमाने से चली आ रही है। मैं सिफारिश करूंगा कि हमारी आर्म्ड कोर, इन्फेंटरी, एयर-फोर्स, नैवी के जवानों और अफसरान की तनख्वाहें जरूर बढ़ाई जानी चाहियें।

मैं मिसाल देना चाहता हूं कि हमारे अफसरान साहेबान जो लैफिटिनेन्ट कर्नल के रैंक के हैं, उनको 2,000 से 2,5000 रुपए के करीब मिलते हैं जब कि यहां पर बैठने वाले लोगों को 2,500 से 3,000 रुपए तक की तनख्वाह मिलती है। यहां बैठने वाले लोग 8 घण्टे की ड्यूटी देते हैं जबकि मिलेट्री का आदमी 24 घण्टे मुल्क की हिफाजत के लिए मुकर्रर रहता है। यहां पर 8 घण्टे में भी उनको एक घंटे का लंच का रेस्ट होता है और अनेक बार चाय का रैस्ट वह करते हैं, लेकिन फौज के लिए रैस्ट नहीं है, फिर भी वह उसको महसूस नहीं करते। उनके दिल में अपने मादरे-वतन से मोहब्बत है और वह उसकी हिफाजत करते हैं। उसकी अपनी कोई फैमिली लाइफ नहीं है, लाइफ है तो मुल्क की खिदमत की है। इसके बावजूद उनकी तनख्वाह और फैसिलिटीज पर कोई ध्यान नहीं है। मैं सरकार से सिफारिश करूंगा कि इस बारे में पूरा-पूरा ध्यान दिया जाए।

जब मैदाने-जंग में हमारे अफवाज जाते हैं और उनके सामने एंटी-टैंक माइन्स और एंटी-पर्सनल माइन्स होते हैं, और उसको मालूम है कि उसके बीच से जाएंगे तो कितनी बड़ी कुर्बानी देनी होगी। दुश्मन के टैंक हमारे सामने हैं और हमें हुक्म मिलता है टैंक एटवांस का और हमें मालूम है कि उसका गोला हमारे ऊपर आयेगा, लेकिन उसकी ना-परवाह करते हुए, कैजुएलिटीज की ना-परवाह करते हुए वह अपने फर्ज में कभी कोताही नहीं बरतते। आपने देखा होगा कि सन् 1965 में हमने किस तरह से पाकिस्तान के टैंकों का कबरिस्तान बनाया था। उसमें मैं भी एक सिपाही था, जिसने अपने मादरे-वतन की हिफाजत करते वक्त दुश्मन के टैंक को इस तरह उड़ाया जैसे फुटबाल की गेंद को उड़ाते हैं और उसी विनाह पर मुझे भी हमारी सरकार ने वीरचक्र से सम्मानित किया था। हमारे मुल्क से अफवाज व बहादुरों की यह निशानियां हैं।

हमारे मुल्क के अफवाज ने फर्स्ट वर्ल्ड वार के अन्दर 12 विक्टोरिया क्रास हासिल किए थे और सैकिंड वर्ल्ड वार मे भी अनेक विक्टोरिया क्रास हासिल किए। हमारे अफवाज ने 1965 और 1971 में अनेक परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीरचक्र हासिल किए हैं। लेकिन अफसोस है कि जब ये चक्र पाने वाले पैंशन पर जाते हैं तो उन्हें बनियों की नौकरी के लिए चौकीदार के लिए खड़ा होना पड़ता है। यह कितने बड़े बाइसे—शर्म की बात है? मैं सरकार से सिफारिश करूंगा कि ऐसे एवार्डीज के लिए कम से कम इस अवार्ड के नाते सैपरेट पैंशन होनी चाहिए और उसकी मिकदार कम-से-कम 1,000 रुपए से नीचे नहीं होनी चाहिए।

एक सिफारिश मैं यह करूंगा कि हमारी आर्म्ड कोर के लिए जो टैंक इस्तेमाल होते हैं उनके लिए लेटेस्ट डिजाइन के आरमार्मैंट्स उनमें हों, वायरलैस इक्विपमेंटस और लैसर सिस्टम उनके अन्दर इस्तेमाल हों ताकि टैंक जब दुश्मन के सामने आए तो खुद-ब-खुद टैंक की गन उसके अन्दर ले हो जाये और आटोमेटिक फायर हो ताकि फर्स्ट राउंड हम हासिल कर सकें। यही हमारी एक काब्लियत है। अगर हमने दुश्मन को बर्बाद करने के लिए पहला राउन्ड फायर किया और वह मिस हो जाता है तो दुश्मन का फायर हमारे ऊपर आएगा।

इस चीज की हम ट्रेनिंग देते हैं और उसके लिए हमको ट्रेनिंग-एड की जरूरत है और वह ट्रेनिंग सेमुलेटर एड सेमुलेटर है। आज हमारी आर्म्ड कोर, अहमदनगर ट्रेनिंग सेन्टर में एक सेमुलेटर है, उससे हमारी कितनी बड़ी ट्रेनिंग होती है, कितने हमारे टैंकों की लाइफ बचती है? मैं सिफारिश करूंगा कि ऐसे सेमुलेटर हमारी आर्म्ड कोर में कम से कम 10 डी० एन० एम० के लिए होने चाहिए और 10 गनरी के लिए होने चाहिए। अगर हम यह लाएंगे तो इससे हमारे टैंकों की कितनी लाइफ होगी और कितना एम्यूनिशन हम बचा पाएंगे और कितने लोगों को ट्रेनिंग दे सकेंगे? हर ट्रेनिंग में उनको इस्तेमाल में लाया जा सकता है।

मैं डिफेंस मिनिस्टर साहब से सिफारिश करूंगा कि वह इस पर जरूर ध्यान दें।

हमारे मुल्क में जो टैंकों का क्रूज है जो दूसरी आर्मीज हैं, इन्फेंटरी हैं, उनकी जो यूनिफार्मज हैं, अगर हमारे टैंक पर हिट होता है तो उसमें आग लगने का ज्यादा चांस है।

उसके लिए एंटी फायर प्रूफ डांगरी का बन्दोबस्त होना चाहिए ताकि अगर टैंक में आग लगे तो उन डांगरी की वजह से टैंक क्रूज की जान बचनी चाहिए और जो डांगरी जो एक मामूली चीज़ है, उसको हमें प्रोडयूस करना चाहिए। ऐसी डांगरियां का टैंक क्रूज के लिए बन्दोबस्त होना चाहिए। आज वह जमाना नहीं जब फौज पैदल चला करती थी, इसका इस तरह से आधुनिकीकरण करना चाहिए। ऐसे हथियार देने चाहिए कि वह आर्मड के साथ-साथ चल सके और आर्मड के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर वहीं इस्तेमाल किए जा सकें। इस प्रकार उनको वही सुविधाएं प्रदान करनी चाहिएं जो कि आर्मड फोर्सिज को मिलती हैं। उनको कम्पो-राशन मिलना चाहिए क्योंकि 3-3, 4-4 और 7-7 दिन तक बगैर खाना और पानी के हम लोगों को चलना पड़ता है। एक्सरसाइज और आपरेशन में वह हिस्सा लेते हैं, उनके लिए राशन का बन्दोबस्त होना चाहिए। कम्पो-राशन पहले मिलता था, लेकिन वह अब बन्द हो गया है। उस कम्पो राशन में दवाइयों और ऐसे खाने का बन्दोबस्त हो कि हम 72 घंटे तक उसमें रह सकें। जब एटोमिक एनर्जी से एटम-बम का इस्तेमाल होगा, जब युद्ध होगा, उसके अन्दर भी हमारा टैंक वाहिद एक ऐसा दस्ता है जो कि मैदाने में जंग अपने मुल्क के सरहदों की हिफाजत करता है।

जो हमारे मुल्क का अर्जुन टैंक बनने जा रहा है, उसमें यह एटोमिक एनर्जी का बन्दोबस्त होगा।

हमारे मुल्क में 50 से 60 हजार के करीब आदमी पेंशन पाते हैं और यह इतनी बड़ी तादाद सड़क के ऊपर मारी-मारी फिरती हैं। मैं सिफारिश करूंगा कि जब वह इतनी ईमानदारी और वफादारी से अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं, तो उनके लिए यह 40-44 साल के उम्र की बजाय 58 साल की उम्र होनी चाहिए और जब पेंशन आती है तो वही तनख्वाह 58 साल की उम्र तक उनकी चलनी चाहिए। पेंशन आने से पहले उनकी सिविल सर्विस उनकी आर्मड सेन्टर, स्कूल रिकार्ड और ट्रेनिंग सेंटर से एलाट होनी चाहिए जैसे पुलिस की सर्विस है, बी० एस० एफ० और सी० आर० पी० की है। जहां पर गवर्नमेंट को सिक्योरिटी की जरूरत है, वहां इन फोर्सिज का इस्तेमाल होना चाहिए।

इसके साथ-साथ आफिसर्स की तनख्वाहें बहुत कम हैं। उनको जो तनख्वाह आज मिलती है, उनसे उनको डबल तनख्वाह मिलनी चाहिए। एक जमाना था जब अंग्रेज आफिसर बनता था और हम हिन्दुस्तानी जवान लोग थे। अब जब हमारी सरकार ने राशन सबके लिए फ्री किया है तो हम सबका राशन एक जैसा होना चाहिए।

आज हमारे यहां ऊंच-नीच में कोई फर्क नहीं है। आफिसर को भी उतनी सर्दी लगती है और जवान को भी उतनी ही सर्दी लगती है, इसलिए इनको हिल स्टेशन एलाऊंस एक जैसा मिलना चाहिए। यह राशन और हिल स्टेशन एलाऊंस जब एक जैसा होगा तो हमारे नौजवानों के अन्दर यूनिटी आयेगी।

जितने हमारे एक्स सर्विसमैन पेंशन पर आते हैं, उनका हिसाब, उनकी ग्रेच्युटी, उनकी पेंशन यह सब पेंशन आने से पहले मिलनी चाहिए। इसके लिए उन्हें 6-6 महीने तक इन्तजार करना पड़ता है। इसके लिए मेरी सिफारिश है कि आप इस बात की तरफ ध्यान दें और इनको पेंशन रेगुलर मिले इसका भी ध्यान रखें। यही एक ऐसा तबका है जो हमारे मादरे वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान पर खेलकर इसकी हिफाजत करता है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के गार्ड में आज हम जवान होते तो वह गोली हमारे सीने पर होती, न कि हमारी इन्दिरा जी को छूती। यह हमारे अन्दर जज्बा है, हम फौजी अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत करते हैं लेकिन यहां देखते हैं तो उसका उल्टा मिलता है। फौजी के मन में मादरे वतन के लिए इतना जज्बा है, वह समझता है खुदा उसे माफ नहीं करेगा अगर एक लमहे के लिए भी उसने कोई लापरवाही की। वह समझता है खुदा की कुदरत हमेशा देखती है इसलिए तुम अपने फर्ज से कोताही न करो। वह समझता है कि इमान का तकाजा है कि अपने मादरे वतन की हिफाजत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दो तभी दुनिया में भला होगा और आखिरत में मुक्ति मिलेगी।

'खुदी को कर बुलन्द इतना कि हर तकदीर से पहले
खुदा बन्दे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है।'

[अनुवाद]

श्री राजेश पाइलट (दौसा): सभापति महोदय, मैंने अपने सहयोगी द्वारा दिए गए अति संवेदनशील भाषण सुना है।

सर्वप्रथम मैं कर्नल सुखराम द्वारा कल व्यक्त किए गए विचारों से सहमत हूँ कि हमें उन कार्मिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान राष्ट्रीय एकता तथा सुरक्षा के लिए प्राण न्योछावर किए।

महोदय, हम बड़े विकट समय में रक्षा बजट पर चर्चा कर रहे हैं। देश की सुरक्षा को हर तरफ से खतरा है। मेरा यह कहना नहीं है कि इस समय तत्काल खतरा है लेकिन खतरा है जरूर।

पिछले कुछ सालों के दौरान देश ने गुट-निरपेक्ष सम्मेलन का नेतृत्व करके तथा राष्ट्रमण्डल (कामनवेल्थ) देशों के अध्यक्षों का सम्मेलन दिल्ली में आयोजित करके विश्व में ख्याति अर्जित की है। कुछ महाशक्तियों को इससे चिढ़ हुई है। इसका कारण यह है कि हमारा देश एक शक्ति के रूप में उभरकर सामने आया है।

बंगला देश, पाकिस्तान तथा श्रीलंका कुछ सरकारी अधिकारियों के भाषणों से यह बात स्पष्ट होती है। बाहरी तौर पर उन्होंने कुछ और कहा है लेकिन इन देशों में आन्तरिक तौर पर जो कुछ हो रहा है वह आज हमारी सरकार के लिए चिन्ता का विषय है।

मुझे खुशी है कि सरकार ने रक्षा बजट में वृद्धि की है। पड़ोसी देशों को दूसरे देशों से हथियार प्राप्त होने के मुद्दे पर हमें ध्यान देना होगा। यही तकनीक अन्य देशों खासकर मध्यपूर्वी देशों तथा एशिया के दक्षिण पूर्वी देशों में अपनाई जा रही है। इन सभी देशों में हथियार पहुंचाये जा रहे हैं। ये हथियार हमारे पड़ोसी देशों को दिए जा रहे हथियारों जैसे हथियार ही हैं जिनका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर हमारे खिलाफ किया जा सकता है। ये मिसाइल एफ-16 आदि जैसे हथियार हैं। इन्हें ताइवान आदि देशों को इस नियत से दिया जा रहा है कि किसी भी समय उन्हें पड़ोसी देशों में पहुंचाया जा सके जहां वे बिना किसी प्रशिक्षण के इस्तेमाल कर सकें। यह सच है कि अमरीका पाकिस्तान को परमाणु हथियारों की सप्लाई कर रहा है। बहुत बार यह बात सार्वजनिक तौर पर सामने आ चुकी है। किसी और देश के प्रतिनिधि के पाकिस्तान की यात्रा के दौरान हुई चर्चाओं में भी इसका उल्लेख किया गया था। सिमिंगटन लॉ के अनुसार जिस देश के पास परमाणु क्षमता है उसे कोई सैन्य तथा आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी। अमरीका में एक सीनेटर ने सीनेट में एक प्रस्ताव रखा था जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जिस देश के पास परमाणु क्षमता है उसे अमरीका से सैन्य तथा आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी। मुझे याद है यह कानून राष्ट्रपति कार्टर ने अपने कार्यकाल के दौरान बनाया था। लेकिन श्री रीगन ने अमरीका का राष्ट्रपति बनने के बाद इस कानून में, खासकर पाकिस्तान के मामले में, ढील दे दी थी।

यह सच है कि चीन भी परमाणु हथियारों के लिए पाकिस्तान को डिजायन तकनीकी सहायता दे रहा है। यह खबर अमरीकी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। विषय को भी सीनेट में चर्चा के लिए स्वीकृत किया गया है। इन परिस्थितियों तथा सर्वत्र ऐसी स्थिति को देखते हुए हमने 8,200 करोड़ रु० के बजट की व्यवस्था की है।

5.00 म० प० **(श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए)**

मैं आबंटन के बारे में विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन हमारे शस्त्रों को आधुनिक बनाने के लिए कुल बजट का 15 प्रतिशत आबंटित किया गया है। सिर्फ 15 प्रतिशत के आबंटन से हम अपनी सेना को किस प्रकार आधुनिक बना सकते हैं, जबकि हम उन देशों का सामना करना चाहते हैं या जब हम उन देशों के विरुद्ध अपने आपको तैयार करना चाहते हैं ? यदि कोई यह पूछता है कि पाकिस्तान कितने एफ-16 विमान लेगा। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी इसका उत्तर नहीं दे सकते हैं क्योंकि उनके पास आवश्यकता से अधिक उपलब्ध हैं। अत: मैं महसूस करता हूं कि आधुनिकीकरण का प्रतिशत और बढ़ाना चाहिए। क्योंकि ये हमारी सेनाओं के लिए व्यय बहुत प्रतिशत है।

एक सिपाही के रूप में यदि आप मुझसे पूछते हैं कि क्या हम किसी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो मैं कहूंगा, जी हां, हम तैयार हैं। लेकिन एक संसद सदस्य के रूप में मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि हम चुनौती या अपने पड़ोसियों को आने वाले खतरे का सामना करने की स्थिति में अभी नहीं है। अपनी तैयारियों को देखते हुए या उनकी सामर्थ्य को देखते हुए हम अभी भी उनके मुकाबले में नहीं है।

महोदय, सेना को आधुनिक बनाया गया है मेरे साथी ने टैंकों के बारे में उल्लेख किया है। शस्त्रों को आधुनिक बनाया गया है। तोप सुरक्षा सहित या खाली टैंक प्रक्षेपास्त्रों से युक्त सशस्त्र हेलीकाप्टरों के बारे में अभी भी हम समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं जिसको मैं समझता हूं कि एक सोचने की बात है क्योंकि इसे अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है और अभी विचाराधीन ही है।

जहां तक वायु सीमा सम्बन्धी रक्षा तैयारियों का सम्बन्ध है, हम कम ऊंचाई उड़ने की तकनीक या कम ऊंचाई की उड़ान का पता लगाने के बारे में अभी भी बहुत पीछे हैं। मैं हर समय इस बात पर

आग्रह करता रहा हूं। जो प्रणाली हमारे पास उपलब्ध है वह हमारे पड़ोसी देशों के मुकाबले में बहुत घटिया है। हर समय हम इस पर विचार करते हैं, हम सुनते हैं कि इस बारे में प्रस्ताव है लेकिन उन विषय पर विशेष रूप से कम ऊंचाई पर तुरन्त क्रियाशील प्रक्षेपपास्त्रों और कम ऊंचाई पर पता लगाने वाली राडार प्रणाली पर कुछ नहीं किया जा रहा है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें है जिन पर सरकार को प्राथमिकता तथा उनकी स्वीकृति देनी चाहिए।

वायु परिवहन विमानों के बारे में हमने पिछले बजट में भी बात की थी कि हम पुराने विमानों को बदल रहे हैं। उनमें से कुछ को ए० एन०-32 द्वारा बदला गया है लेकिन कुछ विमान विशेषकर पैकाइ्‌स अभी भी उड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि रक्षा मंत्री काफी ऊंचाई में आकाश में पैकाइ्‌स विमान में उड़ान ले और मैं समझता हूं कि फिर वह उनको तुरन्त बदलने की बात को महसूस करेंगे। यह बहुत पुराना विमान है और स्पष्ट बोलते हुए यदि हमें आज कहीं जाने के लिए कहा जाता है, यदि हम अपनी सेना की एक डिवीजन को पूर्व से पश्चिम में भेजते हैं तो अपनी विद्यमान साधन सक्षमता को देखते हुए मुझे सन्देह है कि क्या अपेक्षित समय के भीतर सेना के एक डिवीजन को हम भेज सकते हैं। अतः वायु परिवहन विमानों के बारे में ध्यान देना होगा। हमें इन विमानों के स्थान पर अच्छे विमान लाने होंगे।

महोदय, 1971 की लड़ाई के बाद ही केवल नौसेना पर ध्यान दिया गया है। उससे पहले नौसेना केवल एक सेना थी लेकिन लड़ाई के बाद हमने अपनी नौसेना को आधुनिकीकरण बनाने की बात सोची और मुझे खुशी है कि इस समय नौसेना उपकरणों तथा इस प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए उचित धनराशि की व्यवस्था की गई है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (बुलन्दशहर) : आबंटन में कमी की गई है।

श्री राजेश पाइलट (दौसा) : जी नहीं, आबंटन में वृद्धि की गई है। मेरे आंकड़ों के अनुसार यह 934 करोड़ रुपये है।

रक्षा और योजना मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : जी हां, यह सही है।

श्री राजेश पाइलट : यह अच्छा है कि नौसेना पर ध्यान दिया जा रहा है। हमें अभी भी नौसेना के आधुनिकीकरण की ओर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। रक्षा मन्त्री जी को मेरा यह सुझाव है कि प्रणाली के लिए मंजूरी लेने में अनेक समस्याएं आती हैं। आज हम विमान खरीदने की बात सोचते हैं जो हमारी प्रणाली के लिए बहुत उपयुक्त है, जो हमारी आवश्यकताओं के लिए बहुत उपयुक्त है। लेकिन जब तक इसमें अन्तिम रूप से फैसला लिया जाता है तब तक यह पुरानी हो जाती है। हमें प्रणाली को सटल बनाना पड़ेगा जिससे कि अपेक्षित सामान सही समय पर खरीदा जा सके। आज हम सोचते हैं कि विमान बहुत अच्छा है और हमारी आवश्यकताओं के अनुकूल है लेकिन जब तक इस पर सभी माध्यमों से स्वीकृति मिलती है तब तक यह, मैं पुरानी नहीं कहूंगा लेकिन देर से आया हो जाता है। अतः मैं रक्षा मन्त्रीजी से अनुरोध करता हूं कि वह कुछ सूत्र बनाएं जिससे वे परियोजनाएं जिनका कि सेनाओं ने सरकार को प्रस्ताव किया है, ठीक समय पर और सही प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त की जाएं। इन दोनों परियोजनाओं अर्थात् कम ऊंचाई के प्रक्षेपास्त्र और राडार प्रणाली के बारे में पिछली बार जब हमने बजट पर चर्चा की थी तो तत्कालीन रक्षा मन्त्री जी ने वायदा किया था। उन्होंने उस समय कहा था कि "हम उन पर विचार कर रहे हैं और जल्दी ही उन पर ध्यान दिया जाएगा।" लेकिन इसे नहीं किया गया है।

इस प्रणाली को जिसका मैंने अपने पिछले भाषण में भी उल्लेख किया था मेरे बताने का मुख्य कारण यह है कि विभिन्न देशों से शस्त्र खरीदे जा रहे हैं। मैंने पिछली बार सुझाव दिया था कि सरकार

को उन लोगों के साथ सीधे बातचीत करनी चाहिए। आज जो कुछ हो रहा है वह यह कि हम शस्त्र एजेन्टों या शस्त्र एजेंसियों के माध्यम से हम शस्त्र खरीदते हैं। और यह बहुत स्पष्ट है कि यदि आप कुछ शस्त्र खरीदेंगे तो उन लोगों को एक निश्चित प्रतिशत तक धनराशि देनी होती है। अतः जब आप शस्त्रों का चयन करते हैं तो विशेष शस्त्रों की लोग बात करते हैं और कुछ लोग नहीं भी करते हैं। इससे हमारी प्रक्रिया में बहुत विलम्ब होता है। और चूंकि इसमें वित्तीय प्रक्रिया अन्तर्ग्रस्त होती है इसलिए कभी-कभी जान में या अनजान में निर्णय में विलम्ब होता है। मैंने सुझाव दिया था कि अच्छा यह होगा। कि सरकार सम्बन्धित देशों से सीधे शस्त्र खरीदे कमीशन चाहे कुछ भी हो आप अभी भी उस कमीशन को रद्द नहीं करते हैं। आप उस कमीशन को रखते हैं। आप उस कमीशन को एक भिन्न कोष में रखें। आप इसे रक्षा सेवा कोष या रक्षा कल्याण कोष या युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की विधवाओं का कोष कहें और आप उस पैसे को उस कोष में रखें। इस प्रकार आप सेनाओं की उसके कल्याण के मामले में सेवा कर सकते हैं और गलत एजेंसियों द्वारा बिना हस्तक्षेप केसही शस्त्र खरीदकर राष्ट्र की भी मदद कर सकते हैं।

पिछले समय उन्होंने सहमति दी थी कि वह इस प्रस्ताव पर अवश्य विचार करेंगे। अतः मैं माननीय मन्त्री से इस प्रस्ताव को एक बार फिर से सरकार के साथ विचार करने का अनुरोध करता हूं और यदि यह सम्भव हो तो हमें इस पर आगे कार्यवाही करनी चाहिए।

संचार के मामले में हमने रिपोर्ट पढ़ी है। हमने बहुत प्रगति की है। निगरानी, सूचना देने और गुप्त संदेशों के लिए उपग्रहों और कंप्यूटरों का वे प्रयोग करते हैं। इसको आगे बढ़ाना है। सेनाओं में हमारी संचार व्यवस्था अभी भी विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों जहां चैनल उपलब्ध नहीं है; थोड़ी पीछे है या उच्च किस्म के नहीं हैं।

यह सेना को आधुनिकीकरण बनाने की तकनीक से सम्बन्धित है। अब मैं सेवारत सैनिक कर्मचारियों और भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के बारे में कुछ सुझाव देता हूं। मैंने इस बारे में पहले भी उल्लेख किया है और अब मैं इसे दुबारा बता रहा हूं; 20 वर्ष पहले यदि आप रविवार को सुबह जाते हैं और समाचार पत्रों में वैवाहिक विज्ञापन पर नजर डालते हैं तो मुझे याद है कि हम अविवाहित थे और हम 1967-68 में उन विज्ञापनों को पढ़ा करते थे जिसमें विशेष रूप से लड़की के माता-पिता ने लड़की के ब्यौरे देते थे। अन्त में वे लिखा करते थे कि "सेना अफसरों को प्राथमिकता दी जाएगी" या "सेना कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।" आज यदि आप वैवाहिक विज्ञापन पढ़ें तो देखेंगे कि वे कहते हैं कि "सेना अफसरों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।"

श्री पी० वी० नरसिंह राव : क्या ऐसा है?

श्री राजेश पाइलट : मैं सही बता रहा हूं। मैं सदन से कुछ नहीं छुपा रहा हूं। मुझे स्पष्ट रूप से बात बतानी चाहिए। मैं समाचार पत्रों की कतरन दे सकता हूं जिनमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि "सेना अफसरों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है" मैं उन पर दोष नहीं लगाता हूं। स्थिति थोड़ी बिगड़ गई है। इस बारे में कोई सन्देह नहीं है। मैं किसी लड़की के पिता, परिवार या माता-पिता को दोष नहीं देता हूं। हालात इस तरह के बन गए है। मैं पूरी तरह से सरकार को दोष नहीं देता हूं और न कहता हूं कि इसने कुछ नहीं किया है। सरकार ने बहुत अधिक किया है। लेकिन परिस्थितियों के कारण ...(व्यवधान) अतः मैं कहता हूं कि हमें उनके लिए कुछ करना है ताकि बिगड़ती हुई स्थिति को आगे बिगड़ने से रोका जाए। यदि आप पिछले 2 या 3 अवसरों की प्रविष्टियों को देखें और यह अध्ययन करें कि सेना कमीशन में पिछले समय कितने लोगों ने आवेदन किया है। तो आप देखेंगे कि उनकी संख्या में कमी आई है।

मुझे वह समय याद है जब स्वर्गीय पंडित नेहरू ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में परेड में सलामी ली थी। इस समय उन्होंने कहा था "आज राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ अफसर यहां से निकल रहे हैं" क्या वे 15 या 16 या 20 वर्ष की सेवा के बाद वास्तव में बेरोजगार हो गए हैं ? इस पहलू पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है तथा सावधानी नहीं बरती गई है। अतः हमने कुछ उपायों का सुझाव दिया था और सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के बारे में एक उच्च-स्तरीय समिति को नियुक्त किया था। हम एक राज्य को दूसरे राज्य, एक जिले से दूसरे जिले में लोगों की समस्याओं के सुनने के लिए गए तथा सरकार से उसकी सिफारिश की। अतः मैं प्रत्येक समस्या के बारे में विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि सब कुछ उसे छोटी रिपोर्ट में संकलित किया गया है। अतः मैं रक्षा मन्त्री जी से रिपोर्ट को स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाना चाहिए ताकि संसद उसे स्वीकृति दे सके और हम उसको लागू कर सकें, क्योंकि लगभग 30 वर्षों से बकाया काम पड़ा है जिसको करने में हमें कम से कम 2 या 3 वर्ष लगेगें। या यदि सरकार इससे अधिक समय लेने जा रही है तो कार्यान्वयन का काम विभिन्न चरणों में शुरू किया जा सकता है। कुछ कार्य इस वर्ष शुरू किया जा सकता है। कुछ कार्य सरकार के वित्तीय संसाधनों के अनुसार शुरू किया जा सकता है।

अब इससे आगे, आप रक्षा सेनाओं को कुछ थोड़ा देते हैं, मैं आपको अधिक देने के लिए विवश नहीं करूंगा---सरकार के पास जो संसाधन हैं और जिससे वह भूतपूर्व सैनिकों को जो सुविधाएं तथा रियायतें देने के लिए समर्थ है उनकी जिला स्तर पर जांच की जानी चाहिए, क्योंकि आप उन्हें कागजों में दिखाते हैं ; आप प्रत्येक चीज को साऊथ ब्लाक में मंजूरी देते हैं लेकिन यह खण्ड मुख्यालय या तहसील मुख्यालय में नहीं पहुंच पाती हैं। उस रियायत को देने से कोई फायदा नहीं है। जब तक अच्छी निगरानी रखने की प्रणाली नहीं होगी तब तक उन्हें इसका लाभ नहीं होगा।

आपने निदेश दिए हैं। केन्द्रीय सरकार नीतिपत्र देती है। जब वे राज्य सरकारों के पास हैं तो वे किसी की नहीं होती हैं। और वे इसके लागू करने के बारे में परवाह नहीं करते हैं। आपको इसके लिए जहां कम से कम कार्मिक : सेना कार्मिक हैं हल ढूंढना है केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों का पालन करना राज्य सरकारों पर बंधनकारी हैं। कुछ तरीका निकालना होगा। अन्यथा, अभी हमारे पास एक रिपोर्ट है। अगले 15 वर्षों के बाद यदि प्रक्रिया में वास्तव में सावधानी नहीं बरती गई तो फिर इसी तरह की समस्याएं आयेंगी।

इस समय हमारे पास जिला नाविक-सैनिक बोर्ड या एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी है। अब, वह सेवानिवृत्त हो गया है वह दिलचस्पी नहीं रखता है। वह वहां सुबह 10 बजे जाता है। वह वेतन के रूप में थोड़ा धन लेता है। यदि आप सेवानिवृत्त या सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिकों की भलाई के इस बोर्ड का कार्यभार एक सेवारत सेना अधिकारी को सौंपते हैं तो वह इस पर कुछ नियंत्रण करेगा। अब, वहां एक सेवानिवृत्त अधिकारी बैठा हुआ है। वह दो पहर 12 बजे आता है। यदि वहां कोई आता है तो वह मिलता नहीं है। लेकिन यदि जिला मुख्यालय में इस प्रणाली का प्रभारी आप किसी सेवारत अधिकारी को बनाते हैं तो आधी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तब वह सेवानिवृत्त व्यक्ति की अपेक्षा प्राधिकारी के साथ बेहतर ढंग से सम्बन्ध स्थापित कर सकेगा।

सेवानिवृत्त लोगों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के बारे में मैं समझता हूं कि इन सुविधाओं को प्राप्त करना अपना अधिकार है। हम जिला अस्पताल के बारे में कुछ कर सकते है क्योंकि सैनिक अस्पताल आप हर जगह नहीं खोल सकते हैं ; प्रत्येक जिले में आपके पास सैनिक अस्पताल नहीं हो सकते हैं। यदि राज्य सरकारों और रक्षा मन्त्रालय के परामर्श से भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुछेक शाखाओं की व्यवस्था की जा सकती है तो इन लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ा वरदान होगा, क्योंकि

उन्हें सैनिक अस्पतालों में अपनी जांच कराने के लिए 200 से 300 मील दूर से आना पड़ता है।

आप अड्डा-राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए गुप्त सुरक्षा बल के बारे में योजना बना रहे हैं। यदि आप पूरी तरह से भूतपूर्व सैनिकों को इसके लिए भर्ती करें तो इनके लिए यह भी एक वरदान हो सकता है।

मैंने युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की विधवाओं तथा विकलांगों के बारे में अनुरोध किया था। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि आज सरकार यह नहीं बता सकती है कि देश में युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की विधवाएं कितनी हैं जिनके लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हमने यह प्रश्न मन्त्रालय से पूछा है। राज्य सरकार ऐसा कोई रिकार्ड नहीं रख रही है जिसमें यह बताया गया हो कि युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की कितनी विधवाओं को मदद दी गई है या कितनों की मदद नहीं की गई है। कम से कम युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की ऐसी विधवाओं का, जो वास्तव में इस देश के प्रत्येक नागरिक से, प्रत्येक सरकार से चाहे वह किसी भी दल की हो सहानुभूति की पात्र है, भी अभी तक पुनवृत्ति नहीं किया गया है ; उनके मामले निर्णय के लिए पड़े हुए है। सरकार को उन्हें देखना चाहिए।

संवर्ग पुनरीक्षा की गई है। मैं निजी तौर से महसूस करता हूं कि कमान जिम्मेदारियों के बांट दिए जाने से यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है। मैं जो महसूस करता हूं वह यह है कि मन्त्रालय को कुछ निगरानी करनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति पदोन्नत्ति के उपयुक्त हो, मैंने कार्मिकों के कल्याण के लिए काम किया है, और जब पद रिक्त नहीं तो मैं महसूस करता हूं कि उसे उच्च वेतन मान दिया जाना चाहिए। तभी वह संतुष्ट होता है कि वह पदोन्नत्ति के लिए उपयुक्त है लेकिन यदि कोई पद रिक्त नहीं हो उसे उच्च वेतन मान दिया जाये और वित्तीय रूप से उसे हानि न हो।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री राजेश पाइलट : आखिर में केवल दो मुद्दे हैं जिनमें से एक भर्ती में भ्रष्टाचार है। भर्ती के मामले में बहुत भ्रष्टाचार है। वायुसेना में उन्होंने एक पद्धति का परीक्षण किया है और भ्रष्टाचार को खतम किया है। सेना में भी भर्ती के क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। वायुसेना में भर्ती के मामले में जिस तरीके से भ्रष्टाचार दूर किया गया है एक सरल पद्धत्ति है जिसकी एक सरल प्रक्रिया है उसे अन्य सैनिक सेवाओं में भी अपनाया जाना चाहिए। मैं अनुरोध करता हूं कि अन्य रक्षा सेवाएं भी पद्धति का पालन कर सकती है। इस बात से अस्वीकार नहीं किया गया है कि वायु सेना में किया गया परीक्षण सफल रहा है पिछले समय मैंने सम्बन्धित व्यक्तियों को पकड़ा और मामला दर्ज किया गया था। अतः यदि वायु सेना द्वारा परीक्षण की गयी उस प्रक्रिया को सेना और नौ सेना भी अपनानी है तो भर्ती में भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है।

आरक्षण के बारे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए हमारे पास आरक्षण की जो व्यवस्था है, आरक्षित पदों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति द्वारा नहीं भरा जाता है और उसे आगे ले जाया जाता है, इसी तरह से भी रियायतें भूतपूर्व सैनिकों के लिए सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में दिए जाते हैं वे उनको खपाने के लिए उनके वास्ते रखे जाने चाहिए। इस तरह के रिक्त पदों को आगे के लिए बनाए रखा जाने चाहिए और भूतपूर्व सैनिकों को इससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

अन्तिम मुद्दा आवास से सम्बन्धित है। सेना से सेवानिवृत्त जब कोई भूतपूर्व सैनिक जब सरकारी नौकरी में लगता है तो आवास के लिए उसकी सैनिक सेवा की गणना नहीं की जाती है। लोग हैं जिन्होंने थल सेना, वायु सेना या नौ सेना में 20 साल काम किया है लेकिन सिविल नौकरी प्राप्त करने

पर उनकी सेना की सेवा की गणना नहीं की गई है। ऐसा करना उनके प्रति अन्याय है क्योंकि वे सेना में दीर्घकालीन सेवा करने के बाद 48-49 वर्ष की उम्र में सेवा निवृत्त होते है। उस समय तक उनके बच्चे भी बड़े हो चुके होते हैं। अगर उन्हें अन्य मामलों में प्राथमिकता नहीं दी जा सकती तो कम से कम आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तो उनकी सेना की सेवा को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

दूसरा मुद्दा पैट्रोल पर राज आर्थिक सहायता देने के बारे में है। पिछली बार हमने सरकार से अनुरोध किया था—उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा था—कि जैसा सेना में सेवारत कार्मिकों को दिया जाता है उसी प्रकार भूतपूर्व सैनिकों को भी घटी दरों पर 50 लीटर पेट्रोल दिया जाए। इससे उन्हें बहुत सहायता मिलेगी। मुझे पता चला है कि सरकार उन्हें निःशुल्क राशन तथा आवास दे रही है। मैं केवल पेट्रोल पर राज सहायता की मांग कर रहा हूं। मैं अपने सहयोगियों की तरह उनके लिए अधिक वेतन की मांग नहीं कर रहा लेकिन मैं चाहता हूं कि वे उन्हें वस्तु रूप में ही दिए जाएं क्योंकि अगर उनके वेतन में 200 रुपए या इससे अधिक की वृद्धि की जाती है तो लगभग 150 रुपए तो उनसे आयकर के रूप में ले लिए जाएंगे। अतः मैं चाहता हूं कि उन्हें यह वस्तु रूप में ही दिया जाए। इससे उनका मनोबल भी बढ़ेगा।

सभापति महोदय : श्री प्रिय रंजन दास मुंशी।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (हावड़ा) : मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर्वप्रथम मैं उन जवानों तथा अफसरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने हाल में इस देश की अखंडता तथा इस महान भूमि की प्रभुसत्ता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं।

इसी तरह मैं भारतीय सोवियत मिशन सैल्यूत टी-दो, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा तथा विंग कमांडर रवीश मल्होत्रा ने भाग लिया, की सफलता की बधाई देता हूं। इस कार्य से हमें तथा विश्व युवा वैज्ञानिकों को एक नई राह मिली है। इस सफल मिशन से हमारी आगामी पीढ़ी और अधिक सीखेगी तथा अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी हम और आगे अनुसंधान कर सकेंगे।

शुरू में हमें गम्भीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1948 में कश्मीर मे, 1962 में चीन सीमा पर, 1965 तथा फिर 1971 में पश्चिम सीमा पर। सभी अवसरों पर तीन सेनाओं ने यह प्रमाणित कर दिया कि मातृभूमि, राष्ट्र तथा इस देश की जनता के प्रति उनकी निष्ठा अटल है।

देश को इस बात पर गर्व है कि यहां न केवल प्रजातन्त्र है बल्कि सदन में हमें आज यह स्वीकार करना चाहिए कि प्रजातांत्रिक कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन तथा इस देश के प्रजातांत्रिक प्रणालियों की रक्षा उस सेना के योगदान के कारण ही हो सकी है जिसने राजनीति की कभी परवाह नहीं की बल्कि राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखने की परवाह की। यह भावना भविष्य में और दृढ़ होगी। ज्यादातर विकाशील राष्ट्रों को भी इस परम्परा को बनाए रखना चाहिए। अतः एक बार फिर मैं सामूहिक कमान को अभिवादन करता हूं क्योंकि उन्होंने प्रजातांत्रिक प्रणाली को बनाए रखा तथा प्रजातन्त्र को बरकरार रख रहे हैं।

मैं बजट के कुछ पहलुओं का उल्लेख कर रहा हूं। मुझे कहते हुए खेद है कि पिछले कुछ वर्षों से नौ सेना तथा वायु सेना के साथ थल सेना से भिन्न व्यवहार करने की परम्परा सी बन गई है। भूगोल के विद्यार्थी के रूप में अगर मैं मानचित्र देखूं तो भारत ही विश्व में एक ऐसा देश मिलेगा जिसकी अखंडता तथा प्रभुसत्ता को चारों तरफ से खतरा है। पश्चिम में देखिए। 1948 से हम देख रहे हैं कि भारत की प्रभुसत्ता को खतरा पहुंचाने के लिए अमरीकी शास्त्र तथा आर्टिलरी द्वारा पाकिस्तानी सेना को शक्तिशाली बनाया जा रहा है। उत्तर में चीन की सीमा है। दक्षिण में विशाल हिन्द महासागर है।

और आप यह बेहतर जानते ही हैं कि अमरीकी साम्राज्यवादी ताकतें डियोगा गर्सिया में काम कर रही है। पूर्व में हमें लगता था कि हम शांति से हैं। हम चाहते हैं कि बंगला देश से हमारे सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण रहें तथा भारत और बंगला देश की जनता भविष्य में भी मिल जुलकर रहे। लेकिन वास्तविकता यह है कि अब अमरीका तथा चीन बंगाल की खाड़ी में अपनी छदम कारवाइयां जारी रखने के लिए चिटगांव बन्दरगाह को कार्य क्षेत्र बना रहे हैं।

पूर्वी सीमा पर भी हम शांत नहीं बैठ सकते। श्रीलंका में हाल ही में घटी-घटनाओं हिन्द महासागर विशेषकर, डियागो गर्सिया में अमरीका द्वारा दी जा रही धमकियों, चिटगांव बन्दरगाह में चीन-अमरीका द्वारा किए जा रहे षडयंत्र से यह विश्वास प्रबल होता जा रहा है कि विगत की अपेक्षा अब भारतीय नौ सेना को अधिक शक्तिशाली बनाने की जरूरत है। मौजूदा हालात को देखते हुए मैं नौसेना के लिए की गई बजट व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हूं। यह ठीक है कि आधुनिक युद्ध थल सेना द्वारा भूमि पर लड़ा जाएगा लेकिन सामरिक युद्ध वायु सेना तथा नौसेना द्वारा सभी संभव तरीकों से लड़ा जाएगा। भारत में नौसेना तथा वायु सेना इतनी शक्तिशाली नहीं है जितना कि उसे होना चाहिए। श्रीलंका में घटी घटनाओं को देखते हुए तथा श्रीलंका के प्रति अमरीका तथा ब्रिटेन के प्रस्ताव को देखते हुए मेरा मत है कि इस बजट में नौसेना के लिए और धनराशि की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमारे पास तटरक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं हैं। पिछले दो महीनों में कम से कम नौ बार श्रीलंका के नौसेना गश्ती दल ने मछुआरों को मार डाला और हम किसी भी मछुआरे की रक्षा नहीं कर सके। हमारे पास गन बोट तथा आधुनिक गश्ती जहाजों की कमी है। इन सबके बावजूद हम सब हिंद महासागर को शांति का क्षेत्र बनाने की बात करते हैं। साथ ही हम हाथ पर हाथ धरे भी नहीं बैठ सकते। बांडुग सम्मेलन में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी विश्व शांति का उपदेश दिया था। उन्होंने चीन के साथ भी शांति की बात कही थी। और आपको मालूम ही होगा कि उसका बदला हमें 1962 में कैसे मिला। मेरी यही कामना है कि अमरीका तथा ब्रिटेन द्वारा हिंद महासागर में किए जा रहे षडयंत्र के कारण इसकी पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए मैं दोबारा इस बात पर जोर दूंगा कि भविष्य में नौसेना बजट में वृद्धि की जाए। ऐसा नहीं किया गया तो देश की अधिसंख्य जनता तथा तटवर्ती राज्यों जिनके साथ हमारे मैत्री पूर्ण सम्बन्ध हैं, के मन में भय बैठ जाएगा और इससे समस्या और विकट हो जाएगी।

अनुसन्धान तथा विकास अनुभाग के लिए बहुत कम धनराशि की नियत की गई है। कुल बजट का 2 प्रतिशत से भी कम उक्त मद के लिए निर्धारित किया गया है। इतनी कम धनराशि से अनुसंधान कार्य नहीं किया जा सकता। फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, ब्रिटेन तथा अमरीका में जो अनुसन्धान किया जा रहा है उससे अन्य देशों के साथ उनके सामरिक सन्तुलन को देखते हुए, उनकी थलसेना, वायुसेना तथा नौसेना अधिक शक्तिशाली हो गई है जबकि भारत में अनुसन्धान के लिए बजट राशि के 2 प्रतिशत से भी कम धनराशि निर्धारित की गई है। वेतन का भुगतान करने तथा मुख्यालय में अन्य स्थापना व्यय को पूरा करने के अलावा मालूम नहीं वे लोग अनुसन्धान स्कन्ध में और क्या अतिरिक्त कार्य कर सकते हैं। अतः मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि भविष्य में रक्षा मन्त्रालय के अनुसन्धान तथा विकास स्कन्ध के लिए निर्धारित बजट की राशि में वृद्धि की जानी चाहिए।

अब मैं राष्ट्रीय कैडेट कोर के बारे में चर्चा करूंगा। स्कूल तथा कालेज के दिनों के दौरान मुझे सेना के लोग बहुत अच्छे लगते थे। मुझे याद है जब चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया था तो मैं कालेज में द्वितीय वर्ष का छात्र था। जवाहर लाल नेहरू ने पहलगांव से जनता का आह्वान किया था कि वे एक हो जाएं। तथा रक्षा मन्त्री ने विद्यार्थियों से कहा कि वे एक हो जाए तथा राष्ट्रीय कैडेट

कोर को मजबूत करें। प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया था। उन दिनों दो तरह के प्रशिक्षण दिए जाते थे। एक को वार्षिक प्रशिक्षण शिविर कहा जाता था जिसमें विद्यार्थियों को हथियार तथा गोलाबारूद तथा अन्य विधाओं के बारे में शिक्षण दिया जाता था तथा दूसरा शिविर समाज प्रशिक्षण शिविर कहलाता था जिसमें विद्यार्थी सड़कों तथा सहायक बांधों के निर्माण, अन्य नागरिक कार्यों तथा रक्षा कार्यों में भाग लेते थे। मालूम नहीं अचानक कैसे 'राष्ट्रीय समाज सेवा' प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिया गया और देश में राष्ट्रीय कैडेट कोर की सारी संकल्पना को समाप्त कर दिया गया। पिछले 10 वर्षों में जब से राष्ट्रीय कैडेट कोर का अनिवार्य तौर पर प्रशिक्षण देना बन्द किया गया है, कालेज तथा विश्वविद्यालय के छात्रों का चरित्र ह्रास हो रहा है। छात्र अशांत हैं। उन्हें महसूस नहीं होता कि राष्ट्र के निर्माण में उनका कोई योगदान होना चाहिए वे भी दिन थे जब एक कैडेट को कालेज का छात्र बनने पर गर्व महसूस होता था क्योंकि कालेज का छात्र होने के कारण ही उसे राष्ट्रीय कैडेट कोर में लिया जाता था। उसे यह कहते हुए गर्व होता था कि वह फलां फलां शिविर में भाग लेने के लिए जा रहा है। इसके अलावा उस समय थोड़े-थोड़े समय बाद परीक्षाएं होती थीं। स्कूल में 'ए' प्रमाणपत्र दिया जाता था। कालेज में 'बी' तथा 'सी' प्रमाणपत्र दिया जाता था। 'सी' प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद छात्र को यह गर्व महसूस होता था कि उसने अपने देश की रक्षा करने के लिए कुछ सीख लिया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने खुद ऐसा किया है। मैंने ये सभी प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं और महसूस करता हूं कि राष्ट्रीय कैडेट कोर किस प्रकार युवाओं में नेतृत्व राष्ट्र के प्रति निष्ठा तथा देश भक्ति की भावनाएं भर रहा था। मुझे खेद है कि अब उसमें इन बातों का अभाव है। हाल ही में हमने गणतन्त्र दिवस समारोह में देश के विभिन्न भागों से आई कुछ टुकड़ियों को देखा। अब प्रशिक्षण का उद्देश्य यहीं तक रह गया है। हमें महसूस होता है कि हम केवल पहरा देते हैं और कुछ नहीं करते। अतः मैं दोबारा अनुरोध करूंगा कि राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रशिक्षण को अनिवार्य किया जाए। विश्व के किसी भी देश को देखिए, यहां तक कि अमरीका में भी युवा पीढ़ी थलसेना, वायुसेना तथा नौसेना के किसी भी तरह के कार्य में भाग लेने में गौरव महसूस करती है। उन्हें महसूस होता है कि देश की रक्षा करने में उनका भी योगदान है। यहां अब वह भावना नहीं रही। अतः मैं रक्षा मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करे कि जब शिक्षा मन्त्री द्वारा शिक्षा के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति बनाई जाए तो एन० सी० सी० को स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य अंग बनाया जाए और जो छात्र एन० सी० सी० की परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पास करें उन्हें अन्य परीक्षाओं में अनुग्रह अंक दिए जाएं। इससे एन० सी० सी० प्रशिक्षण के प्रति आकर्षण बना रहेगा। एन० सी० सी० के शिविरों में छात्रों के विचारों का आदान प्रदान होता है। जब हम एन० सी० सी० के वार्षिक शिविरों में भाग लिया करते थे तो हमें देश के दूर दराज के क्षेत्रों के कैडेटों से मिलने का मौका मिलता था। हमे नागालैण्ड के कैडेट मिलते थे हमें गुजरात के कैडेट मिलते थे और हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिलता था और हम यह महसूस करते थे कि हम सब एक हैं। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि वर्तमान स्थिति में पंजाब में कैडेटों के एक राष्ट्रीय एकीकरण शिविर का आयोजन किया जाए। ऐसे शिविरों के आयोजन की एन० सी० सी० में इजाजत है। देश के अन्य भागों के कैडेट पंजाब में जाए वहां के कैडेटों से मिले जुले और यह महसूस करे कि वह सब एक हैं। एन० सी० सी० में यही सिखाया जाता है और आज इसी की कमी महसूस हो रही है। जब हम एन० सी० सी० में थे उस समय एन० सी० सी० के 'सी' सर्टिफिकेट का पाना बहुत गर्व की बात समझी जाती थी और छात्र अपने माता-पिता से कहा करते थे कि हम फौज में भर्ती हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास 'सी' सर्टिफिकेट है और हमें कोई दिक्कत नहीं होगी हम आसानी से इम्तहान पास कर लेंगे। कुछ दिन पहले इस सम्बन्ध में मैंने प्रश्न उठाया था और मुझे यह उत्तर प्राप्त हुआ कि लगभग 300 या 400 सी सर्टिफिकेट धारी कैडेटों में से केवल 10 या

12 कैडेटों का ही चयन किया गया । मैं आपसे अनुरोध करता हूं 'सी' सर्टिफिकेट धारकों को फौज में वरिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारियों के रूप में प्रत्यक्ष भर्ती के लिए उचित अवसर प्रदान किए जाने चाहिए फिर आपको समाचार पत्रों में भर्ती के लिए विज्ञापन नहीं देना पड़ेगा आप ठीक किस्म के लोग मिल जाएंगे जो अफसर प्रशिक्षण देते हैं वह बहुत अच्छे होते हैं और अपने काम में माहिर होते हैं ।

एक अन्य बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि स्कूलों तथा कालेजों में एन० सी० सी० प्रशिक्षकों के साथ कुछ सेवारत सैनिक कार्मिकों को भी सम्बद्ध किया जाए ताकि प्रशिक्षण को उचित और प्रभावी बनाया जा सके । मेरा यह दुखद अनुभव रहा है कि जिन दिनों हम एन० सी० सी० में थे वह प्रोफेसर और अध्यापक जो प्रशिक्षण देते थे आराम से अधिक प्रशिक्षण प्राप्ति हेतु कोचिंग कक्षाओं में भाग लेने के लिए मैदान से गायब हो जाते थे । अतः उन्हें जवानों, हवलदारों और सूबेदार मेजरों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है । इसलिए उस गतिविधि को समन्वित करने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में नियमित सेना कार्मिकों की नियुक्ति का मैं अनुरोध करता हूं ।

सहानुभूतिपूर्वक मैं जवानों के लिए कुछ और शब्द कहना चाहता हूं । यदि आप पूरे भारत में देखना चाहते हैं कि किस प्रकार एक फूल को खिलने के बाद नष्ट किया जाता है और जलाया जाता है तो यहां उसका एक उदाहरण है कि जब कोई जवान सेवानिवृत्त होकर वापस घर को जाता है । यह करुणात्मक है । जब वे वापस घर को आते हैं तो कोई भी उनके दुःखों की स्थिति के बारे में नहीं बता सकता । वे सेना में 16 या 17 वर्ष की आयु में भर्ती हुए और देश की सेवा के लिए उन्होंने अपनी जवानी तथा पूरी शक्ति का योगदान दिया । और जब वे 40 या 41 वर्ष की आयु में वापस घर जाते हैं तो वे अपने को एकाकी अनुभव करते हैं । जब हम अपना जीवन सेवा के लिए शुरू करते हैं तो वे सेवा करने के बाद वापस घर जाते हैं और शहरों में घूमते रहते हैं । यह दयनीय स्थिति है । मैं एक कविता को उद्धत करता हूं जो मुझे उनके दुःखों की याद दिलाती है :

गुड बाइ
द ओलिव ग्रीन ब्रेवस
डिग द एनिमीज ग्रेव्स
एट द डौन आफ देयर स्प्रिंग
दे एन्टर द फील्ड
दे मार्च एण्ड सेल एण्ड फ्लाई
अण्डर द ब्ल्यू स्काई
व्हेन द फ्लावर इज ब्लासमृड इन एयर
दे रिटायर लीविंग द गन बिहान्ड
दे रिट्रीट ब्यूगल क्राइ
"मिड डे सन बिड गुड बाइ ।"

उनके साथ ऐसा होता है ।

अतः मैं इस पहलू पर विचार करने और कम से कम उनकी सेवानिवृत्त की आयु को बढ़ाने के लिए माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं जबकि हम राजनैतिज्ञ 90 वर्ष की आयु तक शासन कर सकते हैं और उस उम्र में प्रधान मन्त्री तथा भारत के राष्ट्रपति बनने की भी कोशिश कर सकते हैं तो देश के

जवान 58 वर्ष की आयु तक सेना में क्यों नहीं रह सकता ? मैं इस नीति का समर्थन नहीं करता हूं। यदि इस प्रकार की कोई नीति है तो उस नीति को बदला जाए और इस बारे में एक नई नीति बनाई जाए। इसके साथ क्या गलती हुई है। आप केवल उनकी निराशा को बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं।

भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के बारे में, मैं आपको यह सुझाव देता हूं कि प्रत्येक जिले में केवल इनके लिए अधिक संख्या में सेना चिकित्सा कालेज, सेना इन्जीनियरिंग कालेज और खोले जाएं तथा उनके लिए शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था करें। उनके बच्चों के लिए जो कोटा निर्धारित किया गया है उससे उन्हें सामान्य शिक्षा चैनल के माध्यम से प्रवेश पाने में बहुत मुश्किल होती है। केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या भी बहुत कम है। बंगाल में, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां शायद ही किसी भूतपूर्व सैनिक के बच्चे को कोई मौका मिला हो।

आखिर में मुझे कहना है कि कलकत्ता का ब्रिगेट परेड ग्राउंड सेना के नियन्त्रण में है। वह मुख्य और महत्वपूर्ण ग्राउण्ड है। हमारे पंडित जी ने वहां भाषण दिए। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की ऐतिहासिक घोषणा, और बंगला देश के लोगों के संघर्ष के साथ अपना समर्थन देने तथा एकता की भी घोषणा उस ग्राउण्ड से की थी। मैं माननीय मन्त्री से ब्रिगेड परेड ग्राउड, कलकत्ता का नाम इन्दिरा मैदान के रूप में करने के लिए अनुरोध करता हूं। यह वह ग्राउड है जहां से मुख्य घोषणाएं की गई थीं।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर सेना की अपनी ओर से प्रशंसा करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अमल दत्त (डायमण्ड हार्बर) : तेलगूदेशम के मेरे माननीय दोस्त ने मेरे से पहले ही काफी कुछ बता दिया है। पिछले वर्ष जब मैंने वाद-विवाद शुरू किया था तो मैंने कहा था कि जहां तक राष्ट्र की सुरक्षा सम्बन्धी चर्चा का सम्बन्ध है रक्षा सम्बन्धी वाद-विवाद एक औपचारिक वार्षिक चर्चा बनकर रह गयी है जिसमें मतलब के उद्देश्य नहीं होते हैं। मैं उसको दोहराता हूं और जो देलगूदेशम् से मेरे माननीय दोस्त ने कहा उसका समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा, "हम समझते हैं कि हम लोकतन्त्र में है। अतः यदि हम लोकतन्त्र में हैं और लोकतन्त्रीय आदर्श को मानते हैं और हमारे सामने वैस्टमिन्सटर माडल रखा गया है।

वैस्टमिन्सटर माडल में रक्षा तथा अन्य मन्त्रालयों के लिए एक स्थायी समिति बनी हुई है जो देश की रक्षा आवश्यकताओं, उसके समक्ष चुनौती का सामना करने के ढंग पर विस्तार से विचार कर सकती है और यह भी विचार कर सकती है कि किस प्रकार के शास्त्रास्त्रों को उन्हें प्राप्त करना है तथा उनका निर्माण करना है और देश के लिए किन शास्त्रात्रों की आवश्यकता है। और इसी तरह अमरीका तथा अन्य लोकतन्त्रीय देशों में इस पर विचार किया जाता है। अत: हमारे देश में भी ऐसी स्थायी समिति होनी चाहिए। विपक्ष के संसद सदस्य इस मांग को कई वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने इसे किसी न किसी बहाने से आज तक नहीं माना है।

पिछले वर्ष रक्षा मंत्री जी का यह उत्तर था कि संसद उस बारे में कोई नियम नहीं बनाती है। किन्तु स्थायी समिति बनाने के लिए रक्षा मंत्री जी की सामर्थ्य की व्यवस्था कहां है ? मैंने कहा कि यहां तो उलटा है। यदि रक्षा मन्त्री चाहे तो वह संसद द्वारा इस प्रकार का नियम पारित करा सकते हैं और स्थायी समिति का गठन कर सकते हैं जिसे रक्षा सम्बन्धी सभी आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए और केवल तभी हम रक्षा पर वास्तविक वाद-विवाद कर सकते हैं जिससे जानकारी मिल सके। इस समय न तो भारत के लोग, न लोगों के प्रतिनिधियों को यह जानने की अनुमति मिली है कि

देश किस प्रकार की वास्तविक चुनौतियों का सामना कर रहा है और हम इन चुनौतियों का किस प्रकार से मुकाबला कर रहे है। यह बहुत जिज्ञासु स्थिति है क्योंकि हमारे लोकतंत्रीय बहाने यहां समाप्त हो जाते हैं। हमारे पास छावनी के प्रकार का सैनिक प्रशासन है और यह प्रणाली हमारी आजादी के 37 वर्षों के बाद भी बनी हुई है पिछले वर्ष मैंने इसे कहा था और यह बार-बार कहा जाता है क्योंकि रक्षा मन्त्री द्वारा इसका जवाब नहीं दिया गया था कि मैं दिल्ली के निकट टैंक मरम्मत करने वाले कारखाने को देखने जाना चाहता हूं और मैंने उनको स्पष्ट किया था कि मैं इसे देखना चाहता हूं क्योंकि मैंने वहां अधिकारियों द्वारा सुविधाओं का दुरुपयोग किए जाने के बारे में सुना था। टैंकों की मरम्मत के बदले वहां कुछ और ही होता है। उन्होंने मुझे उस फैक्ट्री में जाने की अनुमति नहीं दी। मैंने अपने भाषण में इसका उल्लेख किया था लेकिन उनको विश्वास नहीं आ सका कि संसद सदस्य को आज्ञा क्यों नहीं दी जा सकी। अधिकतर रक्षा स्थापनाओं के मामले में यह स्थिति की हुई है। जब उन्हें संसद सदस्य ही नहीं देख सकते हैं तो साधारण लोग तो निश्चय ही नहीं देख सकते है। अखिरकार हम में से वे लोग जिनको यहां बोलना था और रक्षा बजट को पारित करना था उन्हें तो यह देखने का कुछ अवसर होना चाहिए कि उस पैसे का क्या किया गया जिसे संसद ने मंजूरी दी थी। हमें यह सुविधा भी नहीं दी गई है। हम जानते हैं कि जहां तक रक्षा योजना का सम्बन्ध है यह देश कुछ समय से इसमें हानि उठा रहा है। हांलाकि 1964 से एक योजना है जिसे रक्षा योजना कहते है लेकिन रक्षा सम्बन्धी योजना वास्तव में साथ-साथ काम करने वाले लोगों के द्वारा बनाई जाती है जिसमें अलग-अलग सैनिक सेवाओं के अलग-2 अंगों की आवश्यकताओं का संकलन होता है। यह एकीकृत योजना नहीं होती है। सेवारत लोगों द्वारा यह योजना बनाई जाती है जिसमें वे अपनी आवश्यकताओं को ही महत्व नहीं देते बल्कि देश के सुरक्षाणीवेश तथा चुनौती से सम्बन्धित प्रत्यक्ष प्रश्न के संपूर्ण विश्लेषण के बारे में बताते हैं तथा उसे आवश्यकताओं के साथ समन्वित किया जाता है और उसके बाद सामर्थ्यता की योजना बनाई जाती है। रक्षा विभाग में इस तरह की कोई क्रियाविधि नहीं है। हम हमेशा यह मांग करते रहे हैं, प्रत्येक वर्ष कोई न कोई संसद सदस्य यह मांग करता रहा है कि इस तरह की एक संस्था होनी चाहिए जिसमें सेवारत लोगों और नौकरशाह के अतिरिक्त वैज्ञानिक और विद्वान व्यक्ति भी सदस्य होने चाहिए। इसमें उन लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए जो सरकार से सम्बन्धित नहीं हैं और उन्हें देश की आन्तरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार की सुरक्षा का साथ-साथ विश्लेषण करना चाहिए। आन्तरिक रूप में यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्ल्यू स्टार आप्रेशन के बाद से ऐसी स्थितियां पैदा हो गई हैं तथा उसके बाद चुनौती को जानने के लिए उचित रूप से विश्लेषण किया जाए और "शत्रु" की श्रेणी में रखे गये देशों की क्षमता का पता लगाया जाए। केवल तभी हम अपनी आवश्यकताओं को बता सकते हैं तथा तभी उस समर्थन का प्राप्त कर सकते हैं। उसके बिना हम जो कुछ कर रहे है वह वास्तव में तदर्थ वाद ही है।

हम तो एक ऐसी नीति का पालन कर रहे हैं जैसे उदाहरण के लिए यदि पाकिस्तान 40 एफ-16 विमान खरीदता है तो हमें 40 मिराज या कुछ इस तरह के विमान खरीदने चाहिए। इसे प्रतिक्रियात्मक नीति कहते हैं। हम उस चित्र का पुनःव्यवाहारिक कर रहे हैं जिसको यह समझकर कि हमारे शत्रु कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ हमारी तीन बार लड़ाई हुई है और हम समझते है कि केवल वही ऐसा देश है जो हमारा मुख्य शत्रु है। जो कुछ चीन करता है हमें उसकी कभी कोई जानकारी नहीं मिलती हालांकि हमारे मित्र चीन से खतरे के बारे में कहते रहे हैं। हम चीन की सामर्थता के बारे में कुछ नहीं जानते हैं लेकिन यदि हम जानते भी हो तो हम उनके मुकाबले में अपनी क्षमता बढ़ाने की बात हम सोच नहीं सकते हैं। हमें बताया गया है कि उनके पास 5000 जेट विमान हैं। अतः हम इन दृष्टि में नहीं सोच रहे हैं। पाकिस्तान के साथ मुकाबला करने के बारे में हम हमेशा प्रचार की चमक-दमक करते हैं। पाकिस्तान खरीद के द्वारा या अमेरीका से भेंट के रूप में जो कुछ शस्त्र प्राप्त कर रहा

है निश्चय ही हमें इस बारे में चिन्ता होनी चाहिए क्योंकि इसमें केवल पाकिस्तान ही शामिल नहीं है। यह अमरीकी साम्राज्यवाद की बाह्य चौकी है और इसलिए जब कभी पाकिस्तान शस्त्रों को प्राप्त करता है तो हमें उसको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन शस्त्र की सामर्थ्यता क्या है जिसे पाकिस्तान को दिया जा रहा है या "सिमिगंटन क्लाज" के बावजूद इन शस्त्रों को खरीदने के लिए पाकिस्तान को मंजूरी दी जा रही है। उस खण्ड के बावजूद वे तथ्य को नजर अन्दाज कर रहे हैं कि अब शायद पाकिस्तान परमाणु सामर्थ्यता प्राप्त कर रहा है। उन अमरीकी शस्त्रों को खरीदने की वे अनुमति दे रहे हैं जिसके लिए दूसरे देशों को अनुमति नहीं है। कम से कम भारत को तो अनुमति नहीं होगी।

हम इस तदर्थ नीति को अपना रहे हैं। मुझे बताया गया है कि जब पाकिस्तान एफ-16 या टैंक या 'टो मिसाइल या आई हाक- या युद्ध क्षेत्र के निगरानी विमान प्राप्त करता है तो चमक-दमक से प्रचार किया जाता है। ये सभी चमक-दमक के प्रचार को आकर्षित करते हैं। इससे मुझे तुरंत यह पता चलता है कि हम कुछ और अधिक खरीद रहे हैं। यह प्रचार बहुत अधिक अभिप्रेरित है। मैं नहीं जानता कि इस प्रचार का यह मतलब है कि भारतवासियों में भय पैदा किया तथा कुछ और खरीदा जाए चाहे इसका प्रबन्ध सरकार द्वारा किया जाए या सरकार में दिलचस्पी रखने वाले लोगों द्वारा या सरकार से बाहर के लोग अर्थात वे लोग जो विभिन्न शस्त्र लॉबी से सम्बन्धित है लेकिन हमें यह बताना सरकार का काम है। जैसा कि मैंने सुझाव दिया है कि यदि इस तरह की कोई संस्था है तो वह संस्था उन शस्त्रों की क्षमता को बता सकेगी जिन्हें पाकिस्तान प्राप्त कर रहा है। एफ-16 नाम का विमान है और कुछ नहीं है। इसी तरह एक्स-एम टैंक का भी नाम है। पाकिस्तान वास्तव में क्या क्षमता प्राप्त कर रहा है और हमें इसके विरुद्ध किस प्रकार की योजना बनानी चाहिए। इन सभी की जांच यह संस्था करेगी। शस्त्रास्त्र जुटाने की हमारी नीति हमेशा न केवल प्रतिक्रियात्मक रही है बल्कि जैसा श्री पाइलट ने कहा कि यह काफी सीमा तक निरर्थक भी रही है मैं जगुआर विमानों को प्राप्त करने के प्रश्न पर उनका समर्थन करता हूं। हमने पहले 1971 या 1972 में जगुआर को प्राप्त करने के बारे में सोचा था। उस समय से और आगे हमने बातचीत शुरू की, सोचा फिर बातचीत की तथा दुविधा में रहें। मैं समझता हूं कि अब से हमने 1978 में अनुबंध में हस्ताक्षर किए और 1980 या 1981 से हमने उन्हें प्राप्त करना शुरू किया था। यह 1970 से पहले का विमान है जिसे हमने 1980 में प्राप्त करना शुरू किया। उस समय तक यह पुराना हो गया था। अब, यह दूर तक मार करने वाला नीची उड़ान का विमान है। अब आज के युद्ध में दूर तक मार करने वाले विमानों की क्या भूमिका है? आज के युद्ध में जहाँ इलेक्ट्रानिक्स उस सीमा तक बढ़ गया है कि यह नीची उड़ान वाले विमान उसके लिए कुछ नहीं है जो जासूसी से बच सकते हैं। ऐसे राडार उपलब्ध हैं जो नीची उड़ान वाले विमानों का अब पता लगा सकते हैं। वे राडार जो ऊंची उड़ान की तरह नीची उड़ान वाले विमान उड़ते हैं उनका पता लगा सकते हैं। कुछ भी हो मुझे बताया गया है कि थल सेना के लोगों के पास भी कुछ ऐसे उपकरण उपलब्ध है जिनके द्वारा वे विमान का पता लगा सकते हैं और उन विमानों के नीचे गिरा सकते हैं। यह इस लिए है कि वे उनका पता लगाते हैं और उन्हें केवल प्रक्षेपास्त्रों से गिराते हैं जो विमान के पीछे जाता है। शायद आगे हम सोच नहीं सकते हैं। हमने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि दुनिया के देश 1980 में कितने आगे बढ़ रहे हैं। हमने 1970 के विमान प्राप्त किए हैं। यह वास्तव में पुराने है और श्री पाइलट यहां बिल्कुल ठीक कहते हैं तथा मैं उनका समर्थन करता हूं। हमने मिराज प्राप्त किया। हमें कुछ की सुपुर्दगी दे दी गई है। हमारे पाइलटों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लेकिन हमारी वायु सेना में मिराज को शामिल करने के लिए तीन या इससे अधिक वर्ष लगेंगे। मैं एफ-16 की क्षमता नहीं जानता हूं कि क्या एफ-16 विमान के मुकाबले मिराज सही बैठेगा या नहीं। मैं नही जानता कि मिग विमान जिसका निर्माण हम यहां कर रहे हैं या जिसके निर्माण की योजना हम यहाँ बना रहे हैं। वे

भी इसका मुकाबला कर सकते है ? इसकी क्षमता क्या है ? क्या वे एफ-16 विमान का सामना कर सकेगें ? मिग विमानों में कुछ सुधार करने के साथ कुछ परिवर्तन आदि से क्या वे एफ-16 विमानों से शायद मुकाबला कर सकते हैं ? मुझे बताया गया है कि चीन के साथ जब रूस के अच्छे सम्बन्ध थे तो उसने मिग-17 या मिग-19 के प्रारंभिक रूप को प्राप्त किया था। वे उसमें सुधार करते रहे तथा उनका निर्माण करते रहे। अब उनके पास 5000 विमानों का एक समूह है जिसका उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए पर्याप्त रूप से सुधार किया है। वे डरते नहीं हैं। यह स्थितिं है।

हम बाहर से कुछ प्राप्त कर रहे हैं लेकिन हम उसमें सुधार नहीं कर सके हैं। हमारे पास 1950 और 1960 में अच्छे विमान थे और वे विमान पूरी तरह से ठीक थे। हम विमानों को इकट्ठा कर रहे थे और कुछ सीमा तक उसके पुर्जों को भी यहां बना रहे थे। लेकिन हम उसके स्तर को नहीं बढ़ा सके। इसमें कुछ गलती है। जो हमेशा यह कहते रहे हैं कि आप अनुसंधान और विकास में और पैसा लगाओ। मेरा प्रश्न यह है कि हमारे अनुसंधान तथा विकास ने क्या प्राप्त किया है।

सत्तादल से सभी सदस्यों ने सेना के बारे में बातें कही है। संसद सदस्य के रूप में सेना के सदस्यों की सेवा शर्तें तथा वेतन, भर्ती नीति, भूतपूर्व सैनिक की स्थिति आदि के बारे में हम वास्तविक रूप से चिंतित हैं। लेकिन मुझसे पहले बोलने वाले सदस्य सेना से आए हैं और श्री प्रियरंजनदास मुंशी राष्ट्रीय कैडेट कोर से आए हैं अतः इस विषय में उन्हें मेरी अपेक्षा ज्यादा जानकारी है। मैं इस बारे में अधिक नहीं बोलूंगा इसके सिवाए कि सैनिक सेवाओं में पदोन्नति का रास्ता बन्द हो जाने पर ही सेवा शर्तों को सुधारने का प्रयास करते है। इससे अफसरों का मनोबल गिरता है। लेकिन एक और वेतन आयोग बनाने तथा उनकी सिफारिशों को प्राप्त करने की बजाए जो किया गया था वह संवर्ग पुनरीक्षण था। यह पर्याप्त नहीं है। संवर्ग पुनरीक्षण करने से कोई समस्या हल नहीं हुई है। क्योंकि इससे सेना में मेजर के पद पर रहने की बजाए उससे अगले उच्च पद पर अफसरों को पदोन्नति नहीं मिल पाएगी। उनमें किसी भी तरह गतिरोध आएगा। एक और वेतन आयोग जैसे रचिय कर्म प्रणाली के द्वारा अपेक्षित वृद्धि को जा सकती है। उसे किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो सेना के लिए अलग से एक वेतन आयोग बनाना चाहिए जो समस्या से निपटेगी।

अफसरों की गुणावत्ता में कमी आई है। इसे स्वीकार करना होगा। मशीन की अपेक्षा मनुष्य का अधिक महत्व है। पाकिस्तान जो कुछ प्राप्त कर रहा है उसके लिए यदि हमारे पास कुछ घटिया शस्त्र भी हों परन्तु उच्च कोटि के अफसरों हों तो हम उनका कि यह एक समय सही था। यह आज सही नहीं हो सकता है क्योंकि हमने सेना की भर्ती पर कोई ध्यान नहीं दिया है जैसा कि हमें करना चाहिए था। इसके अतिरिक्त आज की लड़ाई चाहे यह जमीन पर हो या आकाश में या समुद्र में अब शरीरिक बल की लड़ाई नहीं रही है। यहां मैदान की वीरता का प्रश्न ही नहीं है। यहां तकनीकी योग्यता का प्रश्न है। इमें इन्जीनियरींग और तकनीकी सेवाओं पर उचित ध्यान देना चाहिए जो हमने नहीं किया है। हमने इन्जीनियरींग और तकनीकी कर्मचारियों की पदोन्नतियों को एक स्तर पर रोक दिया है। इस प्रकार उन्हें केवल यहीं तक प्रोन्नति मिल सकती है। वे ऊँचे पदों पर नहीं जा सकते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे अधिक्रमण कर सकते हैं और सेनाध्यक्ष या समकक्ष बन सकते है। लेकिन उन्हें लोगों की तरह रैंकों में समानता मिलनी चाहिए।

सेना की एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा वायुसेना है। दुर्भाग्यवश इसमें कई दुर्घटनाएं हुई हैं। दुर्घटनाओं की जांच करने के लिए एक समिति को नियुक्त किया गया है। अप्रैल 1977 से अगस्त 1982 तक हुई दुर्घटनाओं की जांच करने के लिए अगस्त 1982 में लाफांतेर समिति नियुक्त की गई थी। इस दौरान 213 दुर्घटनाएं हुई थीं।

समिति ने अपनी सिफारिशें देने में चार महीने का जो समय लिया। 49 दुर्घटनाएँ और घटी थीं। इन दुर्घटनाओं का विश्लेषण करने से पता चला कि इनमें से 41 प्रतिशत दुर्घटनाएं मानव चूक से से हुई। वास्तव में 137 दुर्घटनाऐं मानव-चूक से हुई। इससे 20 लड़ाकू 15 प्रशिक्षक विमान, 5 हेलीकाप्टर एवं तीन परिवहन विमान नष्ट हुए। विमान चालकों की उड़ान दक्षता और ज्ञान में कमी के कारण ही वायु में असमानता को मानव चूक बतायी गई।

इन सेवाओं की प्राय: प्रशंसा की जाती है परन्तु इसके विपरीत भारतीय वायु सेना में दुर्घटनाओं की संख्या विश्व के किसी भी महत्वपूर्ण वायु सेना की तुलना से सबसे अधिक है। लड़ाकू विमानों की 10,000 घण्टे उड़ान पर 3:8 दुर्घटनाएं हुई।

ये मानव चूक पायलटों को उचित प्रशिक्षण एवं सही शिक्षा तथा अच्छी देख-रेख करके दूर की जा सकती हैं।

दूसरा कारण है इंजिनियरिंग का ज्ञान एवं तकनीशियनों की कार्य क्षमता पायलट और विमान दोनों ही मूल्यवान हैं और हम इनमें से किसी को भी खोना नहीं चाहते।

आयुद्ध निर्माणियों को 1983 में गठित बोर्ड के तहत (रखा) गया है। **(व्यवधान)**

इन आयुद्ध कारखानों में सम्भवत: आर० एम० डब्ल्यू० व्यवस्था नहीं है जिसके परिणामस्वरूप जो कुछ हुआ वह बहुत ही दयनीय है। हम शक्तिमान ट्रकों का निर्माण कर रहे हैं परन्तु हम अभी तक इनके इंजनों का आयात कर रहे हैं।

इस सदन में हमारे बार-बार देशीकरण पर बोलने के बावजूद रक्षा मन्त्री महोदय यही कह देते हैं कि वे देशीकरण को अपना रहे हैं। वे इस वाक्य को पिछले 25 वर्षों से कहते आ रहे हैं। परन्तु वे शक्तिमान ट्रकों के इंजनों को बनाने में सफल नहीं हो सके हैं।

मैं रक्षा मन्त्री महोदय मे निवेदन करता हूँ कि वे इस समस्या की ओर ध्यान दें। इस पर अभी तक आने वाले किसी भी रक्षा मन्त्री ने ध्यान नहीं दिया।

इस बुनियादी आवश्यकता के लिए हमें किसी भी देश पर आश्रित नहीं होना चाहिए। रक्षा उत्पादन विभाग का 95 प्रतिशत उत्पादन अन्य देशों के साथ सहयोग से ही सम्भव है अथवा उन्हें आयातित प्रोद्योगिकी द्वारा तैयार किया जाता है या फिर पुर्जों को मंगाया जाता है और उन्हें यहाँ पर जोड़ा जाता है।

इसका कारण है रक्षा उत्पादन तथा आयुद्ध कारखाने तथा रक्षा विभाग अनुसन्धान एवं विकास का कोई दायित्व नहीं है। हम हथियारों की कतिपय किस्मों का काफी समय से विकास कर रहे हैं परन्तु हमें इसमें सफलता नहीं मिली है। उदाहरण के लिए, हम काफी वर्षों से सी० वी० आर० डी० ई० में युद्ध टैंकों का निर्माण कर रहे हैं। हमें हमेशा यह कहा गया है कि हम इस टैंक के निर्माण की शुरूआत करने के कगार पर हैं। यह बात दो वर्ष पहले कही गई थी। 1983 में, रक्षा मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में कहा था कि दिसम्बर, 1983 से पहले टैंक बन कर तैयार हो जाएगा। और इसका इंजन आयात करके इसको तैयार कर लिया गया इसके इंजन को हम नहीं बना सके। रक्षा का विनिर्देशन या 1500 हार्स पावर का इंजन तैयार करना। इसके बजाय। हमने केवल 400 हार्स पावर के इंजन का निर्माण किया जिसकी वजह से हमें जर्मनी से इंजन का आयात करना पड़ा और हमने उसका आदिरूप तैयार किया। सिर्फ इतना ही नहीं हमने स्पष्ट रूप में सी० यू० आर० डी० ई० को इस आदि रूप को तैयार करने का निर्णय दिया, जिसे बाद में 'चेतक' का नाम दिया गया और आजकल इसका नाम अर्जुन है। क्योंकि हम हार्स पावर को विकसित नहीं कर सके शायद इसीलिए इसमें से हार्स शब्द

को हटा लिया गया। बन्दूक तो यहां बनाई जा रही है और अर्जुन एक अच्छा निशानेबाज था इसलिए शायद 'अर्जुन' का नाम दिया गया है। रक्षा मन्त्री ने बड़ी सूझबूझ के साथ इस टैंक का नाम बदला। इससे हमें काफी कष्ट हुआ है। अन्ततः हम जो कुछ करना चाहते हैं...यह सभी बातें रिकार्ड में जायेंगी और रक्षा मन्त्रालय चार वर्षों पश्चात के बाद......(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : 'चेतक' हेलीकाप्टर का नाम है।

श्री अमल दत्त : मुझे याद है कि यह इसका पुराना नाम है हो सकता है यह रक्षा मन्त्री महोदय के भाषण में न आया हो जो कि वर्ष में सिर्फ एक बार बोलते हैं।

अन्ततः हम एम० बी० टी० का इंजन गियर बाक्स, सस्पेंशन तथा गन नियन्त्रण बना रहे हैं।

हमारे पास 'नाईट वीजन' भी है। मुझे मालूम हुआ है। दूरदर्शन पर 19 और 20 तारीख को बताया गया था कि हम एक ऐसे टैंक का निर्माण कर रहे हैं जो कि दिन और रात दोनों में ही कार्य कर सकता है। और यह आयातित सामानों द्वारा देहरादून में बनाया जा रहा है। यह रक्षा में आत्म-निर्भरता की पहचान है।

इसके बाद 'लाईट काम्बेट एयरक्राफ्ट के बारे में बताता हूँ। इस बारे में हम पिछले दस वर्षों से अधिक दिलचस्पी ले रहे हैं। जहां तक मुझे याद है सरकार ने इसके लिए 1983 में धन की मन्जूरी दी थी। मेरे ख्याल में यह राशि सिर्फ 600 करोड़ रुपये थी। परन्तु 600 करोड़ रुपये की यह राशि परियोजना लागत का आरम्भिक आंकलन ही है। इस समय इसकी अनुमानित लागत 1500 करोड़ रुपए है। एक विशेष बात और हुई है। इस 'लाईट काम्बेट एयरक्राफ्ट' का निर्माण कार्य एच० ए० एल० के अधीन था वे उसे कहीं और नहीं ले जा सकते थे क्योंकि वास्तविकता यह थी कि वहां के डिजायन इंजीनियर, बल्कि डिजायन विभाग के प्रबन्ध निदेशक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं था और न ही इसके पास ऐसी कोई डिग्री थी जिससे इस बात का दावा किया जा सकता था। ऐसी बातें राज्य सभा में प्रश्न काल के दौरान उजागर हुईं। निश्चय ही, श्री राव ने कहा है कि उनके पास वह डिग्री है जिसका कि वे दावा करते हैं। परन्तु मेरे पास हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की इस सूची की नकल है जिन अधिकारियों को उसने डिग्री दी हैं। एयरोनॉटिक्स में एक ऐसे भी व्यक्ति हैं जिसने इंपीरियल कालेज आफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी लन्दन से डिग्री लेने का दावा किया है मेरे पास उस चिट्ठी की कापी भी है। मैं इसे सभा-पटल पर रखूंगा—जिससे पता चलता है कि इस प्रकार के नाम का कोई भी व्यक्ति इसमें नहीं है मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने इसकी पूर्व सूचना नहीं दी है। परन्तु उनका कहना है कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं था। अतः यह एक धोखाधड़ी का मामला था और इसकी वजह से वहां कोई कार्य भी नहीं हुआ। और वह व्यक्ति जो इसे बना सकता था और जिसने उनके अधीन कार्य किया उसे हमेशा ही दबाया गया। एक आधुनिकतम जेट प्रशिक्षु एयरक्राफ्ट का निर्माण किया गया है और इसके दस्तावेज सरकार को जुलाई, 1984 में दिए गए थे। और यह प्रशिक्षु एयरक्राफ्ट इस बात का द्योतक है कि हम इसे बनाने की क्षमता रखते हैं। मैं इसके माडल की तस्वीर सभा-पटल पर रख रहा हूं। चूंकि यह एल० सी० ए० से अधिक महत्वपूर्ण होगा, इसे बनाने की अनुमति नहीं दी गई है। दूसरी ओर, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं—यह कपटी व्यक्ति उसके साथ सम्बन्धित रहा है। एयरोनाटिकल डेवलपमेंट एजेन्सी बनाई गई है जो एक स्वायत्त एजेन्सी है। यह सोसायटी सम्पूर्ण परियोजना की निगरानी करेगी। एच० ए० एल० या कोई और कम्पनियां जो भी यह कार्य करेंगी उनकी निगरानी इस एजेन्सी द्वारा की जायेगी।

रक्षा मन्त्री महोदय ने राज्य सभा में बताया है कि कोई भी व्यक्ति इस एजेंसी से सम्बन्धित नहीं है। यह सही नहीं है। रक्षा मन्त्री महोदय को इसकी जाँच करवानी चाहिए। मैं इसे सभा-पटल

पर रख रहा हूं जिसमें उस व्यक्ति का नाम है—उस पर निशान लगा रखा है—और लिखा है कि उस व्यक्ति के पास इंपीरियल कालेज आफ साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, लन्दन की कोई डिग्री अथवा डिप्लोमा नहीं है, उनके यहां इस नाम का कोई भी व्यक्ति उनकी सूची में नहीं है। परन्तु वह व्यक्ति अभी भी एच० ए० एल० से सम्बन्धित है। एच० ए० एल० की नवीनतम टेलीफोन डायरेक्टरी में उस व्यक्ति का नाम है इससे पता चलता है कि वह इस परियोजना में कार्य कर रहा है। वह एच० ए० एल० के कार्यालय में बैठता है। वहां उसका दफ्तर है। अतः मैं सभा-पटल पर एक प्रति रख रहा हूं, इस बात से इनकार करना गलत नहीं था कि वह व्यक्ति इस परियोजना से सम्बन्धित नहीं था लोगों को देखिए वे किस तरह विश्व में घूम रहे हैं और कहीं से इंजन खरीदते हैं, कहीं से राडार और कहीं से एविओनिक्स

6.00 म० प०

खरीदते हैं और फिर उन्हें जोड़ देते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। आखिरकार क्या होगा? हम सहयोग करेंगे। बाहर से व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए हमने लगभग 2 करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं। हमें इस तरह से खरीदारी करना बन्द कर देना चाहिए पिछले कुछ वर्षों में हमने कुछ भी नहीं खरीदा है। इसे रोका जाना चाहिए। हमारी रक्षा में आत्म-निर्भरता होनी चाहिए। अनुसंधान एवं विकास के लिए धन का प्रश्न नहीं है। प्रश्न है सही आदमियों की भर्ती करना और इस गुट से छुट्टी पाना जो अनुसन्धान एवं विकास विभाग पर अपनी मर्जी चलाता है। आपको इस गुट से छुटकारा पाना ही चाहिए। अन्यथा देश खतरे में पड़ जायेगा। हम तकनीकी जानकारी का आयात करने में करोड़ों रुपए खर्च नहीं कर सकते। विदेश मुद्रा मूल्यवान है। अतः हमें उचित अनुसंधान एवं विकास द्वारा अपनी क्षमता का निर्णय करना चाहिए।

6.01 म० प०

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दशक में सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की प्रगति के बारे में चर्चा

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा आरम्भ करते हैं। श्रीमती गीता मुखर्जी।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : सर्वप्रथम मैं सदन को धन्यवाद देती हूं कि सदस्यों ने आज की कार्य सूची में यह प्रस्ताव लाने में महिलाओं को सहयोग दिया है। मुझे आशा है इस समय सभा में उपस्थित पुरुष सदस्य हमें समर्थन देंगे तथा हमारे संघर्ष में हमें और प्रोत्साहित करेंगे।

जैसा कि आप जानते हैं अन्तर्राष्ट्रीय महिला दशक की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा 1975 में की गई थी, जिसका नारा था—समानता, विकास और शांति। वर्ष 1985 इस दशक का अन्तिम वर्ष है तथा अन्त में इस दशक में हुई उपलब्धियों तथा इसकी कमियों का मूल्यांकन करने के लिए नेरोबी में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अतः यह स्वाभाविक है इस अवसर पर हम इस बात की समीक्षा करनी है कि इस दशक के आरम्भ में नारी की क्या स्थिति थी और इसके अन्तिम वर्ष में उसकी क्या स्थिति है और इसके साथ ही हमें आगे और कार्यवाही करने का भी संकल्प करना चाहिए। अतः मूल्यांकन करते समय मैं सर्वप्रथम यह बताऊंगी कि इस दशक की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि सम्भवतः यह रही है कि महिला संगठनों और प्रगतिशील महिला वर्ग स्वयं महिलाओं की आवश्यकताओं के बारे

में बहुत जागरूक हो गए हैं तथा साथ ही इस दिशा में समाज एवं सरकार की विचारधारा पर अपना 'कुछ' प्रभाव—'कुछ' शब्द की व्याख्या मैं बाद में करूंगी—डालने में भी सफल रहे हैं। अब महिलाओं की समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान गया है और महिलाओं के विकास के लिए वैकल्पिक नीतियों का पता लगाना आरम्भ हो गया है। मेरे विचार से यह इस दशक की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। लेकिन दुर्भाग्य से मैं यह नहीं कह सकती कि सभी नारों के अनुरूप हमें उपलब्धियां प्राप्त की हैं। इसी दशक में महिलाओं पर अत्याचार, उनके प्रति क्रूरता भी गई है, दहेज के कारण हुई मौतें, दहेज के मामले में निर्दयतापूर्ण व्यवहार—ये सब बातें हमारे समाज में महिलाओं के निम्न स्तर का प्रमाण है। इसी दशक में लाभप्रद श्रम में महिलाओं को समान अवसर न मिलना, बेरोजगारी, निर्धनता, निरक्षरता, यहाँ तक कि बालिकाओं की ऊंची मृत्यु दर, महिलाओं के स्वास्थ्य पर कम ध्यान दिया जाना—इन सभी बातों से आज भी लाखों करोड़ों महिलाओं—विशेषकर निर्धन वर्ग की महिलाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है। पुरानी सामन्तवादी रीतियां और परम्पराएं आज भी विद्यमान हैं और उसके साथ ही पूंजीवादी प्रथा की बुराइयां और अनैतिकताएं भी बनी हुई हैं। ये दोनों पहलू महिलाओं की असमानता का कारण है।

स्वभावत: जहां तक महिलाओं का सम्बन्ध है, पुनरीक्षा के लिए, हमें विभिन्न क्षेत्रों उदाहरण के लिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सामाजिक जीवन, कानूनी क्षेत्र आदि में महिलाओं की स्थिति पर एक नजर डालनी चाहिए। केवल मेरी ही ऐसी धारणा नहीं है कि इन क्षेत्रों में बिलकुल प्रगति नहीं हुई है बल्कि अब भी यह प्रगति सीमित है और इन सबको मिलाने पर भी लाखों महिलाओं का जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठा है। मैं कुछ उदाहरण दूंगी अन्यथा मुझे गलत प्रतिनिधित्व करने की दोषी माना जाएगा।

हम शिक्षा के सम्बन्ध में नजर डालते हैं। दुर्भाग्य से, वास्तविक वार्षिक आंकड़े उपलब्ध नहीं है। अत: मैंने जनगणना रिपोर्ट में बताए गए अनुमानित आंकड़े लिए हैं। 1971 में अशिक्षित महिलाओं की संख्या 2153 लाख थी जबकि 1961 में उनकी संख्या बढ़कर 2416 लाख हो गई। वास्तव में इसकी संख्या में वृद्धि हुई है। मुझे विश्वास है कि इस दशक के पश्चात इसकी और अधिक वृद्धि हुई है। यह स्थिति है। 1971 में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 1248 अशिक्षित महिलाएं थी। 1983 में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे 1322 अशिक्षित महिलाएं थीं।

जहाँ तक स्कूलों में दाखिला का सम्बन्ध है, इस दशक के प्रारम्भिक वर्ष 1974-75 में 6 से 11 वर्ष तक की आयु के लड़कों का दाखिला 101 प्रतिशत था और लड़कियों का 65.9 प्रतिशत। 11 से 14 वर्ष के आयु समूह के लड़कों का दाखिला 47.5 प्रतिशत था और लड़कियों का 23 प्रतिशत था 1981-82 के दशक के मध्य में 6 से 11 वर्ष की आयु समूह की लड़कियों का दाखिला 16 प्रतिशत रह गया। 11 से 14 वर्ष की आयु समूह के लड़कों के लिए यह 54.2 प्रतिशत लड़कियों का 29.1 प्रतिशत था। यद्यपि लड़कियों के मामलों में इसमें मामूली सी वृद्धि हुई है किन्तु लड़कों और लड़कियों की स्थिति में अब भी बहुत अन्तर है। स्कूल छोड़ने वाले लड़कों और लड़कियों के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है।

जब शिक्षा की स्थिति यह है, तब यह भी देखना चाहिए कि रोजगार की क्या स्थिति है। जनगणना प्रतिवेदन, प्रतिदर्श सर्वेक्षण तथा अन्य साधनों से जो आँकड़े मुझे प्राप्त हुए हैं, उसके अनुसार 1971 में 12.06 प्रतिशत महिलायें काम करती थीं। 1981 में 13.99 प्रतिशत महिलायें काम करती थीं इसका मतलब है कि कामकाजी महिलाओं की संख्या 2 प्रतिशत बढ़ी थीं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : काम काज करने का अर्थ केवल उन महिलाओं से है जो व्यवसायिक कार्य करती हैं। कृषि कार्य करने वाली महिलायें इसमें शामिल नहीं हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : अन्य क्षेत्रों के बारे में मैं कुछ आँकड़े प्रस्तुत करूँगी। ये आँकड़े संगठित क्षेत्रों में महिलाओं के काम करने के बारे में 1975 से 1980 तक के बारे में दिए गये हैं। 1975 में समूचे श्रमिक बल में उनकी संख्या 11.3 प्रतिशत थी और 1980 में 12.1 प्रतिशत थी। सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में 1975 में 1.13 महिलायें काम करती थी। 1980 में उनकी संख्या बढ़कर केवल 1.43 प्रतिशत हो पाई थी। इसका अर्थ है कि सरकारी क्षेत्र में दशक के मध्यम में के 0.3 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई थी।

गैर-सरकारी क्षेत्र में उनकी संख्या केवल एक प्रतिशत बढ़ी है। **"पाकेट बुक आफ लेबर स्टेटिस्टिक्स"** में अद्यतन आँकड़े उपलब्ध हैं जो बड़े रोचक हैं। 1978 में कारखानों में 10 प्रतिशत महिलायें काम करती थी और 1981 में उनकी संख्या केवल 9 प्रतिशत रह गई थी। बागानों में 47 प्रतिशत महिलायें थी और 1981 में उनकी संख्या 45 प्रतिशत थी। 1978 में 11 प्रतिशत महिलायें खानों में काम करती थीं और 1981 में वहां उनकी संख्या केवल 10 प्रतिशत रह गई थी।

कृषि कार्य करने वाली महिलाओं के बारे में मैं कुछ आँकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगी। श्री रंगाजी अपने जीवन काल का लगभग आधा समय मैंने ग्रामीण महिलाओं के साथ काम करते हुए बिताया है। इस क्षेत्र की क्या स्थिति है? 1971 में हुई जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि खेती करने वाली महिलाओं की संख्या अधिक थी किन्तु 1981 में हुई जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि इस क्षेत्र में उनकी संख्या कम हो गई है। तथापि कृषि श्रमिक महिलाओं की संख्या बढ़ी है। इस समय कुल श्रमिकों में 48 प्रति० कृषि श्रमिक महिलायें हैं। इससे स्पष्टतः यह परिलक्षित होता है कि महिलाओं का भू-स्वामित्व धीरे-धीरे कम होता जा रहा है समाज में वे उत्तोत्तर निर्धन होती जा रही है महिलाओं की यह स्थिति है और उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है।

निश्चित रूप से कुछ रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। उदाहरण के तौर पर हल चलाना पुरुषों के लिए आरक्षित है उसी प्रकार पौध प्रतिरोपण का कार्य महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ऐसा क्यों हैं, क्योंकि मजदूरी कम होने के कारण पौध प्रतिरोपण का अर्थ घटिया दर्जे का समझा जाता है। महिलाओं को केवल वहीं कार्य दिये जाते हैं जिनमें कम पारिश्रमिक देना पड़ता है।

संसद के पिछले सत्र में हमने बी० सी० सी० एल० में महिलाओं की छंटनी किये जाने का मामला उठाया था। बी० सी० सी० एल० एक सरकारी संस्था है। महिलाओं से यह कहा जा रहा है कि "यदि तुम स्वेच्छा से सेवा निवृत हो जाओगी; तो तुम्हारे पुत्र अथवा तुम्हारे पति तुम्हारे किसी भी रिश्तेदार को नियुक्त कर लिया जाएगा।" महिलाओं से यह नही कहा जा रहा है कि "ठीक है, अब तुम्हें भूमिगत काम करने की आवश्यकता नहीं हैं; अब अनेक खानें 'ओपन कर' हो गई है, तुम्हें रोजगार से हाथ नहीं धोना पड़ेगा; तुम्हें नुकसान नहीं होगा? तुम्हें अथवा तुम्हारी पुत्री को रोजगार दे दिया जाएगा।" जी नहीं, उनसे ऐसी बातें नहीं कही जाती। मैंने जो याचिका प्रस्तुत की थी, उसका क्या हुआ? श्री ए० के० राव यहां नहीं है, जो मेरा समर्थन करते। महिलाओं के रोजगार की यह स्थिति है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 1981 तक हमारे देश की आबादी में 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की आबादी 935 थी। यह बात किस चीज की द्योतक है? इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि महिलाओं में अधिक सहन शक्ति होती है। फिर भी उनकी संख्या कम क्यों है? ऐसा इसलिए है कि शिशुओं में लड़कियों की मृत्यु दर बहुत अधिक है। पोषाहार के बारे में किए गए सर्वेक्षण से पता

चलता है कि महिलाओं को सबसे कम पौष्टाहार मिल पाता है। इतना ही नहीं, महोदय, यह सच है कि अस्पतालों में भी महिलाओं के लिए शय्यायें थोड़ी संख्या में आरक्षित की जाती है। मैंने आरम्भ में ही स्पष्ट कर दिया था कि यह पुरुषों और महिलाओं के बीच की लड़ाई नहीं है, अपितु इस बात को स्वीकार करने की आवश्यकता है कि अनेक दृष्टिकोणों से विचार किये जाने के परिणाम स्वरूप कुछ सुधार होने के बावजूद वास्तविकता यह है कि स्थिति यथावत बनी हुई है।

6.16 म० प० (उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अब हम सामाजिक समस्याओं पर विचार करते हैं उसके बारे में मैं क्या कहूं? दशक की घोषणा के पूर्व और दशक घोषणा के बाद भी दहेज के कारण होने वाली मृत्यु के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि 1975 और 1985 के मध्य दहेज की विभीषिका सर्वत्र फैल गई है और इसका प्रसार उस समाज में भी हो गया है जहां इसका कोई नामोनिशान न था। दहेज के कारण होने वाली मृत्यु का कारण पूंजीवादी समाज का लोभ है और वास्तविकता यह है कि महिलायें उससे सबसे अधिक उत्पीड़ित रही है। महोदय, यहां मैं इतना अवश्य कहूंगी कि हमारी संसद ने अनेक कानून पारित किये हैं। इन कानूनों में दहेज प्रतिषेध अधिनियम सबसे अधिक नकारा है। यहां तक दण्ड संशोधन अधिनियम भी इतना नकारा नहीं है क्योंकि यह महिलाओं के साथ की गई निर्दयता के मामलों पर लागू होता है। वस्तुतः यह एक अच्छा कानून है जिसे सभी के सहयोग से पारित किया गया है। किन्तु इसका क्या परिणाम निकला? मुझे एक सच्ची घटना बताने दीजिये। सीमित समय के कारण मैं विस्तार में नहीं बोल सकती हूं। हाल ही में एक सज्जन मेरे पास आये थे। उन्होंने अपनी पुत्री के उत्पीड़न की कहानी सुनाई थी जिसकी मृत्यु बहुत ही संदेहात्मक परिस्थिति में हुई थी। जैसाकि पुलिस आमतौर पर कहती है, कि यह आत्म हत्या का मामला था। वह दिल्ली में एक सरकारी कर्मचारी है। इसके पश्चात् उन्होंने माननीय प्रधान मन्त्री के पास एक विशेष अभ्यावेदन भेजा था। ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय प्रधान मन्त्री ने इस मामले की शीघ्र छान-बीन करने का आदेश दिया है। महोदय, पूरा एक महीना बीत गया है। अब वह मेरे पास पुनः आया था। उसका कहना है कि प्रधान मन्त्री के निदेश दिये जाने के बावजूद मामले में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जहां तक उसका सम्बन्ध है, अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। तत्पश्चात, मैंने यह सोचते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय को एक पत्र लिखा कि मैं एक निरीह व्यक्ति हूं और मेरे शब्दों का कोई असर नहीं होगा अतः माननीय अध्यक्ष महोदय इस मामले को गृह विभाग को भेज दें। किन्तु अभी तक उसका कोई परिणाम नहीं निकला है। केवल तीन अथवा चार दिन पूर्व इस व्यक्ति श्री धीर ने मुझसे टेलीफोन पर पूछा था कि इस मामले में क्या हुआ मैंने बताया कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने उसका पत्र गृह मन्त्रालय को भेज दिया है। इस समय तक उसे पुलिस विभाग से कोई सूचना नहीं मिली है यद्यपि परिस्थितियां बहुत ही संदेहात्मक है। मैं यह कहना चाहती हूं कि इन कानूनों के होने के बावजूद कार्यान्वियन तंत्र आज तक इतना कमजोर बना हुआ है कि कानून अधिकांश महिलाओं के लिए वास्तव में उतना लाभकारी नहीं सिद्ध हो सका है जिनके लिए वह कानून बनाया गया है। महोदय, जितने भी सामाजिक कानून पारित किए गए हैं, उन सबकी यही स्थिति है।

क्या इस दशा में भी प्रचार माध्यमों में महिलाओं को प्रदर्शित करने के सम्बन्ध में कोई सुधार हुआ है? विज्ञापनों में कैसा विज्ञापन हो रहा है? युवा लड़की के साथ बैठकर टेलीविजन देखने में मुझे लज्जा होती है। किन्तु मुझे नहीं पता कि मेरे पुरुष साथियों को कैसा महसूस होता है यही सब प्रदर्शित किया जा रहा है। यदि कोई कामोत्तेजक दृश्य प्रदर्शित नहीं किया जाता है; तो ऐसी महिला का प्रदर्शन नहीं किया जाता है जो सुस्त हैं बहुत ही लाचार है, जो त्याग करने को सदा तत्पर है और जो अपनी

परेशानियों को कभी अभिव्यक्त नहीं करती। वास्तव में, प्रचार माध्यमों में यहां तक कि सरकारी प्रचार माध्यमों में भी महिलाओं को उस तरह से प्रदर्शित नहीं किया जाता जैसा किया जाना चाहिए। अर्थात ऐसे कार्यक्रम नहीं प्रायोजित किये जाते जो इस बात को इंगित कर सकें कि महिलायें बराबर की भागीदार हैं। इस दिशा में कोई गम्भीर और जागरुकतापूर्ण कदम नहीं उठाया गया है।

ऐसी स्थिति में मैं यह कहना चाहूंगी कि यद्यपि इस दशक में जैसा कि मैं कह चुकी हूं, हम लोग कुछ सीमा तक आगे बढ़े हैं और हमें संघर्ष करने का जोश आया है—जो हमारा सबसे बड़ा गुण है—किन्तु फिर भी खेद है कि हम समाज को तथा अनेक मामलों में सरकार को उतना प्रेरित नहीं कर सके हैं जितनी कि हमें आशा थी। इसलिए, इस दशक की समाप्ति पर, मैं आगे कार्यवाही करने के लिए कुछ और कदम उठाने का सुझाव देती हूं। इस दशक की समाप्ति के साथ महिलाओं को भुलाया नहीं जाना चाहिए। पूरी सभा से मेरी यही अपील है।

स्वाभाविक है कि कुछ सुझाव देते समय, सभी मुद्दों पर विस्तार से सुझाव देना सम्भव नहीं है। फिर भी आपके समक्ष कुछ सुझाव प्रस्तुत करना भी मेरा एक बड़ा कर्त्तव्य है। हाल ही में, इसी महीने की 3 और 4 तारीख को दिल्ली में विभिन्न गैर-सरकारी महिलाओं के संगठनों के बीच आपस में सलाह मशविरा हुआ था जिसमें आल इंडिया वीमेन्स कान्फ्रेंस, नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन वीमैन, आल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमैंस एसोसिएशन, यंग वीमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन, सेन्टर फार डैवलपमेंट स्टडीज जैसे महत्वपूर्ण अखिल भारतीय महिला संगठनों तथा अनेक स्थानयी संगठनों अर्थात दिल्ली के संगठनों ने भी भाग लिया था। उन्होंने बहुत सारे सुझाव प्राप्त किये हैं जिसके बारे में मेरा अनुरोध है कि न केवल हमारी माननीय महिला कल्याण मन्त्री अपितु सभी अन्य मन्त्री भी विचार करें।

मेरे संगठन अर्थात दि नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन वीमेन ने भी उस सम्मेलन में भाग लिया था। भविष्य में कार्यवाही करने के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण सिफारिशें की गई थीं। मैं शीघ्र उनका उल्लेख करूंगी जिन पर माननीय मन्त्रीगण तथा सम्पूर्ण सभा उन पर विचार करे जिससे कि भविष्य की कार्ययोजना बनाई जा सके।

शिक्षा के क्षेत्र में मेरा अनुरोध है कि निरक्षता को समाप्त करने तथा प्रारम्भिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये और इसके अलावा बच्चों की और अधिक देखभाल करने, दिवा देखभाल सेवा, दोपहर के भोजन की व्यवस्था लड़कियों को स्कूल, आदि में रखने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन, आदि सहायता कार्यक्रम चलाये जायें ?

शिक्षा मन्त्री महादय, इस बात का ध्यान रखें कि कुल व्यय का 10 प्रतिशत भाग शिक्षा पर व्यय किया जाता है।

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्णचन्द्र पंत) : मैं तो यह समझता था कि आप केवल प्रो० रंगा से बोल रही हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : जी नहीं, मैं आपसे कह रही थी श्री पन्त जी। प्रो० रंगा वरिष्ठ सदस्य हैं। इसलिए मैं उनसे भी बात कर सकती हूं।

इस 10 प्रतिशत में से अथवा जितना लाभ आप प्राप्त कर पाते हैं, उसमें से 50 प्रतिशत राशि लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा के लिए निर्धारित की जाए क्योंकि उनका बकाया भी पूरा करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप और समय लेंगी। औरों को भी बोलना है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : स्वाभाविक है, मैं कुछ समय और लूंगी, क्योंकि मैंने ही यह प्रस्ताव रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप दूसरों को भी बोलने का अवसर दीजिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी : निश्चित रूप से मैं चाहती हूं कि अन्य सदस्य भी इस वाद-विवाद में भाग लें किन्तु आप इस बात से सहमत होंगे कि मैंने एक भी मुद्दा असंगत नहीं बोला है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बात से सहमत हूं कि सभी संगत है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : फिर शिक्षा सम्बन्धित स्थिति पर निगरानी रखने के लिए एक निगरानी तन्त्र भी होना चाहिए। रोजगार के सम्बन्ध में भी एक ऐसा तंत्र होना चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि कृषि, ग्रामीण विकास, उद्योग, विज्ञान, तकनीकी शिक्षा, आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निर्धारित धनराशि में से एक निश्चित राशि के माध्यम से विकास संसाधन महिलाओं के लिए भी उपलब्ध हों। कुछ और भी मुद्दे हैं। किन्तु मैं एक मुद्दा विशेष रूप से उठाना चाहती हूं और वह है कि महिलाओं के लिए आयु सीमा बढ़ाकर देश सरकारी सेवा में भर्ती के लिए महिलाओं को आयु सीमा की छूट दी जाये। कानूनों के बारे में मेरा यह विश्वास है कि कानून की पुनरीक्षा आवश्यक है और जब कभी यह पाया जाय कि कोई कानून महिलाओं के साथ पक्षपात करता है तो उस कानून की पुनरीक्षा की जाये। इस कार्य के लिए मन्त्रालय में एक कार्यदल गठित किया जाये।

जहां तक प्रचार माध्यमों का प्रश्न है, मैं ऐसा महसूस करती हूं कि प्रचार माध्यमों के बारे में बहुत गम्भीरतापूर्वक जांच-पड़ताल की जाये जिससे कि सभी बातों की दृष्टि से महिलाओं की समानता के प्रश्न पर विचार किया जा सके। यह बहुत अच्छी बात है कि समाज कल्याण मंत्री तो महिला कल्याण मन्त्री भी हैं। किन्तु जब तक महिला कल्याण मन्त्री को उन सभी अन्य मंत्रालयों की जो महिलाओं से संबंधित गतिविधियों पर निगरानी करने का अधिकार वास्तव में नहीं दिया जाता, तो यह केवल नाममात्र ही होगा। मेरा प्रस्ताव है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संसदीय कल्याण समिति के समान ही महिलाओं से सम्बन्धित कल्याणकारी कार्यक्रमों की जांच करने के लिए भी एक संसदीय समिति गठित की जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ, मैं आशा करती हूं कि महिलाओं को आगे बढ़ाने में समूची सभा हमारी सहायता करेगी।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : मैं इस समय अपनी उन बहनों के बोलने में रुकावट डालने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं जो इस विषय पर बोलना चाहती हैं बल्कि यह बताने के लिए खड़ा हुआ हूं कि हमारी कांग्रेस पार्टी भी महिलाओं के हितों की रक्षा के प्रति उतनी ही गम्भीर है जितनी कि हमारी माननीय मित्र श्रीमती गीता मुखर्जी।

हमें इस बात का सम्मान प्राप्त हो चुका है कि एक महिला हमारी प्रधानमन्त्री, रह चुकी हैं। वे 15 से अधिक वर्षों तक हमारी नेता रहीं। यह विश्व में एक अद्वितीय उपलब्धि है क्योंकि विश्व में किसी भी अन्य प्रजातंत्रात्मक देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। दूसरे महात्मा गांधी ने ही महिलाओं में जागरूकता खासकर उनमें जनजीवन में भाग लेने की जागरूकता पैदा की थी। यह जागरूकता यही तक नहीं थी कि चुनकर विधान सभाओं में आ जाओ और मन्त्री बनो में आ जाओ बल्कि साम्राज्यवाद से लड़ने देश में मौजूद सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के प्रति जागरूकता थी। देश में हमारे सामाजिक जीवन में वे जो भारी गतिशीलता लाए उसी कारण तो आज हम जीवन के हर क्षेत्र में इसमें संचार माध्यम भी शामिल है, महिलाओं की प्रगति के उपायों के बारे में सोच सकने की स्थिति में हैं।

मेरी माननीय मित्र श्रीमती गीता मुखर्जी ने अपने भाषण के अन्त में यह बहुत रचनात्मक सुझाव दिया है कि जिस तरह अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग और अल्पसंख्यक आयोग है उसी तरह एक आयोग होना चाहिए जो सरकार द्वारा समय-समय पर महिलाओं के उत्थान के लिए किए गए कल्याण कार्यों की प्रगति तथा उनकी जांच का काम करे। एक अन्य सुझाव उन्होंने यह रखा है कि समाज कल्याण प्रभारी मन्त्री को यह अधिकार दिए जाएं कि वह इस बात को सुनिश्चित करें कि महिलाओं के बारे में सरकार तथा संसद द्वारा विवेकपूर्ण निर्णयों का सम्बन्धित मन्त्रालय पालन करें। हम सभी महिला कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अपना पूर्ण सहयोग देने के पक्ष में हैं। श्रीमती गीता मुखर्जी इस बात को स्वीकार करेंगी कि उनकी ही तरह इस सदन की बहुत सी अन्य महिला सदस्यों जिनमें हमारी मित्र श्रीमती मोहसिना किदवई, समाज तथा महिला कल्याण मंत्री श्रीमती मारमाथम चन्द्रशेखर, श्रीमती कृष्णा साही, श्रीमती विद्या दण्डवते शामिल हैं और कांग्रेस की अन्य अनेक महिला सदस्यों ने संसद में पिछले पांच सालों के दौरान बहुत कार्य किया है। वे इस सम्बन्ध में बहुत से उपयोगी कानून बनवाने में सफल हो सकी हैं उदाहरण के लिए हाल ही में बनाया गया दहेज कानून।

हम सब उनकी इस बात से सहमत हैं कि इस कानून को लागू कराने का प्रश्न जब उठता है तो हमें बहुत सफलता नहीं मिलती। महिलाओं के मामले में ही ऐसा नहीं है। विभिन्न सामाजिक मामलों में भी हमारी कार्यनिष्पादन इतना उत्साहजनक और गतिशील नहीं है जितना कि संसद चाहती है। अत: मैं सरकारी तंत्र के सदस्यों से अनुरोध करता हूं और वैसे भी नौकरशाही में बहुत शीघ्र और महिलाएं आ जाएंगी। इन आने वाली महिलाओं की सहायता और सहयोग से, हम उनसे अनुरोध करते है कि वे संसद सदस्यों और सरकार को इन कानूनों को लागू करने तथा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए यथासंभव प्रयास करें कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने जो भी कानून बनाए गए हैं उनके माध्यम से उन्हें वे वास्तव में उपलब्ध हों।

इस अवसर पर अगर मैं स्वर्गीय श्रीमती सरोजिनी नायडू के देश में नारी आन्दोलन की दिशा में योगदान का उल्लेख नहीं करूं तो शायद मैं संसद सदस्य तथा कांग्रेस पार्टी के अनुभवी नेता होने के नाते अपने कर्तव्य से हट रहा हूं। उन्हें आंध्र की कहा जाता था क्योंकि उन्होंने एक आंध्रवासी से विवाह किया था बंगाली उन्हें बंगाल का होने का दावा करते हैं तथा सभी समाज कल्याण संस्थाएं भी दावा करती थीं कि वह उनकी हैं। उनका बहुविध व्यक्तित्व था। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में हम सबको इतना अधिक प्रोत्साहन दिया कि वे महान राष्ट्रीय नेता बन गईं। इसके अलावा वे महात्मा गांधी की सच्ची अनुयायी थीं। जब वे जेल में थे, उन्हें सहायता की जरूरत थी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तथा उन्हें प्रोत्साहन की जरूरत थी उस समय उन्होंने उनकी निजी तौर पर स्वयं देखभाल की। खासकर तब जब—जैसा कि मैं बता चुका हूं—लार्ड लिनलिथगो ने उन्हें इस निर्दयी तरीके से जेल में डाल दिया था तथा कांग्रेस कार्यकारी समिति के उनके सहयोगी उनसे संपर्क तक नहीं कर सकते थे। तब से अब तक नारी आंदोलन ने बहुत प्रगति की है।

मेरी माननीय मित्र गीता ने आंकड़ों का उल्लेख कर अब हमें बताया है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति की तुलना में अब तक महिलाओं को कितना कम दर्जा दिया गया है। यह बात ठीक है। लेकिन हमने बहुत प्रगति भी की है जैसा कि वे अपने अनेक भाषणों में कह चुकी हैं। बचपन में ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने देखा कि लोगों की यह धारणा थी कि औरतों को शिक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे वीरसालिंगम नामक एक महान समाज क्रांतिकारी ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने लोगों की इस पूर्व धारणा के विरुद्ध आवाज उठाई कि अगर स्त्रियां शिक्षित हो गईं तो वे अपना स्त्री-

धर्म नहीं निभा पाएंगी। तब से अब तक हम इस स्थिति तक पहुंच गए हैं कि एक स्त्री पति द्वारा अपने ऊपर अत्याचार किए जाने पर उसे अदालत में घसीट सकती है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद विशेष रूप से यह एक महान प्रगति है जो भारत ने की है। यह ठीक है कि हमें इस दिशा में और आगे तथा शीघ्रता से बढ़ना है तथा बजट में और धनराशि की व्यवस्था करनी है ताकि हम निर्धारित लक्ष्य से भी कहीं अधिक प्रगति कर सकें। हमें लोगों में ज्ञान का प्रकाश भरना है। संसद में राज्य विधान सभाओं में इस तरह का वाद-विवाद बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। अतः मैं अपने दल की ओर से तथा स्वयं, श्रीमती गीता मुखर्जी तथा संसद में उनकी सहयोगी महिला संसद सदस्यों का आभारी हूं। मुझे इस बात पर गर्व है कि हमारी संसद में इतनी अधिक महिलाएं हैं। ब्रिटेन को छोड़कर मेरे विचार से विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां महिलाओं को आम चुनावों के माध्यम से इतना ऊंचा दर्जा मिला हो जितना उन्हें भारत में मिला है। मैं निराशावादी नहीं हूं। अपनी नेता का ध्यान करते हुए—मैं इन्दिराजी को अभी भी अपनी नेता मानता हूं चाहे वे स्वर्गवासी हो गई हैं—यह सदन के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि वह महिलाओं की प्रगति में, उनके तेजी से विकास में, वर्तमान तथा भविष्य में तेजी से प्रगति के प्रति अपना विश्वास, अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करे।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, आज अन्तर्राष्ट्रीय महिला दशक के अन्तिम छोर पर जब हम सब संसद में महिलाओं के बारे में, उनकी प्रगति और विकास के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर रहे हैं, मेरे हृदय में हर्ष और विषाद दोनों ही भावनाओं का सम्मिश्रण है। हर्ष इसलिए है कि संसद में आज हम इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं और विषाद इसलिए है कि हम अपनी पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी की कमी को महसूस कर रहे हैं। वह कमी ऐसी है, वह रिक्तता ऐसी है, जो किसी भी प्रकार से पूर्ण नहीं की जा सकती।

1975 का वर्ष महिला वर्ष के रूप में मनाया गया। यह नारी प्रगति के विकास में एक मील पत्थर साबित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि महिलाओं के पिछड़ेपन और उनकी समस्याओं की ओर समाज का ध्यान आकृष्ट किया जाए और साथ ही भारत सरकार और राज्य सरकारें, इन दोनों को बाध्य किया जाए कि वे ऐसे सशक्त कानून बनाएं, ऐसे कार्यक्रम बनाएं, जो महिलाओं को शोषण से मुक्त कर सकें। वे अपनी पहचान को समझें और क्षमता को समझें, उनमें आत्म-विश्वास जगे और साथ ही साथ देश के निर्माण और विकास में उनकी भागीदारी बने। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के लिए अनेक ऐसी योजनाएं दस वर्षों में बनाई गई और उनको कार्यान्वित भी किया गया है, जिनमें महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके रोजगार को प्राथमिकता दी गई है। अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर गोष्ठियां, सेमिनार, सम्मेलन आदि अनगिनत कार्यक्रम अपने देश में हुए और इस सदन में भी चर्चा हुई। इसी संदर्भ में 1974 में स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कमेटी का गठन हुआ, जिस कमेटी ने बहुत बड़े पैमाने पर काम किया और जिसकी कड़ियां राज्य, जिला और स्थानीय स्तर तक फैलाई गई और सभी ग्रामीण स्तर महिलाओं ने उसमें भाग लिया। जन-जागरण का कार्य प्रारम्भ हुआ, जनमत निर्माण किया गया और इतने जोरों पर हुआ कि महिलाओं की प्रगति और विकास के लिए एक वृहद राष्ट्रीय योजना तैयार की गई। नए अवसर महिलाओं को दिए गए। बेसहारा महिलाओं के लिए परियोजनाएं प्रारम्भ किया गया। पहली बार महिलाओं का विकास सम्बन्धी अध्याय छठी योजना में प्रारम्भ किया। प्रौढ़ महिलाओं के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई। क्या यह हमारी प्रगति नहीं है। मैंने अपनी बहन श्रीमती गीता मुखर्जी को यह कहते हुए सुना कि हम आज ऐसे विषय पर

बात कर रहे हैं जिसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं है। उन्होंने बातें तो कहीं लेकिन उनकी बातों में मुझे कुछ राजनीति की भी गंद आ रही थी। हमारा देश जो प्रजातन्त्रीय भारतवर्ष है, मुझे इस देश पर और सारी महिलाओं को इस बात का गौरव है कि श्रीमती गांधी के नेतृत्व में हमारा राष्ट्र अन्तरराष्ट्रीय क्षितिज पर ऐसा उभरा कि महिलाओं के लिए केन्द्र-बिन्दु दूसरे देशों में बना है। इसी प्रकार श्रीमती गांधी जब 1966 में प्रधानमन्त्री बनी तबसे लगातार महिलाओं ने प्रत्येक क्षेत्र में विकास किया है। मैं यह नहीं कहती कि बहुत कुछ हमने किया है। लेकिन ऐसा जरूर किया है कि हम दूसरे देशों में ईर्ष्या के पात्र बन गए हैं। परन्तु, भारत ऐतिहासिक अतीत को देखें तो पता चलता है कि महिलाओं को सर्वत्र आदर की दृष्टि से देखा गया था। देवी मां की पूजा का सिद्धान्त आरम्भिक काल से चला हुआ है। प्राचीन ग्रंथों और पुराणों आदि में महिलाओं के प्रति विशिष्ट आदर और सम्मान की परम्परा लक्षित होती है। आपने भी महादेवियों के बारे में पढ़ा होगा। ये हैं—लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा। उनके प्रति श्रद्धा और पूजा भाव सर्वत्र दृष्टिगत होता है। पुराणों में समस्त ज्ञान और विज्ञान का स्रोत और सार तत्व सरस्वती को माना गया है। बाधाओं को दूर करने वाली लक्ष्मी को भी माना गया है। इस तरह से दुर्गा आदि शक्ति के रूप में पूजित हुई हैं। महिलाओं में जब हम इस तरह क्षमता पाते हैं तो हमें सिर्फ एक ही बात की ओर ध्यान दिलाना है कि अतीत में ऐसा हुआ है कि मनु-स्मृति में महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक साबित किया गया है। उन्हें, पुरुषों पर आश्रित रहने की चर्चा की गई है। सुरक्षा की आवश्यकता उनके लिए महसूस की गई है। इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि उस समय, समय की आवश्यकता आ पड़ी थी। ऐसी मांग थी कि महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत थी। लेकिन महिलाओं की पुरुषों पर आश्रित रहने की जो व्यवस्था सदियों से चलती आई है, वह व्यवहार में आ गई। व्यवहार में आने के बाद यह समाज की कुरीति और कुप्रथा के रूप में उजागर होने लगी। इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि समाज में जो बुराइयां और कुप्रथाएं थी, वह हमारे सामने एक अभिशाप बन गई। उन्नीसवीं सदी से बीसवीं सदी तक हमारे यहां बड़े-बड़े दार्शनिक, बड़े-बड़े राजनेताओं और लेखकों ने इन कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए बहुत अथक प्रयास किया। फिर भी जो सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए था, उस अनुपात में वह नहीं हुआ। इसका एक उदाहरण मैं यहां पर देना चाहती हूं। कलकत्ता के किसी जज ने अपने एक आबजरवेशन में कहा था :

[अनुवाद]

> "केवल विधान बनाकर समाज को गति नहीं दी जा सकती। तथापि सामाजिक प्रवृत्तियों में आवश्यक परिवर्तन लाकर और उन पर होने वाली ज्यादतियों पर नियंत्रण लगाने हेतु उचित दिशा देने में विधान के महत्व को नकारा नही जा सकता है।"

[हिन्दी]

कानून के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। सामाजिक कानून के प्रचार और प्रसार के माध्यम से ही हम महिलाओं को भी जागृत कर सकते हैं। अपने देश में भी जागृति ला सकते हैं। श्रीमती गांधी के नेतृत्व में संसद में महिला दशक में बड़े ही महत्वपूर्ण कानूनों को पारित एवं संशोधित किया गया था। मैं कुछ का नाम लेना चाहती हूं। "दी इक्वल रेम्युनिरेशन एक्ट-1976"। गीता जी, आपको मालूम है कि यह यहां पर 1976 में पारित हुआ था। दूसरा, "चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन्ट अमेंडमेंट एक्ट-1978"। यह पारित तो जनता पार्टी की सरकार में संसद में हुआ। लेकिन इसका प्रस्ताव एक साल पहले ही हमारी सरकार के समय में हो चुका था। दूसरा क्रीमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, 1983 था, उसके बाद ही क्रीमिनल लॉ सैकेण्ड अमैंडमैंट एक्ट, 1983 था, उसके बाद डौरी प्रोहिबिशन एक्ट, 1961 एज

अमैन्डिड इन 1964 और अन्त में दी फैमिली कॉर्टस एक्ट, 1984 था। मैं इन विधेयकों के बारे में ज्यादा कहना इसलिए नहीं चाहती क्योंकि इसमें बहुत समय लगेगा मगर जैसा कि सभी को जानकारी है कि महिलाओं की उन्नति में लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको हर प्रकार से मजबूत बनाने के लिए, ये सारे कानून संसद में लाये गए। इतिहास इस बात को याद रखेगा कि ऐसा पहले कभी संसद में नहीं हुआ था, जो कार्य श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के नेतृत्व में इस संसद में हुआ।

विश्व स्तर पर सामाजिक, आर्थिक उन्नयन के लिए सरकारी और गैर-सरकारी तमाम प्रयत्नों के बावजूद ऐसा लगता है कि इसके परिणाम बहुत संतोषजनक नहीं रहे हैं क्योंकि मैक्सिको में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक हो रही थी तो भारत की ओर से एक वक्तव्य दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि—

[अनुवाद]

"महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक भूखी हैं। उनमें बेरोजगारी की समस्या अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक, सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से महिलाएं अधिक पिछड़ी हुई हैं।"

[हिन्दी]

इसमें सत्यता है कि हम बहुत कुछ करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि काशीवास के पुण्य से हजारों विधवाओं और परित्यक्ताओं को मरणोपरान्त स्वर्ग मिलेगा या नहीं, यह कोई नहीं जानता मगर फिलहाल वह नरक की जिन्दगी बिता रही है। महिला शरणार्थियों और बेपनाह महिलाओं के लिए हमारे देश में जितने नारी निकेतन बने हैं, चाहे वे सरकारी क्षेत्र में हों या गैर-सरकारी क्षेत्र में, उनके संचालकों और कार्यकर्ताओं के द्वारा महिलाओं का शोषण होता है। मैं चाहती हूं कि मंत्री जी इस ओर ध्यान दें और ऐसे नारी निकेतनों पर अंकुश लगाने के कदम उठायें। इसके अलावा, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि हमारे देश में हजारों-हजार ऐसी महिलाएं हैं, जो बेपनाह हैं, जो हमेशा घरों में बन्द रहती हैं और उनके साथ जानवरों सा सलूक किया जाता है। हमें उन महिलाओं के बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। कुछ महिलाएं नवयुवती होने से पहले ही वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाती हैं अथवा बलात्कार, दुराचार या अनाचार का शिकार हो जाती हैं। उनकी हालत दिन-पर-दिन बिगड़ती ही जा रही है और ऐसा लगता है मानों ज्यों-ज्यों हम दवा करते जाते हैं, मर्ज बढ़ता ही जा रहा है। आये दिन हम अखबारों में उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों के बारे में पढ़ते हैं। अभी राष्ट्रीय पुलिस की आठवीं रिपोर्ट, जो कि 1983 वर्ष में इस संसद में पेश की गई थी, के ऊपर गहरी चिन्ता प्रकट की गई थी। उसका कारण यह था कि महिला अपराधियों की संख्या में वर्ष 1971 से लेकर 1977 के बीच 75.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं पर अत्याचार अधिक संख्या में हुए बनिस्वत उनके द्वारा किए गए अपराधों के।

समाज कल्याण विभाग द्वारा गांवों में किए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक 1981 में लगभग डेढ़ लाख महिलाएं विभिन्न जेलों में रखी गईं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि उनमें से अधिकांश महिलाएं विचाराधीन कैदी के रूप में जेलों में रखी गईं अथवा संदेहास्पद चरित्र के आधार पर उनको वहां ठूंस दिया गया। यदि वे अपराधी नहीं हैं और फिर भी उनको अपराधी बनाकर रखा जा रहा है तो यह उन पर अत्याचार है और ऐसे प्रमाण हमें मिले हैं, जिनसे इस बात की पुष्टि होती है। मैं चाहती हूं कि हमारे समाज में महिलाओं की समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। उनके व्यक्तित्व को समाज में ऊंचा दर्जा मिलना चाहिए और यह कार्य मात्र कानून बनाने से ही नहीं होगा बल्कि हमें यह

सुनिश्चित करना चाहिए कि उन कानूनों का क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं। हमें यह देखना चाहिए कि समाज में उनका मान और सम्मान कैसे बढ़े, उनको प्रथम श्रेणी का नागरिक बनाने के लिए क़ानून का कड़े ढंग से कार्यान्वयन आवश्यक है। इसके लिए आपको प्रशासन के ऊपर अंकुश लगाना होगा क्योंकि सरकार जो व्यवस्था करती है, महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती है, उनको हर तरह के अवसर देना चाहती है, परन्तु वे लाभ उन तक पहुंच नहीं पाते और हमारे ग्रामों में महिलाओं की दशा ठीक नहीं है। उनको कानून का ज्ञान कराने के लिए शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए और यह अभियान जन-जागरण के रूप में होना चाहिए ताकि महिलाओं को उनकी जानकारी हो सके कि उनके लिए कौन से कानून बनाए गए हैं। गांव-गांव में उनका प्रचार होना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक परिवेश और परिस्थिति को बदलने के लिए प्रयत्न किया जाए और जिसे "प्रोसैस ऑफ सोश्यल चेंज" कहते हैं, वह तो सर्वोपरि है। इसमें शिक्षा का सबसे अधिक महत्व होता है क्योंकि शिक्षा क्रान्तिकारी परिवर्तन की आत्मा होती है।

यदि शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन होगा, तो निश्चित रूप से हमारी महिलाएं आगे बढ़ेंगी और हर तरह से उनका विकास होगा। लेकिन जहां तक शिक्षा का सवाल है, इसमें विरोधाभास नजर आता है। एक ओर जहां समाज कल्याण मंत्रालय का 1975 से 1985 तक का जो प्रतिवेदन है, उसके अनुसार 75 से 85 तक, महिला-दशक में, महिलाओं में निरक्षरता में वृद्धि हुई है। यह बात जो मैं कह रही हूं, यह इनके विभाग का जो प्रतिवेदन है उसके आधार पर कह रही हूं। तो दूसरी ओर प्राथमिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक शिक्षा के स्तर तक लड़कियों के स्कूल में भर्ती होने की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। यह बात मैं छठी पंचवर्षीय योजना की 1980-85 की रिपोर्ट के आधार पर इस मध्यावधि के मूल्यांकन के अनुसार कह रही हूं, फिर भी लड़कों के अनुपात में लड़कियां बहुत पीछे हैं। क्षेत्रीय विषमता भी इसमें बहुत बड़ा कारण है। नौ राज्य सरकारें—आंध्रप्रदेश, आसाम, बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि ऐसी हैं जो उल्लेखनीय ढंग से इस शिक्षा की प्रगति में पीछे आती हैं। उच्च-शिक्षा में तो प्रगति हुई है और उसका अनुपात लड़कों के अनुपात से कम हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं और यही बात मैंने पहले भी कही है कि शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन के साथ ही साथ यदि हम आगे बढ़ते हैं, तो हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं।

अन्त में, मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने अभी हाल में गुटनिर्पेक्ष देशों का जो सम्मेलन हुआ था, जिसमें विकासशील देशों की अनेक महिला नेता गण आई थीं, उन्होंने उस सम्मेलन का उद्घाटन किया और उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी समाज के विकास में महिलाओं की भूमिका अत्यन्त ही महत्वपूर्ण होती है, फिर भी दुनिया में महिलाएं सबसे बड़ी सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम एवं समाज में उनके दर्जे को ऊपर उठाने के लिए बहुत ठोस सुझाव दिए हैं और मैं स्वागत करती हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने महिलाओं को हाईस्कूल तक निशुल्क शिक्षा देने को कहा है। इससे क्या होगा कि महिलाओं में शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरणा मिलेगी, उनमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्साह जाग्रत होगा। सबसे ज्यादा खुशी की बात तो यह है कि उनके प्रधान मंत्रित्व में राजनीतिक क्षेत्र में आने के लिए महिलाओं में उत्कण्ठा जागी है और अधिक संख्या में वृद्धि हुई है। इसलिए मैं इतना निश्चित रूप से कहना चाहती हूं कि महिला-दशक में महिलाओं की ओर से जो आवाज उठ रही है, वह बहुत सशक्त है, बहुत बुलंद है, बड़ी जोरदार है। मैं आशा करती हूं कि हमारे राजीव गांधी जी के नेतृत्व में हमारे समाज का अवश्य ही विकास होगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अगली वक्ता को बुलाने से पहले मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे भाषण अत्यन्त संक्षेप में दें। आप लोग महिलाओं पर बोल रही हैं अतः यह मत सोचिए कि मैं महिलाओं की वाक् स्वतन्त्रता पर रुकावट डाल रहा हूं। समय की कमी को देखते हुए मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है। अतः मैं अन्य सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे विषय से सम्बन्धित बात ही कहें तथा अपना भाषण 5 मिनट में पूरा करें। अन्य बहुत से सदस्यों ने अभी बोलना है। अगर मैं शुरू में हर सदस्य को अधिक समय दूंगा तो बाद वाले सदस्यों को उतना समय नहीं दे सकूंगा। उस सन्दर्भ में हो सकता है कि मैं अन्य सदस्यों के बोलने में विघ्न पैदा कर रहा हूं।

अब मैं श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी से अनुरोध करूंगा कि वे बोलें।

[हिन्दी]

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (खजुराहो) : सर, कुल पांच मिनट हैं और बोलने वाले बहुत ज्यादा हैं, तो क्या सदन का समय बढ़ाया जाएगा, ताकि हम सब बहनें बोल सकें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आशा है आप मुझे समझने की कोशिश करेंगी। आपकी अन्य सहयोगी भी बोलना चाहती हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (खजुराहो) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी माननीय सदस्या की तरफ से जो प्रस्ताव आया है, इसमें कोई शक नहीं है कि महिलाओं के बीच में अभी हमें काम करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि महिलाएं सदियों से पिछड़ी रही हैं, जिन्हें सदियों से इगनोर किया गया है, उनके लिए चाहे हम जितना भी कल्याण का काम करें वह उसी तरह होगा जैसे रेगिस्तान में चुल्लू भर पानी होता है। लेकिन यह कहा जाए कि आजादी के बाद महिलाओं के लिए हमारे शासन द्वारा या हमारे समाज द्वारा उनकी उन्नति के लिए काम नहीं किए गए हैं, तो यह सही नहीं होगा।

यह बात सही है जैसा कि हमारी माननीया सदस्या श्रीमती साही ने कहा। एक ऐसी दिल के अन्दर कमी महसूस होती है, जब भी कभी उस कुर्सी की तरफ देखते हैं तो एक भव्य मूर्ति जो हमारे बीच में रहा करती थी, हमें शक्ति प्रदान करती थी जिससे हम आलोकित होते थे, वह न केवल इस देश की बल्कि सारे विश्व की नारी जाति की गौरव थीं, वह क्षति हमें आज बहुत महसूस हो रही है। जिस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे बीच में थीं, हर नारी अपने आपको सम्मान में ऊंचा समझती थी, लेकिन आज वह उस कमी को महसूस करती है। मैं श्रीमती साही की इस बात की ताइद करती हूं, लेकिन इस बात के लिए अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि अभी तक जो महिला डवलपमैंट विभाग अलग नहीं था, उन्होंने समाज कल्याण और महिला कल्याण का विभाग अलग किया है। इससे साफ जाहिर है कि महिलाओं के कल्याण, प्रगति और विकास के लिए हमारी सरकार विशेष ध्यान देते जा रही है।

जहां तक पुरानी बातों का सम्बन्ध है, हमारे इतिहास में मनु ने कहा है—

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते,

रमन्ते तत्र देवताः।

यत्रास्तु न पूज्यन्ते
तत्र सर्वफलाक्रिया ।।

जहां औरतों की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहां सब काम ठीक होता है और जहां उनका तिरस्कार होता है, वहां सारे काम विफल होते हैं।

नारी ने आजादी की लड़ाई में पूरा भाग लिया है। उसने कन्धे से कन्धा मिलाकर हर क्षेत्र में लड़ाई लड़ी है, चाहे वह शराब बन्दी की बात हो, धरना देने की बात हो, या जेल भरने की बात हो। 'अंग्रेज भारत छोड़ो' की आवाज जो महात्मा गांधी जी ने उठाई थी, उसमें और हर जगह वह पुरुषों से आगे आई है।

आज भले ही उसे शिक्षा की दृष्टि से कम अवसर मिले हों लेकिन जहां भी काम होता है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य, राजनीति, सामाजिक कल्याण का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियर, कलैक्टर या किसी भी स्थान पर कर्मचारी के रूप में या समाज सेविका के रूप में काम उसे दिया गया हो, जितनी जिम्मेदारी और सिंसियेरिटी से महिलाएं उस काम को निभाती हैं, यह अपने आप में एक मिसाल है। फिर भी यह सब कुछ करते हुए भी हम इस बात से दुखित हो जाते हैं कि आज नारियों की क्या स्थिति हो रही है? आज नारी मातृ-शक्ति न रहकर केवल प्रदर्शन की चीज रह गई है।

पिक्चरों में बलात्कार के सीन दिखाये जाते हैं, पोस्टरों में उनके नग्न अर्द्ध-नग्न शरीर की तस्वीरें छापी जाती हैं, यह मातृ-शक्ति का अपमान है। हमारा समाज उसको देखकर मनोरंजन करता है। आज जिस किसी भी चीज का एडवर्टाइजमेंट होता है तो उसमें नारी के शरीर को दिखाकर एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। उसके पोस्टर लगाये जाते हैं। यह हमारे लिए बहुत ज्यादा दुःख और शर्म की बात है। मैं माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करूंगी कि उन्हें इस ओर ध्यान देना चाहिये, मातृ-शक्ति को उन्हें सम्मान दिलाना होगा, उसकी प्रतिष्ठा स्थापित करनी होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं दो-एक सुझाव देना चाहती हूं। हमारा महिला वर्ष से लेकर 10-वां वर्ष हुआ है, इस बीच में हमने महिलाओं की प्रगति के लिये बहुत काम किया है लेकिन हम उन महिलाओं तक नहीं पहुंच पाये है जो गांव में रहती हैं। खेतों में काम करती हैं, सड़कों पर गड्ढा डालती हैं, बड़ी-बड़ी इमारतों के लिये अपने सिर पर ईंट और गारा ढोती हैं, बड़ी-बड़ी इमारतों जिसमें पूंजीपति रहते हैं, कल-कारखाने खोले जाते हैं, उनमें महिलाओं का परिश्रम होता है, लेकिन आज भी उनका सामाजिक एवं श्रम का शोषण हो रहा है।

7.00 म० प०

महिला का राजनीतिक शोषण रहा है। उसके श्रम का भी शोषण हो रहा है। वही काम एक पुरुष करता है तो उसको 20-25 रुपये दिये जाते हैं और यदि कोई महिला है तो उसे 10-12 रुपए ही दिये जाते हैं। कृषि के क्षेत्र में महिला पुरुष के साथ कन्धे से कन्धा मिला कर काम करती है, यदि पुरुष हल हांकता है तो महिला बीज बोती हुई चलती है लेकिन पुरुष को ज्यादा मजदूरी मिलती है और महिला को कम मजदूरी मिलती है। इस प्रकार से उसके श्रम का शोषण किया जा रहा है।

इसी प्रकार से आज आप आफिसेज में देखिए। भगवान न करे मेरी बात सही हो, लेकिन मैं इस बात को दावे से कहती हूं, अनेक नौजवान लड़कियां आकर कहती हैं कि उनके बास आफिस में उनको गिद्ध दृष्टि से देखते हैं, गलत आचरण कराने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और तरक्की दिलाने का लालच देते हैं अन्यथा उनको आए दिन परेशान किया जाता है। तो इन बातों की ओर कौन ध्यान

देगा ? आज नारी भले ही बहुत आगे बढ़ गई हों, हम कुछ महिलाएं संसद में भी आ गई हैं लेकिन आम नारी की स्थिति आज भी बड़ी दयनीय है, जिसको हमें सुधारना होगा।

शिक्षा की दृष्टि से भी मैं कहना चाहूंगी कि 'प्राइमरी से लेकर मिडिल स्कूल तक पुरुषों के बजाए स्त्रियों को ही शिक्षक नियुक्त किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। इसी तरह से टाइपिस्ट व इसी प्रकार की कुछ अन्य जगहों पर प्राथमिकता देकर अधिक से अधिक महिलाओं को ही नियुक्त किया जाना चाहिए।

अभी हमारे यहां कई निर्गुट राष्ट्रों की महिलाओं का एक बड़ा सम्मेलन हुआ था। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि ये सारी भूमिकायें और सारी योजनाएं जो थीं उनकी नींव हमारी भूतपूर्व स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने ही डाली थी। उनके ही प्रताप और मार्गदर्शन से सारे निर्गुट देश और विश्व की महिलाएं शांति एवं नरस्त्रीकरण की ओर आकर्षित होकर अपने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए उन्होंने अपनी आवाज उठाई है तथा इसमें अपना योगदान दे रही हैं।

जहां तक महिलाओं के लिए काम की बात है, अध्यापन कार्य उनके लिए सुविधाजनक है। क्लर्की की जाब भी सुविधाजनक है। वैसे तो अस्पतालों में तथा प्रत्येक क्षेत्र में ही वे योगदान कर रही हैं—चाहे इन्जीनियरिंग का क्षेत्र हो या एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र हो। लेकिन उद्योग के क्षेत्र में उन्हें प्रोत्साहित करना होगा। इस सत्र में उन्हें प्रशिक्षण देकर उनको यदि काम पर लगाया जा सके—उनको वहां पर लगाया जाना चाहिए ताकि वे अपना जीवन-यापन कर सकें।

मैं इस बात से तो सहमत हूं कि हमारे देश में महिलाओं के मामले में बहुत प्रगति हुई है, बहुत कुछ काम हुआ है लेकिन इसके माने यह नहीं है कि अब कुछ करना बाकी नहीं है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आप सुबह अखबार उठाकर देखिये, लिखा रहता है कि इतनी महिलाएं जलाई गयीं, इतनी महिलाओं ने आत्म हत्या कर ली और इतनी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। इन बातों से पूरा पृष्ठ रंगा हुआ नजर आयेगा। यह जो सामाजिक कुरीतियां हैं इनके लिए केवल महिलाएं ही जिम्मेदार नहीं हैं, पुरुषों की इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पुरुषों की यह जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के जो काण्ड होते हैं उनको रोकने के लिए पूरी तरह से जागरुक होकर समाज में एक स्वस्थ वातावरण बनाएं ताकि देश की नारी, नौजवान लड़कियां स्वच्छन्दता के साथ समाज में रहकर अपना जीवन-यापन कर सकें।

श्री सोभनाद्री स्वरा राव (विजयवाड़ा) : महोदय माननीय सदस्यों ने भारत में सामाजिक, शैक्षिक, राजनैतिक तथा आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं द्वारा की गई प्रगति के बारे में बहुत सी बातों का उल्लेख किया है। मैं केवल कुछ शब्दों को जोड़ना चाहता हूं।

मुझे खेद है कि अभी भी यह कटु सत्य है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा प्राप्त नहीं है। संविधान में उल्लिखित है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा तथा अवसर की समानता मिलेगी। लेकिन यह केवल लिखित में है व्यवहार में नहीं। वैदिक युग में भी महिलाओं को समाज में सम्मान, तथा स्थान प्राप्त था। उन्हें वेदों का पाठ-पाठन करने तथा बलि चढ़ाने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन दुर्भाग्यवश बाद में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के मुकाबले कम होती गई। इसका मुख्य कारण पुरुषों को महत्व दिया जाना है। यथासंभव प्रयासों के बावजूद अभी भी नहीं कहा जा सकता कि उन्हें खासकर हिन्दू समाज में पुरुषों के बराबर स्थान प्राप्त है।

मुस्लिम धर्म में औरत को पिता की संपत्ति का हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है लेकिन उनमें भी अशिक्षा तथा अज्ञानता के कारण महिलाएं दहेज निषेध अधिनियम के बावजूद अपना हक मांगने

की स्थिति में नहीं हैं। अखबारों में हर तीसरे-चौथे दिन यह हृदय विदारक समाचार होता है कि मायके वालों द्वारा सुसराल वालों को दहेज न दे पाने के कारण युवतियों ने आत्महत्या कर ली।

इसका एक ही उपाय है कि पिता की संपत्ति से भाई के साथ-साथ लड़की को भी बराबर हिस्सा मिले। तभी इस दहेज प्रथा की बुराई को कम किया जा सकता है। आन्ध्र प्रदेश में श्री एन०टी० रामाराव की सरकार ने आन्ध्र प्रदेश विधान सभा में एक विधेयक पुरःस्थापित किया है जिसके अनुसार हिन्दू संयुक्त परिवार में महिला सदस्यों को पुरुष सदस्यों के बराबर हिस्सा मिलेगा।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह इस सम्मानीय सदन में पुरुषों के साथ महिलाओं को भी बराबर हिस्सा दिलाने के बारे में विधेयक पर विचार करे और इसे पुरःस्थापित करे।

[अनुवाद]

मन्त्री महोदय की इस घोषणा के बाद कि यह सरकार इन्टरमीडिएट स्तर तक लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रबन्ध कर रही है, उससे मुझे आशा है कि महिलाओं की कुल आबादी में शिक्षित महिलाओं की प्रतिशतता निश्चित रूप से बढ़ जायेगी।

राजनीति के क्षेत्र में, सत्तारूढ़ दल में और विपक्ष में महिला सदस्यों की संख्या बहुत कम है। यद्यपि महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की जनसंख्या की अपेक्षा अधिक है किन्तु महिला संसद सदस्यों की संख्या कम है। इससे यह पता चलता है कि सभी दल बातें तो लम्बी चौड़ी करते हैं किन्तु हम लोग निर्वाचन क्षेत्र में अधिक संख्या में महिलाओं के चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं हैं। कम से कम स्थानीय निकाय संस्थानों में महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित किया जाना चाहिए। आन्ध्र प्रदेश में, हमारी सरकार शीघ्र ही चालू किए जाने वाले मण्डल गठन में महिलाओं को और अधिक आरक्षण देने, उन्हें और अधिक प्रतिनिधित्व देने का विचार कर रही है।

आर्थिक क्षेत्र में, विशेषकर बीड़ी और सिग्रेट उद्योगों में, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं काम करती हैं, उनका शोषण जारी है। इन उद्योगों में सरकार का न्यूनतम वेतन लागू नहीं है। मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिए गए उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय में यह कहा गया है कि बीड़ी उद्योग में काम करने वाली महिलाओं को भी मातृत्व (मैटरनिटी) लाभ दिए जाने चाहिए। किन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि सरकार उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए इस निर्णय और इस आदेश को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित तन्त्र का गठन करे जिससे कि बीड़ी उद्योग में कार्यरत महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। बोलने का अवसर दिए जाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : उपाध्यक्ष महोदय, महिला वर्ष एक दशक तक चला जो अब समाप्त होने वाला है। अतः अब समय है कि महिलाओं के स्तर और स्थिति के सम्बन्ध में इस दशक में हुई उपलब्धियों का सर्वेक्षण किया जाए। हम लोग यहां महिलाओं को दिए गए अधिकारों को मान्यता प्रदान करने की चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं जिनका आविर्भाव स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान हुआ और जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है। वस्तुतः आर्थिक और सामाजिक असमानता के मूलभूत ढांचे पर आधारित बाह्य परिवेश में जागृत हुई, तथा सामाजिक ढांचे में परम्परागत रूप से चली आ रही असमानता के परिवेश में भारतीय समाज में महिलाओं को समानता का जो स्तर प्राप्त

हो रहा है, उसकी गति धीमी है। तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम लोग इस उद्देश्य की ओर अग्रसर हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दशक अर्थात् 1975-85 के बारे में बोलते हुए मैं महसूस करती हूं आयोजकों से नीतियाँ और कार्यक्रम निर्धारित करने तथा मेरे विचार से जिस बात पर ध्यान देने की आशा की गई है, वह अन्तर्राष्ट्रीय महिला दशक के आरम्भ से पृथक वित्तीय परिव्यय अधिकार दिए जाने के बारे में है। तथापि, 1975 में महिलाओं की स्थिति के बारे में एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई थी और दशक के मध्य में, प्रथम बार, छठी योजना प्रलेख में महिलाओं और विकास के बारे में एक परिच्छेद जोड़ने का प्रयत्न किया गया था। इसमें तीन पहलुओं—शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य को महत्व दिया गया था तथा ये तीनों विषय बीस सूत्री कार्यक्रम में भी सम्मिलित किए गए थे और इस लिए महिलाओं के सम्बन्ध में नीति निर्धारित करते समय इनको महत्व दिया गया।

इस दशक के कारण समाज, सरकार और विधायकों और अनुसन्धानकर्ताओं महिलाओं के और उन्हें महिलाओं की समस्याओं का पता लगाने की चिंता बनी हुई है।

मैं प्रथम मुद्दे की बात करती हूं। मैं यहां कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहती हूं। वास्तव में अनेक तथ्य श्रीमती गीता मुखर्जी प्रस्तुत कर चुकी हैं। सर्वप्रथम, शताब्दी के आरम्भ से महिलाओं की जनसंख्या उत्तरोत्तर कम होती जा रही है। 1971 में 1000 पुरुषों के पीछे 972 महिलाएं तथा 1981 में 933 महिलायें थीं। 1971 में उनकी संख्या 930 थी और जैसाकि मैं पहले कह चुकी हूं 1981 में उनकी संख्या 933 थी। पुरुषों की जीवन अवधि 52.6 है और महिलाओं की 51.61। भारत में लड़कियों की अपेक्षा लड़के अधिक पैदा होते हैं और लड़कों की अपेक्षा लड़कियां अधिक मरती हैं तथा और पैदा होने के समय लड़कियों के बचने की आशा अपेक्षाकृत कम होती है। आज भी महिलाएं विशेषकर 0 से 4 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं में मृत्यु दर बहुत अधिक है। मेरे पास अद्यतन आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं किन्तु 1970 में महिलाओं की मृत्यु दर 70.2 थी और पुरुषों की 58.3। 30 से 34 वर्ष की आयु सीमा में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की मृत्यु दर अधिक है। किन्तु प्रजनन की मुख्य आयु 15 से 21 वर्ष तक की अवधि में महिलाओं की मृत्यु दर सदा ही अधिक रही है।

महिलाओं के प्रति जो सामाजिक रवैया रहा है उसके बारे में, भारतीय समाज में जन्म से ही उनके साथ भेद-भाव बरता जाता रहा है। इसके अलावा पौषाहार सम्बन्धी अध्ययन से पता चलता है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों को घटिया किस्म का पोषक आहार दिया जाता है। अधिकांश भारतीय परिवारों में सबसे अधिक पोषक आहार जीविकोपार्जन करने वाले को, तत्पश्चात लड़कों और अन्त में सभी लड़कियों और महिलाओं को मिल पाता है। इसके परिणामस्वरूप पौषाहार की कमी के कारण बाल विकलांगता यथा रक्त की कमी और रतौंधी आदि लड़कियों में अधिक पाए जाते हैं।

आंकड़ों से भी पता चलता है कि महिलाओं को बहुत ही कम और घटिया किस्म की चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त हैं। हमारे पास इस बात का अप्रत्यक्ष प्रमाण है कि स्वास्थ्य की देखभाल की समान सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। उदाहरणता के तौर पर, हमने यह देखा है कि सफदरजंग अस्पताल में 65% लड़कों तथा 35 प्रतिशत लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है। पौषणिक चिकित्सालयों में यह भी देखा गया है कि कुपोषण का शिकार लड़कियां अधिक हैं—कुपोषण के आंकड़े इस प्रकार हैं —54 प्रतिशत लड़कियां और 46 प्रतिशत लड़के।

इन सब बातों से पता चलता है कि भारत में महिलाओं की हमेशा उपेक्षा की जाती रही है।

एक विशेषज्ञ दल के अनुसार अपने गर्भकाल के तीसरे मास में आधी स्त्रियों में खून की कमी होती है। प्रसूति, प्रसव से पूर्व तथा प्रसवोत्तर सेवाओं जैसी चिकित्सा सेवाओं को महिलाओं के लिए सुलभ कराये जाने के मामले में सदा से असन्तुलन बना हुआ है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के लिए आरक्षित अस्पताल वार्डों और पलंगों की कमी रही है। यह कहा जाता है कि जहां तीन पुरुष चिकित्सा का लाभ उठा पाते हैं, वहां एक महिला चिकित्सा का लाभ उठा पाती है और इसीलिए हर समय अधिक प्रतिशत महिलाएं रुग्ण रहती हैं। इसके अलावा चिकित्सालय प्रायः महिलाओं की सुविधा के अनुरूप नहीं खुलते हैं और आम तौर पर महिलाएं जब तक गम्भीर रूप से बीमार न हों तब तक चिकित्सा नहीं लेती हैं।

कामकाज में हाथ बंटाने के बारे में यद्यपि श्रीमती गीता मुखर्जी आंकड़े प्रस्तुत कर चुकी हैं, तथापि एफ० ए० ओ० के आंकड़ों के अनुसार महिलाएं आधे विश्व का भोजन उत्पादित करती हैं और विश्व के सरकारी आंकड़ों के अनुसार समस्त श्रमबल में उनकी संख्या एक तिहाई है। इसके अलावा महिलाओं को विश्व की अर्जित आय का दसवां भाग ही मिल पाता है और कुल संपत्ति में से उनके नाम एक प्रतिशत से भी कम सम्पत्ति है और इस प्रकार विकास योजनाओं में उनकी उपेक्षा होती रही है।

पुरुषों के साथ समानता का अर्थ है। समान कार्य के लिए समान वेतन। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार जब अनेक विकसित देशों में भी महिलाओं के साथ भेद-भाव बरता जाता है तो भारत के बारे में क्या कहा जाय। रोजगार के मामले में, कृषि में महिलाओं के काम-काज के विभाजन की स्थिति यह रही है कि पिछले दशक में जो महिलाएं कृषि करती थीं अब वे श्रमिक बन गई हैं। दो दशकों के दौरान श्रमजीवी महिलाओं में एक तिहाई महिलाओं के कृषि श्रमिक बन जाने से महिलाओं के लिए अपने परिवार के फार्मों में काम करने के अवसर आधे से भी कम रह गये हैं। उन्हें विवश होकर शोषण की अवस्था में वेतन भोगी श्रमिक बनने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

यह केवल कागज पर ही है कि वेतनमानों की दृष्टि से महिला और पुरुष बराबर हैं। किन्तु श्रम का विभाजन पुरुष और महिला के आधार पर किया जाता है जिसमें आमतौर पर महिलायें अधिक कुशलता वाले उच्च वेतन प्राप्त पदों को नहीं प्राप्त कर पाती हैं असंगठित क्षेत्र में विशेषकर यह बात सच है। उदाहरण के तौर पर कृषि के क्षेत्र में महिलाओं को निराई और प्रतिरोपण का काम दिया जाता है जिसमें उन्हें उन पुरुषों से आधा वेतन मिलता है जो खाद डालने और हल चलाने जैसे कुशल काम करते हैं।

भट्टा उद्योग में भी महिलाओं को गीली मिट्टी को अपने सिर पर ढोने तथा उसे आँवा में डालने का भारी काम दिया जाता है किन्तु उन्हें उन पुरुषों की तुलना में आधी मजूरी मिलती है जो हल्का तथा ईंट ढालने तथा पकाने का अधिक कुशलता का कार्य करते हैं। चूंकि अधिकांश कार्य असंगठित क्षेत्र से सम्बन्धित हैं अतः आपने देश की 80 प्रतिशत श्रमजीवी महिलाओं की ऐसी विवशता है कि उसमें उसका सामूहिक दखल नहीं है।

अब शिक्षा का मामला लीजिए। 75 प्रतिशत महिलायें अशिक्षित हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं की स्थिति सबसे अधिक खराब है। उच्च शिक्षा के स्तर पर पुरुषों और महिलाओं का अन्तर बढ़ता जा रहा है और विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षा में महिलाओं की संख्या कम होती जा रही है। एक ओर जहां कृषि के क्षेत्र में श्रमजीवी महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है तो कृषि विकास के विषय को पढ़ाने से महिलाओं को क्यों वंचित रखा जा रहा है। इस मामले का संबंध इस बात से है कि स्नातक स्तर से नीचे स्नातकोत्तर स्तर के मौजूदा अनिवार्य विषय का अध्ययन और

अध्यापन करने के काम में महिलाओं को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, जैसा कि सातवीं योजना के लिए विशेषकर विश्वविद्यालय आयोग अथवा आई० सी० एस० एस० आर० द्वारा नियुक्त की सलाहकार समिति अथवा महिला स्थिति समिति अथवा महिला विकास कार्यकारी ग्रुप द्वारा सिफारिश की गई है।

किन्तु खेद की बात है कि इन सबको कार्यान्वित करने की सरकार की इच्छा नहीं है।

महोदय, मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगी कि महिलाओं को रोजगार दिलाने के लिये महिलाओं में शिक्षा का प्रसार करने तथा महिलाओं के लिए प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है।

महोदय, स्वनियोजन तथा महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए प्राथमिकता के आधार पर और अधिक क्षेत्रीय संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता है। टी० आर० वाई० एस० ई० एम० (ट्राइसेम) की वर्तमान योजना का लाभ अधिकांश ग्रामीण महिलाओं को पहुंचाया जाय। महिलाओं के कल्याण के लिए उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उपयुक्त प्रौद्योमिकी, सेवायें और सार्वजनिक नीतियां निर्धारित करने की आवश्यकता है।

महोदय, अब मैं ग्रामीण विकास के बारे में कहूंगी.,....

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : ग्रामीण विकास के बारे में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वस्तुतः योजना बनाने वालों का यह अनुमान था कि विकास का लाभ स्वतः ही महिलाओं को भी होगा किन्तु ऐसा नहीं है। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में मान लीजिए कि डेयरी योजना या उद्योग जो भी हो को शुरू किया जाता है। इसमें अधिकांश कार्य महिलायें करती हैं। डेयरी योजना में भी महिलायें काम करती हैं। महिलायें कुटीर उद्योगों में भी काम करती हैं। किन्तु इन उद्योगों में उनके नाम का उल्लेख नहीं होता और न उनके कार्य को महत्व दिया जाता है। मेरे विचार से सम्पत्ति के सृजन से पूर्व, महिला और पुरुष का संभाग अलग-अलग दर्शाया जाना चाहिए जिससे कि उसको मान्यता प्राप्त हो जाये और उस सम्पत्ति का पुरुष के हित में दुरुपयोग न किया जा सके।

मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूं, वह यह है, जैसी कि महिला प्रतिष्ठा समिति ने सिफारिश की थी; केन्द्र तथा राज्यों में सांविधिक स्वायत्तता प्राप्त आयोग गठित किये जाने चाहिए जिससे सभी कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा सकें।

समाज के भेदभाव और क्रूरतापूर्ण रवैये से ही महिलाओं के प्रति किए जा रहे भेदभाव का निर्दयता का पता चलता है। यद्यपि संविधान में महिलाओं और पुरुष दोनों को समान अधिकार दिए गए हैं तथा महिलाओं और बच्चों की विशेष सुरक्षा का प्रावधान भी किया गया है भारतीय परिवारों में व्यक्तिगत कानून और धार्मिक कानून लागू होते हैं जिसमें महिलाओं को पर्याप्त अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं। हिन्दुओं में अनेक कानून हैं। इन कानूनों के बावजूद महिलाओं को परेशानियों और तनावपूर्ण जीवन जीना पड़ता है। उन पर तरह-तरह के अत्याचार किए जाते हैं। यद्यपि दहेज प्रतिरोधक अधिनियम संशोधन किया जा चुका है, किन्तु विवाह में दहेज लेने अथवा देने की सामाजिक बुराई पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

हम सभी जानते हैं कि सामान्यतः महिलाओं के विरुद्ध पुरुषों की ओर से सामाजिक अपराध होते हैं। इसलिए पीड़ित लोगों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर ऐसे मामलों में तुरन्त कार्रवाई करनी चाहिए जिसकी ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है......

उपाध्यक्ष महोदय : बस काफी हो गया है। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ शामिल नहीं किया जाएगा। श्री हन्नान मोल्लाह। आप कृपया अपना भाषण शुरू करें।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : **.........

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ महीनों बाद अन्तर्राष्ट्रीय महिला दशक समाप्त हो जाएगा। इस को समाप्त होने से पहले यह अपने पीछे विश्व के लोगों में सामान्य और विशेषकर महिलाओं पर, महिलाओं की प्रत्यक्ष जागरूकता तथा उनकी समस्याएं छोड़ जाएगा और भविष्य में उनकी दशा सुधारने के लिए अथोपिये के बारे में विचार करने के लिए हम सोच सकते हैं। दस वर्षों की वह उपलब्धि है। लेकिन जब हम इस गरिमापूर्ण सदन में ठोस मुद्दों की चर्चा करते हैं कि हमने इस दशक में क्या प्राप्त किया है ? मैं मंत्री महोदय के ध्यान में उन समस्याओं को लाना चाहता हूं जिनका हमारे देश की महिलाएं अभी तक सामना कर रही हैं ताकि वे इन समस्याओं को हल करने में अधिक ध्यान दे सके। हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि जब तक हम महिलाओं को आर्थिक विकास की प्रक्रिया में शामिल नहीं करते हैं तब तक केवल चर्चाओं और केवल बातों तथा विचारों से कुछ नहीं होगा। जब महिलाएं अधिक संख्या में आर्थिक विकास की प्रक्रिया में भाग लेंगी तभी वे अधिकार प्राप्त कर सकेंगी और देश के अन्य वर्गों की सहायता से अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ सकेगी। मैंने इसे इसलिए कहा है क्योंकि हमने दो उग्रवादी देखे हैं, एक तरफ तो चौहानवाद प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहा है और इसकी प्रतिक्रिया के रूप में पश्चिम में कुछ स्त्रीवाद विकसित हो रहा है। लेकिन हमारे प्रयास उस तरह के नहीं हैं। हमारा दल विश्वास करता है कि यह हमारे देश की कुल जनसंख्या का प्रश्न है और उसमें से आधी जनसंख्या महिलाओं की है। लेकिन हमारे देश में जैसाकि श्रीमती मुखर्जी ने मामले को पेश किया है महिलाऐं कम होकर देश की विशाल अल्पसंख्यक रह गई है। और इस समय एक हजार पुरुषों की अपेक्षा 933 महिलाएं हैं। अतः पूरी तरह से वे बहुत अधिक अल्पसंख्यक बन रही हैं।

समय बहुत कम है और मैं पिछले दशक में महिलाओं के रोजगार के प्रश्न पर कुछ उल्लेख करना चाहता हूं। उन्हें केवल 20.85 प्रतिशत को ही रोजगार मिल सका और 1981 की जनगणना के अनुसार 75 प्रतिशत महिलाएं नौकरियां नहीं करती। इस प्रकार हमारी जनसंख्या का इतना बड़ा भाग बेकार है। वे उत्पादन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले रही है।

इसके बाद अब इन महिलाओं का मामला जो नारियल जटा, काजू, तम्बाकू, बीड़ी, माचिस खान, चाय, बागवानी रोपण आदि जैसे परम्परागत उद्योगों में लगी हुई है। इन सभी उद्योगों में महिला श्रमिकों की संख्या प्रतिवर्ष घट रही है। अतः हमें इस पहलू पर भी विचार करना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए। हथकरघा विद्युत चलितकरघा, वस्त्र उद्योग आदि जैसे उद्योग के अन्य क्षेत्रों से लाखों महिलाओं को निकाला जा रहा है। पटसन और वस्त्र उद्योग में 30 से 60 प्रतिशत तक महिला श्रमिकों को हटाया गया है। अतः धीरे धीरे महिलाओं को उत्पादन की प्रक्रिया से अलग किया ज. रहा है। वे अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं बना सकी हैं। यह सही स्थिति है। हम कुछ सम्भ्रांत और अतिवाचाल महिला दल से आगे आती है लेकिन इससे यह सिद्ध नही होता कि हमारे देश की महिलाओं में

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रगति हुई है। अतः हमें यह देखना है कि निम्न वर्ग की अर्थात महिलाओं की अधिकतम जनसंख्या का कितना विकास हुआ है। आप जानते हैं कि मशीनें लगाने के कारण आंध्र और कर्नाटक के तम्बाकू उद्योग में लगभग दो लाख महिलाओं की सेवाएं खतरे में पड़ गई है।

इलेक्ट्रानिक उद्योग को लीजिए। आयात को स्वतंत्र रूप से बनाने के बारे में सरकार की नई नीति के कारण हम नहीं जानते कि सहकारिता का भविष्य क्या होगा जहां सैकड़ों और हजारों महिलाएं पूर्जों को जोड़ने तथा अन्य कार्य करती हैं। यदि वे बन्द किए जाते हैं तो उनका भविष्य क्या होगा? अतः इस तरह की बातों को ध्यान में रखना होगा क्योंकि महिलाओं को ही सबसे बाद में भाड़े पर रखा जाता है और उनको ही सबसे पहले पीड़ा पहुंचाई जाती है। जब कोई पाबंदी नहीं होती है तब भी उन्हें सबसे बाद में नौकरी पर रखा जाता है और जब आवश्यकता नहीं होती है तब उन्हें सबसे पहले निकाला जाता है। यह स्थिति है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में वे लाभ चाहते हैं। यदि आप महिलाओं को नौकरी पर रखते हैं तो आपको कुछ अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी। उदाहरण के लिए आपको प्रसूति लाभ आदि देने होंगे। अतः वे महिला श्रमिकों को निकालना चाहते हैं। हमें इस बात पर सोचना होगा कि हम किस प्रकार महिलाओं पर पूंजीवादी व्यवस्था तथा उनकी नियुक्ति पर पड़ने वाले प्रभाव को रोक सकते हैं।

दूसरी बात जिस पर हमको ध्यान देना है वह शिशु ग्रह, विश्राम गृह, प्रसाधन तथा प्रसूति लाभ जैसे न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था को आवश्यक करना है। ये कल्याण कार्य नहीं है। ये आवश्यक कार्य है। इन्हें हम चाहें तो आवश्यक माने या कल्याणकारी उपाय समझे। हमें इनकी व्यवस्था करनी है। यह उन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है जो नौकरी पर हैं।

अब, कृषि क्षेत्र आता है। जैसा कि आप पहले ही जानते हैं कि जैसाकि आंकड़ों में बताया गया है कि महिला कृषकों की संख्या 1961 में लगभग 55% से घटकर 1981 में लगभग 33% रह गई है अतः यह स्थिति है। खेतिहर मजदूरों की संख्या में इनकी संख्या बढ़ी है। वे भूमि खो रहे हैं। जब सरकार फालतू भूमि बांटती है तब स्वामित्व का प्रश्न उठता है। हमने बार बार अनुरोध किया है कि वे केवल पुरुषों को ही भूमि नहीं बांटते हैं बल्कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को ही साथ-साथ बांटते हैं। इससे संयुक्त स्वामित्व होगा। लेकिन इसे भी नहीं किया गया। इस कारण महिलाओं को बेदखल किया जाता है और उन्हें भूमि से भी वंचित किया जाता है। हमें इस प्रश्न पर भी विचार करना है ताकि महिलाओं को भूमि के अधिकार प्राप्त हो सकें।

इसके बाद भूमि सुधार का प्रश्न है जिसमें ग्रामीण के लिए गांवों में संयुक्त स्वामित्व और कृषि उद्योग का विकास आता है जहां उन्हें रोजगार मिल सकें।

क्षेत्रीय योजनाओं और कार्यक्रमों के साधन को अंकित करने के बारे में महिलाओं को प्रशिक्षण और रोजगार दिया जाए। उसी समय महिलाओं के कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित उद्योगों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था और विकास भी किया जाना चाहिए। साथ-साथ बच्चों के लिए सुरक्षित केन्द्र तथा असंगठित क्षेत्रों में महिलाओं के लिए प्रसूति लाभ जैसी सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए।

कामकाजी महिलाओं के लिए हमें इन मुद्दों पर विचार करना चाहिए। उनकी शिक्षा के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। हमने देखा है कि अनपढ़ महिलाओं की संख्या बढ़ी है। यह 1971 में 21.5 करोड़ थी जबकि 1983 में यह 2.50 करोड़ थी। प्रधानमन्त्री ने बारहवीं क्षेणी तक निःशुल्क शिक्षा की घोषणा की है। और इस प्रयोजन के लिए शिक्षा मंत्री ने केवल 10 करोड़ रुपए आबंटित

किए हैं। 8 से 12 वर्ष की आयु वर्ग में 50 लाख लड़कियां छात्र हैं। अतः इस आबंटन से उन्हें शिक्षा के लिए अवसर देना पर्याप्त नहीं होगा। जब आप किसी नीति की घोषणा करते हैं और उसके लिए व्यवस्था बनाते हैं तो मतभेद होते हैं। आपको यह देखना है कि आप इसमें किस प्रकार समन्वय कर सकते हैं।

पश्चिम बंगाल के बारे में महिलाएं कुछ न कुछ रोज कहती है। लेकिन हमें स्वीकार करना है कि इस वर्ष 1984-85 में लड़कियों की शिक्षा में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर आया है और उसने केंद्रीय सरकार से एक करोड़ रुपए का पुरस्कार प्राप्त किया है।

उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश और बिहार में महिलाओं की शिक्षा की दर 20 प्रतिशत से कम है। आपको वहां शिक्षा पर विशेष कदम उठाने हैं। यदि आवश्यक हो तो आप वहां उनके लिए कुछ प्रोत्साहन, सामग्री या किसी अन्य चीज की व्यवस्था को ताकि लड़कियां स्कूल जाए। जहां 20 प्रतिशत से कम दर है वहां आपको कुछ अन्य उपाय करने चाहिए।

गरीबी, अधिक काम, बार बार गर्भावस्था, निम्न स्तर की शिक्षा तथा सामाजिक स्थिति के कारण कुपोषण, स्वास्थ्य केन्द्र सेवाओं की कमी, सुविधाएं उपलब्ध होने पर भी लिंग भेद समस्या, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और निवारक स्वास्थ्य का अपर्याप्त विकास, प्रसूति तथा बाल स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से महिला स्वास्थ्य कर्मिकों की कमी जैसी स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं हैं। आपको उन पर ध्यान देना होगा और यह देखना होगा कि आप उनको किस प्रकार हल कर सकते हैं। पूरे दशक में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में महिलाओं की मृत्यु संख्या अधिक है। 1975-85 के मातृक मृत्यु संख्या के मामलों में, गर्भपात के कारण मातृक मृत्यु 9.7 प्रतिशत से 1980 में 12.7 प्रतिशत बढ़ी थी। अतः आपको इस मामले पर विचार करना होगा और यह देखना होगा कि इसके क्या कारण है और हम इस समस्या का किस प्रकार मुकाबला कर सकते हैं।

दस वर्षों से कम आयु वर्ग की जनसंख्या में खराब स्वास्थ्य वाली महिलाओं की प्रतिशतता 1971 में 14.5 से घटकर 1981 में 12.6 रह गई। यह स्थिति बहुत ही गम्भीर है। इस क्षेत्र में हमने आपको सुझाव दिया है कि आप मातृक और बाल स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अधिक धनराशि सुनिश्चित करें और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की सुविधाओं का विस्तार करें। गर्भा-वस्था में भावी शिशु के लिंग का पता लगाने पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए इस प्रक्रिया की केवल मैडिकल कालेजों और अनुसन्धान केन्द्रों में ही अनुमति दी जानी चाहिए।

कानूनी स्थिति के बारे में कुछ सदस्यों ने बताया कि महिलाओं के लिए बहुत से कानून हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि इन कानूनों पर अमल नहीं किया गया तो महिलाओं की स्थिति नहीं बदलेगी। अतः आपको इस पर विचार करना होगा। मुख्य समस्या यह है कि बहुत से कानून हैं परन्तु महिलाएं धर्म निरपेक्ष कानून, एक समान जन सम्बन्धी कानून द्वारा शासित नहीं की जाती हैं बल्कि धार्मिक कानून द्वारा शासित की जाती है। महिलाओं के लिए धर्म-निरपेक्ष कानून कहां है? मुस्लिम निजी कानून हैं, ईसाइ निजी कानून है; सिखों के कुछ वर्ग अपने निजी कानून के लिए लड़ रहे हैं। कानून महिलाओं के उद्धार के आड़े आ रहे हैं। अतः यदि हम महिलाओं के बारे में कानून को धर्म-निरपेक्ष नहीं बना सकते तो महिलाएं गुलामी की इस भयानकता से मुक्त नहीं हो सकेगी। इसलिए आपको इन सब बातों पर विचार करना चाहिए और यदि हम नहीं कर सकते हैं तो तब हम उनको कुछ लाभ दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती किशोरी सिंह

श्री हन्नान मोल्लाह : परिवार न्यायालयों की भी स्थापना होनी चाहिए ताकि महिलाओं के बारे में हर विवाद या महिलाओं से सम्बन्धित मामलों को केवल उन न्यायालयों में सुना जा सके। जब तक हम स्थिति और वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक यह पद्धति रहेगी तब तक महिलाओं से सम्बन्धित सभी समस्याएं होंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप कृपया बैठ जाइए। श्रीमती किशोर सिंह।

श्रीमती किशोरी सिंह (वैशाली) : एक संतोष की बात है कि हम इस विषय पर राष्ट्रसंघ महिला दशक के दौरान विचार कर रहे हैं। ऐसा होना चाहिए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय और श्रीमती इन्दिरा गांधी जैसे हमारे नेताओं ने महिलाओं के आन्दोलन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इस देश में, हमारे राजनीतिक दलों ने, और हमारी सरकार तथा विशेषकर सभी प्रधानमन्त्रियों ने इसमें रुचि ली हैं और महिलाओं की स्थिति सुधारने तथा उनकी समस्याओं को सुलझाने में सक्रिय रूप से भाग लिया है। मैं यह कहूंगी कि भारत में महिलाओं का आन्दोलन हमारे स्वतन्त्रता संग्राम के साथ-साथ चला। महात्मा गांधी के आह्वान पर महिलाएं बड़ी संख्या में पर्दे से बाहर आई और उन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया इसके साथ साथ महिलाओं की स्थिति तथा उनका दर्जा सुधारने के आन्दोलन ने भी जोर पकड़ा और महिलाओं में आत्म विश्वास की भावना के लिए उनके प्रतिनिधियों को सार्वजनिक तथा प्रशासनिक कार्यों में महत्वपूर्ण स्थान उपलब्ध कराये गए।

गांधी जी ने **हिन्द स्वराज** में यह कहकर कि "पर्दे से बाहर आओ" इसे देश की आजादी के अपने कार्यक्रम का एक महत्वर्ण हिस्सा बना दिया। सम्यता के सदियों पुराने पर्दे ने महिलाओं को दूसरे दर्जे के प्राणियों में बदल दिया है। उन्होंने कुपोषण, रोगों, भुखमरी तथा निरक्षरता की स्थिति की निन्दा की। आज आप किसी भी राष्ट्र की तरफ देखिए और जब प्रधानमन्त्री राजीव गांधी मानवता के संबंध में बोलते हुए यह कहते हैं "महिला वास्तव में किसी देश की सामाजिक चेतना का बोध कराती है" तो यह स्पष्ट हो जाता है।

अतः हमारे सामने अब प्रश्न यह है कि इस महिला दशक ने उनके दर्जे तथा सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बदलने में कितना सहयोग दिया है। अगर ये राष्ट्र उनकी करुणा पर क्रियाशील होने में असमर्थ हो जाते हैं तो कितनी हद तक उसके प्रति कम से कम अपनी चिन्ता व्यक्त करने की सामाजिक चेतना इन राष्ट्रों में जाग्रत करने में सफल हो सकी है।

पहले उपलब्धियों को गिनें क्योंकि वे बहुत कम हैं, मैं राष्ट्रसंघ के प्रवक्ता श्री लेटिसिया साहनी, सहायक महासचिव जो राष्ट्रसंघ के दशक कार्यकम के प्रभारी हैं, का हवाला दूंगी :

"इस अभियान से एक लम्बे, धीमे और शान्त आन्दोलन को प्रोत्साहन मिला है।"

महिलाओं की आयु में आश्चर्यजनक वृद्धि इन उपलब्धियों में सम्मिलित हैं और लगभग एक सौ सरकारों ने महिलाओं के मामले से निपटने के लिए अलग मन्त्रालय और विभाग बनाए हैं।

पंडित जी ने एक बार कहा था : "हम राजनीतिक तथा आर्थिक आन्दोलन की बात करते हैं परन्तु इससे भी बड़ा आन्दोलन किसी देश में वह है जो उस देश की महिलाओं के जीवन-स्तर को प्रभावित करता है।"

जैसा कि पंडित जी चाहते थे हम इस उपलब्धि को एक आन्दोलन के रूप में नहीं ले सकते परन्तु इस सम्बन्ध में अगर हम सदियों पुरानी पूर्वधारणाओं, धार्मिक कट्टरता, अन्धविश्वास आदि की

तरफ गौर करें तो हमें कुछ उपलब्धियां हुई हैं।

आगामी कुछ महीनों में नैरोबी में एक सम्मेलन इस महिला दशक की उपलब्धियों तथा स्थिति का जायजा लेने के लिए होगा और जायजा लेने में कोई कटुता नहीं दिखाई जायेगी। परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस दशक के दौरान कुछ देशों में अभी भी पर्दा लागू किया गया है और गृह और विदेश सेवाओं की नियुक्तियों के मामले में महिलाओं के साथ भेदभाव किया गया है, और यह सब कुछ धर्म के नाम पर किया जा रहा है। मुझे खेद है कि हाल ही में दिल्ली में हुए तीसरे विश्व के देशों के महिला सम्मेलन में इस बात पर विचार नहीं किया गया।

मैं उच्चतम न्यायालय को अपने हाल ही के निर्णय के लिए बधाई देती हूं जिसमें उन्होंने हमारे अपराध कानून की सर्वोच्चता तथा मुसलमानों के व्यक्तिगत कानून की व्याख्या अत्यन्त युक्तिसंगत तथा मानवता के आधार पर करते हुए तलाकशुदा महिलाओं को निर्वाह-भत्ता देने के अधिकार को उचित ठहराया है।

इसी प्रकार से, उच्चतम न्यायालय ने 'स्त्रीधन' के सम्बन्ध में महिलाओं को असीमित अधिकार दिया है जिससे उन्हें आर्थिक रूप से स्वतन्त्र होने में बहुत मदद मिलेगी।

हमारे देश में राष्ट्रसंघ दशक में मिश्रित परिणाम आए है। इस देश में पहली बार पुरुषों और महिलाओं का अनुपात गिरने से रुक गया है। परन्तु मुझे खेद के साथ कहना होगा कि यह सुधार समान तौर पर नहीं हुआ है। बिहार राज्य में यह अनुपात अभी भी घट रही है—इससे राज्य के पिछड़ेपन का पता चलता है। महिलाओं की शिक्षा के अनुपात में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ नजदीकी आई है। भारत में बाल-विवाह के मामलों में भी कमी आई है परन्तु इसका अनुपात अभी भी 43.5 प्रतिशत जितना ऊंचा है। बालवध जैसी दुःखद प्रथाएं रोकी गई हैं परन्तु बच्चों लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की मृत्युदर अभी भी अधिक है हमें आशा है कि लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा देने के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का अकूनुल प्रभाव पड़ेगा। परन्तु मेरा अनुरोध है कि कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाने के लिए सरकार को स्कूल की वर्दियां तथा दोपहर का खाना भी उपलब्ध कराना चाहिए।

कानूनों के बावजूद भी वधुओं को दहेज न लाने के कारण जलाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है तथा लड़कियों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। प्रायः रोजाना ऐसी घटनाओं के समाचार हमें मिलते रहते हैं जिससे उनकी कमजोरी का पता चलता है। कानून के रक्षकों द्वारा लड़कियों को तंग किए जाने के मामले बहुत ही चिन्ताजनक हैं।

हमने यह समाचार भी पढ़ा है कि हजारों लोग कल सती को देखने के लिए एकत्र हुए जिस पर गत सदी में कानून द्वारा रोक लगाई गई थी। मैं इन घटनाओं का जिक्र यह बताने के लिए कर रही हूं कि अभी तक भी मनुष्यों के मनों की विचारधारा तथा प्रवृत्ति नहीं बदली है। प्रधामन्त्री ने ठीक ही कहा है : "महिलाओं को समाज में उनका उचित स्थान देने की भावना को सारी सामाजिक चेतना में व्याप्त होना चाहिए।" मैं इस अवसर पर माननीय सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि प्रधानमन्त्री की इस बात को ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरों तक पहुंचाना चाहिए जिससे पुरानी प्रथाओं को रोका जा सके, अन्ध-विश्वास को दूर किया जा सके तथा भारत को पुनर्जीवन देने वाली ताकतों को बल दिया जा सके ताकि महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा प्राप्त कराया जा सके।

यह बहुत ही दुःख की बात है कि लड़कियां आज भी कुपोषण और उपेक्षा की शिकार हैं उन्हें स्कूल नहीं भेजा जाता। इस सबका अर्थ है कि न केवल महिलाओं की यह पीढ़ी बल्कि अगली पीढ़ी भी कुपोषण, निर्धनता तथा रोगों से ग्रस्त रहेंगी और इसलिए निरन्तर शोषण का शिकार होती रहेगी।

अतः आखिर में हमें लड़कियों की अधिक संख्या दर्ज करने के कार्यक्रम से शुरू करना है। महिलाओं की प्रसव में प्रक्रिया में उनके स्वास्थ्य की देखभाल पर अधिक महत्व देना चाहिए, और स्कूल में प्रवेश से लेकर जब तक लड़कियां स्कूलों में पढ़ें प्रत्येक को दो जोड़े वर्दी कम से कम देने की व्यवस्था करनी चाहिए। हमें एक नया नारा देना चाहिए 'लड़कियों की देखभाल देश की देखभाल होगी।'

इस दशक पर विचार करते समय हमें हाल ही की कुछ प्रवृत्तियों को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। स्वयं विकास प्रक्रिया में ही महिलाओं के अहित हैं। जैसाकि कारमेजी निगम द्वारा महिलाओं का विश्व में दर्जा पर तैयार प्रतिवेदन में बताया गया है, दैनिक मजदूरी के वर्ग में महिलाओं के आने से पुरुषों और महिलाओं के वेतनों की असमानता में कोई विशेष कमी नहीं आई है और न ही यह महिलाओं में बढ़ती गरीबी को रोक पायी है। हमारा यह भी अनुभव है कि एक जैसे काम के लिए महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन नहीं मिलता है। यह बात खेतों, कारखानों तथा घरों के कामों पर लागू होती है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि महिला अधिकारियों ने आई० ए० एस०, आई० पी० एम० आयकर तथा अन्य सेवाओं में विशिष्टता प्राप्त की है।

मेरा अगला प्रश्न योजना आयोग से सम्बन्धित है। क्या योजना आयोग को इस बात की जानकारी है कि कृषि, पशु-पालन, वनों तथा मछली पालन के वाणिज्यीकरण के कारण महिलाओं को नौकरियों से तथा स्थानीय उपलब्ध पोषक आहार से वंचित कर रहा है? "**दी फाइनेंसियल एक्सप्रेस**" में सामाजिक अनुसंधानकर्ता देवकी जैन का एक लेख छपा है जिसमें कहा गया है, "भारत में, अध्ययनों से पता चलता है कि कृषि के वाणिज्यीकरण तथा महिलाओं को पोषक आहार से वंचित होने में सम्बन्ध है। मशीनीकरण ने मछली-पालन, तम्बाकू उद्योग, हथकरघा आदि में करने वाली कई लाख महिलाओं को बेरोजगार कर दिया है। विकास नीतियों में महिलाओं पर पड़ने वाले इस प्रभाव को ध्यान में रखना होगा।

अगर विकास नीतियां महिला प्रधान हैं तो सातवीं योजना में सुधरे हुए चूल्हों तथा गोबर-गैस सन्यन्त्रों पर अधिक बल दिया जायेगा। महिलाओं को कठिन परिश्रम के कामों से छुटकारा दिलाना हमारी नीति का मुख्य ध्येय है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में इसके लिए एक प्रभाग है लेकिन फिर भी हमें योजना में महिलाओं की प्रधानता को सुनिश्चित करना है। ताकि जैसा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रशासन में यह प्रेरणा व्याप्त हो जाए।

मैं आशा करती हूं कि मन्त्री महोदय सदन को आश्वासन देंगे कि दशक के अन्तिम वर्ष में हमारी योजना तथा विकास प्रक्रिया में महिलाओं की तरफ ध्यान देने वाली होगी।

श्रीमती इन्दुमती भट्टाचार्य (हुगली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी प्रिय स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा लिखित कुछ पंक्तियों को उद्धृत करूंगी "परिवार नियोजन प्रत्येक व्यक्ति तथा प्रत्येक परिवार की बेहतरी की कुंजी है। यह महिलाओं के पूर्ण स्वस्थ रहने के अधिकार का भी एक अंग है तथा अपनी देन से स्वस्थ बच्चों की परवरिश तथा बच्चों की बेहतर देखभाल करें, ताकि घर ज्यादा सुखी हो, उनका व्यक्तित्व का विकास हो और उनके जीवन में भरपूर आनन्द का अनुभव हो—।"

इन शब्दों से, हमारी प्रिय स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने संक्षेप में परिवार नियोजन के फायदों की ओर संकेत किया है।

परिवार नियोजन न केवल बढ़ती हुई आबादी को रोकने, जोकि कल्याणकारी-राज्य के लिए

एक खतरा है, बल्कि माता और बच्चे के स्वास्थ्य और जीवन के लिए भी आवश्यक है चूंकि दोनों की मृत्यु दर बहुत अधिक है।

माताओं और बच्चों को प्रजननीय बढ़ोतरी तथा विकास के लिए अतिरिक्त जरूरतें होती हैं तथा उन्हें स्वास्थ्य की दृष्टि से वातावरण के प्रभाव से ज्यादा खतरा होता है। अतः सामान्य स्वास्थ्य उपायों के इलावा प्रसूति के लिए, बच्चे जन्म के लिए तथा बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रमों की आवश्यकता है।

यह सन्तोषजनक है कि 1984-85 के दौरान बीस सूत्री कार्यक्रम के सन्दर्भ में माताओं और बच्चों के कल्याणकारी कार्यक्रमों तथा गर्भवती माताओं तथा जच्चा-बच्चा और बच्चों के लिए पोषक आहार प्रदान करने सम्बन्धी कार्यक्रमों को गति प्रदान करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में भी जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य कार्यक्रम पर ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप-केन्द्र नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र तथा चीर-फाड़ केन्द्र स्थापित करने पर अधिक बल दिया गया है।

इसके अतिरिक्त परिवार कल्याण विभाग ने गर्भवती माताओं को संक्रमण से बचाने तथा बच्चों को विभिन्न रोगों के विरुद्ध असंक्रमीकरण करने के लिए विभिन्न सुरक्षा उपाय शुरू किए हैं। परन्तु हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे कार्यक्रमों की सफलता मुख्ततः लोगों के इसमें सक्रिय हिस्सा लेने पर निर्भर करती है।

8.00 म० प०

इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों ही जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए मानव के विकास के लिए आवश्यक है। महिलाओं द्वारा घर के तथा समाज के विभिन्न कार्य ठीक प्रकार से हो सकेंगे अगर उन्हें सही मायनों में शिक्षित किया जाए।

शिक्षा से आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति की आकांक्षाओं को बल मिलता है।

सामाजिक परिवर्तन लाने और बेहतर योजनाबद्ध परिवार के लिए, जो एक स्वास्थ्यकारक तथा बढ़िया जीवन-स्तर की ओर ले जाता है, परिवार तथा समाज में महिलाओं का स्तर उठाना बहुत ही महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

प्रो० चन्द्र भानु देवी (बलिया) : उपाध्यक्ष महोदय, महिला दशक के ऊपर हमें बोलने का मौका दिया, उसके लिए आभार प्रकट करती हूं। भारत के गौरवमय इतिहास में नारी का बड़ा ही विशेष महत्व रहा है। हमारे सबसे पुराने ग्रन्थ ऋग्वेद में ऐसे अनेक उल्लेख मिलते हैं, जिनसे उस युग में स्त्रियों की उन्नति का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि ब्रह्म-ज्ञान की प्राप्ति पर भी महिलाओं का कोई प्रतिबन्ध नहीं था। मनु स्मृति में नारी के महत्व पर चर्चा करते हुए मनु ने कहा है कि "जहां स्त्रियों का आदर किया जाता है, वहां देवता रमण करते हैं और जहां इनका अनादर होता है वहां सब कार्य विफल होते हैं।" हमारे भारत की पवित्र भूमि पर नारी की हमेशा पूजा हुई है और उनको उचित सम्मान मिला है। यह जरूर है कि कुछ सदियों के लिए वे समाज के अंधेरे में चली गई। लेकिन जैसे ही मौका मिला, वे फिर सामाजिक एवं राजनीतिक रंगमंच पर सक्रिय हो गई। आजादी की लड़ाई से लेकर संविधान के निर्माण तक तथा स्वतन्त्र भारत के प्रथम दिन से आज तक साहसी एवं कुशल महिलाओं ने अपना पूर्ण योगदान दिया है। भारत के इतिहास में रजिया सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, सरोजनी नायडू इत्यादि प्रतिभाशाली नारियों के नाम

स्वर्णाक्षरों में लिखे गए हैं। एक ऐसा भी नाम है जिसके बिना सिर्फ हिन्दुस्तान का ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास अधूरा रह जायेगा और वह नाम है हमारी स्वर्गीया प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी जी का। आज हमारा देश उन्नति के जिस शिखर पर पहुंचा हुआ है, यह सारा कुछ उन्हीं की वजह से है। बहुत कुछ सुविधाओं के दिए जाने के बावजूद भी महिलाओं के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। उनको न केवल घर-परिवार का सारा काम-काज सम्भालना पड़ता है और बच्चों का पालन-पोषण करना पड़ता है बल्कि आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें खेतों में भी काम करना पड़ता है। जीवन-निर्वाह के लिए बहुत सारे कार्य उन्हें करने पड़ते हैं। दहेज समस्या, बाल-विवाह और अभावग्रस्तता जैसी सामाजिक समस्याओं से भी महिलाओं का जीवन दूभर हो जाता है। ऐसी आजादी के बाद सरकार ने नारी उत्थान के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। लेकिन फिर भी कामकाजी महिलाओं की दर केवल चौदह परसेंट है जबकि पुरुषों के लिए यह दर 53 परसेंट है। शिक्षा की दृष्टि से भी महिलाएं बहुत पीछे हैं। केवल 25 परसेंट महिलाएं ही पढ़ी-लिखी हैं जबकि पढ़े-लिखे पुरुषों की सं० 48 परसेंट है। स्वास्थ्य और पोषाहार के क्षेत्र में भी महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम हिस्सा प्राप्त है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें इस दिशा में कुछ नए प्रयास करने होंगे। गांवों की महिलाओं की अपेक्षा शहरों की महिलाओं की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसके लिए गांव में रह रही महिलाओं को हमारे विकास की योजनाओं का केन्द्र बिन्दु बनाना होगा तभी हमारी महिलाओं का विकास हो सकता है। महिलाओं को मां, बहन और पत्नी के रूप में तभी इज्जत मिलेगी जबकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। आज जरूरत इस बात की है कि उन्हें अभावग्रस्तता और शोषण से मुक्ति दिलाई जाए बल्कि ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें रोजगार के अधिकाधिक अवसर मिलें और वे अपने जीवनयापन सम्बन्धी निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी महिलाएं देश के विकास में भाग लेने और विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने में पुरुषों से बहुत पीछे हैं। अत: उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास को तेज गति देने के कुछ और भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है। हमारे युवा प्रधानमन्त्री ने इस दिशा में कुछ क्रान्तिकारी कदम उठाए हैं। यह बड़े ही गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमन्त्री जी ने महिला प्रत्याशियों को आठवीं लोक सभा के लिए बहुत ही टिकट दिए और आज इस लोक सभा में सबसे अधिक महिला सांसद है।

असैम्बली चुनावों में उन्होंने कुल सीटों का 20 प्रतिशत महिला प्रत्याशियों को देना सुनिश्चित किया और इससे महिला समुदाय को काफी प्रतिनिधित्व मिला है।

हमारे प्रधान मंत्रीजी ने मंत्रालयों के पुनर्गठन के समय समाज कल्याण विभाग पर भी गौर फरमाया और इसे एक पूर्ण मंत्रालय की मान्यता स्टेट्स देते हुए इसका नाम "समाज और महिला कल्याण मंत्रालय" रख दिया। ये सारी बातें यह सिद्ध करती हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी नारी विकास को एक नई दिशा प्रदान करना चाहते हैं और हम सभी उनके इस इनीशियेटिव को तहेदिल से स्वागत करते हैं।

1985 का महिला दशक का अखिरी वर्ष है जो 1976 में घोषित किया गया था। महिला कल्याण के क्षेत्र में मेरे कुछ सुझाव हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। सबसे पहले मेरी राय में जिस तरह केन्द्र में महिला कल्याण के लिए अलग से मंत्रालय बना है, उसी ढंग से राज्य स्तर पर भी अलग से मंत्रालय स्थापित किया जाना चाहिए। दूसरे, नारी विकास के महत्व को नजर में रखते हुए विकास के कार्यक्रमों के लिए महिलाओं को एक अलग समूह माना जाए और उनके लिए सप्तम पंच-वर्षीय योजना में अलग से सब-प्लान बने। तीसरे, बढ़ती हुई आबादी के साथ जुटी हुई नारी की आर्थिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिए परिवार नियोजन को और

भी कुशल एवं सक्षम बनने की आवश्यकता है। चौथे, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित महिला कल्याण निगम, नारी विकास की दिशा में एक क्रान्तिकारी कदम है। मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को जल्द से जल्द इन निगमों को स्थापित करने का निर्देश दें।

महिला विकास का कोई भी कार्यक्रम केवल सरकारी प्रयासों पर ही निर्भर नहीं रह सकता, इस सम्बन्ध में स्वयंसेवी संगठनों को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।

मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे युवा प्रधानमंत्रीजी के नेतृत्व में महिला कल्याण को जो एक नई दिशा मिली है वह इसके विकास के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

[अनुवाद]

श्रीमती फूलरेणु गुहा (कन्टई) : उपाध्यक्ष महोदय, हम अन्तर्राष्ट्रीय महिला दशक में महिलाओं द्वारा सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में की गई प्रगति पर चर्चा कर रहे हैं। महिलाएं कुल जनसंख्या के करीब आधे के बराबर हैं, लेकिन महिलाएं सामाजिक, आर्थिक शैक्षिक और राजनैतिक रूप से घाटे में रहती हैं। श्रीमन्, आप देख सकते हैं कि जब कभी महिलाओं पर चर्चा की बात आती है तो बहुत कम समय निर्धारित किया जाता है।

...(व्यवधान)...

माफ कीजिए, हमें कहना होगा कि समय बहुत कम है, क्योंकि हम देश की आधी जनसंख्या के लिए चर्चा कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम महिलाओं की कई मांगों पर चर्चा करते रहते हैं।

श्रीमती फूलरेणु गुहा : हमारी प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के कहने पर भारत सरकार ने 1972 में महिलाओं के स्तर के बारे में एक समिति नियुक्ति की थी, जिससे देश में बदलते हुए सामाजिक और आर्थिक परिवेश में महिलाओं की समस्याओं की जांच की जा सके, और महिलाओं की प्रगति की नई समस्याओं को सुलझाया जा सके।

भारत में महिलाओं के समान अधिकार को आधी शताब्दी से भी अधिक समय पूर्व, 1931 में मान लिया गया जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मूल अधिकार संकल्प स्वीकार किया गया था और इसके बाद इसे भारतीय गणराज्य में संविधान में शामिल किया गया।

कानूनी सुधार, शैक्षिक और राजनैतिक अधिकारों, स्वतन्त्र भारत द्वारा तैयार तीन दस्तावेजों से जो महिलाओं के समानता के अधिकार देने के लिए थे, उनसे ज्यादातर महिलाओं को लाभ नहीं मिल सका क्योंकि वे गरीबी, अज्ञानता, अधिक कार्य बोझ से दबी और शक्ति हीन थीं।

महिलाओं के स्तर के बारे में गठित समिति ने 1 जनवरी, 1975 को अपनी रिपोर्ट पेश की।

1975 में संसद ने सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया, जिसमें प्रधानमंत्री से अनुरोध किया गया था कि वे, भारतीय महिलायें जोकि लगातार आर्थिक, सामाजिक, अन्याय, अपंगता और भेदभाव से ग्रस्त हैं, वे जहां तक सम्भव हो सके उभारने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम बनाने हेतु विधान बनाने और प्रशासनिक उपाय करने सम्बन्धी कदम उठायें।'

शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान हमने भारत में महिलाओं की शिक्षा स्थिति का अवलोकन किया है। हमने देखा है कि काफी अधिक संख्या में महिलाओं में अज्ञानता है, सभी प्रकार के विषयों में पुरुषों और महिलाओं के अन्तर में निरन्तर हो रही वृद्धि, ग्रामीण पुरुषों और महि-

लाओं में बढ़ रही असमानता, महिलाओं के लिए शिक्षा के विस्तार हेतु शिक्षा-व्यवस्था की असफलता आदि पर चर्चा की है।

स्वास्थ्य-आकड़ों से पता है कि 1970-1980 के दौरान शिशु-मृत्यु दर 129 से घटकर 114 हो गई है, लेकिन महिला शिशु-मृत्यु दर जो कि 1970 से 139 थी, 1979 में बढ़कर 142 हो गई है।

ज्यादातर पश्चिमी देशों की स्थिति के विपरीत, भारत में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है, 1901 से ही इस अन्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, 1981 की जनगणना का एक सुखद पहलू यह भी है कि इस अन्तर में कुछ कमी आई है, 1981 में प्रति हजार पुरुषों के पीछे महिलाओं की जन-संख्या 933 थी, जबकि 1971 में यह संख्या 930 ही थी।

1975 में पहली दफा महिलाओं और पुरुषों को समान मजूरी दिए जाने के बारे में अध्यादेश जारी किया गया। बाद में 1976 में इसे बदलकर समान मजूरी अधिनियम बना दिया गया। एक अन्य बात छठी पंचवर्षीय योजना में पहली दफा महिलाओं और विकास विषय पर एक अध्याय का होना था, इस संदर्भ में मैं कहना चाहती हूं कि मात्र योजना में एक अध्याय जोड़ देने या राशि आबंटित करने से कोई लाभ नहीं होने वाला। कार्यान्वयन पर लगातार निगरानी रखी जानी चाहिए और इस बारे में लगातार रिपोर्ट मिलनी चाहिए कि इस प्रकार राशि आबंटन से महिलाओं के विकास में कितनी सहायता मिली। इस संदर्भ में मैं सुझाव देना चाहूंगी कि योजना आयोग में एक मत होना चाहिए जहाँ सारे भारत में इस संदर्भ में खबरें आनी चाहिए और आयोग को उन्हें इकट्ठा कर आगे की जाने वाली कार्यवाही के बारे में निदेश देने चाहिए।

मैं महिलाओं को रोजगार देने के बारे में चर्चा नहीं कर रही क्योंकि मेरे मित्रों ने इस पर पहले ही चर्चा की है, और हमारे पास बहुत ही सीमित समय है। 1980 में महिला और विकास नामक अध्याय में महिला विकास के क्षेत्र में मुख्य कमियां, इस प्रकार बताई गई हैं:

(1) बार-बार गर्भवती होना ;

(2) शारीरिक कार्य-भार ;

(3) शिक्षा का अभाव ; और

(4) स्वतन्त्र आर्थिक स्थिति का अभाव।

पिछले दस वर्षों में महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक संगठन बने हैं तथा इनका एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उन सभी में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों और अपराधों के विरुद्ध आवाज उठाई गई है। परिवार में महिला की स्थिति में सुधार हुआ है। पिछले दशक में यह एक महत्वपूर्ण बात हुई है।

1984 में आम चुनावों में संसद में महिलाओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। लेकिन उनका प्रतिशत क्या है, आप खुद ही देख सकते हैं। महिलाओं के संगठन, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदृढ़ बनाये जाने चाहिए। यह भी आवश्यक है कि सरकारी नौकरियों में विभिन्न स्तरों पर महिलाओं की जिम्मेवारियों को समझा जाए। केवल स्वयंसेवी संगठनों में ही इसे ऐसा समझें, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। सरकारी क्षेत्र में भी इसे किया जाना चाहिए, अब इसकी पहचान कर ली गई है और इससे महिलाओं की समानता और उनके विकास का मुद्दा पहले की अपेक्षा अधिक जटिल हो जाएगा। जब से महिलाओं के स्तर सम्बन्धी समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है, स्थिति और जटिल बन गई है। महि-

लाओं के लिए स्तर सभी प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने से ही, प्राप्त हो सकता है। महिलाओं को विकास प्रक्रिया में अपने विचार और मांगें रखनी होंगी। मैं कहना चाहूंगी कि महिलाओं के स्तर सम्बन्धी समिति ने सिफारिश की है कि एक स्थायी महिला आयोग स्थापित किया जाना चाहिए।

इसमें कोई शक नहीं है कि हमने प्रगति की है लेकिन हमें अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए कठोर कार्य करना होगा।

उच्चतम न्यायालय द्वारा तलाकशुदा महिला को रख-रखाव भत्ता दिए जाने के फैसले का मैं स्वागत करती हूं। वे तलाकशुदा जो अपने आप को सही प्रकार से नहीं रख पा रही है, उनको भी रख-रखाव भत्ता दिए जाने सम्बन्धी कानून बनाया जाना चाहिए।

मैं कहना चाहती हूं कि एक 'कामन सिविल रोड' बनाया जाना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि कम से कम इस अधिवेशन में इस विषय पर चर्चा कर ली जाए।

मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहती हूं कि जब तक समाज के सभी लोगों, महिलाओं और पुरुषों के रवैये में परिवर्तन नहीं होगा। तब तक सही अर्थों में हमारे समाज में महिलाओं को न्याय नहीं मिल सकता।

मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगी कि हमारे स्कूलों और कालेजों के पाठ्यक्रमों में सभी छात्रों के लिए मूल सामाजिक न्याय का विषय आरम्भ किया जाना चाहिए।

अन्त में, मैं कहना चाहूंगी कि हमें इस बात की प्रसन्नता है कि समाज और महिला कल्याण मन्त्रालय की स्थापना की गई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब तक महिलाओं के बारे में एक नीति संकल्प नहीं बनाया जाता, तब तक इसमें ज्यादा सफलता मिलने वाली नहीं है। इसलिए मैं सुझाव देती हूं कि महिलाओं के बारे में एक नीति संकल्प बनाया जाना चाहिए और उसे सभा पटल पर रखा जाना चाहिए।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण चर्चा है और मैं इसका स्वागत करती हूं। हमारा दल महिलाओं के कल्याण के लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रहा है।

हमारे देश में महिलाओं को महान भूमिका निभानी है। मुझे हमारी स्व० प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की याद आती है क्योंकि वह न केवल भारत की महान सपुत्री थीं, बल्कि विश्व की महान सन्तान थीं। संसद की महिला सदस्य होने के नाते, मुझे श्रीमती गांधी की गतिविधियों पर गर्व है। हम सभी जानते हैं कि वह अपनी गतिविधियों और उपलब्धियों के कारण जानी जाती थी।

आज स्व० प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी हमारे बीच नहीं हैं, अब हमें उनकी आवाज सुनने को नहीं मिलेगी। लेकिन यह तथ्य है कि आने वाली पीढ़ियां इतिहास में पढ़ेंगी कि इस धरती पर कभी इस प्रकार की महिला ने जन्म लिया था। मेरे लिए श्रीमती इन्दिरा गांधी का दर्शन सभी बातों से सर्वोच्च है।

हमारी स्व० प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने पिछले वर्ष बंगलौर में अखिल भारतीय विज्ञान सम्मेलन में कहा था कि निरस्त्रीकरण और विश्व शांति के लिए हमें प्रभावी भूमिका निभानी है। जब तक आणविक हथियारों के उत्पादन पर प्रतिबन्ध नहीं लगता। तब तक शांति प्रिय देशों की प्रगति और उनका विकास नहीं हो सकता।

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने महिलाओं से न केवल अपने लिए सही व्यवहार हेतु बल्कि विश्व शांति और गरीबी को दूर करने के लिए भी संघर्ष करते रहने के लिए कहा था।

श्रीमती इन्दिरा गांधी से पहले, जवाहर लाल नेहरू से किसी ने पूछा था कि स्वतन्त्र भारत के प्रधान मन्त्री के रूप में आपकी सबसे बड़ी सफलता क्या है। उन्होंने एक क्षण रुक कर कहा था 'महिलाओं की शिक्षा।

पिछले इतिहास में हमें कुछ शिक्षित और विदुषी महिलाओं जैसे गार्गी, मैत्री, खाना, सेलावती, सैता, सेलेत्री, सीता और अरुणाघाती के बारे में जानकारी मिलती है।

अगर हम मध्ययुगीन भारत पर नजर डालें तो हमें पता चलेगा कि उस समय भी महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी, महिलाएं न केवल बुद्धिमान ही होती हैं, बल्कि मुगल हरम की महिलाओं ने भारत की शासन नीति के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की। लेकिन दुर्भाग्यवश, आज तक राज्यों के मामले और नीति निर्धारण में उनकी भूमिका का मूल्यांकन करने के लिए कोई भी सुव्यवस्थित चेष्टा नहीं की गई। मुगल हरमों की महिलाओं को न केवल जानकारी ही रहती थी, बल्कि सार्वजनिक मामलों में भी वे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थीं।

और अगर हम भारत का वर्तमान इतिहास देखें तो ही पायेंगे कि सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू, मातंगिनी हाजरा और बसन्ती दास जैसी महिलाओं ने भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

और हमारी स्व० प्रधान मन्त्री इंदिरा जी अब विश्व का इतिहास बन गई हैं। उन्होंने हमारे देश और राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी।

हम इंदिराजी के आभारी हैं क्योंकि उन्होंने महिलाओं को समान वेतन देने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन संख्या 100 की अभिपुष्टि की है। मुझे संसद की महिला सदस्य होने के नाते और हम भारतीय महिलाओं को सही अर्थों में श्रीमती गांधी पर गर्व है और हम उनके व उनके दर्शनशास्त्र के अन्धे भक्त है।

हम जानते हैं कि 1975 में, राष्ट्र संघ के मैक्सिको सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया गया था, जिसमें समानता, विकास और शांति को कार्य महिला दशक का ध्येय बनाया गया था।

जेनेवा में महिला ग्रुप 1819 द्वारा 1983 में "रिसोर्स गाइड फार आर्गेनाइजेशन एंड एक्शन" पुस्तक निकाली गई जो इस महत्वपूर्ण विषय का सरल अध्ययन करने और समझने के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुई और उससे महिलाओं को अधिकार प्राप्त हुए। संक्षेप में 1919 के मार्ग दर्शन के अन्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्र में शामिल हैं: महिलाओं के लिए क्या विकास कार्य किए गए और नहीं किए गए; खाद्य उत्पादन, स्वास्थ्य, संचार और शिक्षा और महिलाएं; बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा नियंत्रित कम्पनियों समेत आमदनी पैदा करने वाली योजना व इनका महिलाओं पर प्रभाव।

हमें अपने वर्तमान प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी को अवश्य धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उन्होंने शपथ ली है कि वह महिलाओं के विकास में आने वाली बाधाओं को वे दूर करेंगे।

सबसे पहले श्री राजीव गांधी ने समाज कल्याण मन्त्रालय नाम बदलकर समाज और महिला कल्याण मंत्रालय कर दिया है ताकि महिलाओं के अधिकारों और उनके विकास को स्थापित किया जा सके।

दूसरे श्री राजीव गांधी ने महिलाओं के लिए आठवीं तक अनिवार्य शिक्षा और उच्च माध्यमिक स्तर तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की घोषणा की है।

तीसरे, हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने अपने मन्त्रालय में भी महिलाओं को बहुत से अवसर प्रदान किये हैं। हम श्री राजीव गांधी के आभारी हैं क्योंकि उन्होंने अपने मन्त्री मन्डल और मन्त्रालय में बहुत सी महिलाएं नियुक्त की हैं। एक महिला होने के नाते श्री गांधी के इस कार्य पर मुझे गर्व है।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : यह मन्त्रालय भी एक महिला के अधीन हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : पहली दफा श्री राजीव गांधी ने मन्त्रालय का नाम समाज कल्याण से बदलकर समाज और महिला कल्याण मन्त्रालय कर दिया है।

पश्चिम बंगाल महिला कांग्रेस की महासचिव होने के नाते मैंने महिला गतिविधियों के विकास के लिए, उनकी शैक्षिक प्रणाली के लिए विकास और उन्हें आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए काफी कार्य किया गया है। मैंने महिलाओं की असली आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए कई एक अन्तर्राष्ट्रीय महिला सेमिनारों में भाग लिया है। मैं भारत में महिलाओं की दशा सुधारने के लिए निम्नलिखित कुछ सुझाव देना चाहता हूं :

मैं महिलाओं के लिए आरक्षण, जैसी कोटा प्रणाली में विश्वास नहीं करती। मैं समझती हूं कि यह हमारा वैधानिक अधिकार है कि महिलाओं को समान सुविधाएं प्राप्त हों।

बंगला के प्रसिद्ध कवि नजरूल ने कहा है—

> "मैं समाजवाद का समर्थक हूं, मेरे लिए पुरुष और महिला में कोई अन्तर नहीं जो कि भगवान के बनाए हुए अच्छे जीव हैं। दोनों की समान भूमिका है।"

स्वामी विवेकानन्द ने कहा है :—

> "न जागिले भारत ललना, ऐ भारत बुझी जागेना जागेना।"

अगर हम भारत की महिलाओं को जाग्रत नहीं करते तो भारत की दशा में सुधार नहीं होगा, महिलाएं, निष्कपट, ईमानदार, गतिशील और समर्पित होती हैं। भारत में कहीं भी उनको सक्रिय कार्य निष्पादन को देखा जा सकता है।

माननीय सदस्य श्रीमती गीता मुखर्जी ने कहा है कि महिलाओं की दशा में सुधार नहीं हुआ है। हममें सुधार हो रहा है। उदाहरण के तौर पर मेरे प्रदेश पश्चिम बंगाल में, मैं कह सकती हूं।

[हिन्दी]

बंगाल से पांच लेडिज इलैक्शन में खड़ी हुई थी और पांचों जीत गयीं।

[अनुवाद]

मैं माननीय मन्त्री से मांग करती हूं कि कृपया महिलाओं को रोजगार के समान अवसर प्रदान किए जाएं। उनकी योग्यता और स्तर के अनुसार उन्हें स्कूलों, कालेजों, अस्पतालों, सरकारी सेवाओं आदि में रोजगार अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।

महिलाओं के लिए रोजगार प्रधान प्रशिक्षण कार्य आरम्भ किए जाने चाहिए। महिलाओं को

आर्थिक स्वतन्त्रता मिलने से दहेज और वधु जलने जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने में सहायता मिलेगी और इससे परिवार नियोजन प्रयासों में अच्छे परिणाम निकलेंगे। सारी योजना और शैक्षिक प्रणाली के पुनःपरीक्षण किये जाने की आवश्यकता है।

सरकार को योजना आयोग, लोक सेवा आयोग, योजना और भर्ती बोर्डों तथा राज्य और केन्द्र स्तर पर सांविधिक निकायों में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की गारंटी दी जानी चाहिए।

सरकार को ग्रामीण लोग, विशेषकर आदिवासी लोगों को शिक्षा देने के लिए साहसी कदम उठाने चाहिए। आज केवल 25 प्रतिशत महिलाएं ही शिक्षित हैं, अतः महिलाओं में निरक्षरता को समाप्त किया जाना चाहिए।

देश में कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों की बहुत कमी है। सरकार को कामकाजी महिलाओं के लिए अधिक से अधिक संख्या में होस्टल और शिशु सदन खोलने चाहिए।

सरकार को खेती, बीड़ी उद्योग और भट्टा उद्योग जैसे असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रही महिलाओं के संगठन बनाने के लिए एक नीति तैयार करनी चाहिए और प्रबंधकों द्वारा उनका शोषण रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। महिलाऐं श्रमिकों के रूप में अधिकतर भूमि एवं कुटीर उद्योगों में हाथ का कार्य कर रही हैं। इन क्षेत्रों में नये तरीके अपनाए जा रहे हैं और मशीनीकरण भी हो रहा है। और जहां कहीं भी छंटनी करनी होती है केवल महिलाओं को ही हटाया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करिए।

श्रीमती ममता बनर्जी : कानून के अधीन महिलाएं तथा पुरुषों समान मजूरी के पात्र हैं, परन्तु प्रक्रिया भिन्न है···

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करिए।

श्रीमती ममता बनर्जी : दहेज विरोधी कदमों को लागू किया जाना चाहिए जिन्हें कानून के अन्तर्गत लाया जा सकता है कुछ खामियां हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। कानून के तहत जो कोई भी वैध कदम उठाये जा सकते हैं कम से कम उन्हें सरकार को लागू करना चाहिए।

सरकारी क्षेत्र की कुछ कम्पनियां विवाहित महिलाओं का प्रसूति सुविधाएं नहीं दे रही हैं। यह भेद-भाव वाला रवैया समाप्त होना चाहिए।

दहेज के विरोध में जनमत तैयार करने के लिए सरकार को साहसिक कदम उठाने चाहिए। इसमें उन्हें टेलीविजन, रेडियो तथा अखबार सभी संचार का प्रयोग करना चाहिए।

इस उद्देश्य के लिए उन्हें एक उच्च-स्तरीय कानूनी समिति की स्थापना करनी चाहिए। जब तक हम इस बारे में मजबूत जनमत तैयार नहीं करते, हम कुछ मजबूत जनमत तैयार नहीं सकते; हम कुछ नहीं कर सकते। अनुभूति होना मुख्य बात है। अतः मैं सरकार से एक सक्रिय महिला समिति बनाने का निवेदन करूंगी जिसमें महिला संसद सदस्य होंगी और वे कार्यक्रम तैयार करेंगी कि किस प्रकार से महिलाओं के सम्पूर्ण विकास के लिए कार्य किया जा सकता है। केवल तभी हम महिलाओं की समस्याओं को हल कर सकते हैं। महिलाओं की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए और आर्थिक रूप से उन्हें ऊपर उठाना चाहिए।

मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्रीमती प्रेमलाबाई चव्हाण (कराड़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने इतनी महत्वपूर्ण डिबेट में भाग लेने के लिए मुझे समय दिया। आज जिस विषय पर यहां चर्चा हो रही है उस विषय पर आज तक हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया है। हम यह नहीं भूल सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद हमारी बहुत कुछ उन्नति हुई है और हमें शिक्षा भी बहुत प्राप्त हुई है।

हमारा देश पुरुष-प्रधान होते हुए भी नारियों की रक्षा, नारियों के उत्थान के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहा है। भारत की नारी ने दुनिया में सबसे ऊंचा स्थान रखा है।

भारत की नारी सभी क्षेत्रों में भाग लेती हैं। खेत मजदूर से लेकर प्राईम मिनिस्टर तक की जिम्मेवारी हमारी महिलाएं अदा कर सकती हैं। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि हमारी औरतें भी उतनी ही दक्षता से काम कर सकती हैं जितनी दक्षता से पुरुष। जजिज, कलेक्टर, लायर्स डाक्टरस क्षेत्रों से हमारी नारियों ने अपना नाम कमाया है।

हमारे नेता कहते थे और हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आजादी भीख मांगने से नहीं मिलती है। हमारा भी यही विश्वास है कि हम नारियों को भी किसी से भीख मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला है, इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। भीख मांगने से हमें आजादी नहीं मिल सकती।

यह देखा गया है कि भारत की नारी वैदिक काल से बहुत ऊंचा स्थान रखती आई है। वैदिक काल में गार्गी मैत्रियी जैसी महिलाएं हो गयी हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारी महिलाएं भी विदुषी थीं और पुरुषों के बराबर विद्वता से काम कर सकती थीं और उनके बराबर वे विद्वान थीं।

इसके बाद पौराणिक काल में भी हमने सीता, द्रौपदी, तारामती जैसी महिलाएं पाई थीं।

भारतीय महिलाओं की अवनति तब हुई जबकि हमारे देश पर विदेशियों के हमले हुए। जब परदेशियों का यहां राज आया तो हमारी आजादी छीनी गई। उदाहरण के लिए मैं पर्दा पद्धति कह सकती हूं। मुगल जब यहां आये तो उनका राज यहां चला और हमारी सब से बड़ी आजादी हम से छीन ली गई और महिलाओं को घरों के अन्दर-बन्द कर दिया गया और उनको शिक्षा पाने से भी वंचित कर दिया गया।

इसके बाद ब्रिटिश रूल आया। इसमें तो नारियों की हालत और भी बुरी हुई। ब्रिटिश रूल में तो हमारी शिक्षा का रूख ही बदल गया। पुरुषों को भी ऐसी गुलामी की शिक्षा दी गई जिसके लिए कहा गया कि उस जमाने के स्कूल-कालेजिज खाली क्लर्क निर्माण करने की फैक्ट्रियां थीं। फिर भी उस जमाने में रानी झांसी, देवी अहिल्या वाई ने आजादी की लड़ाइयां लड़ी और अपना नाम अमर किया।

आजादी के बाद हमारे देश के महान् नेताओं के ध्यान में यह बात आई और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा फुले, राजा राममोहन राय इन सब महात्माओं ने स्त्री मुक्ति के प्रयास शुरू किये जिनसे हमने बहुत उन्नति की। स्त्रियों की उन्नति के लिए कानून बनाए गए और उस जमाने में स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया और इसी का नतीजा है कि हमारे यहां आज प्राइम-मिनिस्टर से लेकर खेत-खलिहान तक सभी क्षेत्रों में महिलाएं उभरी हैं। हमारी दिवंगत नेता इन्दिरा जी ने तो दुनिया में ऐसा अमर स्थान पाया है कि जो पिछले 5 हजार वर्षों में न किसी ने पाया है और न आगे कभी कोई पा सकता है। यह वही हमारे भारत की उज्जवल संस्कृति है जो अपनी रक्षा करके आम मानवता की भी रक्षा करेगी।

महिला दशक में हमारी सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं और अभी हमारे युवा नेता श्री राजीव

गांधी जी ने इसके लिए अलग मंत्रालय बनाकर पूरी कोशिश की है कि इसके द्वारा जो भी कमियां रह गई हैं, उनकी ओर विशेष ध्यान देकर दूर की जाए।

बीस सूत्री कार्यक्रम में महिलाओं को बहुत सहारा मिला है। आज यह देखने में आ रहा है कि यह कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है और मुझे उम्मीद है कि इसमें हमारी सरकार कामयाब होगी। सबसे बड़ी बात नारी की इकनामिक कंडीशन को सुधारना है, तभी वह सही मायने में आजाद होगी। उनको बराबर का वेतन जब तक नहीं दिया जाएगा और उनकी बराबर शिक्षा नहीं होगी, तब तक उनकी उन्नति की बात करना या उनके स्टेटस की बात करना थोड़ा सा गौण मालूम होता है। तभी वह देश पर आए संकटों का सामना कर पाएगी। आज जो भी अत्याचार महिलाओं पर हो रहे हैं उनको दूर करने का प्रयास हम महिलाओं को ही करना होगा और मुझे विश्वास है कि हमारे युवा नेता, प्रधानमन्त्री राजीव जी इसमें सफल होंगे। बहुत हद तक अत्याचार कम हुए हैं और महिलाओं को सहूलियतें पहुंचाने की ओर उन्होंने ध्यान दिया है और हमें आशा है कि उनके शासन काल में महिला दशक पूरा होने के बाद भी महिलाओं की उन्नति के लिये काम होता रहेगा और उनका सहयोग और कोशिश रहेगी कि हमारा देश फिर उभरे और जो कुछ कमियां हैं, उनको दूर किया जाए।

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त गर्व की बात है कि अंतर-राष्ट्रीय महिला दशक में भारतीय महिलाओं की प्रगति के बारे में कुछ शब्द बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे देश में पैदा हुआ हूं जिसने इस सदी की एक महान महिला, श्रीमती इन्दिरा गांधी को जन्म दिया। माननीय कुमारी ममता बनर्जी ने कहा कि समस्त महिला वर्ग को इन्दिरा जी द्वारा प्रदान किए गए नेतृत्व पर गर्व है। मैं इसमें कुछ सुधार करना चाहता हूं। हमारी स्वर्गीय प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा प्रदान किए गए नेतृत्व से न केवल समस्त महिला वर्ग को बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र को गर्व है।

जब हम महिलाओं की भूमिका के बारे में चर्चा करते हैं तो हम प्रायः विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हैं परन्तु हम उन्हें समान भागीदार नहीं समझते। अतः प्रश्न यह है क्या हम उन्हें समान दर्जा देने के इच्छुक हैं। बाइबिल में महिलाओं को सम्मानीय स्थान दिया गया है बाइबिल में कहा गया है कि धर्मात्मा महिला अपने पति का ताज है। उस राजा की कल्पमा कीजिए जिसका ताज खो जाये। अगर आदमी महिला का विश्वास और साथ खो देता है जोकि उसकी पत्नी है। तो उसकी जिन्दगी कुछ भी नहीं रह जायेगी। हम सभी अपने घरों में अपनी मां का प्यार, दुलार एवं देख-रेख पाते हैं। जब कभी भी हम महिलाओं की भूमिका की चर्चा करते हैं, जब कभी भी हम उनकी हालत में सुधार करने के लिए कानून बनाने की बात करते हैं तो हम अपनी माताओं के बारे में सोचते हैं। महिलाओं की स्थिति के बारे में काफी बातें कही जा चुकी हैं। हमें प्रेस द्वारा अक्सर समाचार मालूम चलते हैं कि महिलाओं पर भारी अत्याचार हो रहे हैं। इसका एक मुख्य कारण है, दहेज की अत्यन्त खतरनाक प्रथा। दहेज प्रथा महिला की आजादी के मार्ग में सबसे बड़ी अड़चन है। दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए तथा महिलाओं और पुरुषों के बराबर अधिकार सुनिश्चित करने के लिए हमें सम्पूर्ण देश में एक ही कानून पर विचार करना चाहिए। यह कानून महिलाओं को वर्तमान गुलामी से मुक्ति दिलाने में सहायक होगा।

हमें प्रसन्नता है कि हमारे गतिशील प्रधानमंत्री जी ने सम्पूर्ण देश की लड़कियों के लिए ग्याहरवीं

कक्षा तक मुफ्त शिक्षा देने का कानून बनाया है। परन्तु मुझे आशंका है कि सिर्फ मुफ्त शिक्षा देने मात्र से ही महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा। गांवों में छोटी-छोटी लड़कियों से काफी काम कराया जाता है और जब उसके माता-पिता काम पर जाते हैं तो उन्हें छोटे-बच्चों की देख-भाल का कार्य करना होता है। सामाजिक संगठनों, स्वैच्छिक एजेन्सियों के साथ मिल कर यह कोशिश करनी चाहिए कि लड़कियों को सभी सुविधायें दी जायें ताकि ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।

कुछ विकसित देशों में, महिलाओं के लिए तुलनात्मक दृष्टि से ज्यादा उम्र में, रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। हमारे यहाँ पुरुष और महिलाओं के लिए आयु सीमा है। एक आयु सीमा के बाद वे रोजगार नहीं प्राप्त कर सकते। परन्तु महिलाओं की स्थिति काफी खराब है क्योंकि उस आयु में महिलाओं को अपने बच्चोंकी देखभाल करनी होती है उन्हें पालना होता है अतः वे नौकरी नहीं कर सकती।

मैं सुझाव देना चाहूंगा कि कोई ऐसा तरीका या ऐसे नियम बनाने चाहिए ताकि वे इस आयु सीमा के पश्चात् रोजगार प्राप्त कर सकें। उनके लिए आयु में भी छूट होनी चाहिए। किसी ने सुझाव दिया है कि महिलाओं की वर्त्तमान हालत का अध्ययन करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए और उनकी हालत में सुधार लाने के लिए आवश्यक प्रस्तावों को लाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि इस आयोग द्वारा प्रतिवेदन तथा सुझावों को देने के लिए एक समय-सीमा होनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि इस आयोग में ऐसे लोगों को शामिल करना चाहिए जो महिलाओं के उत्थान के लिए वास्तव में चिन्तित हो ताकि उनके विचार-विमर्शों से अच्छे परिणाम निकल सकें।

मैं श्रीमती गीता मुखर्जी को बधाई दूंगा जिन्होंने नियम 193 के अधीन महिलाओं की भूमिका पर माननीय सदस्यों को यह बोलने का अवसर दिया कि किस तरह से महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जाये। बहुत से महत्वपूर्ण विषयों पर अपने अक्सर राजनैतिक तर्कों में वह पुरुषों से बढ़कर बोलती हैं। महिलाओं की भांति बहुत नम्र भी उनके आकर्षण एवं प्रेम-को अभिव्यक्त कर रही थीं। इससे एक बार फिर पता चलता है कि हमारे समाज में और हमारे दिलों में महिलाओं का हमेशा ही स्थान रहा है। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

समाज और महिला कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस चर्चा को करने के लिए महिला दशक में महिलाओं के विकास पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए मैं सदस्यों की आभारी हूं। यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि हम चर्चा में जिन 14 सदस्यों ने भाग लिया उनमें कुछ पुरुष सदस्य भी थे। वास्तव में इस बार यह अनुपात उलट है। इस बार अधिक महिलाएं तथा पुरुष बहुत ही कम थे।

एक माननीय सदस्य : वास्तव में हम सभी व्यक्ति चर्चा में भाग लेने के इच्छुक हैं। परन्तु समय की कमी थी।

श्रीमती एम० चन्द्रशेखर : मुझे प्रसन्नता है कि कम से कम इस अवसर पर तो महिलाओं को पुरुषों से प्राथमिकता दी गई क्योंकि यह विषय महिलाओं से ज्यादा सम्बन्धित है। जिन सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिया है और उन्होंने महिलाओं के विकास में जो प्रगति और जागृति उत्पन्न हुई है उस पर भी अपनी प्रसन्नता जाहिर की है और माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए विशेष मुद्दों का जवाब देने से पहले मैं भारत में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दशक के दौरान प्राप्त उपलब्धियों की समीक्षा संक्षेप में करूंगी क्योंकि चर्चा का विषय यही था।

समाज एवं महिला कल्याण मन्त्रालय ने 'यूनाइटेड नेशन्स वर्ल्ड प्लान आफ एक्शन' मेक्सिको सम्मेलन की सिफारिशों, भारत में महिलाओं का दर्जा सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन तथा 1975 में अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के घोषणा-पत्र में निहित मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर आधारित सन् 1976 में महिलाओं के लिए 'नेशनल प्लान आफ एक्शन' बनाया। इस सन्दर्भ में मैं कहूंगी कि माननीय सदस्य डा० फूलरेणू गुहा महिला प्रतिष्ठा सम्बन्धी समिति की अध्यक्षा की ओर ढाई वर्ष की अवधि के अन्दर उन्होंने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर मूल्यवान दस्तावेज प्रकाशित किए। इसमें रोजगार के अवसरों, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, विधायी उपायों, पोषक भोजन तथा समाज कल्याण योजनाओं और इन्हीं क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति सुधारों का प्रयास किया गया है।

राष्ट्रीय कार्यवाही योजना को सभी राज्य सरकारों एवं संघ शासित क्षेत्रों में भेज दिया गया था और उन्हें राष्ट्रीय कार्यवाही योजना के आधार पर स्वयं की कार्यवाही योजना बनाने का अनुरोध किया गया था जिसमें मुख्य मार्गदर्शी सिद्धान्त दर्शाये गये थे।

राष्ट्रीय कार्यवाही योजना में निहित कार्यवाही मुद्दों को लागू करने के उद्देश्य से प्रायः सभी राज्यों में राज्य स्तरीय समन्वय समितियां बनाई गई थीं। राष्ट्रीय कार्यवाही योजना में निहित कार्यवाही मुद्दों का कार्यान्वयन, भारत में महिलाओं का दर्जा सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन तथा विभिन्न अन्य योजनाएं एक निरन्तर प्रक्रिया है। तथापि विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार विधान आदि के विभिन्न क्षेत्रों के पिछले एक दशक में काफी प्रगति हुई है जैसाकि विभिन्न माननीय सदस्यों ने बताया है। मैं संक्षेप में उन उपलब्धियों को बताऊंगी।

वर्तमान नियम महिलाओं को सामाजिक न्याय एवं समानता सुनिश्चित करने के लिए पुनरिक्षित किये गये थे।

समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में पारित किया गया था, जिसमें एक ही कार्य के लिए महिला एवं पुरुष को समान पारिश्रमिक देने का प्रावधान है और रोजगार सम्बन्धी मामलों में महिला और पुरुषों में मत-भेद समझना भी वर्जित है।

दूसरे, फैक्ट्री अधिनियम 1976 में संशोधन किया गया था जिसमें नियोजक के लिए यह आवश्यक था कि अगर वह 30 या इससे अधिक महिलाओं को काम पर रखता है तो उसे महिला कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिशु सदन का इन्तजाम करना होगा।

मातृत्व लाभ अधिनियम में 1976 में संशोधन किया गया था इसमें उन महिलाओं को भी सम्मिलित किया था जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1958 के अधीन मातृत्व लाभ की पात्र नहीं थीं।

तथापि मुझे ज्ञात है कि काम-काजी महिलाओं से सम्बन्धित इन कानूनों को उस हद तक क्रियान्वित नहीं किया जा रहा जितने किये जाने चाहिए थे इसका कारण था अपर्याप्त प्रवर्त्तन तन्त्र। श्रम मन्त्रालय ने इस समस्या की जांच की है और सातवीं योजना के केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में सभी राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में महिलाओं एवं बच्चों से सम्बन्धित सभी श्रम कानूनों के लिए एक पृथक कार्यान्वियन तन्त्र का प्रस्ताव किया है। यह तन्त्र कामकाजी महिलाओं से सम्बन्धित अधिनियमों पर ध्यान रखेगा। इस सन्दर्भ में मैं कहना चाहती हूं कि महिलाओं में सम्बन्धित कल्याण कार्य में समन्वयन लाने के लिए माननीय सदस्या श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा दिए गए सुझाव के बारे में मन्त्रालय द्वारा कार्रवाई की जा रही है। मुझे इस सुझाव के बारे में खुशी हुई है। मैं आशा करती हूं कि नियन्त्रक मन्त्रालय के रूप में हम इसको विकसित कर सकेंगे।

विशेष विवाह अधिनियम, 1976 में आपसी रजामंदी को विवाह-विच्छेद का आधार माना गया है। भारत में महिलाओं की स्थिति सम्बन्धी समिति ने सभी निजी कानूनों में इस मुख्य कानून की मान्यता की सिफारिश की है। विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा हिन्दू विधि में इसका समावेश कर दिया गया है। अन्य समुदायों के निजी कानूनों में आवश्यक संशोधन अभी तक नहीं किए गए हैं क्योंकि सरकार उत्सुक है कि इस बारे में कार्रवाई तभी की आए जबकि इस समुदाय द्वारा ही ऐसा सुधार करने के लिए पहल की जाए। अतः कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दे को इसके साथ देखा जा सकता है।

पहले केवल मुस्लिम महिलाओं को जिनका बाल्यावस्था में विवाह हो जाता था। वयः संधि का विकल्प आप्शन आफ पुबरटी विवा-विच्छेद के लिए उपलब्ध था। इसे हिन्दू महिलाओं पर भी लागू कर दिया गया है। हिन्दू कानून में विवाह-विच्छेद करने के लिए निर्दयता के आधार को भी शामिल कर लिया गया है। डिक्री के बाद न्यायिक विवाह-विच्छेद या वैवाहिक अधिकार की वापसी की प्रतीक्षा अवधि को 2 वर्ष से कम करके एक वर्ष कर दिया गया है विवाह विच्छेद के लिए निर्दयता के कारण शामिल कर लिया गया है। चूंकि विधानमण्डल ने उन स्थितियों का उल्लेख नहीं किया है जिससे कि निदर्यता का पता चले इसलिए न्यायपालिका आगे आई और उसने निदर्यता की व्याख्या करके, उसमें मानसिक निर्दयता को भी शामिल किया। उच्च न्यायालयों ने लगातार निर्णय दिया है कि पति या पत्नी द्वारा व्यभिचार के झूठे आरोप के मानसिक निदर्यता समझनी चाहिए।

भारत में एक समान दीवानी संहिता (सिविल कोड) के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। सरकार एक समान दीवानी संहिता बनाने के लिए उत्सुक है परन्तु हम भी महसूस करते हैं कि सबसे पहले अल्पसंख्यक वर्गों के निजी कानूनों में कोई परिवर्तन करने के लिए उचित वातावरण बनाया जाना चाहिए। सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को इस क्षेत्र में स्वैच्छिक एजेन्सियों की सहायता से अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों के बीच रवैये में परिवर्तन लाने के लिए कहा गया था। इन एजेंसियों ने विभिन्न अभियानों तथा प्रचार माध्यमों से कार्यवाही शुरू कर दी है।

संसद ने 1983 में दो दाण्डिक विधि (संशोधन) अधिनियम पास किए थे जिनके द्वारा भारतीय दण्ड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दण्ड प्रक्रिया संहिता में बलात्कार तथा महिलाओं के प्रति ऐसे अन्य अपराधों से सम्बन्धित कानून में और अधिक बड़ा तथा प्रभावी संशोधन किया गया। इसने भारतीय दण्ड संहिता में एक नया प्रावधान रखा है जिसमें पति या अन्य रिश्तेदारों द्वारा महिला के प्रति निदर्यता को दण्डनीय बताया गया है। इस तरह के मामलों में निर्दोषता के प्रमाण का दायित्व अपराधी पर होगा।

दहेज निषेध कानून में 1984 में संशोधन किया गया था। माननीय सदस्या श्रीमती कृष्णा साही इस विधेयक पर समिति की अध्यक्ष थी। उन्होंने देश का दौरा करने और साक्ष्यों को इकट्ठा करने के बाद कम समय में प्रतिवेदन पेश किया। अपराध को दण्डनीय बनाने के लिए जुर्माना और कारागार दोनों की सजा में वृद्धि करने और अधिनियम के क्षेत्र का विस्तार करके इसे और प्रभावी बनाने के लिए इस अधिनियम में संशोधन किया गया था।

1984 का संशोधित अधिनियम दहेज की परिभाषा में "विवाह के बदले में" के स्थान पर "विवाह से सम्बन्धित" बताता है। क्योंकि "विवाह के बदले में" न कि "प्रेम और स्नेह के कारण" दिए गए उपहारों को सिद्ध करने में कठिनाई होती थी। आप सबको पता है कि हाल ही में उच्चतम

न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि विवाह के समय और उसके बाद वधू को दिए गए उपहार उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति थी और यदि पति या उसके ससुराल वाले इनका समर्थन नहीं करते हैं तो उन पर अभियोग चलाया जा सकता है।

यदि परिस्थितियां ऐसी हुई तो दहेज निषेध अधिनियम में समय-समय पर और आगे पुनरीक्षा की जाएगी तथा संसद की संयुक्त समिति की अन्य सिफारिशों को हम उचित समय पर विचार करेंगे। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देती हूं कि दहेज निषेध्र अधिनियम में और संशोधन करने पर विचार किया जाएगा। इस विषय पर हमारा पूरा ध्यान है और मैं कह सकती हूं कि इस विषय पर अन्तिम शब्द नहीं कहा गया है।

राज्य सरकारों से परामर्श करने के बाद अधिनियम के अन्तर्गत विधि मन्त्रालय नियम बना रहा है और हमें आशा है कि नाम संशोधन तुरन्त लागू कर दिए जायेंगे।

परिवार न्यायालय अधिनियम संसद द्वारा राज्यों के प्रत्येक शहर या नगर में जहां 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। वहां परिवार न्यायालय स्थापित करने के उद्देश्य से 1984 में पास किया गया। इन परिवार न्यायालयों को राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाएगा और विधि मन्त्रालय उनके साथ मामले पर विचार करेगी। न्यायालयों के कार्यों का अध्ययन करने के बाद छोटे शहरों में उसके विस्तार पर निर्णय लिया जाएगा।

ये न्यायालय विवाह तथा निर्वाह व्यय सम्बन्धी और संरक्षकता के भी विवादों की सुनवाई कर सकेंगे।

अनैतिक दण्य दमन अधिनियम 1974 में इसको और कारगार और कड़ा बनाने के लिए संशोधन किया गया था। इस संशोधन द्वारा वेश्यावृत्ति तथा वैश्यालयों की परिभाषा का विस्तार किया गया है। अब उसी स्थान से जांच गवाही की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के मामलों में जांच पड़ताल और अभियोग के लिए इस आवश्यकता की एक मुख्य कठिनाई थी। वेश्याओं के लिए पुनर्वास सेवाओं की व्यवस्था पर विशेष दबाव दिया गया था। इस धारा के अन्तर्गत पुलिस निरीक्षक अब मामले की जांच पड़ताल के लिए प्राधिकृत है।

इसके बाद हम शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के मुख्य पहलुओं पर आते हैं जिसके बारे में अधिकार सदस्यों ने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं और उन्होंने कुछ आंकड़े भी दिए हैं जिसके बारे में मैं भी कुछ कहना चाहती हूं कि कुछ में सुधार किया जाए। महिलाओं की स्वास्थ्य आयु सीमा के क्षेत्र में 1951 में 31.7 वर्ष से बढ़कर 1971 में 45.6 से 1981 में 55.1 वर्ष हो गई है। महिलाओं के प्रति पुरुषों का अनुपात 1981 में उल्टा हो गया है। यह वास्तव में 1971 में 930 से बढ़कर 1981 में 939 हो गई। महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए उनको पोषाहार देने के लिए विशेष कार्यक्रम अमल में लाए जा रहे है। बच्चा तथा जच्चा स्वास्थ्य सेवाओं के आधारभूत ढांचे का शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र और उप केन्द्र द्वारा विस्तार किया जा रहा है।

9.00 म० प०

इसके अलावा परिवार कल्याण विभाग ने टिटेनस के टीके और गर्भवती महिलाओं के पोषाहार एनीमिया (रक्त की कमी) को रोकने के लिए गर्भवती महिलाओं के प्रतीरक्षीकरण से सम्बन्धित कई योजनाओं को प्रायोजित किया है।

1982-83 के दौरान 39.03 लाख गर्भवती महिलाओं को टिटेनस के विरुद्ध प्रतिरक्षित किया गया था। इसी तरह 75.42 लाख महिलाओं के प्रोफीलेक्सिस की योजना के द्वारा पोषाहार एनीमिया के विरुद्ध उपचार किया गया था; 501.63 लाख महिलाएं पूरक पोषाहार प्राप्त कर रही है और 309.82 लाख महिलाएं विभिन्न एकीकृत बाल विकास योजना परियोजनाओं में साक्षरता प्राप्त कर रही है। आई० सी० डी० एम० परियोजना ने आंगनवाड़ी कर्मकार, पर्यवेक्षक तथा बाल विकास अधिकारी जैसे व्यवसायों द्वारा महिलाओं के लिए भी रोजगार जुटाए हैं। यहां बच्चों सहित माताएं प्रोफिलेक्सिस और अनौपचारिक शिक्षा भी प्राप्त कर रही है।

रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी 1971 में 14.15 प्रतिशत से बढ़कर 1981 में 19.76 हो गई है। इस मन्त्रालय और अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयों के प्रभागों जैसे श्रम मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय आदि अन्तर्गत केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके प्रशिक्षण तथा उनको रोजगार देने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है।

सरकारी उपक्रमों निगमों और स्वायत्त निकायों द्वारा चलाये गये प्रशिक्षण तथा रोजगार एवं उत्पादन एकक की स्थापना के लिए प्रायोजित परियोजनाओं की सहायता से संबंधित एक कार्यक्रम को समाज और महिला कल्याण मन्त्रालय ने 1982-83 में शुरू किया है जिससे महिलाओं को लाभ हुआ है। आई० सी० डी० एस० के माध्यम से कुछ अन्य कार्यक्रम हैं जिससे महिलाओं को लाभ होगा और वे मुख्य रूप से जैसा कि मैंने बताया है कि बच्चों के प्रतीरक्षीकरण महिलाओं आदि की स्वास्थ्य संबंधी जांच की व्यवस्था करते हैं। गर्भवती महिलाओं की पूरक पोषाहार तथा अनौपचारिक शिक्षा भी दी जाएगी।

आई० सी० डी० एस० परियोजना क्षेत्रों के अन्तर्गत सभी गर्भवती महिलाएं टिटेनस के टीके के प्रतीरक्षीकरण, स्वास्थ्य सम्बन्धी जांच, उल्लेखनीय सेवाएं तथा स्वास्थ्य और पोषाहार शिक्षा के लिए पात्र हैं। निम्नलिखित श्रेणियों से सम्बन्धित महिलाओं को इसके अलावा पूरक पोषाहार भी दिया जाता है :

(एक) भूमिहीन खेतिहर मजदूर

(दो) सीमान्त किसान जिसके पास एक हैक्टर से अधिक भूमि नहीं है

(तीन) अनुसूचित जाति

(चार) अनुसूचित जनजाति

(पांच) समुदाय का अन्य निर्धन वर्ग जिसकी 500 रुपए से अधिक मासिक आय न हो।

आंगनवाड़ी केन्द्रों में 15-45 वर्ष के बीच की महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषाहार शिक्षा दी जाती है।

कुछ मुद्दों पर जिसका उल्लेख किया गया है मैंने जो कुछ कहा उसके अलावा श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा उठाया गया मुद्दा स्कूलों में लड़कियों की स्थिति के बारे में है। 1971 के मुकाबले 1981 में अधिक लड़कियां स्कूलों में हैं। जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि पुरुषों की संख्या कम हो रही है। स्कूलों में लड़कियों की कम भर्ती का मुख्य कारण है कि गरीब परिवारों में स्त्री जाति मजदूरों की अधिक मांग है। इसलिए यदि माताओं को आमदनी बढ़ाने के कार्यक्रम दिए जाए जिसे हमने आई० आर० डी० पी० तथा आर० एल० ई० जी० पी० कार्यक्रमों के द्वारा भी पहले ही ले लिया है हम महिलाओं को काम की व्यवस्था करते हैं ताकि वे परिवार की सहायता कर सकें और लड़कियों को शिक्षा

प्राप्त करने की अनुमति भी मिले। उन्हें समर्थक सेवाएं जैसे महिलाओं के लिए शिशु सदन आदि की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि काम-काजी महिलाओं के बच्चे को उन केन्द्रों में रखा जा सके और उन महिलाओं के लड़कियां स्कूल जा सकें।

नई सरकार के हमारे प्रधानमन्त्री ने उच्च माध्यमिक स्तर तक लड़कियों के लिये निःशुल्क शिक्षा करने की अनुमति दी है। इस तदर्थ की समर्थक सेवाओं से लड़लियों को स्कूलों में भेजा जा सकेगा और वे अपना अध्ययन जारी रख सकेंगी। इसलिए हमारा मन्त्रालय समर्थक सेवाओं के महत्व पर जोर डालेगा। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड शिशु सदन, बालवाड़ीं, योजनाओं को लागू कर रहा है। शिक्षा मन्त्रालय ने स्कूलों में लड़कियों के प्रवेश में वृद्धि करने के लिए शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े राज्यों में विशेष योजनायें बनाई हैं।

कृषि में समान मजदूरी की कमी के बारे में असंगठित क्षेत्र में विभिन्न अन्य मजदूर कानून और प्रसूति के लिए अलग से मशीनरी को बनाने का श्रम मंत्रालय प्रस्ताव कर रही है चूंकि अधिकतर महिलाओं को संगठित क्षेत्र में नहीं लिया गया है इसलिए उन्हें प्रसूति लाभ तथा बच्चों के लिए कुछ अन्य समर्थक सेवाओं से मना किया जा रहा है।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के रोजगार के बारे में उल्लेख किया है। खादी तथा ग्रामोद्योग ने बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार दिया है। 1981-82 के आंकड़े बताते हैं कि इस क्षेत्र में कुल रोजगार का 45 प्रतिशत महिलाओं को जाता है। इस क्षेत्र में 14.59 लाख महिलाएं रोजगार में लगी हुई है।

अश्लील विज्ञापनों के बारे में हम काफी चिन्तित हैं। हमारे मन्त्रालय ने सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के साथ इस मामले में बातचीत की है। विज्ञापन के दो मामलों में जहां महिला को अश्लील भावना से दिखाया गया था उन्हें वापस ले लिया गया था।

काम-काजी महिलाओं के बारे में इस समय तक हमने 344 होस्टलों के लिए सहायता दी है और उसमें लगभग 22,151 महिलाओं के रहने का प्रबन्ध होगा। इन होस्टलों को कहा गया है कि वे उसी भवन में शिशु सदन केन्द्र की व्यवस्था भी करें ताकि हम खर्च में कमी कर सकें और उसी स्थान पर अन्य कामकाजी महिलाओं के लिए वही सुविधाएं जुटा सकें जो अपने बच्चों को उन केन्द्रों में वापस घर आने तक रख सकें। उसके लिए 2194 लाख रुपए खर्च किए गए हैं।

यदि कोई अन्य मुद्दे रह गये हों तो मंत्रालय की मांगों की चर्चा, जो शीघ्र हो रही है, में लिए जा सकते हैं। तब मैं उन सब पर विचार कर सकूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

9.10 म० प०

तत्पश्चात् लोकसभा गुरुवार 25 अप्रैल, 1985/5 वैशाख, 1907 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मित्तल प्रिन्टर्स, के-13, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032 द्वारा मुद्रित